आज़ादी का अमृत महोत्सव

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

59 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021–22

MMTC LIMITED

पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय: कोर–1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड
नई दिल्ली–110 003
सीआईएनः L51909DL1963GOI004033

निदेशक मंडल

सीएमडी और फंक्शनल निदेशक

श्री संजय चड्ढा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (28.2.2022 तक)
श्री विभु नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (1.3.2022 – 31.8.2022)
श्री हरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (27.10.2022 से)
श्री जे.रवि शंकर, निदेशक (विपणन)
श्री राजीव रंजन सिन्हा, निदेशक (कार्मिक)
श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)

सरकारी नामित निदेशक

श्री शशांक प्रिया, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीओसी
श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, डीओसी (07.12.2021 तक)
श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, डीओसी (20.12.2021 से)

गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक

डॉ. (श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा
डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा (13.11.2021 से)

कंपनी सचिव

श्री जी. आनंदनारायणन

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1
नई दिल्ली–110020
दूरभाषः 011–41406150 27,
ई–मेलःadmin@mcsregistrars.com

बैंकर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कंसोर्टियम लीडर)

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एमएल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
407, नई दिल्ली हाउस
बाराखंबा रोड
नई दिल्ली110 001

सचिवीय लेखा परीक्षक
मै.वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
387, पहली मंजिल, शक्ति खंड
इंदिरापुरम,
गाजियाबाद–201010

विषय सूची

- कारपोरेट मिशन/ कारपोरेट उदेश्य 04
- अध्यक्ष का वक्तव्य 05–06
- निदेशकों की रिपोर्ट 07–15
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 16–18
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट 19–21
- कारपोरेट गवरनेंस पर रिपोर्ट 22–35
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एमएमटीसी व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 36–43
- सचीवीय लेखापरीक्षको की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर 47
- भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां 51
- दशक एक नज़र में 52–61
- संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर 62–80
- एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण 82–137
- एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरण 139–162
- समेकित वित्तीय विवरण 163–236
- एमएमटीसी के लेखा परीक्षक 237

एमएमटीसी
लि मि टे क
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुश्टि के साथ साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता और अधिकतम लाभ अर्जन करने, सतत एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कंपनी के उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिटर्न में सुधार करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातु जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना ।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को प्रोफेशलिज्म और दक्षता के साथ उच्च गुववत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराना
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यवसाय से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना

एमएमटीसी लिमिटेड की 59वीं एजीएम में अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकगण,

मैं एमएमटीसी लिमिटेड की 59वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्चुअल मोड में भी आप सभी से जुड़ना सुखद है। हमारे साथ जुड़ने हेतु समय निकालने के लिए, मैं एमएमटीसी के निदेशक मंडल की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों और लेखापरीक्षित खातों की रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और इस वर्ष के लिए शून्य टिप्पणियों के साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से मिली सूचना को पहले ही शेयरधारकों को भेजा जा चुका है, और आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा। पिछला वर्ष वास्तव में कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा है।

सरकार की नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति, जिसके अनुसार केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित पीएसई की न्यूनतम उपस्थिति होगी, के परिणामस्वरूप, गैर–रणनीतिक क्षेत्र में होने के कारण वाणिज्य विभाग ने एमएमटीसी को चरणबद्ध तरीके से अपने व्यवसाय को बंद करने/विभिन्न संयुक्त उपक्रमों से बाहर निकलने के लिए रोडमैप बनाने के निर्देश दिये हैं। कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए वीआरएस भी लाई जा रही है।

प्रमुख निष्पादन विशेषताएं

उपरोक्त का प्रभाव वार्षिक परिणामों में दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 2020–21 के 26,364.60 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2021–22 में 241.98 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि के साथ 7840.78 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है।

- दीपम के माध्यम से एनआईएनएल (एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें एमएमटीसी प्रबंधन प्रमोटर थी) की विनिवेश प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टाटा स्टील्न्ग प्रोडक्ट्स (एनआईएनएल नियंत्रक की नियंत्रक कंपनी) के साथ पूरा हो गई है। एमएमटीसी को कार्यशील पूंजी, एनआईएनएल को पूर्व में दिये गये ऋण/अग्रिम/व्यापार क्रेडिट के रूप में 6335 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें 31.3.2021 तक ब्याज सहित (रु. 3483.11 करोड़) और रु. 459.10 करोड़ रुपये मूल्य की अपनी इक्विटी की बिक्री के लिए 1872.88 करोड़ रुपये शामिल हैं। एनआईएनएल में एमएमटीसी की हिस्सेदारी की बिक्री की आय की प्राप्ति से, कंपनी ने आरबीआई के पुनर्गठन तंत्र के तहत विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋणों का भुगतान कर दिया है और अंतिम निपटान प्रक्रियाधीन है। तथापि, आकस्मिक देनदारियों सहित अन्य भुगतानों को देखते हुए कंपनी की तरलता की स्थिति दबाव में बनी हुई है।
- कोकिंग कोल अनुबंध के गैर–निष्पादन के संबंध में एंग्लो कोल के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एमएमटीसी के खिलाफ एंग्लो कोल द्वारा आयर एग्जीक्यूशन पेटीशन संख्या 19/2018 दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। एमएमटीसी ने माननीय एग्जीक्यूशन कोर्ट के निर्देशानुसार 20.7.2022 को

लगभग रु.1088 करोड़ जमा किए हैं। आपकी कंपनी एमएमटीसी के हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध अन्य संभावनाओं की तलाश कर रही है। उठाये गये इन कदमों के परिणामों के अनुसार राशि भिन्न हो सकती है।

सीएसआर नीति, सतत विकास और कॉरपोरेट गवरनेन्स

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियम और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान हानि हुई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना किया गया सीएसआर बजट अर्थात् पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा कोई वार्षिक सीएसआर बजट अनुमोदित नहीं था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। तथापि एमएमटीसी ने 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया और जिसे 2021–22 तक आगे लाया गया है।

आपकी कंपनी ठोस कॉरपोरेट गवरनेन्स मानदंडों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अंत में, कंपनी सेबी, डीपीई और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करती है।

आभार

मैं, हमारे सम्मानीय ग्राहकों के साथ–साथ अन्य व्यापारिक भागीदारों को उनके निरंतर विश्वास के लिए, हमारे कर्मचारियों को काम के प्रति लगन और दृढ़ता के लिए, बोर्ड के सदस्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए, और आप, हमारे सम्मानित शेयरधारकों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को हमारे सभी प्रयासों में उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हरदीप सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
08.12.2022

निदेशको की रिपोर्ट

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली।

देवियों और सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत कर रहा हूं।

परिचालन परिणाम

आपकी कंपनी ने गत वित्त वर्ष के 26364.50 करोड़ रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान 7840.78 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया। इस व्यावसायिक कारोबार में 34.40 करोड़ रुपये का निर्यात, 7070.58 करोड़ रुपये का आयात तथा 735.80 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष के 769.69 करोड़ रूपये की हानि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 241.93 करोड़ रूपये की हानि हुई।

वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन निम्नानुसार हैं :–

	(करोड रू.)	(करोड रू.)
	2021–22	2020–21
उत्पादों की बिक्री	**7,836,28**	26,361.59
सेवाओं की बिक्री	**4.50**	2.91
अन्य व्यापार अर्जन'	**552.51**	17.11
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**8,393.29**	26,381.61
बिक्री लागत	**7,799.79**	26,267.23
प्रचालन से प्राप्त सकल लाभ	**593.50**	114.38
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	**50.14**	36.97
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक उपरिव्यय आदि	**160.56**	163.33
घटाएं : ऋण / दावे बट्टे खाते में डाले गए	**0.02**	5.80
घटाएं : संदिग्ध ऋणों / दावों / अग्रिमों / निवेशों के लिए प्रावधान	**1.05**	1.06
ब्याज, मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च एवं करों से पूर्व लाभ	**482.01**	(18.84)
घटाएं: भुगतान किया गया ब्याज (निवल) (भुगतान किया गया ब्याज घटा अर्जित ब्याज)	**201.64**	193.26
मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च व करों से पूर्व लाभ	**280.37**	(212.10)
घटाएं : मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	**4.57**	4.94
घटाएं : असाधारण मदें	**155.20**	877.17
कर– पूर्व लाभ	**120.60**	(1,094.22)
घटाएं : वर्तमान करों के लिए प्रावधान	**21.50**	0.07
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**341.03**	(324.60)
कर पश्चात लाभ	**(241.93)**	(769.69)
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**(308.86)**	460.83
शेष		
अन्य व्यापक आय की मदें जिन्हें रिटेंड आय में सीधे तौर पर ले लिया गया		
रिटेंड अर्जन में सीधे तौर पर पहचानी गई मदें	**-**	.
लाभांश एवं लाभांश कर	**-**	.
विनियोग		
सामान्य रिजर्व	**-**	.
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**(550.79)**	(308.86)

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्यनिष्पादन संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है। लेखापरीक्षक/सीएजी की रिपोर्ट के साथ–साथ प्रबंधन के जवाब और खातों की टिप्पणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण जानकारी होती है जैसे ऋण पुनर्संरचना, एंग्लो कोयला विवाद, एनआईएनएल का विनिवेश, आदि।

इक्विटी शेयर पूंजी और लाभांश

वर्ष के दौरान कंपनी की इक्विटी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी की चुकता इक्विटी 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार 150 करोड़ रुपये के 1 रूप्ये अंकित मूल्य के 150 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं। निदेशक मंडल ने मौजूदा तरलता संकट, बैंको की सीमा समाप्त होने, अपनी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समस्या आने और 241.93 करोड़ रूप्ये की निवल हानि को देखते हुए वर्ष के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

रिजर्व

1 अप्रैल, 2021 को आपकी कंपनी के रिजर्व और अधिशेष में 288.11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। 31 मार्च, 2022 को आपकी कंपनी के "आरक्षित और अधिशेष" में 46.18 करोड़ रूपये उपलब्ध हैं

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

2021–22 के दौरान आपकी कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गमन निम्नानुसार है:–

	अर्जन (करोड़ रू.)		**निर्गमन** (करोड़ रू.)
निर्यात	116.68	आयात	5994.35
अन्य		अन्य	–
कुल	116.68	कुल	5994.35

सहायक कंपनी

कमोडिटी में व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार का दोहन करने के लिए एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई.लि.(एमटीपीएल) सिंगापुर, आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कमोडिटी का व्यापार करती है और इसने खुद को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एमटीपीएल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए 486.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 456.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री कारोबार हासिल किया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 2020–21 के दौरान अर्जित 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 31 मार्च 2022 तक एमटीपीएल की नेटवर्थ 6.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। एमटीपीएल द्वारा घोषित कुल लाभांश 26.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एमटीपीएल से प्राप्त 5.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभांश शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एमटीपीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

एमएमटीसी का संयुक्त उपकम – नीलांचल इस्पात निगम(एनआइएनएल)

आपकी कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) – 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैपिटिव पावर प्लांट ओडिशा सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त रूप से उत्पाद इकाई की स्थापना की।

8 जनवरी 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एमएमटीसी (49.78%), एनएमडीसी (10.10%), मेकॉन (0.68%), बीएचईएल (0.68%) आईपीआईसीओएल (12.00%) और ओएमसी (20.47%) की इक्विटी शेयरधारिता के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया था। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में एक रणनीतिक खरीदार को, दो चरणों की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने लेन–देन सलाहकार (टीए), कानूनी सलाहकार (एलए) और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता (एवी) की नियुक्ति करके और विभिन्न इंटर मंत्रिस्तरीय समूह (आइएमजी) मूल्यांकन उप–समिति (ईएससी) की बैठकों का संचालन करके उचित परिश्रम प्रक्रिया को पूरा किया।

एनआईएनएल की बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 29 मार्च, 2021 को पूरी हो गई और संभावित बोलीदाताओं को आगे की जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को 03.12.2021 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 23.12.2021 थी। इसके बाद, तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन उचित परिश्रम के साथ किया गया और उसके बाद, एसबीआई कैप्स, लेनदेन सलाहकार (टीए) और लूथरा एंड लूथरा द्वारा किए गए उचित परिश्रम के अनुसार दीपम द्वारा तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की घोषणा के बाद 26.01.2022 को वित्तीय बोलियां खोली गईं। लूथरा, कानूनी सलाहकार (एलए)। मै.टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपी) 12,100 करोड़ रुपये के बिड एंटरप्राइज वैल्यू (ईवी) पर उच्चतम बोलीदाता (एच–आई) के रूप में उभरा, जैसा कि दीपम द्वारा 30.01.2022 को प्रकाशित अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित किया गया था। मै.टीएसएलपी ने दीपम को टीएसएलपी को जारी किए गए प्रतिहस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र (एलओए) के साथ बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में 1210 करोड़ रुपये की भुगतान सुरक्षा को कवर करते हुए एलओए स्वीकृति पत्र निष्पादित किया।

दिनांक 10.03.2022 को एनआईएनएल, सेलिंग शेयरहोल्डर्स, मेसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसएलपी), टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल), और भारत सरकार (एमओसी द्वारा प्रतिनिधित्व) ओडिशा सरकार के मध्य शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट (एसपीए) और एस्क्रो एग्रीमेंट निष्पादित किए गए थे। टीएसएलपी ने एस्क्रो खाता संख्या 1 (एनआईएनएल) में 1210 करोड़ रुपये (बोली मूल्य का 10%) जमा किया और शेष राशि (90%) टीएसएलपी द्वारा 01.07.2022 को एस्क्रो खाते में जमा की गई। एसपीए के अनुसार, पूर्णता तिथि 24.04.2022 निर्धारित की गई थी।

एसपीए के प्रावधानों और बाद में पारस्परिक रूप से सहमत लॉन्ग स्टॉप तिथि के अनुसार, एनआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया 04.07.2022 को सभी स्टेकहोल्डार, एनआईएनएल के सांविधिक लेखापरीक्षक को शामिल करते हुए सभी उचित परिश्रम प्रक्रिया को पूरा करते हुए पूरी हो गई। इस प्रक्रिया में, एमएमटीसी ने 4 जुलाई 2022 को इक्विटी के रूप में प्रमोटरों को बिक्री प्रतिफल के वितरण के माध्यम से 1872.35 करोड़ रुपये (विदहोल्डिंग टैक्स को निकालकर) की वसूली की। एमएमटीसी द्वारा एनआईएनएल में 49.78% इक्विटी निवेश के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कुल विनिवेश आय 5335 करोड़ रुपये है।

अन्य परियोजनाएं / संयुक्त उपकम

मुक्त बाजार के माहौल में उभर रहे नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए, आपकी कंपनी ने पिछले वर्षों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल का पालन करते हुए कई संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया था। पिछले वर्षों में स्थापित ऐसे संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(I) आपकी कंपनी के पास वर्तमान में 31.3.2022 को इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में 6% इक्विटी पूंजी है। सेबी के परिपत्र संदर्भ संख्या सीआईआर / सीडीएमआरडी / डीईए / 03 / 2015 दिनांक 26 नवंबर 2015 के संदर्भ में एसईसीसी विनियम, 2018 के विनियम 17 के अनुसार होल्डिंग को घटाकर 5% या उससे कम किया जाना है। एममएटीसी ने 2018 और 2019 में आईसीईएक्स में इक्विटी के मूल्यांकन और विनिवेश के लिए सलाहकार नियुक्त किए। हालांकि, एमएमटीसी को आईसीईएक्स में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरएफपी के लिए कोई बोली नहीं मिली; ऐसा अंतिम आरएफपी 8.11.2021 को बंद हुआ। आईसीईएक्स ने अभी तक 2021–22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि वित्त वर्ष 2020–21 में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 1.42 करोड़ रु की .परिचालन आय और आईसीईएक्स का कर पश्चात शुद्ध घाटा 25.67 करोड रु. था। आगे लाई गई हानि की शेष राशि रु. 204.89 करोड़ थी। सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 10.05.2022 को आदेश पारित किया और 18.05.2022 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया। हालाँकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने अपने आदेश दिनांक 13 जून 2022 द्वारा आईसीईएक्स की मान्यता रद्द करने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है। एसएटी ने अपने आदेश दिनांक 13.6.2022 में आईसीईएक्स को सेबी की संतुष्टि के लिए सभी अनुपालनों को पूरा करने के लिए 13.6.2022 से एक वर्ष का समय दिया है, और इस अवधि के दौरान सभी व्यापारिक गतिविधियाँ निलंबित रहेंगी।

(ii) आपकी कंपनी ने "यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड" के नाम और शैली के तहत करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भाग लिया था, जिसे "बीएसई लिमिटेड" (बीएसई) में मिला दिया गया था, जिसमें आपकी कंपनी पास अब बीएसई में 2/– रुपये के इक्विटी 116883 शेयर (पोस्ट बोनस इश्यू) है। वर्ष के दौरान बीएसई ने 195.12 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया, जबकि 2020–21 के दौरान अर्जित 97.26 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 15,77,920.50 रुपये (प्रत्येक 2/– रुपये के इक्विटी शेयर पर 13.50 रुपये) के लाभांश का भुगतान किया।

(iii) एमएमटीसी–पीएएमपी इंडिया प्रा. लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और पीएएमपी एसए, स्विट्जरलैंड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो कीमती धातु प्रसंस्करण सुविधा का परिचालन करती है। एमपीआईपीएल भारत की पहली और एकमात्र सोने और चांदी की एलएमबीए गुड डिलीवरी रिफाइनरी है वित्त वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम ने 29,263.50 करोड़ रुपये का कारोबार और 44.79 करोड़ रुपये का लाभ (कर पश्चात) हासिल किया। पिछले 3 वर्षों के दौरान जेवी कंपनी द्वारा कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।

(iv) मै.सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड(एसआईओटीएल) कर्नाटक राज्य में बेल्लारी–होस्पेट सेक्टर से निर्यात के लिए लौह अयस्क की अनुपलब्धता और खनन / राज्य सरकार द्वारा निर्यात के लिए आयरन ओर के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सकी। लौह अयस्क के निर्यात के अनिश्चित भविष्य और निर्मित बुनियादी ढांचे के उपयोग के मद्देनजर कामराजार पोर्ट ट्रस्ट (पूर्ववर्ती एननोर पोर्ट ट्रस्ट) ने सुविधा में संशोधन के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से इस सुविधा को प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि आम उपयोगकर्ता कोयला भी हैंडल किया जा सके। चूंकि कोयले का एममएटीसी के मौजूदा कारोबार के साथ तालमेल नहीं है, इसलिए सितंबर 2016 में एममएटीसी बोर्ड ने जेवी से बाहर निकलने का फैसला किया था। एमएमटीसी ने ए एसआईओटीएल जेवी में अपनी संपूर्ण 26% इक्विटी की बिक्री के लिए खुली निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित कीं, हालांकि इसका कोई उत्तर नही मिला। इस बीच, एसआईओटीएल के शेयरधारकों के समझौते में "पहले इनकार के अधिकार" के अनुसार, सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, (एसआईओटीएल के प्रमुख प्रमोटर) ने एमएमटीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एमएमटीसी की इक्विटी खरीदने की पेशकश की जिसे एमएमटीसी बोर्ड ने स्वीकार करने का फैसला किया है। (एसआईओटीएल में एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए 31.05.2018 को सिकाल लोजिस्टक लि. के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और समझौते के अनुसार सिकाल लोजिस्टक लि. ने एमएमटीसी के साथ .0.50 करोड़ रू.(पि.वर्ष .0.50 करोड़ रू.) के समझौता निष्पादन के लिए जमा किया था। समय–समय पर एसपीए की वैधता को बढ़ाया गया था। पिछला विस्तार 31.03.2020 तक वैध था। वित्तीय संकट के कारण, मैसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स एसपीए के लिए बिक्री मूल्य का भुगतान नहीं कर सका और इसलिए एमएमटीसी द्वारा 31.03.2020 को निवेश के मूल्य में कमी के लिए 33.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

मार्च 2021 में, एनसीएलटी ने सिकाल लोजिस्टक लि के खिलाफ एमओएल टॉयफूजी आटोमेटिव लोजिस्टक (इंडिया) प्राईवेट लि द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ एक आदेश सुनाया और एक दिवालिया समाधान प्रफेशनल (आईआरपी) को नियुक्त किया गया था। एमएमटीसी ने एसपीए के आधार पर सीआईआरपी (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) के अप्रदत्त शेयर बिक्री प्रतिफल के साथ 34.26 करोड़ रुपये के लिए अपना दावा दर्ज कराया है।

इस बीच, 21.12.2020 को केपीएल ने दिनांक 11.07.2016 के लाइसेंस समझौते के तहत वित्तीय चूक का आरोप लगाते हुए एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। 22.03.2021 को केपीएल ने 22.03.2021 से एसआईओटीएल को 90 दिनों का टर्मिनेशन नोटिस जारी किया । उसी तारीख को केपीएल ने एक ट्रांसफर इंफॉर्मेशन नोटिस भी जारी किया है जिसमें 30 दिनों के भीतर यानी 20.04.2021 तक जेवी कंपनी से जानकारी मांगी गई है। अधिवक्ताओं के सुझाव के अनुसार, एमएमटीसी ने 24 / 06.2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए एक रिट याचिका दायर की।

हालांकि, माननीय एमएचसी ने (वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र) का जिक्र करते हुए एएमआरसीडी ने कहा है कि "कानून की ऐसी स्थिति होने के नाते, यह अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध उपाय कहीं और है न कि यह अदालत"। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा यह माना कि "एमएमटीसी द्वारा स्वयं दायर की गई रिट याचिका अनुरक्षणीय नहीं है"। एमएमटीसी ने 2022 के डब्ल्यूए 498 के आदेश को चुनौती दी है और 28.3.2022 / 7.4.2022 को सूचीबद्ध किया गया था और अभी भी एडमिशन के लिए लंबित है।

सिकाल के सीआईआरपी में रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने एनसीएलटी के समक्ष केपीएल द्वारा पारित दिनांक 22.03.2021 को समाप्ति नोटिस को चुनौती दी। एमएमटीसी ने आरपी के उक्त आवेदन में पक्षकार होने के लिए एक आवेदन दिया। आरपी के आवेदन को एनसीएलटी ने आदेश दिनांक 11.03.2022 के अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, एमएमटीसी का आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

एमएमटीसी ने एएसजी की राय ली है कि क्या एमएमटीसी केपीएल के खिलाफ एएमआरसीडी के तहत आगे बढ़ सकता है और इसके निवेश की वसूली के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। एएसजी की राय के अनुसार एमएमटीसी अगला कदम उठायेंगें। एएमआरसीडी में केपीएल के साथ विवाद के निपटारे के लिए आवेदन तैयार किया जा रहा है।

(v) मैसर्स टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी 28.10.2021 से भंग कर दी गई है।

(vi) भारत में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि एक्जिम नीति में घोषित किया गया है, एमएमटीसी और आईएलएंडएफएस ने 2004–05 में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एसपीवी की स्थापना की थी। एमएमटीसी और आईएलएंडएफएस के बीच इक्विटी 50:50 के आधार है। कांडला और हल्दिया में भूमि बैंकों के प्रशासन के लिए एफटीडब्ल्यूपीएल की दो 100: स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की गई थी। प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और परियोजना के विकास के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता को देखते हुए, प्रमोटरों द्वारा परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कांडला में भूमि परियोजना प्राधिकरण को सौंप दी गई है। हल्दिया भूमि के संबंध में, स्थानीय किसानों ने 2015 में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए हल्दिया विकास प्राधिकरण के खिलाफ याचिका दायर की थी और कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। लंबे समय तक मुकदमेबाजी और स्टे नहीं हटाए जाने के कारण, प्रमोटरों ने हल्दिया विकास प्राधिकरण (एचडीए) को जमीन सौंपने का फैसला किया। तद्नुसार मार्च, 2020 में भूमि एचडीए को वापस कर दी गई थी।

(vii) मार्च, 2007 में कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में एमएमटीसी द्वारा 25 पवन ऊर्जा जेनरेटरों के साथ 15 मेगावाट क्षमता की पवन चक्की परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना से उत्पन्न बिजली एचईएससीओएम को बेची जाती है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की कुछ बिजली जरूरतों को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। 2021–22 के दौरान पवन चक्की परियोजना का कारोबार 5.42 करोड़ रू. हुआ।

औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में गए वर्ष के दौरान किसी भी औद्योगिक अशांति के कारण कोई मानव दिवस नहीं गया। इसके अलावा, कंपनी के सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए अधिकारी महासंघ / स्टाफ यूनियनों / एससी एंड एसटी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च, 2022 को आपकी कंपनी मे कुल 597 कर्मचारी थे, जिसमें 3 बोर्ड स्तर के कार्यकारी, 1 सीवीओ, 277 अधिकारी और 320 कर्मचारी /वर्कर थे । कार्मिको में पूर्ववर्ती माईका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के 1 अधिकारी और 50 कर्मचारी/कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय कर दिया गया था।

कंपनी के कुल कार्मिकों में 20.10% (120 कर्मचारी) महिला कर्मचारी; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) क्रमशः 21.61%(129 कर्मचारी), 11% (66 कर्मचारी), 12.06% (72 कर्मचारी) और 2.34% (14 कर्मचारी) हैं। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गई।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:

31.03.2022 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी कर्मचारी	एससी की %ता	एसटी	एसटी की %ता	ओबीसी	ओबीसी की %ता	दिव्यांग	दिव्यांग की %ता
ए	277	55	19.86	21	7.58	33	11.91	12	4.33
बी	182	39	21.43	31	17.03	4	2.20	2	1.10
सी	64	14	21.88	4	6.25	24	37.50	0	.
डी	74	21	28.38	9	12.16	12	16.22	0	.
कुल	**597**	**129**	**21.61**	**65**	**10.89**	**73**	**12.23**	**14**	**2.34**

2021–22 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों की भर्ती									
समूह	कुल भर्ती	एससी	एससी की %ता	एसटी	एसटी की %ता	ओबीसी	ओबीसी की %ता	दिव्यांग	दिव्यांग की %ता
ए	कोई भर्ती नही की गई								
बी	कोई भर्ती नही की गई								
सी	कोई भर्ती नही की गई								
डी	कोई भर्ती नही की गई								

2021–22 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति					
समूह	कुल पदोन्नति	एससी	एससी की ता	एसटी	एसटी की ता
ए	.	.	.	.	.
बी	.	.	.	.	.
सी	.	.	.	.	.
डी	.	.	.	.	.
कुल	.	.	.	.	.

प्रशिक्षण एवं विकास

लगातार बदलते कारोबारी परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल को और बढ़ाने/उन्नत करने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में 205 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। देश में महामारी की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, अधिकतर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार) आयोजित किए गए थे। बीच बीच में आयोजित प्रशिक्षण में कार्यात्मक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल थे। वेबिनार के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में एससी के 33 कर्मचारी, एसटी के 12 कर्मचारी और 89 महिला कर्मचारी शामिल हैं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

एमएमटीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने के राजभाषा विभाग(गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनवरत प्रयास किए। इस उद्देश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाडे, आदि का आयोजन किया गया। इससे राजभाशा कार्यान्वयन की दिशा में सकारात्मक परिणाम आए थे और दिन–प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी वृद्धि देखी गई थी।

वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा कारपोरेट कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी ने एमएमटीसी में हिंदी में किये जा रहे कार्य को संतोशजनक पाया और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। एमएमटीसी की हिंदी की वेबसाइट को अंग्रेजी के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी कोविड एसओपी को ध्यान में रखते हुए एमएमटीसी द्वारा हिंदी की त्रैमासिक पत्रिक मणिकांचन के ई–संस्करण प्रकाशित किये गये।

सर्तकता

एमएमटीसी का सतर्कता प्रभाग विभिन्न सीवीसी संदर्भित शिकायतों/प्रत्यक्ष शिकायतों से निपटने के दौरान सीवीसी की अनुपालन प्रबंधन प्रणाली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुशल प्रतिक्रिया प्रणाली पर अपना जोर दे रहा है। इसके साथ ही, शिकायतों की जांच करते समय प्रणालीगत सुधार, यदि कोई हो, की गुंजाइश भी सतर्कता प्रभाग में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए केंद्रित क्षेत्र के रूप में ली जा रही है।

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 22 शिकायतों (सीवीसी–2, अन्य–20) पर कार्रवाई की, जिनमें से 20 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है और शेष 2 शिकायतों पर कार्रवाई 31.03.2021 तक प्रगति पर थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने तीन विभागीय जांच कार्यवाहियों (2 सीवीसी और 1 गैर–सीवीसी) पर विभिन्न चरणों में प्रगति की। 2016 के एक मामले में, सीवीसी के एसएसए के अनुसार कुल 5 अधिकारी शामिल थे 2 अधिकारियों के लिए डीए द्वारा बरी करने के आदेश जारी किए गए। अन्य 3 अधिकारियों के संबंध में कार्यवाही चल रही है। सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह वाले एक अन्य मामले में 03 अधिकारियों के संबंध में विभागीय कार्यवाही चल रही है। 09 अधिकारियों से जुड़े एक गैर–सीवीसी मामले में विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली गई है और अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के सतर्कता अधिकारियों (वीओ) द्वारा 50 और गैर–सतर्कता अधिकारियों (एनवीओ) द्वारा 32 निरीक्षण किए गए और प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट को सतर्कता प्रभाग में संसाधित किया गया और जहां आवश्यक हो उचित कार्रवाई की गई। सतर्कता प्रभाग ने 2 सीटीई प्रकार के आंतरिक निरीक्षण किए हैं और एमएमटीसी के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी निविदाओं के 2 लंबित सीटीई प्रकार के अवलोकनों में टीई, सीवीसी की टिप्पणियों के जवाब भी दिए हैं। आंतरिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी जांच की गई और पाई गई कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। निरीक्षणों के अलावा, सतर्कता प्रभाग ने कर्मचारियों के 145 वार्षिक संपत्ति विवरणियों की भी छानबीन की है।

ओडीआई के संबंध में अनुपालन के रूप में सहमत सूची (ओं), डीओपीटी सॉल्व पर एमआईएस अपडेशन, क्यूपीआर, सीटीई–टाइप क्यूपीआर, संरचित बैठकों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जवाब दिया गया है।

सतर्कता प्रभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान अपने सभी कार्यालयों में दिनांक 26.10.2021–01.11.2021 से सीवीसी के निर्देशानुसार 'स्वतंत्र भारत /75% सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भर' विषय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। सप्ताह के दौरान, निवारक सतर्कता प्रथाओं, ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रशासन और आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों सहित विभिन्न गतिविधियां की गईं और रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार सीवीसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड ने 2014 में 'सतर्क तंत्र' पर एक योजना शुरू की थी। निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है। किसी कर्मचारी/निदेशक की कोई शिकायत, यदि कोई हो, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भेजी जाएगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह तंत्र पहले से लागू व्हिसल ब्लोअर नीति से अलग है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्विटी और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में सत्यनिष्ठा संधि को बढ़ावा दिया जाता है। आपकी कंपनी ने बोलीदाताओं के बीच पारदर्शिता / इक्विटी को बढ़ावा देने और कंपनी द्वारा आयोजित व्यापार में भ्रष्ट प्रथाओं की किसी भी संभावना को रोकने के लिए भी इसे लागू किया है। श्री बाल राज, आईटीएस (सेवानिवृत्त), को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम '2013 की धारा 135 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार शुरू की जा रही हैं। सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में होस्ट किया गया है।

वित्त वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी को घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2ः नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। हालाँकि, आपकी कंपनी ने केवल वित्त वर्ष 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया, जिन्हें वित्त वर्ष 2021–22 तक आगे बढ़ाया गया।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा –21 (बी) के संदर्भ में, अव्ययित सीएसआर निधियों के लिए एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था और 31.03.2021 को खाते में 10.01 लाख रू. ट्रांसफर किए गए। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इस खाते से धन का उपयोग इस प्रकार हैः

आरंभिक शेष (01.04.2021 को)	**10.01 लाख रू.**
वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान व्ययः	
(i) कौशल विकास कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजना) के लिए श्री दीप चंद एजुकेशनल सोसाइटी को अंतिम किस्त का भुगतान।	**1.50 लाख रू.**
(ii) स्लम बच्चों की शिक्षा के लिए सीकेएस फाउंडेशन को अंतिम किश्त का भुगतान (वित्तीय वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजना)।	**3.24 लाख रू.**
अंतिम शेष (31.03.2022 को)	**5.27 लाख रू.**

कारपोरेट गवरनेंस

कॉर्पोरेट गवरनेंस कुशल, प्रतिस्पर्धी और सफल उद्यम बनने के लिए व्यावसायिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। आपकी कंपनी निरंतर विकास, अपनाने और सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवरनेंस प्रेक्टिस के प्रति समर्पण में अपना दृढ़ विश्वास रखती है। इस दिशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मानदंड, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षएं) विनियम, 2015 और इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए लागू दिशानिर्देशों को नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। तथापि, 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी बाकी है।

लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवरनेंस से संबंधित शर्तों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स (सीपी संख्या 13901) से प्रमाण पत्र के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग रिपोर्ट संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कंपनी ने सीपीएसई के लिए लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित सीजी मानदंडों का अनुपालन किया है और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती है।

आचार संहिता

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 15 (5) के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए लागू आचार संहिता आपकी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। मार्च 31, 2022 को समस्त बोर्ड सदस्य व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने, जिन पर यह संहिता लागू है, 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए इसके अनुपालन की पुष्टि की है । बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए आचार संहिता के अनुपालन के बारे में घोषणा नीचे गई हैः

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवरनेंस पर डीपीई के दिशानिर्देश के तहत के अनुसार घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए ' व्यापार आचरण और आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है। "

हस्ता./ – (9.6.2022 को)
विभु नायर
पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

आपकी कंपनी ने सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट तैयार की है। सेबी द्वारा सुझाए गए ढांचे और सिद्धांतों से सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना है। उक्त संलग्न व्यापार दायित्व रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सूक्ष्म, भारत सरकार के लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति (पीपीपी) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल खरीद में से न्यूनतम 25% हिस्सा/एमएसई से किया जाना है । राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018 के अनुसार एमएसई से वार्षिक खरीद के 25% लक्ष्य में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 5% वार्षिक खरीद का उप–लक्ष्य और उपरोक्त 25% आरक्षण के तहत एमएसई के स्वामित्व वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त 3% आरक्षण लागू है ।एमएसएमईएस अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत फर्मों को वरीयता दी जाएगी।

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में वर्ष 2021–22 के दौरान, प्रशासनिक जरूरतों के लिए एमएमटीसी ने 7.77 करोड़ रू. की कुल वार्षिक खरीद की, जिसमें से 6.37 करोड रू. (अर्थात 82%) की वस्तुएं और सेवाएँ एमएसई से खरीदी गई। इन एमएसई में एससी/एसटी उद्यमी के स्वामित्व वाले 0.81 करोड़ रू. (अर्थात् 12.83%), और 1.4 करोड़ रू. (22.09%) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई शामिल हैं।

सार्वजनिक जमा योजना

1 अप्रैल 2021 को कोई बकाया सार्वजनिक जमा नही थे और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया ।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार, 2021–22 के दौरान दाखिल वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट: **www.mmtclimited.com** पर उपलब्ध है ।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने दिनांक 13.09.2022 के संचार के माध्यम से शून्य टिप्पणी की है

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसार, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली की सेवाएं लीं। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म एमआर–3 में) सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर इसके साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए निवेश, ऋण और गारंटियों का विवरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में दिया गया है। 31.3.2022 को एनआईएनएल में कंपनी का एक्सपोजर 3463.11 करोड़ रुपए है, जिसमें कार्यशील पूंजी केडिट सुविधा शामिल हैं।

संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी लेनदेन व्यापार के साधारण तरीके से किये गये थे। ऑडिट समिति ने 2021–22 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान किया। इंड एस–24 के तहत आवश्यकतानुसार उपयुक्त खुलासे वित्तीय विवरणों के लिए नोट 42 के नोट में किए गए हैं। लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी –2 में प्रदान किया जाता है जो कि उसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेन–देन पर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर अपलोड किया गया है: **http://mmtclimited.com/ files/related%20party%20transaction%20policy%20eng.pdf**

जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत सिफारिश किए जाने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी। कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से जुड़े विभिन्न जोखिमों और कंपनी द्वारा अभ्यास के रूप में इसके जोखिम प्रबंधन का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने नियंत्रण लागू करने और कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में सहायता करने के लिए धोखाधड़ी रोकथाम नीति लागू की है। नीति का उद्देश्य नियंत्रणों के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपकर और संदिग्ध कपटपूर्ण व्यवहार की जांच और रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करके सुसंगत कानूनी और नैतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है।

कंपनी अस्थिर वस्तुओं/बाजार की स्थिति में जोखिम नहीं लेती है। आम तौर पर, उचित मार्जिन मनी द्वारा समर्थित पुष्टि किए गए ऑर्डर के पद खरीदारी करता है। एमएमटीसी फंड से जुड़े लेनदेन के संबंध में फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कवर लेने के लिए दिशानिर्देश लागू हैं।

ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी के एमआईसीए समूह में कोई गतिविधि नहीं हुई क्योकि संयंत्र बंद पड़ा था। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, कंपनी के पास इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के अनुपात और औसत कर्मचारी का पारिश्रमिक तथा समय–समय पर निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण का खुलासा निदेशकों की रिपोर्ट में करना आवश्यक है। हालांकि, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है। .

निदेशक दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक का कथन है कि:

ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, मेटिरियल डिपार्चर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में तथा 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

डी) निदेशकों ने गोईंग कंसर्न आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था।

ई) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा था और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली को अपनाया था और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थी ।

जी) अभी एमएमटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रहा है।

एच) वर्ष 2021–22 के लिए एमएमटीसी के वार्षिक खातों पर लेखा परीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियां वार्षिक खातों का हिस्सा हैं और इस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नीति बनाई है। कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के तहत कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना

आपकी कंपनी ने एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न अनुपालनों का जवाब दिया है। नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), पारदर्शिता अधिकारी, मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/नोडल सीपीआईओ, जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) आदि का विवरण सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित किया गया है। वर्ष के दौरान, कुल 26 आरटीआई आवेदन सीधे/आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्राप्त हुए थे और सभी आरटीआई का निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एफएए द्वारा कुल 4 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका निपटान भी कर दिया गया। आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा–4 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक डोमेन (www.mmtclimited.com) पर किए जाने वाले स्वैच्छिक प्रकटीकरण का 'स्व–मूल्यांकन ऑडिट' भी किया है और इसे तीसरे पक्ष सीआईसी द्वारा ऑडिट और अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

एमएमटीसी और एंग्लो अमेरिकन कोल के बीच विवाद :

कोकिंग कोल अनुबंध के गैर–निष्पादन के संबंध में एंग्लो कोल के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एमएमटीसी के खिलाफ एंग्लो कोल द्वारा दायर निष्पादन याचिका संख्या 19/2018 दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। एमएमटीसी ने लगभग 1087 करोड़ रुपये जमा किए। 20.7.2022 को डिक्री धारक के हित को सुरक्षित करने के लिए। सुनवाई की अगली तिथि अंतरिम आवेदन के लिए 29.11.2022 और निष्पादन याचिका के लिए 14.12.2022 को तय की गई।

निदेशक मंडल

1 अप्रेल, 2021 के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है :–

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि/ समाप्ति	नियुक्ति/ समाप्ति
डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	13.11.2021	**नियुक्ति**
श्री श्यामल मिश्रा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	07.12.2021	**समाप्ति**
श्री मंजुनाथ जी	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	16.12.2021	**समाप्ति**
श्री विपुल बंसल	सरकार द्वारा नामित निदेशक	20.12.2021	**नियुक्ति**
श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	28.02.2021	**समाप्ति**
श्री विभु नायर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.03.2022 31.08.2022	**नियुक्ति** **समाप्ति**
श्री हरदीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	27.10.2022	**नियुक्ति**

बोर्ड 1.4.2021 से बोर्ड में नहीं रहे निदेशकों द्वारा किए गए योगदान ओर सराहनीय सेवाओं की प्रशंसा करता है। बोर्ड श्री हरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) का स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी को उनके समृद्ध और विविध अनुभव से अत्यधिक लाभ होगा।

निदेशकों के रोटेशनल रिटायरमेंट के संबंध में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त) एजीएम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, उन्होंने स्वयं पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किया है

आभार

आपके निदेशक सभी हितधारकों–शेयरधारकों, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, सीमा शुल्क, बंदरगाहों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यापारिक भागीदारों द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये श्रेष्ठ समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते है। आपके निदेशक कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों और कड़ी मेहनत और इसकी प्रगति में उनके निरंतर योगदान को भी पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं।

बोर्ड के आदेश से

(हरदीप सिंह)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक : 9.11.2022

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2021–22

वैश्विक व्यापार व विकास का सिंहावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड–19 और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण अभूतपूर्व अस्थिरता और व्यवधान का सामना कर रही है। 2021 में एक अस्थायी सुधार के बाद 2022 में तेजी से निराशाजनक विकास हुआ, क्योंकि जोखिम शुरू हो गए थे। महामारी के कारण पहले से ही कमजोर हुई विश्व अर्थव्यवस्था को उम्मीद से कहीं अधिक झटके लगे हैं और साथ ही यूक्रेन में युद्ध से और भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

बढ़ती कीमतों के साथ दुनिया भर में जीवन स्तर लगातार कम हो रहा है, नीति निर्माताओं के लिए मुद्रास्फीति को कम करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सख्त मौद्रिक नीति की अनिवार्य रूप से वास्तविक आर्थिक लागत होगी, लेकिन देरी केवल उन्हें बढ़ा देगी। लक्षित राजकोषीय समर्थन सबसे कमजोर लोगों पर प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन महामारी द्वारा फैलाए गए सरकारी बजट और अवस्फीतिकारी समग्र व्यापक आर्थिक नीति स्टैंड की आवश्यकता के साथ ऐसी नीतियों को बढ़े हुए करों या कम सरकारी खर्च से ऑफसेट करने की आवश्यकता होगी। कठोर मौद्रिक स्थितियां वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित करेंगी, मैक्रो विवेकपूर्ण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होगी और ऋण समाधान ढांचे में सुधार करना और भी आवश्यक होगा। ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर विशिष्ट प्रभावों को दूर करने के लिए नीतियों को कीमतों को विकृत किए बिना सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों पर ध्यान देना चाहिए। अंत में, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उत्सर्जन को सीमित करने और हरित संक्रमण को तेज करने के लिए निवेश बढ़ाने के लिए तत्काल बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता है।

2021–22 के दौरान भारत में आर्थिक विकास का अवलोकन

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति आदि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत हो रही है और उभर रही है। 2021–22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत बढ़ी, जबकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक साल पहले मार्च तिमाही में 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। 2021–22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अर्थव्यवस्था को उसके पूर्व–महामारी स्तर से ऊपर ले जाती है और 2020–21 में 6.6 प्रतिशत के अनुबंध के बाद एक सुधार है।

2022–23 के लिए आउटलुक

2023 में, दुनिया भर में भू–राजनीतिक वास्तविकताओं को स्थानांतरित करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1–7.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। बाजार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का आर्थिक दृष्टिकोण कहता है कि 2021 करीब आ रहा था, हवा में एक आशावाद था लेकिन इस साल की शुरुआत में आशावाद को एक झटका मिला क्योंकि देश और रूस के आक्रमण के माध्यम से ओमिक्रॉन संक्रमण की लहर बह गई। यूक्रेन का फरवरी 2022 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए 7.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।

आईएमएफ ने 22 अप्रैल को अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास अनुमान को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया था। 2023 के लिए विकास अनुमान 6.9 प्रतिशत है।

पूर्वव्यापी एमएमटीसी– 2021–22 में

वित्तीय समीक्षा

गैर–रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए नई उद्यम नीति के बाद प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश पर संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की पृष्ठभूमि में, आपकी कंपनी ने 2021–22 के दौरान पिछले वित्त वर्ष के दौरान पंजीकृत 26,364.50 करोड रुपये के कारोबार के मुकाबले 7840.78 करोड़ रुपये का व्यापार कारोबार हासिल किया। इस टर्नओवर में 34.40 करोड़ रुपये का निर्यात, 7070.58 करोड़ रुपये का आयात और 735.80 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। आपकी कंपनी को चालू वित्त वर्ष में 241.93 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई जबकि पिछले वर्ष 769.69 करोड़ रुपए की हानि हुई थी।

निधियों का स्रोत और उपयोग

31 मार्च, 2022 तक कंपनी के धन के स्रोत में शेयरधारकों की राशि रु.193.40 करोड़ है, जिसमें रु.150 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी और रु.40.86 करोड़ और रु. 4528.70 करोड़ की गैर–वर्तमान और वर्तमान देनदारियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2022 तक 355.20 करोड़ रुपये और 4407.76 करोड़ रुपये की मौजूदा संपत्ति। इन निधियों को, अन्य बातों के साथ–साथ गैर–चालू संपत्तियों में लगाया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं

एमएमटीसी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो इसके व्यवसाय संचालन के अनुरूप हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा के दायरे की समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्देशों, यदि कोई हो, का विधिवत पालन किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा करने में बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों के साथ समन्वय करने के लिए कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है। लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, सरकार द्वारा नामांकित निदेशक श्री शशांक प्रिया, सदस्य के रूप तथा स्वतंत्र निदेशक डॉ. (श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा, सदस्य शामिल हैं।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग में लगी हुई है और इसने खुद को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित ट्रेडिंग संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एमटीपीएल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए 486.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 456.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री कारोबार हासिल किया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 2020–21 के दौरान अर्जित 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 31 मार्च 2022 तक एमटीपीएल की नेटवर्थ 6.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। एमटीपीएल द्वारा घोषित कुल लाभांश 26.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एमटीपीएल से प्राप्त 5.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभांश शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एमटीपीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

2021–22 के लिए व्यवसाय समूहवार समीक्षा

खनिज पदार्थ

आपकी कंपनी के खनिज समूह ने पांच दशकों से अधिक की अवधि के लिए लौह अयस्क व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाई है। पिछले दशक में, एमएमटीसी खनिज पोर्टफोलियो को मजबूत करके, बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए गतिशील और विवेकपूर्ण रणनीतियों, सेवा और उत्पादों की गुणवत्ता, अपनी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार और अपनी व्यापार प्रतिबद्धताओं को अत्यधिक देखभाल और महत्व देते हुए वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकी।

2021–22 के दौरान आपकी कंपनी के खनिज समूह ने खनिजों के निर्यात से 25. 51 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस समूह के मुख्य घटक हैं:

(i) लौह अयस्क

भारत सरकार की वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अनुसार, एमएमटीसी लिमिटेड 64% और उससे अधिक ग्रेड के लिए लौह अयस्क के निर्यात के लिए नामित राज्य व्यापार उद्यम था। भारत की एमएमटीसी ने दीर्घावधि समझौते (एलटीए) के तहत जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात किया, जो सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित है। पिछला एलटीए 2018–21 की अवधि के लिए था। हालांकि, लौह अयस्क के निर्यात के लिए जापानी स्टील मिल्स और पॉस्को, दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक समझौते सरकार द्वारा नवीनीकृत नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप एमएमटीसी ने 31.3.2021 के बाद एलटीए के अंतर्गत लौह अयस्क का कारोबार बंद कर दिया।

(ii) मैंगनीज अयस्क

निर्यात–आयात नीति के अनुसार, मैंगनीज अयस्क का निर्यात एमएमटीसी के माध्यम से किया जाता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात से 25.51 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया।

बहुमूल्य धातु, रत्न और आभूषण

आपकी कंपनी 1988 से सर्राफा व्यापार और कीमती धातु के आयात में स्थापित उपक्रमों में से एक रही है। यह तीन दशकों से अधिक समय से नामित एजेंसियों में से एक रही है और एसईजेड सहित अखिल भारतीय आधार पर निर्यातकों/घरेलू अंतिम उपयोगकर्ताओं को कीमती धातुओं की आपूर्ति करती रही है। एमएमटीसी ने प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर कीमती धातुओं की निर्धारित समय पर आपूर्ति के लिए घरेलू बाजार और निर्यातकों को पूरा करने के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) द्वारा अनुमोदित कई विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ करार किया है।

2021 के दौरान कीमती धातुओं में उपभोक्ता मांग में कमजोरी के पीछे रिकॉर्ड उच्च कीमतें प्रमुख कारक थीं, इसके बावजूद एमएमटीसी के बहुमूल्य धातु समूह ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 6,013.01 करोड़ रुपये का सकल कारोबार और जो कंपनी द्वारा प्राप्त कुल कारोबार का लगभग 72% है तथा 27.73 करोड़ रुपये का लाभ दिया।

अलौह धातु और औद्योगिक कच्चे माल

2021–22 के दौरान एनएफ़एम डिवीजन ने जिंक के आयात (पिछले वित्त वर्ष 2020–21 में हस्ताक्षरित अनुबंधों से स्पिलओवर शिपमेंट) और निकल के घरेलू व्यापार के माध्यम से 14.5 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार हासिल किया है। वित्त वर्ष 2021–22 में एनएफ़एम डिवीजन द्वारा किसी नए आयात अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। एमएमटीसी के आपूर्तिकर्ता सभी बडी और छोटी धातुओं के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता शामिल हैं और व्यापार की स्थिर धारा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पीएसयू, रेलवे और आयुद्य कारखानों के साथ संबंध हैं।

कृषि उत्पाद

आपकी कंपनी के कृषि समूह ने 75.60 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया और दालों, खाद्य तेल के घरेलू व्यापार में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 2.74 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया। डीजीएफटी ने एमएमटीसी को कोपरा के आयात के लिए एकमात्र एसटीई और नारियल तेल के आयात के लिए एसटीई में से एक के रूप में नामित किया है, जिसमें एमएमटीसी को डीजीएफटी के लाइसेंस वाले सहयोगियों को एनओसी जारी करने की अनुमति है। एमएमटीसी वैध डीजीएफटी लाइसेंस के साथ संपर्क करने वाली विभिन्न पार्टियों को नारियल तेल और कोपरा के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। वित्त वर्ष में 2021–22, एमएमटीसी ने विभिन्न सहयोगियों को कोपरा के आयात के लिए एनओसी जारी किया था और लगभग 1.84 करोड़ रुपये का मार्जिन 2.74 करोड़ रुपये के उपरोक्त लाभ में शामिल किया था।

उर्वरक और रसायन

एमएमटीसी उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से यूरिया का आयात करती है। भारत का एमएमटीसी और डीओएफ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर सेल और एमएमटीसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत एमएमटीसी सेल आरएसपी के लिए सल्फर का आयात भी करती है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, उर्वरक विभाग ने डीओएफ की ओर से 5.46 लाख टन यूरिया के आयात के कारण 1457.00 करोड़ रुपये के कारोबार का योगदान दिया है। डीजीएफटी ने 3 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत सरकारी खाते में यूरिया के आयात के लिए एमएमटीसी को कैनालाइजिंग एजेंसी के रूप में हटा दिया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान डीलिस्टिंग से पहले एमएमटीसी मात्र एक टेंडर जारी कर पाई।

परियोजनाओं और सामान्य व्यापार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के जनरल ट्रेड ग्रुप ने रु.37.39 करोड़ (रु.23.14 करोड़ के सिल्वर एलॉय के निर्यात सहित) का टर्नओवर हासिल किया। समूह ने वर्ष 2021–22 के दौरान 8.89 करोड़ रुपये मूल्य के राजस्व खुफिया निदेशालय से प्राप्त आवंटन के आधार पर रेड सैंडर्स के निर्यात का आयोजन किया। कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में विंड फार्म से उत्पन्न पवन ऊर्जा की बिक्री से 5.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके अलावा परियोजना से उत्पन्न बिजली हेस्कॉम को बेची जाती है। परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा जरूरतों के कुछ हिस्से को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

कंपनी की भविष्य की संभावनाएं

ऐतिहासिक रूप से, कंपनी खनिज और धातु, उर्वरक, कीमती धातु और कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में व्यवस्थित व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है जो टर्नओवर और व्यापारिक आय उत्पन्न करने के लिए मुख्य आधार थे। इसके अलावा, कंपनी ने संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के माध्यम से बैकवर्ड/फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में प्रवेश किया है, जिनमें से अधिकांश गैर–निष्पादित रहे हैं। हालाँकि, सरकार की नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति के कारण, जिसके अनुसार केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित पीएसईएस की न्यूनतम उपस्थिति होगी। चूंकि एमएमटीसी गैर–रणनीतिक क्षेत्र में आती है, एमएमटीसी को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सयुंक्त उपक्रमों से बाहर निकलने सहित संचालन को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

व्यापार संचालन को कम करने, वीआरएस के कार्यान्वयन आदि के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात के लिए एलटीए को 31 मार्च 2021 के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा और नवंबर 2021 में एमएमटीसी को उर्वरकों की विभाग के खाते में आयात की जाने वाली यूरिया के लिए एसटीई हटा दिया गया था। एमएमटीसी को बुलियन परिचालन और अन्य कैनालाइज्ड/नामित व्यवसाय से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया था। वाणिज्य विभाग का विचार है कि एमएमटीसी की केंद्रीय कैनालाइज्ड एजेंसी के रूप में कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने स्वयं के सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी को बंद करने के संबंध में सरकार के औपचारिक निर्णय का इंतजार है।

सावधानी बयान

प्रबंधन चर्चाओं और विश्लेषण में कंपनी के अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले बयान लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर "भविष्य उन्मुख बयान" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं, उनमें घरेलू और विदेशी बाजारों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां और कीमत की स्थिति, सरकारी नियमों/नीतियों, कर कानूनों, अन्य कानूनों और अन्य प्रासंगिक कारकों में बदलाव शामिल हैं। एमएमटीसी वर्तमान में कोई कारोबार नहीं कर रही है।

वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।**

आपकी कंपनी ने लगातार एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाओं के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। सीएसआर गतिविधियों के संबंध में एक आधिकारिक जनादेश के अभाव में भी, आपकी कंपनी ने बहुत पहले सितंबर 2006 में एक नीतिगत पहल के रूप में सीएसआर को अपनाया, जो 2007–08 से प्रभावी था, और सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए पिछले वर्ष के प्रतिधारण लाभ का 1% आवंटित किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत प्रदान करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय से संबंधित गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया।

कंपनी की वर्तमान सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कंपनी की सीएसआर नीति इसकी वेबसाइट पर होस्ट की गई है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान घाटा उठाया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। हालाँकि, आपकी कंपनी ने केवल वित्त वर्ष 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया, जिन्हें वित्त वर्ष 2021–22 तक आगे बढ़ाया गया।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा –21 (बी) के संदर्भ में, अव्ययित सीएसआर निधियों के लिए एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था और 31.03.2021 को खाते में 10.01 लाख रू.ट्रांसफर किए गए। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इस खाते से धन का उपयोग इस प्रकार है:

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय:

आरंभिक शेष (01.04.2021 का)	**10.01 लाख रू.**
(I) कौशल विकास कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजना) के लिए श्री दीप चंद एजुकेशनल सोसाइटी को अंतिम किस्त का भुगतान।	1.50 लाख रू.
(ii) स्लम बच्चों की शिक्षा के लिए सीकेएस फाउंडेशन को अंतिम किश्त का भुगतान (वित्तीय वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजना)।	3.24 लाख रू.
अंतिम शेष (31.03.2022 को)	5.27 लाख रू.

2. **सीएसआर समिति की संरचना:**

कम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक /निदेशक पद की प्रकृति	साल के दौरान आयोजित सीएसआर कमेटी की बैठकों की संख्या	सीएसआर की बैठकों की संख्या के दौरान समिति ने भाग लिया वर्ष
1.	श्री शशांक प्रिय	सरकारी नामांकित समिति के अध्यक्ष	1	1
2.	प्रदीप कुमार वर्मा	गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक/समिति के सदस्य	1	1
3.	श्री राजीव रंजन सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)/ समिति के सदस्य	1	1
4.	श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)/ समिति के सदस्य	1	1

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

Web-link: https://www.mmtclimited.com/pages/display/89-corporate-social-responsibility

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2021–22	शून्य	शून्य

धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। (416.32) करोड़ रु.।

7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः लागू नहीं

(बी) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष

पिछले वित्तीय वर्षः शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई होः शून्य

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी–7सी): शून्य।

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशिः

कुल राशि के लिए खर्च किया वित्तीय वर्ष (रूपये में)	खर्च न की गई राशि रू. मे				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची टप् के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः
लागू नहीं

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य मद में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः
लागू नहीं

(डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशिः शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): शून्य

(जी) सेट ऑफ करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रू.)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i),	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	सफल वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv),	शून्य

9. **(ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः**

क्रम सं	पिछला वित्तीय वर्श	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि(रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची टप् के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुगामी वित्तीय वर्षों होने में खर्च होने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	ट्रांसफर की तिथि	
1.	2019–20	10,01,200	4,74,000	–	–	–	5,27,200

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई थी	परियोजना अवधि	कुल रकम के लिए आवंटित परियोजना (लाख रुपये	राशि में परियोजना पर खर्च किया रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (लाख रुपये में)	पूरे /चल रहे परियोजना की स्थिति
1.		(I) परिधान और पोशाक निर्माण (काटना और सिलाई) और (ii) ब्यूटीशियन (सौंदर्य और कल्याण) के क्षेत्र में वंचित सामाजिक समूहों (महिलाएं, दलित और वंचित बच्चों) के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण लेना।	2019–20	**1 वर्ष 6 माह**	5.00	1.50	5.00	पूर्ण
2.		वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियों के लिए	2019–20	1 वर्ष 6 माह	5.32	3.24	5.32	पूर्ण
	कुल				**10.32**	**4.74**	**10.32**	

10. पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण)। शून्य

(ए) पूंजीगत संपत्ति (एस) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि । लागू नहीं

(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि। लागू नहीं

(सी) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि। लागू नहीं

(डी) सृजित या अधिग्रहीत की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)। लागू नहीं

11. कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

लागू नहीं।

ह0/–

निदेशक (कार्मिक)

ह0/–

(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने, आत्मविश्वास को मजबूत करने, शेयरधारकों और हितधारकों के धन के दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संगठन का एक अभिन्न अंग बन गया है। एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यनिष्ठा, कार्यनिष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों यथा– निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिश्ठानों के लिए जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार नीचे एक रिपोर्ट दी गई है जो निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है। इसके अलावा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र भी शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को निदेशक मडंल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), एक पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा दो गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों में एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार रिटायर होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई रिटायर होते हैं तथा पात्र होने पर पुनः नियुक्ति पाते हैं।

फंक्शनल निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा स्वतन्त्र निदेशकों के मामलों में सिटिंग फीस के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेनदेन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी :–

क्र.स	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर– कार्यकारी	धारित पद	31.03.2022 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	31 मार्च 2022 को बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है*
1	श्री विभु नायर (01.03.2022 से)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1	शून्य
2	श्री संजय चढ्डा (28.02.2022 तक)	कार्यकारी (अतिरिक्त प्रभार)	पूर्व–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री शशांक प्रिया	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	निदेशक 6	सदस्य 3 अध्यक्ष – 1
4	श्री श्यामल मिश्रा (07.12.2021 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री विपुल बंसल (20.12.2021 से)	गैर कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक–3	शून्य
6	श्री जी. मंजूनाथ (16.12.2021 तक)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	एन.ए.
7	डॉ. (सुश्री)स्वाधीनता कृष्णा	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	सदस्य 1 अध्यक्ष – 1
8	श्री पी.के.वर्मा (13.11.2021 से)	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	अध्यक्ष – 1
9	श्री जे. रवि शंकर	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	अध्यक्ष– 3 निदेशक–2	शून्य
10	श्री आर आर सिन्हा	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक– 2	शून्य
11	श्री कपिल कुमार गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक–5	सदस्य 1

* केवल लेखा परीक्षा समिति तथा सार्वजनिकों कंपनी के स्टेकहोल्डर्स की रिलेशनशिप समिति पर विचार किया गया है।
एन.ए. – चूंकि इन निदेशकों की कंपनी मंडल से समयावधि समाप्त होना है अतः 31..03.2022 को इनकी परिसमाप्ति उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन (01.04.2021 से)

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख/ कार्यकाल की समाप्ति	परिवर्तन का विवरण
प्रदीप कुमार वर्मा	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	13.11.2021	नियुक्ति
श्री श्यामल मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक	07.12.2021	समाप्ति
मंजूनाथ जी	नॉन आफिशियल स्वतंत्र निदेशक	16.12.2021	समाप्ति
विपुल बंसल	सरकारी नामित निदेशक	20.12.2021	नियुक्ति
संजय चढ्डा	सीएमडी(अति.प्रभार)	28.02.2022	समाप्ति
विभु नायर	सीएमडी(अति.प्रभार)	01.03.2022	नियुक्ति
		31.08.2022	समाप्ति
हरदीप सिंह	सीएमडी (अति.प्रभार)	27.10.2022	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार एक उपक्रम है। भारत उद्यम जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय– वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार, जो अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों/सीएमडी के पारिश्रमिक को उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों/वेतन निर्धारण आदेशों के माध्यम से तय करती है। एमएमटीसी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आम तौर पर पांच साल के सेवा अनुबंध के साथ या सेवानिवृत्ति की तारीख या सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कार्यात्मक निदेशक तीन महीने की नोटिस अवधि/ सिवरेंस फीस के हकदार हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल के कार्यात्मक सदस्य निष्पादन संबंधित वेतन के हकदार हैं। गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक वर्तमान में बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15000/– रुपये की बैठक शुल्क के हकदार हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2021–22 के दौरान सीएमडी सहित प्रत्येक फंक्शनल निदेशक को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (रूपये)	वर्ष 2021–22* के दौरान कार्य– निष्पादन से जुड़ा वेतन	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सिवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2022 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री कपिल कुमार गुप्ता	**4335300**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
श्री आर. आर. सिन्हा	**4406230**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
श्री जे. रवि शंकर	**4837989**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की सात बैठकें हुई, जो दिनांक 16.04.2021, 08.06.2021, 15.07.2021, 27.10.2021, 07.01.2022, 09.03.2022 और 23.03.2022 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 23.04.2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	निदेशक का नाम	बोर्ड की उस अवधि में हुई बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 23.04.2022 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**फंक्शनल निदेशक**			
	श्री विभु नायर, सीएमडी (अति.प्रभार)	2	2	हां
	श्री संजय चड्ढा सीएमडी (अति.प्रभार)	5	4	एन आर
	श्री जे. रवि शंकर	7	7	हां
	श्री आर. आर. सिन्हा	7	7	हां
	कपिल कुमार गुप्ता	7	7	हां
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक**			
	(सरकार द्वारा नामित)			
	श्री शशांक प्रिया	7	6	नहीं
	श्री श्यामल मिश्रा	4	4	एन आर
	श्री विपुल बंसल	3	2	नही
(ग)	**गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक**			
	श्री जी. मंजूनाथ	**4**	**2**	**हां**
	डा.(सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	**7**	**7**	**हां**
	डा.पी.के.वर्मा	**3**	**2**	**हां**

स्वतन्त्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी के (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नॉन–आफिसियल निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका के बारे में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में तत्कालीन सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष में होने वाली पहली बोर्ड की बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), सिक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 तथा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

कंपनी के व्यवसाय से परिचित होने तथा उनके द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का विवरण http://mmtclimited.com/pages/display/294-training-programme-for-directors पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त हो गई है। इसके प्रावधानों में निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति तथा नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। सेबी (एलओडीआर) के तहत भी इसी प्रकार की छूट अपेक्षित है। एमसीए के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(पी) से भी छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार बोर्ड तथा इसकी समितियों/संबंधित निदेशक को बोर्ड रिपोर्ट में अपने कार्य निश्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करना होता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अपने तरीके के अनुसार मूल्यांकन किया गया हो । इस संबंध में डीपीई ने फंक्शनल निदेशकों के कार्यनिश्पादन के मूल्याकंन का तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन की शुरुआत कर दी है।

उल्लेखनीय है कि एमएमटीसी प्रत्येक वर्श भारत सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ एमओयू हस्ताक्षर करती है जिसमें 2021–22 तक कंपनी के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन पैरामीटर्स दिए जाते हैं। एमओयू के लक्ष्य कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग होते हैं तथा इन्हें सभी निदेशकों के मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। एमओयू में वित्तीय लक्ष्य, लागत कटौती लक्ष्य, सामुदायिक विकास एवं अन्य संबंधित कारक सहित सभी परिचालन तथा कार्यनिष्पादन के पैरामीटर्स कवर होते हैं। डीपीई वार्षिक आधार पर भारत सरकार के साथ हुए एमओयू से तुलना करते हुए कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, जवाबदेही तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति

3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
4. शेयर ट्रांसफर समिति
5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति
8. निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी
9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

1. निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में दिनांक 31.03.2021 को दो अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तथा एक अंशकालिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), विनियम 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2021–22 में समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	15.04.2021	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	श्री मंजूनाथ जी.
2.	11.08.2021	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	श्री मंजूनाथ जी.
3.	27.10.2021	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	श्री मंजूनाथ जी.
4.	21.02.2022	श्री शशांक प्रिया डा. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
5.	23.03.2022	डा. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु कंपनी के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

यह भी पुष्टि की जाती है कि लेखा परीक्षा समिति की ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं थी जिसे बोर्ड ने स्वीकार न किया हो ।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों और सूचीबद्ध विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशको की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा अध्यक्ष तथा अध्यक्ष के रूप में अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक, श्री पी.के.वर्मा, श्री शशांक प्रिया 31.03.2022 को इसके सदस्य हैं। समिति डीपीई दिशा–निर्देशों, दिनांक 26 नवंबर 2008 के पार्ट डी की अनुसूची में सूचीबद्ध निर्देश के तहत कर्तव्यों और शक्ति प्रयोग करती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्श 2021–22 के दौरान समिति की एक बैठक हुईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	30.3.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ.पी के वर्मा	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा

उक्त बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए ।

3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टेक होल्डर्स संबंध समिति की संरचना में 31.03.2021 को डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा, अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं, श्री विपुल बंसल, जे.एस., डीओसी और श्री कपिल कुमार गुप्ता निदेशक (वित्त), एमएमटीसी इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति शेयरधारकों दूसरे निवेशकों की शिकायतों के समाधान के शीघ्र निपटान पर विचार और देखरेख करती है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	31.3.2022	श्री कपिल कुमार गुप्ता	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है: –

1.4.2021 को लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या
6	15	18	3

4. शेयर ट्रांसफर समिति

निदेशक मंडल द्वारा शेयर ट्रांसफर समिति गठित की गई है जिसमें एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव, समिति के सचिव हैं। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

5 कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया है जिसमें अंशकालीन नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक सुश्री स्वाधीनता कृष्णा इसके अध्यक्ष, अंशकालीन नॉन–आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक डॉ पी के वर्मा, स्वतंत्र निदेशक तथा एमएमटीसी के निदेशक(वित्त) श्री के के गुप्ता इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई

6 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा अनुमोदन की सिफारिश करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह देने और एमएमटीसी परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने "सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों" के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान इस समिति के गठन में कोई बदलाव नहीं हुआ और 2021–22 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की देखरेख तथा नियंत्रण हेतु समिति गठित की गई। 31.03.2022 को समिति की संरचना में श्री शशांक प्रिया (एसएस एंडएफए–एमओसीएंडआई), अध्यक्ष के रूप में श्री पी के वर्मा अंशकालिक नॉन–ऑफिसयल (स्वतंत्र) निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई :–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	30.3.2022	डा.पी के वर्मा श्री आर. आर. सिन्हा	श्री शशांक प्रिया

इस बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

8. निदेशकों की कार्यात्मक प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित "निदेशकों की कार्यात्मक प्रबंधन समिति" में समिति के अध्यक्ष के रूप में सीएमडी, एमएमटीसी, सदस्य के रूप में सभी कार्यात्मक निदेशक और समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव शामिल हैं। उक्त समिति को कंपनी अधिनियम, 2013/अन्य विधियों के तहत निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा सीएमडी को सौंपी गई शक्तियों के अलावा सभी मामलों में निर्णय लेने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं। निदेशक मंडल और/या शेयरधारकों की बैठक में विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा साथ ही एमएमटीसी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 99 के तहत निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति के निर्णयों या विचार और निर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट और आरक्षित मामलों पर भी विचार किया जाएगा। . 2021–22 के दौरान इस समिति की केवल एक बैठक 10.5.2021 को हुई। इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए। हालाँकि, चूंकि कंपनी में वर्तमान में नियमित सीएमडी नहीं है, इसलिए इस समिति को भंग कर दिया गया है और बोर्ड द्वारा 23.03.2022 को "कार्यात्मक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति" नामक एक नई समिति गठित की गई है।

9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

अगस्त 2016 में अध्यक्ष के रूप में निदेशक (वित्त) सहित कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों और समिति के अध्यक्ष के रूप में सीएमडी सहित निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 31.3.2022 तक, समिति में अध्यक्ष के रूप में निदेशक (वित्त), डॉ पी के वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, श्री जे रवि शंकर, निदेशक (विपणन) और श्री आर आर सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे। उक्त समिति लिस्टिंग विनियमों और समय–समय पर संशोधित किसी भी अन्य क़ानून के अन्य प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट भूमिकाओं के अनुसार कार्य करेगी। कंपनी सचिव समिति के सचिव बने रहेंगे। 2021–22 के दौरान इस समिति की दो बैठकें हुई जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	24.03.2022	डा.पी के वर्मा श्री जे.रविशंकर श्री आर आर सिन्हा	श्री के के गुप्ता
2	31.03.2022	डा.पी के वर्मा श्री जे.रविशंकर श्री आर आर सिन्हा	श्री के के गुप्ता

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम वार्षिक बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक की प्रकृति	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
56वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2019 को 11:30 बजे	शून्य
57वीं वार्षिक आम बैठक	24.12.2020 को 11:30 बजे	शून्य
58वीं वार्षिक आम बैठक	23.04.2022 को 11:30 बजे	शून्य

प्रकटन

ए) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

बी) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेनदेन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोर्ट्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट्स में प्रकट किये गये हैं।

सी) कंपनी ने इम्पलाइज स्टॉक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

डी) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ई) कंपनी ने एक विजिल मैकेनिजम तैयार किया है जिसे कंपनी की वेवसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

एफ) कंपनी ने मोटे तौर पर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों की, रिपोर्ट में उल्लिखित को छोड़कर, सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

जी) कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकार का या किसी अन्य पूंजीबाजार से संबंधित मामले में इनके द्वारा कंपनी पर विगत तीन वर्षों के दौरान कोई जुर्माना या आक्षेप नहीं लगाया गया।

एच) सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 की अनुसूची V का भाग सी के खंड 9 (एन) के अनुसरण में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – सी पर सूचीबद्ध अस्तित्व के द्वारा वस्तु जोखिम दिए गए हैं।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को 8 जुलाई 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और वही कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न (अनुलग्नक–ए) है।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तथा कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को साधारणतः 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट **www.mmtclimited.com** पर अपलोड किया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2021–22 के दौरान, विभिन्न अकाट्य कारणों से, इन्हें समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका।

शेयरधारकों की सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठक:

कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 08.12.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

(बी) वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय कैलेंडर

तिमाही के अंत के लिए तिमाही परिणामों को अपनाना	वित्तीय परिणाम अपनाने की अंतिम तिथि
30 जून 2022	14 अगस्त 2022(बोर्ड द्वारा 30.08.2022 को अनुमोदित)
30 सितंबर 2022	14 नवंबर 2022
31 दिसंबर 2022	14 फरवरी 2023
31 मार्च 2023	30 मई 2023

(सी) **बुक क्लोजर की तिथियां**
वार्षिक आम बैठक के लिए 03.12.2022 से दिनांक 08.12.2022 (दोनों दिन शामिल) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा।

(डी) **लाभांश भुगतानः**– सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 43ए के प्रावधानों के अनुसारः कंपनी ने अनुलग्नक–बी में संलग्न एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है और यह **https:/mmtclimited-com/files/dividend % 20distribution %20policy.pdf** पर उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22
दर	शून्य	शून्य	शून्य
दिनांक	शून्य	शून्य	शून्य

(ई) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं। दोनों स्टॉक एक्स्चेंजों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(एफ) बाजार–मूल्य डाटा

वर्ष 2021–22 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज/एनएसई पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा हैः

महीना	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)	महीना	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज**		
अप्रैल 2021	46.6	37.2	अप्रैल 2021	46.55	37.3
मई 2021	62.15	40.5	मई 2021	62.2	40.6
जून 2021	63.95	53.2	जून 2021	63.95	53.2
जुलाई 2021	57.45	47.35	जुलाई 2021	57	47.35
अगस्त 2021	51.35	38.95	अगस्त 2021	51.4	39.05
सितंबर 2021	48.2	42.45	सितंबर 2021	48.25	42.5
अक्तूबर 2021	51.9	41.2	अक्तूबर 2021	51.9	41.1
नवंबर 2021	44.3	34.85	नवंबर 2021	44.35	34
दिसंबर 2021	48.55	38.9	दिसंबर 2021	48.65	38.95
जनवरी 2022	64.8	44.25	जनवरी 2022	64.7	44.2
फरवरी 2022	61.25	41.15	फरवरी 2022	61.2	41.05
मार्च 2022	49.65	43.85	मार्च 2022	49.7	43.8

(जी) **रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट्स(आरटीए) :**
मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(एच) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन
सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्याः आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।
31 मार्च, 2022 को एमएमटीसी लिमिटेड के 1/– रुपए प्रतिशेयर के अंकित मूल्य की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 1348903143 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 151092112 शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 3801 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(आई) शेयर अंतरण पद्धति
डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2022 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। भौतिक रूप में शेयर अंतरण सेबी द्वारा दिनांक 01.04.2019 से बंद कर दिया गया है। शेयर ट्रांसफर / ट्रांसमिशन शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं।

(जे) दिनांक 31.03.2022 को शेयर होल्डिंग का वितरण : दिनांक 31.3.2022 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :–

श्रेणी कोड	शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरहोल्डिंग प्रतिशत में
(ए)	**प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहाल्डिंग**			
(I)	केंद्र सरकार	1	1348903143	89.9269
(बी)	**पब्लिक शेयरहोल्डिंग**			
(ए)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार	1		
(बी)	म्यूचुअल फंडस/ए आई एफ	4	145809	0.0097
(सी)	**वित्तीय संस्थान/बैंक**	2	650	0.0000
(डी)	बीमा कंपनीज	5	38286728	2.5524
(ई)	विदेशी पोर्टफोलियो /निवेशक	3	981972	0.0655
	गैर–संस्थान			
(ए)	कारपोरेट निकाय	588	4302779	0.2869
(बी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	196399	104330060	6.9553
(सी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए से अधिक है	5	1248163	0.0832
(डी)	ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	**9**	**10250**	**0.0007**
(ई)	नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	1248	1720783	0.1147
(एफ)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	2	42500	0.0028
(जी)	कोओपरेटिव सोसाईटीज	1	5000	0.0003
(एच)	आईईपीएफ	1	22163	0.0015
	कुल	**198268**	**1500000000**	**100**

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(के) 31.03.2022 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	34613606	2.3076
2	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	1712446	0.1142
3	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	1000000	0.0667
4	गोल्डमेन सच्स(सिंगापुर)प्रा.लि.	750000	0.0500
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	675268	0.0450
6	हर्षी अग्रवाल	317432	0.0212
7	दी ओरिएंटल इन्सुरेंस कंपनी लि	285408	0.0190
8	पराग अनोप शाह	250003	0.0167
9	रविकुमार रामकिशोर संवालका	233000	0.0155
10	घनश्याम गर्ग	229977	0.0153

(एल) 31.03.2022 को शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
1–500	20841887	1.3895	161629	81.4683
501–1000	14900180	0.9933	18387	9.2679
1001–2000	14712900	0.9809	9611	4.8444
2001–3000	8619269	0.5746	3316	1.6714
3001–4000	4868546	0.3246	1350	0.6805
4001–5000	5578078	0.3719	1178	0.5938
5001–10000	12994296	0.8663	1753	0.8836
10001–50000	20586830	1.3725	1069	0.5888
50001–100000	4932388	0.3288	70	0.0353
तथा इससे ऊपर	1391965626	92.7977	32	0.0161
कुल	**1500000000**	**100**	**198395**	**100**

(एम) 31.03.2022 को शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
अहमदाबाद	8148	4.11	5987031	0.4
बंगलुरू	5214	2.63	3363599	0.22
भुवनेश्वर	632	.32	338087	0.02
चंडीगढ़	798	.4	569018	0.04
चैन्नई	3735	1.88	3301694	0.22
दिल्ली	17744	8.94		90.60
गोहाटी	406	.20	30064	0.02
हैदराबाद	3834	1.93	2460360	0.16
जयपुर	3733	1.88	2181650	0.15
कानपुर	1219	.61	601519	0.04
कोलकाता	5491	2.77	5281683	0.35
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई	18269	9.21	56346100	3.76
नागपुर	1395	.70	559642	0.04
एनसीआर	6564	3.31	4141917	0.28
अन्य	116749	58.85	53124467	3.54
पटना	1123	0.57	513270	0.03
त्रिवेंद्रम	253	0.13	87251	0.01
अन्य	3088	1.56	1842348	0.12

(एन) शेयरधारकों /अन्य निवेशकों की शिकायतें : –

शेयरधारकों /अन्य निवेशक अपनी शिकायत कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ओ) पत्राचार का पता :

बोर्ड सचिवालय
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स,
7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया,
लोदी रोड, नई दिल्ली –110003.
फोन संख्या : 011– 24361889 ई–मेल : mmtc@mmtclimited.com

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–ए

सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए) दिनांक 31.3.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद प्रवाह विवरणों की समीक्षा की गई है तथा अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस बारे में हमारा कहना है कि :

i. इन विवरणों में किसी भी तरह का असत्य कथन शामिल नहीं है अथवा न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है अथवा इसमें न ही ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं ;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में हैं।

बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया जो कंपनी की आचार संहिता के अनुसार धोखाधड़ी, अवैध अथवा उल्लंघन की श्रेणी में आता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना अथवा परिचालन से संबंधित यदि कोई कमी हमारी जानकारी में आई है तो हमने उसकी सूचना लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को दे दी है। इसके अलावा हमने इन कमियों को दूर करने के उपाय किए हैं अथवा दूर करने का प्रस्ताव है।

डी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना अथवा परिचालन से संबंधित यदि कोई कमी हमारी जानकारी में आई है तो हमने उसकी सूचना लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को दे दी है। इसके अलावा हमने इन कमियों को दूर करने के उपाय किए हैं अथवा दूर करने का प्रस्ताव है।

ई) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में बता दिया है :

I. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं तथा हमने इसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया है; तथा

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी के ऐसे मामले, जिनमें प्रबंधतंत्र अथवा कोई कर्मचारी शामिल है तथा उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता./–	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
(कपिल कुमार गुप्ता)	**(आर.आर.सिन्हा)**	**(जे रवि शंकर)**
(निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ)	**(निदेशक(का.))**	**(निदेशक (विपणन))**

हस्ता./–
(विमु नायर)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अति.प्रभार)

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक– बी
एमएमटीसी लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसरण में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना की जाती है) वह लाभांश वितरण की एक पालिसी बनाए तथा उसकी सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दें तथा उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे ।

चूंकि एमएमटीसी 31 मार्च, 2016 के मानदंडों के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, इसलिए इसने लाभांश वितरण की पालिसी तैयार की है।

II पॉलिसी फ्रेमवर्क

पालिसी मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिश्ठानों की पूंजी का पुनर्गठन" विशय पर जारी दिशानिर्देशों, लोक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों इत्यादि के अनुसार किया गया है।

III कारक जिनको विचार में लिया जाता है

एमएमटीसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है तथा यह अपने सभी स्टेकहोल्डर्स को सतत मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है। बोर्ड लाभांश की सिफारिश अपने विवेक के आधार पर करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

लाभांश भुगतान का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है चूंकि ऐसा करते समय कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि तथा कंपनी को अपने निरंतर विकास की योजनाओं में लगाई जाने वाली आंतरिक पूंजी के बीच संतुलन बनाना होता है। लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले जिन कारकों पर विचार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

ए. परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश की सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा आमतौर पर जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें भविष्य की पूंजीगत व्यय योजना, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और समय–समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन कर सहित लाभांश पर कर शामिल है परंतु केवल ये ही कारक विचारणीय नही हो सकते।

बी. लाभांश की घोषणा करते समय भी वित्तीय पैरामीटर पर विचार किया जाएगा

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान होने के नाते, कंपनी का प्रयास रहता है कि वह भारत सरकार के डीआईएपीएम द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिश्ठानों की पूंजी की रिस्ट्रक्चरिंग" विषय पर जारी दिशानिर्देशों जिनके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों।

फिर भी, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस अधिनियम, जिसके तहत उसका गठन हुआ है के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम लाभांश का भुगतान कर सकती है। कम लाभांश का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित वित्तीय पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मामले में उचित निर्णय ले :

(I) ऋण लेने के लिए नेटवर्थ और क्षमता;

(ii) दीर्घकालिक उधार;

(iii) कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं;

(iv) कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का रिटेंशन; तथा

(v) नकद और बैंक शेष।

सी. आंतरिक एवं बाहरी कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचार के लिए शामिल किया जाएगा

सी.1 आंतरिक कारक

कंपनी की नेट वर्थ

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों। सरकारी कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त मापदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजी की आवश्यकताएं;
- कंपनी का सहायक/असोसिएट्स में अतिरिक्त निवेश;
- अन्य कोई कारक जिसे बोर्ड उचित समझे।

सी.2 बाहरी कारक

सी.2.1 आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक अनिश्चितता अथवा मंदी तथा व्यावसायिक स्थिति के मामले में, कंपनी भावी उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए रिजर्व में वृद्धि करने के लिए लाभ के बड़े हिस्से को रिटेन करने का प्रयास करेगी।

सी. 2.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार अथवा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा लाभांश घोषणा के संबंध मे समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

डी. रिटेंड अर्जन का उपयोग

कंपनी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करती है तथा यह अपने व्यवसाय के विविधीकरण के उपायों के रूप में ऐसे संयुक्त उद्यमों में भागीदारी कर सकती है जो इसके व्यापार से मेल खाते हों। रिटेंड किए गए अर्जन को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप लगाया जाएगा, जिससे कंपनी के कारोबार और परिचालन में वृद्धि होगी।

ई. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर्स

रिकॉर्ड तिथि की स्थिति के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए वर्ग के शेयरों के जारी होने की प्रकृति और दिशानिर्देशों के आधार पर इस नीति को समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

यदि बाद में किसी भी वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तथा ऐसे परिवर्तन का कोई प्रावधान वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि के अनुरूप नही है तो उस स्थिति में परिवर्तित पालिसी की बजाय उक्त वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम के प्रावधान मान्य होंगे।

इस पालिसी में मामूली संशोधन/परिवर्तन सीएमडी के अनुमोदन से किया जा सकता है तथा वे इस पालिसी के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक – सी

1. जोखिम प्रबंधन नीतिः निदेशक मंडल ने कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों की देखभाल के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित होने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी।

2. पूरे वर्ष के दौरान इकाई द्वारा सामना की जाने वाली कमोडिटी और कमोडिटी जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर।

ए. भारतीय रुपये में वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध इकाई का कुल एक्सपोजर और (बी) विभिन्न वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर

31.03.2022 तक

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी के लिए भारतीय करोड़ रू.में एक्सपोजर करोड़ रू.	विशेष कमोडिटी के प्रति मात्रा के लिए कि.ग्रा. में एक्सपोजर	विशेष कमोडिटी के प्रति मात्रा के लिए कि.ग्रा. में एक्सपोजर				
			घरेलू बाजार		अंतराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
सोना	10.99	30.00	–	100%	–	–	100%
चांदी	12.81	240	–	–	–	–	–

टिप्पणी :

1. चांदी की हेजिंग अक्टूबर 2018 से शुरू हुई
2. निगम द्वारा सामना किया जाने वाला कमोडिटी जोखिमः
   'मूल्य की गणना डीआरओ खातों की पुस्तकों के अनुसार

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Head Office:
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapnram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel:+91-0120-4272409
M:+91-9910091070, 9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
एमएमटीसी सदस्य
कोर –1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.

हमने एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") की अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित और सार्वजनिक उद्यम ("डीपीई दिशानिर्देश") द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों विभाग(सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 जारी किये गये हैं। कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों का निम्न के अलावा अनुपालन किया है:

ए) बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड में आधे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।.

ख) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों दिनांक 31.03.2021 और 24.03.2022 के बीच विनियमों के विनियम 21(3सी) के अनुसार समय अंतराल एक सौ अस्सी दिनों से अधिक है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक निर्धारित समय में नहीं बुलाई जा सकी।

ग) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होनी चाहिए।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होनी चाहिए।

हमारा यह भी कहना है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता और न ही ऐसी किसी दक्षता या कार्यसाधकता के लिए है, यह एक ऐसा आश्वासन है जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा कंपनी का कामकाज किया जाता है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट
कंपनी सचिव
एफआरएन : S2014UP280200
पीयर रिव्यू सं. 1083/2021

पारूल जैन
प्रोपराईटर
एम नं. F8323
सीपी नं. 13901
यूडीआईएनः F008323D000948174

तिथि : 09.09.2022
स्थान : गाजियाबाद

एमएमटीसी लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

कंपनी के बारे में

एमएमटीसी लिमिटेड, श्रेणी –1 की मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई), कंपनी है जो वर्ष 1963 में निगमित हुई थी और यह देश की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत के प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, (एमटीपीएल), सिंगापुर है।

कॉरपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी और एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में, एमएमटीसी का लक्ष्य अपनी सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता के माध्यम से सतत और व्यवहार्य विकास दर प्राप्त करके, शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समाजकी कुल संतुष्टि के माध्यम से अधिकतम लाभ अर्जित करके अपनी स्थिति में और सुधार करना है।

कंपनी उद्देश्य

– प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापारिक माहौल में काम करने वाले भारत में एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था व्यापार घर होने के लिए, मुख्य योग्यता के रूप में "थोक" पर ध्यान केंद्रित करने और नियोजित पूंजी पर रिटर्न में सुधार करने के लिए।
– खनिज, धातु और कीमती धातुओं जैसे उत्पाद लाइनों के लिए देश में एकल सबसे बड़े व्यापारी की स्थिति को बनाए रखना।
– व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना।
– मध्यम और लघु स्तर के क्षेत्रों को सहायता सेवाएं प्रदान करना।
– व्यावसायिकता और दक्षता के साथ सभी श्रेणियों के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना।
– वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए कंपनी के भीतर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना।
– उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन करना।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट – वित्तीय वर्ष 2021–22

2012 में पेश किए गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिस्टिंग समझौते के खंड 55 के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध कंपनियों को वार्षिक व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) जारी करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

खंड ए : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
   L51909DL1963G01004033

2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड

3. पंजीकृत पता
   कोर–1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
   7 इंस्टीट्यूशनल एरिया , लोधी रोड,
   नई दिल्ली –110003

4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com

5. ईमेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com

6. रिपोर्टिड वित्तीय वर्ष
   2021–22

7. क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)
व्यापार

8 तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची बनाएं जो कंपनी बनाती/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)

(i) कीमती धातु

(ii) उर्वरक

(iii) कोयला और हाइड्रोकार्बन

9 उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें)

1 सिंगापुर में सहायक कंपनी

(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालय

10 कंपनी के कारोबारी बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।

खंड बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रूप्ये)	**150 करोड़**
2.	कुल कारोबार (भारतीय रूप्ये)	**7,840.78 करोड़**
3.	करों के बाद कुल लाभ 2021–22 (भारतीय रूप्ये)	**(241.93) करोड़**
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल बजटीय व्यय (%)	एमएमटीसी को वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम –2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट, यानी पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। हालाँकि, कंपनी ने केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021–22 तक आगे बढ़ाया गया।
5.	गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है (%)	गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। हालांकि, 10.01 लाख रुपये की राशि पिछले वर्षों से अव्ययित सीएसआर फंड के रूप में आगे आगे लाई गई, जिसमें से 3.24 लाख रुपये वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियों पर और 1.50 लाख रुपये कौशल विकास परियोजना पर खर्च किए गए।

खंड सी: अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?**
हाँ। एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेशी सहायक कंपनी)
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर कार्यों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी(कंपनियों) की संख्या बताएं
नहीं

2. **क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है; कंपनी की बीआर कार्यों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं? (30: से कम, 30–60:, 60: से अधिक)**
– नहीं

खंड डी: बीआर सूचना

1. **बीआर. के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण**

ए .वर्ष 2020–21 के लिए बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशक का विवरण

एमएमटीसी लिमिटेड MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

- डीआईएन संख्या – **08487833**
  नाम – **श्री राजीव रंजन सिन्हा**
  पद – **निदेशक (कार्मिक)**

इ. बीआर हेड का विवरण

क्रमांक	**विवरण**	
1.	डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	
2.	नाम	संजय कौल
3.	पद	मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक)
4.	टेलीफोन नंबर	011–24360365
5.	ईमेल आईडी	skaul@mmtclimited.com

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर)

सिद्धांत 1	**– व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं द्वारा संचालन करना चाहिए।**
सिद्धांत 2	**– व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें।**
सिद्धांत 3	**– व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।**
सिद्धांत 4	**– व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।**
सिद्धांत 5	**– व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।**
सिद्धांत 6	**– व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।**
सिद्धांत 7	**– व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।**
सिद्धांत 8	**– व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**
सिद्धांत 9	**– व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।**

क्रमांक	**प्रश्न**	**पी 1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी 9**
1.	**क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां हैं –**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	क्या नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है?	हाँ		हाँ	हाँ	हाँ			हाँ	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द) नहीं	नहीं		हाँ	हाँ	हाँ			हाँ	हाँ
4.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? हां	हाँ		हाँ	हाँ	हाँ			हाँ	
5.	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ		हाँ	हाँ	हाँ				
6.	ऑनलाइन देखी जाने वाली पॉलिसी के लिए लिंक बताएं?	www.mmtclimited.com		www.mmtclimited.com						
7.	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित कर दिया गया है?	हाँ		हाँ	हाँ	हाँ			हाँ	
8.	**क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है।**	हाँ		हाँ	हाँ	हाँ			हाँ	

9.	**क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?**	हाँ		हाँ	हाँ	हाँ				
10.	**क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कामकाज का स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन किया है?**	हाँ		हाँ		हाँ				

2ए. यदि क्रमांक 1 का उत्तर किसी सिद्धांत के विरुद्ध 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्रमांक	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है									
2.	कंपनी उस स्थिति में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और लागू करने की स्थिति में खुद को पाती है							✓		
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4.	इसे अगले 6 महीने के भीतर करने की योजना है									
5.	इसे अगले 1 साल के भीतर करने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

3. बीआर से संबंधित शासन

कंपनी के बीआर निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की आवृत्ति बतायें। 3 महीने के भीतर, 3–6 महीने, सालाना, 1 साल से ज्यादा?

एमएमटीसी के बोर्ड की कम से कम 3 महीने के भीतर बैठक होती है। बोर्ड की बैठकें विचार–विमर्श के लिए एक संरचित एजेंडे द्वारा संचालित होती हैं। बोर्ड को सूचित और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सभी प्रमुख मुद्दों पर अन्य व्याख्यात्मक नोटों सहित विस्तृत एजेंडा पेपर अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं।

कंपनी के मामलों पर केंद्रित ध्यान के साथ त्वरित विचार और निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने अलग–अलग भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार के साथ विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन कम से कम तिमाही आधार पर आयोजित प्रत्येक बैठक में संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है । वर्ष 2021–22 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधन ने निम्नलिखित पर चर्चा और समीक्षा की है:

- एमओसीएंडआई. के साथ मसौदा समझौता ज्ञापन
- एचआर से संबंधित मुद्दे
- संयुक्त उद्यम में निवेश की समीक्षा
- एनआईएनएल संबंधित मामले
- एमएमटीसी का शेयर मूल्य और शेयरधारिता पैटर्न
- कार्यशील पूंजी ऋण पुनर्गठन की स्थिति
- वित्तीय विवरणों/परिणामों का अनुमोदन
- 2020–21 के लिए सीएसआर/बीआरआर पर वार्षिक रिपोर्ट
- सीएसआर से जुड़े मुद्दे

क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?

सेबी के आदेश के अनुसार बाजार पूंजी के हिसाब से शीर्ष 500 कंपनियों को बीआरआर तैयार करना होता है। शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों में स्थान न होने के बावजूद एमएमटीसी 2012–13 से नियमित रूप से अपना बीआरआर प्रकाशित कर रहा है। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है, और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट **www.mmtclimited.com** पर देखा जा सकता है।

खंड ई –सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन करना चाहिए

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है?

हाँ। कंपनी का नैतिक आचरण विभिन्न नीतिगत पहलों में परिलक्षित होता है। जबकि कर्मचारी आचरण, अनुशासन और अपील नियम संगठन में सभी स्तरों पर कर्मचारियों को कवर करते हैं, एमएमटीसी लिमिटेड के "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के कोड" के रूप में एक अलग दिशानिर्देश आचरण को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित)। इसके अलावा, नैतिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इंटेग्रिटी पैक्ट, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी और सिटीजन चार्टर जैसी नीतियों को लागू किया गया है।

क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक विस्तारित है?

हां, एक सीमा मूल्य से अधिक की सभी खरीद निविदाओं के लिए अपनाई गई इंटीग्रिटी पैक्ट, सिटीजन चार्टर का दायरा विक्रेताओं, खरीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि तक फैला हुआ है, जबकि आचार संहिता, व्हिसल ब्लोअर नीति और ऑडिट कमेटी सतर्कता तंत्र केवल के कर्मचारियों को कवर करती है। कंपनी सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) भी लगाती है और निवारक सतर्कता उपाय करती है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

सी पी जी आरए एम एस पोर्टल पर वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 39 जन शिकायतें प्राप्त हुई और उन सभी को बंद कर दिया गया है।

सिद्धांत 2 – व्यवसायों को सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

एमएमटीसी प्रमुख रूप से व्यापार के कारोबार में है और विभिन्न मूल्यवर्ग के सोने और चांदी के पदकों के निर्माण में भी लगी हुई है। एमएमटीसी अपने द्वारा व्यापार किए जाने वाले उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करती है और बीआईएस के अनुसार पदक का निर्माण सुनिश्चित करती है।

सिद्धांत 3 – व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं

31.03.2022 को कर्मचारियों की कुल संख्या 597 है (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित)

2. कृपया अस्थायी/संविदा/अनौपचारिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

एमएमटीसी के नामावली पर सीधे तौर पर कोई अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया था । हालांकि, आवश्यकता के आधार पर, कुछ रखरखाव कार्य जैसे हाउसकीपिंग, सुरक्षा, बागवानी, बिजली की मरम्मत, फर्नीचर की मरम्मत आदि आउटसोर्स सेवाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।

स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या – 120

4. कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं

विकलांग स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या – 14

5. क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

हां

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?

100:

7. श्रम , जबरन श्रम , अनैच्छिक श्रम , यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित हैं।

क्रमांक	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	**बाल श्रम / जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम**	0	0
2.	**यौन उत्पीड़न**	0	0
3.	**भेदभावपूर्ण रोजगार**	0	0

8. **आपके नीचे उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?**

लगातार बदलते कारोबारी परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल को और बढ़ाने/उन्नत करने की दिशा में, कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान 205 (34.34%) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। देश में महामारी की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, ज्यादातर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार) आयोजित किए गए थे। आयोजित प्रशिक्षण हस्तक्षेपों में कार्यात्मक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल थे। वेबिनार के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति से संबंधित 33 (16.10%), अनुसूचित जनजाति के 12 (5.85%) कर्मचारी और 89 (43.41%) महिला कर्मचारी शामिल थे।

सिद्धांत 4 – व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है? हां नहीं**

   हाँ। अपने अस्तित्व के वर्षों में, संगठन ने हितधारकों के एक विविध समूह की पहचान की है और उनके साथ काम किया है – दोनों आंतरिक जैसे कर्मचारी, शेयरधारक और बाहरी जैसे ग्राहक, समुदाय आदि।

2. **उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है?**

   हां, संगठन ने समुदायों में कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है और अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से उनके साथ जुड़ा है।

3. **क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   हाँ। एमएमटीसी समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्तियों) / पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करती है। शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत/शिकायत रजिस्टर भी बनाए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। पीडब्ल्यूडी से संबंधित कर्मचारियों को काम सौंपा गया है जिसे वे अपनी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए कुशलता से कर सकते हैं। व्हील चेयर का उपयोग करने वाले पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की आसान आवाजाही के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्थायी रैंप बनाया गया है।

   कॉर्पोरेट कार्यालय लिफ्टों में मंजिल गंतव्य की घोषणा करने वाले श्रवण संकेत हैं। उनमें से कुछ में ब्रेल सिंबल में फ्लोर रिक्विजिशन बटन हैं। साथ ही कार्यालय भवन में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए अलग से वॉशरूम है ।

   इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों को वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अधिकतम लाभ देने की योजना बनाई गई है। इन हितधारकों के साथ जुड़ाव स्थानीय सरकारी निकायों और क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 5 – व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

1. **क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक विस्तारित होती है?**

   भारत सरकार की कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी.' भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान है, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करने का संकल्प करता है और जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित मौलिक मानवाधिकार भी शामिल हैं। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानवाधिकारों के संरक्षण का समर्थन और सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करती है कि उसके कर्मचारी मौलिक मानवाधिकारों का आनंद लें। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए "सहायता" नामक 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली है । एमएमटीसी की प्रबंधन प्रणाली में स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवास के प्रावधान हैं। इन सभी पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल करते हुए, एमएमटीसी के पास उपयुक्त प्रणालियां हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया है?**

   शून्य।

सिद्धांत 6 – व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए

विनिर्माण एमएमटीसी की वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र नहीं है। अतः यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक फैली हुई है।**

   कंपनी पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार फैशन में काम करती है।

2. **क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए रणनीति/पहल है?हां/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   भले ही विनिर्माण एमएमटीसी की वाणिज्यिक गतिविधियों की मुख्य लाइन नहीं है , यह खनन क्षेत्रों में वनीकरण के माध्यम से , आदिवासी क्षेत्रों के विकास और संचालन क्षेत्रों के आसपास और अपने सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से स्थिरता पहल का समर्थन करके पर्यावरण के रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध है ।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है और उनका आकलन करती है? हां/नहीं**

   जबकि संगठन सीधे तौर पर निर्माण में शामिल नहीं है, यह पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार फैशन में कार्य करता है। एमएमटीसी सार्वजनिक उद्यम विभाग, सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करता है। भारत की, जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन किया जाता है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

   नहीं

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की है? हां नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   एमएमटीसी पूरे संगठन में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा दक्ष स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों का उपयोग करती है।

   एमएमटीसी ने झंडेवालान में अपने दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय की छत पर और एमएमटीसी आवासीय कॉलोनी, नई दिल्ली में 50 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है।

6. **क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जा रहा है?**

   लागू नहीं

7. **वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित है (अर्थात संतुष्टि के लिए हल नहीं किया गया है) ।**

   लागू नहीं

सिद्धांत 7 – व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख का नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है

   ए. एफआईईओ

   बी. स्कोप

2. क्या आपने जनता की भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हां नहीं; यदि हां, तो व्यापक क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स, शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी व्यापार सिद्धांत, अन्य)

   संगठन ने जनहित से संबंधित किसी भी मामले पर उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/पैरवी नहीं की है।

सिद्धांत 8 – व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम /पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उसका विवरण।

   एमएमटीसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर नियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों को अपनाया है। एमएमटीसी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा सीएसआर गतिविधियों में खर्च करने की प्रक्रिया को संरचित किया है जो समाज की बेहतरी के लिए निर्देशित हैं।

2. क्या कार्यक्रम /परियोजनाएं इन–हाउस टीम/स्वयं की नींव/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से शुरू की गई हैं?

   एमएमटीसी की सीएसआर पर एक बोर्ड स्तरीय समिति है जिसमें कंपनी सचिव के साथ स्वतंत्र निदेशक और कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं। । सीएसआर उप–समिति द्वारा शुरू में विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। उप–समिति की सिफारिश को तब निदेशक मंडल स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से उप–समिति द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर विचार–विमर्श और मूल्यांकन करती है और उनकी संतुष्टि पर ही ऐसी परियोजनाओं को अनुसमर्थन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति सीएसआर समिति की सूचना के लिए रखी जाती है जब और जब उनकी बैठक बुलाई जाती है।

   जिस भौगोलिक क्षेत्र में परियोजना शुरू की जाएगी, उसके आधार पर संबंधित क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्यक्ष या निजी/सार्वजनिक भागीदार के सहयोग से परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी/कार्यालय की विधिवत नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य परियोजना के समय पर पूरा होने की निगरानी करना और परियोजना के पूरा होने की स्थिति के संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय को अद्यतन करना है। पूरा होने पर, परियोजनाओं का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

   एमएमटीसी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों के "सामाजिक प्रभाव" का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रभाव आकलन किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है– राशि आईएनआर में और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण?**

   वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एमएमटीसी को घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2021–22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई थी। कंपनी ने केवल वित्त वर्ष 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया जिन्हें वित्त वर्ष 2021–22 तक आगे बढ़ाया गया था।

   हालांकि, 10.01 लाख रुपये की राशि पिछले वर्षों से अव्ययित सीएसआर फंड के रूप में आगे बढ़ाई गई, जिसमें से 3.24 लाख रुपये वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियों के लिए और 1.50 लाख रुपये कौशल विकास परियोजना के लिए खर्च किए गए।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में समझाएं।**

   एमएमटीसी की सीएसआर पहलों में हाशिए पर खड़े महिलाओं, युवाओं और बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करके समुदाय आधारित संगठनों को मजबूत करना है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें। एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को पहले एक पेशेवर एजेंसी द्वारा किए गए आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाना जाता है और हम उनकी जरूरतों की पहचान करने, उन्हें संबोधित करने के लिए योजनाएं विकसित करने, उन्हें कार्यान्वयन में शामिल करने और आगे की योजना के लिए उनकी प्रतिक्रिया लेने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।.

सिद्धांत 9 – व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले लंबित हैं।**

   शिकायतों का निस्तारण कंपनी की नीति के अनुसार किया जा रहा है।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की जानकारी को उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

   कंपनी सांची ब्रांड नाम के तहत चांदी और स्वर्ण पदक और चांदी के बर्तनों की खुदरा बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग में प्रासंगिक उत्पाद जानकारी होती है।

3. **क्या कंपनी के खिलाफ पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।।**

   समाधान के लिए ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है ।

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों को अंजाम दिया?**

   उपभोक्ताओं के साथ नियमित रूप से अनौपचारिक बातचीत की जाती है।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Head Office
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel:+91-0120-4272409
M.+91-9910091070, 9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2012 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1 स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (**CIN L51909DL1963GOI004033**) (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है । सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया ।

ए) कंपनी की पुस्तकों, कागजों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करें कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 (ऑडिट अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन; बोर्ड–प्रक्रिया और अनुपालन–तंत्र है

बी. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है। के प्रावधानों के अनुसार:

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम ;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम
(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
(Iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक लागू होते हैं;
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत लागू सीमा तक निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015;
बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा), विनियम 2018; (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और गैर–परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों की सूची) विनियम, 2013 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)

जे) कंपनियों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 अधिनियम, 2013 और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक के साथ व्यवहार करना;

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग ('डीपीई दिशानिर्देश') द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010।

(vii) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने आमतौर पर कंपनी के विशिष्ट रूप से लागू कानूनों का कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक अनुपालन किया है जैसा कि पहचाना गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961, कस्टम अधिनियम, 1962, आदि को शामिल किया गया है।

सी. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल (SS-1) और सामान्य बैठकों की (SS-2) बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन पालन किया है :

(i) बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के तहत प्रावधान का अनुपालन में नही थी, क्योंकि बोर्ड के आधे हिस्से में ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं।

(ii) विनियमों के विनियम 21(3सी) के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों दिनांक 31.03.2021 और 24.03.2022 के बीच समय अंतराल एक सौ अस्सी दिनों से अधिक है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिस्क की बैठक के सदस्यों एवं अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित समय में प्रबंध समिति की बैठक नहीं हो सकी।

(iii) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। 31.03.2021, 30.06.2021 , 30.09.2021 और 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम क्रमशः 27.10.2021 23.03.2022, 22.04.2022 और 05.05.2022 को प्रस्तुत किए गए थे। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, नीलाचल में एमएमटीसी द्वारा आयोजित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण देरी हुई थी ।इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) और कंपनी ने सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया था।

(iv) विनियमों के विनियम 33(3)(डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय परिणाम दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत किए गए। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया था।

(v) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है , वहां स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की संख्या का कम से कम 50% होनी चाहिए। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ('प्रशासनिक मंत्रालय') के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मामले को प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

I कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त पैरा डी में उल्लिखित कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

II बोर्ड की बैठकों, एजेंडे को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है। एजेंडे पर विस्तृत नोट आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है।

III बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं और लागू कानूनों, नियमों विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
FRN: S2014UP280200
पीयर समीक्षा संख्याः 1083/2021

पारुल जैन
प्रोपराइटर
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323D000948196

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 09.09.2022

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

अनुलग्नक – 'ए'

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है ।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों । हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों , विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ–साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि निर्दिष्ट कानूनों के तहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है , हालांकि हम इस तरह के रिटर्न में दी गई जानकारी पर कुछ हद तक भरोसा किया है ।
6. कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को पढ़ा जाना है कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखापरीक्षक(ओं)/एजेंसियों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में, यदि कोई हो, टिप्पणियों के संयोजन में और अलग–थलग नहीं
7. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।
8. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन: S2014UP280200
पीयर समीक्षा संख्या: 1083/2021
एफआरएन S2014UP280200

पारुल जैन
प्रोपराइटर
एम सं. F8323
सीपी सं. 13901

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 09.09.2022

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उनकी रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
(I) बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि ऑडिट के दौरान बोर्ड में आधे बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।"	एमएमटीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू होने के नाते, कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के मामले को वाणिज्य विभाग, एमओसीएंडआई के साथ उठाया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय के साथ नियमित रूप से संपर्क मे हैं।
(ii) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 और 24.03.2022 के बीच समय अंतराल विनियम के विनियम 21 (3सी) के अनुसार एक सौ अस्सी दिनों से अधिक है।	2021–22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) थे। समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित समय में इस समिति की बैठक नहीं बुलायी जा सकी।
(iii) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 और 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम क्रमशः 27.10.2021 23.03.2022, 22.04.2022 और 05.05.2022 को प्रस्तुत किए गए थे।	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में एमएमटीसी द्वारा आयोजित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण निर्दिष्ट तिमाही के लिए गैर–लेखापरीक्षित परिणामों और वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखापरीक्षित परिणामों को प्रस्तुत करने में देरी हुई, जो लंबे समय से लंबित है। कोयला कानूनी विवाद, आदि, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा, कंपनी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया है।
(iv) विनियमों के विनियम 33(3)(डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय परिणाम दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत किए गए।	
(v) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के कम से कम 50% होगी।	इसका उत्तर ऊपर (I) के अनुसार ।

एमएमटीसी लिमिटेड MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

फार्म नं. ए.ओ.सी. 2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण के खुलासे का फार्म, जिसमें उसके (तीसरे पंरतुक) के अंतर्गत दो पार्टियों द्वारा अपने–अपने हित के लिए किए गए स्वतंत्र एवं असंबंधित लेन–देन (आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शंस) भी शामिल हैं

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर	नीलाचल इस्पात निगम लि.
1. आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं किए गए करार या व्यवस्था या लेन–देन			
(ए) संबंध का स्वरूप	संयुक्त उपक्रम	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	संयुक्त उपक्रम
(बी) ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन–देन का स्वरूप	बुलियन व मिंटेड उत्पादों की बिक्री/खरीद, रिफाइनिंग एंड जॉब वर्क	एमटीपीएल सिंगापुर ने एमएमटीसी के साथ लॉट–वार /लदान– वार बिक्री/ खरीद का करार किया, जिसमें एमटीपीएल विक्रेता और एमएमटीसी क्रेता है। इसी प्रकार, अन्य बोलीदाताओं के साथ एमटीपीएल वैश्विक निविदाओं में भी भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यूओएस होने के नाते उसे ईएमडी, परफॉर्मेंस बॉड गारंटी देने और केवाईसी नियमों से छूट है, जबकि अन्य बोलीदाताओं पर यह लागू है।	मै.आईपीआईसीओएल के जरिए एक मैनेजिंग प्रमोटर के रूप में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत तक इक्विटी की भागीदारी के बारे में एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का करार है। साथ ही, तैयार माल कच्चे माल की बिक्री/खरीद और कच्चे माल की अधिप्राप्ति के लिए एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच सहमति से 06–08–1999 ओर इसके पश्चात करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 22–06–2012 को तदोपरांत यथासंशोधित ।
(सी) ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन–देन की अवधि	एमओयू के अनुसार	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है या एनआईएनएल के विनिवेश इनमें से जो भी पहले हो। टाटा स्टील लॉंग प्रोडक्ट लि–(टीएसपीएल) को डीआईपीएम द्वारा एच–1 बोलीदाता घोषित किया गया था और टीएसपीएल ने फरवरी 2022 के दौरान एलओए स्वीकार किया, एनआईएनएल की ओर से बिक्री/ खरीद बंद हो गई।
(डी) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की प्रमुख शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई हो	एमपीआईपीएल के साथ नवीनतम हस्ताक्षरित एमओयू की प्रमुख शर्तें हैं— 1) एमएमटीसी समय–समय पर पूरे भारत में स्थित एमपीआईपीएल के विभिन्न स्थानों से बुलियन के स्टॉक्स (995 शुद्धता वाले किलोग्राम के स्वर्ण बार या 999 शुद्धता वाले 100 ग्राम के स्वर्ण बार और 0.999 फाइन शुद्धता वाले चांदी के बार) को प्रत्येक स्थान लिए एमपीआईपीएल द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम पर खरीदने का इरादा इंगित कर सकती है। 2) एमएमटीसी कारपोरेट आफिस सीबीओ के विधिवत प्राधिकृत कार्मिक एमपीआईपीएल के	जैसा ऊपर (बी) में दिया गया है । मूल्यः 0.91 करोड़ रुपए	मैसर्स आईपीआईसीओएल के माध्यम से एमएमटीसी तथा ओडिशा सरकार के बीच शेयरधारकों का समझौता हुआ जिसमें इन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि एमएमटीसी प्लांट के लिए परस्पर सहमत शर्तो पर कच्चा माल तथा कन्ज्यूमेब्लस सप्लाई करेगी, एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर संयुक्त उद्यम की कंपनी के उत्पाद की घरेलू बिक्री तथा

	मूल्य निर्धारण डेस्क के साथ सभी बुलियन का मूल्य निर्धारित करेंगे। न्यूनतम निर्धारण लॉट स्वर्ण बार के लिए 1 कि.ग्रा. और चांदी बार के लिए 100 कि.ग्रा. होगा। 3) एमपीआईपीएल समय समय पर एमएमटीसी से सोने/चांदी खरीद सकती है। मूल्यः 80.95 करोड़ रुप्ए		निर्यात करेगी । एमएमटीसी द्वारा तैयार माल की बिक्री/खरीद के लिए एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच दिनांक 06.08.1999 को करार हुआ था जिसमें बाद में दिनांक 22.06.2012 को संशोधन किया गया। **वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बिकी और तैयार माल के मूल्यः 232.36 करोड़ रुपये**
(ई) इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने का औचित्य	1) मार्जिन और टॉपलाइन में सुधार लाना। 2) घरेलू बाजार में बुलियन बार के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत (एलबीएमए एक्रेडिटिड रिफाइनरी, जिससे हमारी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो) विशेष रूप से ये तब उपयोगी होते हैं, जब सरकारी नीतियों के कारण आयात से बाजार में आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है।	एमएमटीसी द्वारा जारी टेंडरों के लिए एल–1 बोलीदाता	एमएमटीसी और ओडिसा सरकार के बीच आईपीआईसीओएल के माध्यम से शेयरधारकों समझौता किया गया जैसा उपर बताया गया है।
(एफ) बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तारीख	11.08.2021 / 07.01.2022	11.08.2021 / 07.01.2022	14.09.2020 और उसके बाद वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में डीआइपीएएम द्वारा पूरे हुए एनआइएनएल के विनिवेश को देखते हुए, एनआइएनएल पर स्थिति नोट, एनआइएनएल के उत्पादों की बिक्री और एनआइएनएल के विनिवेश की स्थिति से भी वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एमएमटीसी के बोर्ड को अवगत कराया गया था
(जी) अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई हो	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

2. आर्म्स लेंथ आधार पर ठेकों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण : एमपीआईपीएल के साथ उपरोक्त आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए एमओयू के अनुसार।

एमएमटीसी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/8(10)/ एम एम टी सी /
वार्षिक लेखा/ (2021-22)/2022-23/ 353-54
दिनांक: 13 SEP 2022

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम् एम् टी सी लिमिटेड,
कोर – 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय: कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **143(6) (b)** के अंतर्गत **31** मार्च **2022** को समाप्त वर्ष के लिए एम् एम् टी सी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लिए एम् एम् टी सी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. आ पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का दायित्व है।यह उनके द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत एक पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूछताछ लेखापरीक्षक और कंपनी कर्मियों और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक का कारण बने।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(एस.एहलादीनी पांडा)
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
(उ|ग एवं कारपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितंबर 2022

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

दशक एक नजर में

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
हमारी देनदारियां											
इक्विटी शेयर पूंजी	**150**	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100
अन्य इक्विटी	**43**	272	1034	1339	1349	1334	1278	1259	1242	1241	1321
	193	422	1184	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421
उधार	**2551**	2364	3732	922	519	440	272	287	413	1478	3430
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	**4**	4	6	-	-	-	19	20	10	19	5
दीर्घकालीन प्रावधान	**38**	44	45	189	184	188	179	177	183	170	137
	2786	2834	4967	2600	2152	2062	1847	1843	1947	3008	4993
हमारी परिसंपत्तियां											
स्थिर परिसंपत्तियां	**71**	71	72	67	65	65	209	206	212	211	205
घटाएं :मूल्यह्रास	**37**	33	29	22	17	12	152	148	130	119	108
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	**34**	38	43	45	48	52	58	58	82	92	97
निवेश संपत्ति	**4**	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
निवेश	**32**	23	22	452	453	485	460	446	446	470	467
बिक्री के लिए परिसंपत्तियों	**459**	467	467	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय परिसंपतियों सहित अन्य गैर परिसंपतियां	**72**	75	78	74	94	219	146	134	78	115	112
चालू पंजी	**1971**	1672	4122	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**214**	555	231	231	236	233	229	228	226	145	72
	2786	2834	4967	2600	2152	2062	1847	1843	1947	3008	4993
हमारी निवल आय											
बिक्री	**7841**	26365	24056	28293	15757	11593	12460	18242	25075	28416	65929
निर्यात	**34**	1805	1802	1104	1795	1580	673	2301	4127	2980	2045
आयात	**7071**	20697	19074	21625	11878	8480	10296	14530	18714	20954	61042
घरेलू	**736**	3863	3180	5564	2084	1533	1492	1411	2234	4482	2842
अर्जित ब्याज	**4**	5	11	4	17	28	125	100	138	280	646
अन्य आय	**603**	54	100	701	740	130	71	68	280	221	477
	8448	26424	24167	28998	16514	11751	12656	18409	25492	28916	67052
हमारे व्यय											
बिक्री लागत	**7800**	26269	23961	28506	16118	11489	12374	18076	24924	28299	66048
स्थापना व्यय	**114**	135	194	221	259	196	202	192	190	203	184
प्रशासनिक व्यय	**46**	28	56	55	48	52	53	51	47	48	52
वित्तीय लागत (प्रदत्त ब्याज सहित)	**206**	198	139	65	17	21	30	17	67	220	576
मूल्यह्रास व परिशोधन	**5**	5	6	6	5	7	5	18	12	12	12
ऋण / दावे / सम्पति का राइट आफ / वापसी	**-**	6	-	1	0	1	0	30	1	0	0
संदिग्ध ऋण / दावे / अग्रिम के लिए अनुमति	**1**	1	1	16	-	1	0	1	1	6	13
असाधारण मदें	**-**	-	-	-	-	-	-	210	244	100	
आपवादिक मदें'	**155**	876	37	9	8	(96)	(66)	(37)	23	13	(0)
	8327	27518	24394	28879	16455	11669	12597	18348	25476	29045	66987

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
हमारी बचत											
वर्ष के लिए लाभ	121	(1094)	(227)	119	59	81	59	62	16	(128)	65
कराधान के लिए प्रावधान	363	(324)	-	37	10	24	3	12	(4)	(57)	5
कर पश्चात लाभ (पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**(242)**	(770)	(227)	82	49	57	56	50	20	(71)	60
पूर्वावधि समायोजन	-	-	-	-	-	-	1	2	2	(1)	(11)
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	**(242)**	(770)	(227)	82	49	57	55	48	19	(71)	71
लाभांश	-	-	45	30	30	30	30	25	15	10	25
लाभांश पर कर	-	-	9	6	6	6	6	5	3	0	4
रिटेंड अर्जन	**(242)**	(770)	(281)	46	13	21	19	18	1	(81)	42
सकल लाभ	**593**	113	174	474	333	220	130	208	346	300	277
कर पूर्व लाभ	**121**	(1094)	(227)	119	59	81	58	60	14	(128)	76
कर पश्चात लाभ	**(242)**	(770)	(227)	82	49	57	55	48	19	(71)	71
नेट वर्थ	**193**	422	1184	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341	1421
नियोजित पूंजी	**546**	654	433	917	846	682	740	748	784	800	913\
कार्यशील पूंजी	**1971**	1672	4122	1794	1317	1070	955	977	1115	2187	4245
अनुपात											
बिक्री पर खर्च :	**2.04**	0.62	1.04	0.98	1.95	2.14	2.04	1.33	0.94	0.88	0.36
स्टॉक के अनुपात में बिक्री :	**0.38**	0.17	0.91	0.99	10.86	20.42	3.22	1.75	1.23	3.13	1.40
बिक्री के अनुपात में व्यापारिक लाभ%	**7.56**	0.43	0.72	1.68	2.11	1.90	1.04	1.14	1.38	1.05	0.42
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	**1.54**	(4.15)	(0.94)	0.42	0.37	0.70	0.46	0.33	0.06	(0.45)	0.12
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ %	**(3.09)**	(2.92)	(0.94)	0.29	0.31	0.49	0.44	0.26	0.07	(0.25)	0ण्11
बिक्री के अनुपात में देनदार :	**1.72**	2.11	8.00	0.98	2.24	4.36	6.64	16.64	6.92	7.83	4.20
कार्यशील पूंजी के अनुपात में बिक्री %	**25.14**	6.34	17.14	6.34	8.36	9.23	7.66	5.36	4.45	7.69	6.44
बिक्री के अनुपात में कार्यशील पूंजी (गुणा)	**3.98**	15.77	5.84	15.77	11.96	10.84	13.05	18.67	22.48	13.00	15ण्53
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ :	**(22.16)**	167.28	(52.42)	12.98	6.97	11.90	7.90	8.23	2.04	(16.04)	7.13
नियोजित पूंजी से कर पश्चात लाभ :	**44.32**	117.74	(52.42)	8.94	5.79	8.36	7.42	6.41	2.37	(8.82)	7.75
नेटवर्थ से वर्ष के के लिए लाभ :	**62.69**	(259.24)	(19.17)	7.99	4.07	5.66	4.25	4.53	1.19	(9.58)	4.58
नेटवर्थ से कर पश्चात लाभः	**(125.39)**	(182.46)	(19.17)	5.51	3.38	3.97	3.98	3.53	1.39	(5.27)	4.97
कर्मचारियों की संख्या	**597**	702	786	943	1117	1226	1334	1439	1530	1605	1673
प्रति कर्मचारी बिक्री	**13.13**	37.56	30.61	30.00	14.11	9.46	9.34	12.68	16.39	17.70	39.41

* वर्ष के लिए 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 तथा 2015 के लिए आपवादिक मदों से बट्टें खाते में डाली गई इन्वेंट्रीज में निवल वसूली योग्य मूल्य शामिल नहीं हैं।

निधियो का स्त्रोत और उपयोग

(₹ करोड़ में)

	2021-22	2020-21	2019-20
स्रोत			
आंतरिक उत्पत्ति			
कर पश्चात लाभ	(242)	(770)	(227)
आस्थगित कर समायोजन	363	(325)	0
मूल्यह्रास	38	34	30
प्रावधान	707	707	708
इक्विटी	150	150	150
रिजर्व	285	1042	1261
बाह्य उत्पत्ति			
बैंक	2551	2364	3732
वर्तमान देयताएं	874	1746	1561
अन्य देयताएं	1144	974	103
कुल स्रोत	5870	5922	7318
उपयोग			
स्थिर परिसंपत्तियां	75	75	77
निवेश	540	540	540
व्यापार ऋण	525	946	2314
इन्वेंट्रीज	30	46	218
ऋण व अग्रिम	4062	3919	3818
नकद व बैंक शेष	61	166	120
आस्थगित कर	577	230	231
कुल उपयोगिता	5870	5922	7318

वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधियों के स्त्रोत	2021-22		2020-21		2019-20	
आंतरिक अर्जन						
पर पश्चात लाभ	(242)		(770)		(227)	
मूल्यह्रास	5	(237)	5	(765)	6	(221)
आस्थगित कर समायोजन		555		231		231
उधारियां						
ऋण निधि		187		(1,368)		2,810
कुल स्त्रोत		505		(1,902)		2,820
निधि का अनप्रयोग						
स्थायी परिसंपति		-		-		6
निदेश		1		1		37
आस्थगित कर परिसंपति		214		555		231
अंतिम लाभांश		-		-		45
लाभांश कर		-		-		9
इंवेन्ट्री		(16)		(172)		(62)
व्यापार प्राप्य		(421)		(1,370)		1,648
ऋण व अन्य परिसंपति		142		103		440
नगद व बैंक शेष		(105)		46		65
देयताएं		851		(183)		238
प्रावधान		(161)		(882)		163
निधि का कुल अनुप्रयोग		505		(1,902)		2,820

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

मूल्य वर्धित विवरण

(₹ करोड़ में)

	2021-22		2020-21		2019-20	
मूल्य वर्धित						
बिक्री एवं अन्य व्यापारिक अर्जन	8,393		26,382		24,135	
जमा : अन्य आय	73		37		25	
	8467		26419		24160	
घटा : प्रयुक्त माल और सेवाओं की लागत	7,404		25,186		23,295	
कुल मूल्य वर्धन	1063		1233		865	
मूल्य वितरण						
परिचालन व्यय	396	37.26	1,081	87.70	659	76.18
रोजगार लागत	114	10.77	135	10.95	194	22.48
प्रशासन लागत	225	21.13	912	73.94	105	12.14
प्रावधान	1	0.10	1	0.09	0	0.06
मूल्यह्रास	5	0.43	5	0.40	6	0.65
ब्याज (निवल)	202	18.97	193	15.68	128	14.76
आय कर	363	34.11	(325)	(26.32)	-	0.00
रिटेंड अर्जन	(242)	(22.76)	(770)	(62.43)	(227)	(26.26)
कुल मूल्य वितरण	1,063	100	1,233	100	865	100
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	597		702		786	
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन	1.78		1.76		1.10	
नेट वर्थ	193		422		1,184	
नेट वर्थ का प्रति रूपये मूल्यवर्धन	5.51		2.92		0.73	

कमोडिटी–वार निष्पादन

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
निर्यात											
लौह अयस्क	-	1792	1602	564	1091	923	361	1,401	1,670	989	305
मैंगनीज अयस्क / आक्साइड	25	5	9	10		-	-	7	14	23	34
क्रोम ओर / कंसन्ट्रेट	-	-	74	126	191	350	82	34	353	378	616
पिग आयरन	-	-	110	375	401	242	230	629	1,099	289	940
स्लैग	-	-	-	8	1	-	-	-	2	-	-
उर्वरक	-	-	-	-	-	-	-	-	235	153	149
कृषि उत्पाद	-	-	-	-	-	-	-	229	754	1,148	-
कच्चा ऊन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
मर्चेंटिंग व्यापार	-	-	-	-	61	21	-	-	-	-	-
सामान्य व्यापार	9	8	7	21	50	45	-	-	-	-	-
कुल निर्यात	34	1805	1802	1104	1795	1580	673	2301	4127	2980	2045
आयात											
मेटल्स / आईआरएम											
कॉपर / कॉपर कैथोड्स		-	-	-	1	166	-	-	-	10	133
जिंक	12	-	95	136	147	-	101	56	62	84	138
लैड		73	1	0	0	-	0	3	2	5	4
टिन		-	8	8	45	39	18	20	39	42	67
निकल		-	32	23	26	58	18	72	75	57	139
अल्यूमीनियम		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एंटीमनी मैटल		-	-	-	1	4	4	5	7	6	-
स्टील / स्क्रैप / एचआर कॉयल		-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
अन्य		-	21	25	26	10	-	-	-	11	58
अनुप्रयोग	12	73	157	192	246	278	141	156	185	214	587
उर्वरक											
सल्फर		6	6	17	14	6	16	23	23	23	22
यूरिया	1454	9180	11091	10111	1823	2,418	2,611	7,797	3,597	1,170	4,893
डीएपी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
एमओपी		-	-	-	-	158	-	176	128	560	528
फोस्फिोरिक एसिड		-	-	-	-	46	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	1	24	97	-	-	-	-
कुल कारोबार	1454	9186	11097	10128	1838	2652	2725	7996	3747	1754	5587
हीरे / सोना / एमरेल्ड	5580	11364	7072	9581	8939	4,874	6,342	4,334	8,412	13,137	50,461
कृषि उत्पाद		-	96	610	529	106	58	70	1,214	1,378	1,184
हाईड्रोकार्बन	2	74	646	1097	323	570	1,013	1,948	5,151	4,469	3,220
अन्य	23	-	5	17	3	-	17	26	5	3	3
कुल आयात	7071	20697	19073	21625	11878	8480	10296	14530	18713	20955	61042
घरेलू											
कॉपर / जिंक / ब्रास / अल्युमीनियम	1	1	5	1		-	0	-	-	-	-
पिग आइरन / स्लैग / स्टील	18	1	558	1488	417	174	187	176	234	980	827
फर्टिलाइजर्स		-	3	5	2	0	160	86	5	8	9
एग्रो प्रोडक्टस	73	644	660	370	20	103	298	-	502	1,604	846
जेम्स एंड ज्वेलरी / सिल्वर	433	2701	1232	3206	1168	1,165	708	812	761	538	682
हाईड्रोकार्बन	201	510	692	356	439	69	114	176	446	1,166	348
अन्य	10	6	31	138	38	22	24	161	287	186	130
कुल घरेलु	736	3863	3181	5564	2084	1533	1492	1411	2234	4482	2842
कुल कारोबार	7841	26365	24056	28293	15757	11593	12460	18242	25075	28416	65929

देशवार निर्यात

(₹ in crore)

31 मार्च को समाप्त	2022	2021	2020
एशिया			
चीन	9	8	85
हांगकांग	20	5	-
जापान	-	1393	1252
कोरिया	-	399	350
नेपाल	-	-	1
ईंडोनेशिया	5	-	5
सिंगापुर	-	-	109
कुल निर्यात	34	1805	1802

देशवार आयात

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022	2021	2020
अफ्रीका			
इजिप्ट	253	1113	904
नाइजीरिया	-	-	105
दक्षिण अफ्रीका	43	83	-
	296	1,196	1,009
एशिया			
चाइना	155	3207	4238
वियतनाम	-	98	91
इंडोनेशिया	6	424	1109
जापान	-	-	7
कोरिया	-	2	1
मलेशिया	-	94	-
दक्षिण कोरिया	3	-	-
रशिया	33	249	665
सिंगापुर	-	-	55
	197	4074	6166
पूर्वी यूरोप			
कजाखिस्तान	4	-	21
उजबेकिस्तान	-	-	45
यूक्रेन	289	1110	719
	293	1110	785
मिडिल ईस्ट			
बेहरीन	126	336	536
दुबई	-	-	46
ईरान	-	-	-
ओमान	505	1278	1371
कतार	-	83	343
साउदी अरब	-	-	191
टर्की	-	4642	128
यूएई	2346	-	1244
	2977	6339	3859
नार्थ अमेरिका			
यूएसए	-	5	11
	-	5	11
दक्षिण अमरिका			
ब्राजील	-	1	-
	-	1	-
ओशीनिया			
आस्ट्रेलिया	5	94	870
	5	94	870
पश्चिमी यूरोप			
फिनलैंड	-	204	199
नीदरलैंड	-	6	7
लेटीविया	-	-	104
स्विटजरलैंड	2344	4844	3396
नार्वे	-	-	21
यूके	556	1667	1956
ईटली	18	11	-
	2918	6732	5683
कुल आयात	6686	19551	18383

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

राजकोष में योगदान

(₹ करोड़ में)

	2021-22	2020-21	2019-20
केंद्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	-	182	179
आयात शुल्क	**388**	1,073	569
जीएसटी	**64**	163	239
आयकर(लाभांश पर आयकर शामिल)	**7**	21	46
लाभांश	**2**	-	40
कुल	461	1,439	1,073
रेलवे एवं पोर्ट को			
रेल भाडा	**-**	-	1
रेलवे/पोर्ट को प्लाट का किराया	**-**	3	-
पोर्ट प्रभार	**-**	-	8
कुल	-	3	9
राज्य सरकार को			
जीएसटी	**53**	143	66
कुल	53	143	66
कुल योग	**514**	**1,585**	**1,148**

निष्पादन एक नजर में

(रू. करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2022	2021	2020
कुल बिक्री	7841	26365	24056
इसमें शामिल है			
निर्यात	34	1805	1802
आयात	7071	20697	19074
घरेलू	736	3863	3180
व्यापारिक लाभ	593	113	174
अन्य स्त्रोतों से आय	78	43	36
कर पश्चात आय	(242)	(770)	(227)
वर्ष के अंत में			
कुल परिसंपत्तियां	4763	5507	6580
शेयर पूंजी	150	150	150
नेट वर्थ	193	422	1184
प्रति शेयर (रूपये)			
अर्जन	(161)	(5.13)	(1.51)
लाभांश	-	-	-
शेयर पूंजी पर नेट वर्थ (गुणा)	1.29	2.81	7.89
नियोजित पूंजी पर कर पश्चात लाभ (%)	44.32	117.74	(52.42)
नेट वर्थ पर कर पश्चात लाभ (%)	(125.39)	(182.46)	(19.17)
प्रति कर्मचारी बिक्री (रू.)	13.13	37.56	30.61

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा इक्विटी में परिवर्तन और नगद प्रवाह विवरण शामिल हैं । इसमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा व्याख्यात्म सूचना (इसके बाद 'वित्तीय विवरण' कहा जाये) सहित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं। कंपनी के मुबई, विजाग, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उपक्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनका आडिट शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, इसके संशोधित, ("इंड एएस") और अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप देखें, जो आमतौर पर भारत में राज्य में स्वीकार किए जाते हैं। 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों का विवरण, हानि और कुल व्यापक आय (शुद्ध हानि और कुल व्यापक हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन और इसका नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

योग्य राय के लिए आधार

1. हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए अनंतिम मासिक सूचना विवरण के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों का विवरण दाखिल किया जाता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") की 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार डिवीजन ii की अनुसूची iii में संशोधन के संबंध में कंपनी को पुस्तकों के साथ समझौते में बयानों के त्रैमासिक समाधान का खुलासा करना आवश्यक है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि व्यवसाय की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए इन बयानों का समाधान नहीं किया जा सकता है और ठोस विसंगति यदि कोई निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वित्तीय विवरण में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 36 (के) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि 1.13 करोड़ रुपये की संदिग्ध वसूली योग्य राशि के लिए कई प्रावधान हैं इन शेष राशियों की वसूली योग्यता मूल्यांकन की पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। कंपनी ने इस तरह की शेष राशि की वसूली का आकलन करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक नोट शुरू किया है। प्रबंधन के अनुसार किए गए ये प्रावधान एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया राशि से संबंधित हैं और इन खातों की वसूली के लिए कोई पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी भी आंतरिक दिशा–निर्देशों की अनुपलब्धता के कारण इन प्रावधानों को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। तदनुसार प्रावधान और संबंधित वसूली योग्य शेष राशि को 1.13 करोड़ से कम कर दिया गया होता।

   हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40(एफ)(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ("पीबीटी") का 1.5% की देयता 01.012007 (क्लोज्ड ग्रुप) को शामिल किया गया है, भले ही कंपनी ने सामर्थ्य के अनुसार 120.60 करोड रू., के पीबीटी की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया है। वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपरोक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नही किया गया है जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों से अलग करती है। प्रबंधन द्वारा आकलित 1.81 करोड़ रू. (पीबीटी का 1.5%) और 3.29 करोड़ (बेसिक और डीए का 4.5%), की राशि को लेखांकन मानकों के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबीएस के प्रावधान में 5.10 करोड़ रू वृद्धि की गई और शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि इस राशि से कम हो गई।

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधान और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे हल किया है।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने इन मामलों के संबंध में, हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल था। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित, साथ में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	संदर्भ नोट नं 34 दावों पर ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें लंबित कानूनी मामलों के दावों को शामिल किया गया है। विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को संभालने के लिए कंपनी के 5 क्षेत्रीय एक उप क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालाँकि, बहुत से मामलों में कानूनी मामलों को कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर निपटाया जाता है, जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी / लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	हमने 31 मार्च 2022 को कॉरपोरेट ऑफिस विधि प्रभाग में निपटाए गए सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची पिछले साल की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट के साथ प्राप्त की। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता रखने के लिए प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व एक ही स्थान पर हों।
2.	संदर्भ नोट नं. 11 में संबंधित पार्टियों को अग्रिम शामिल है जिसमें एनआईएनएल को दिए गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय को वर्ष के दौरान आय के रूप में दिखाया गया है।	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया। ब्याज की वसूली की संभावना को समझने के लिए हमने प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा की कंपनी की राजस्व पहचान नीति की उपयुक्तता और इंड एएस 115 राजस्व पहचान के संदर्भ में इसके अनुपालन पर विचार किया गया। वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित डिस्क्लोजर का आकलन किया।
3.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का आकलन (नोट संख्या 6 देखें) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास गैर–चालू और चालू निवेश हैं।	यह हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन हम निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं: प्रबंधन प्रक्रिया को प्राप्त करना और समझना। हानि संकेतकों के संबंध में प्रबंधन के साथ व्यापक रूप से चर्चा की और नियंत्रणों के डिजाइन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। निवेश की वसूली का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का आकलन किया और यह सुनिश्चित किया कि यह लागू लेखांकन मानकों
4.	एंग्लो कोल पर प्रावधान पर टिप्पणी संख्या 32 (ii) देखें	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया: एंग्लो कोल के मामलों के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करना और समझना। संभावित प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की और वित्तीय विवरण में दिखाया गया।

मामलों पर जोर

पुनर्रचना और ऋण चुकौती में चूक

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या RBI/2020–21/16 डीओआर सं.BP/BC/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया था। 08.06.2021 को ऋण को पुनर्गठित किया गया था, जिसमें देय तिथि 30 दिनों की समीक्षा अवधि के साथ ऋण और ब्याज चुकौती 30.03.2022 थी। कुल बकाया बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान 29.04.2022 (30.03.2022 के बाद 30 दिनों की समीक्षा अवधि) को या उससे पहले मुख्य रूप से एनआईएनएल विनिवेश से एक बार में किया जाना था । चूंकि एनआईएनएल की विनिवेश राशि प्राप्त न होने के कारण देय तिथि/समीक्षा अवधि में ब्याज सहित बैंक ऋण का भुगतान नहीं किया जा सका, इसलिए सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाते को 1.4.2015 से सब स्टेंडर्ड/एनपीए में ऋण पुनर्गठन की तिथि अर्थात से 08.06.2021 डाउनग्रेड कर दिया गया है। ऋण पुनर्गठन समझौतों और अन्य कानूनों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू थे और डिफ़ॉल्ट राशि पर दंड/कार्ड ब्याज दर वसूल की जानी थी। एनआईएनएल के विनिवेश के परिणामस्वरूप 31.3.2022 को 31.3.2022 तक मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के रूप में 2551.44 करोड़ रूप्ये का भुगतान दिनांक 4.7.2022 को राशि किया जा चुका है। इसके अलावा 6.7.2022 को विवरण प्राप्त कर लिया गया है और ऋणदाताओं ने पूर्ण ऋण शेष के भुगतान की तिथि तक केवल दंडात्मक ब्याज फॉर्म 1.4.2022 के साथ विवरण प्रदान किया है। कंपनी ने ऋणदाताओं के साथ 07.07.2022 को आयोजित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक "जेएलएम" के दौरान 01.04.2022 से पहले दंड / कार्ड दर शुल्क सहित सभी दंड और अन्य शुल्क माफ करने के लिए उठाया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सेबी के विनियम 33 का गैर–अनुपालन

हम वित्तीय विवरणों के साथ में नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने सेबी के नियम 33 का अनुपालन नही होने के संबंध मे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रूप्ये की आकस्मिक देयता सृजित की है प्रबंधन इन मांगों को माफ करने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की कुल संपत्ति को दर्शाती हैं। 31 मार्च, 2022 तक 3895.08 करोड़ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 6598.16 करोड़ रुपये का कुल राजस्व, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर से आधारित है!
2. हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि कंपनी ने 4.45 करोड़ रुपये के बहुत पुराने शेष के अलावा, अन्य देनदारियों के तहत वर्गीकृत बैलेंस शीट तिथि के अनुसार बकाया विभिन्न ग्राहकों से अग्रिमों के लिए पर्याप्त शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की है, जिसके लिए एक राइट बैक प्रस्ताव वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के दौरान प्रधान कार्यालय को भेजा गया है।

   इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निर्णय लेने तथा आकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिंग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तांतरण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो।

निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखे।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं । हम यह भी करते : हैं

- वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रकिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्त नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनिश्चितता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।
- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

आडिट की समयसारणी तथा विस्तार क्षेत्र की योजना तथा महत्वपूर्ण आडिट परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण में हमें अपने आडिट के दौरान जिन कमियों का पता चलता है उनके बारे में हम संबंधित कार्मिकों से संवाद करते हैं ।

हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) ('आदेश') 2020 के द्वारा अपेक्षित हम अनुलग्नक –ए में जैसा लागू है, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं :–

ए) हमने ऐसी उपरोक्त वित्तीय विवरणों की सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

बी) हमारी राय में बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बहियां बनाई गई हैं

सी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं

डी) हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ यथासंशोधित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 पठनीय है में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं ।

ई) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए "अनुलग्नक बी" में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

जी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निदेशक को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

एच) यथा संशोधित कंपनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

प) बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii) कंपनी के पास डेरीवेटिव करारों सहित कोई दीर्घावधि करार नही है जिसके लिए कोई ठोस हानि की संभावना हैं ।

iii) कंपनी ने निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में 127 रुपये हस्तांतरित नहीं किए हैं।

iv.

(ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को अग्रिम के रूप में या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं (नोट 48 (ई) देखें)।

(बी) प्रबंधन ने बताया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("वित्त पोषण" पार्टियां"), सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी, जो कि फंडिंग पार्टी की ओर से या उसकी ओर से ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं (नोट 48 (एफ) देखें)

(सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी ठोस गलत विवरण है।

v कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

3. भारत के सीएजी द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के तहत हमने अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक –सी में प्रस्तुत की है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2022
यूडीआईएन 22095584AMPTHP6700

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –ए

"अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I.

i कंपनी ने अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण अचल संपत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्ति संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाया गया है।

ii. कंपनी ने स्थायी अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रदान की गई अचल संपत्तियों को छोड़कर उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है।

सी. संपत्ति कर प्राप्तियों और जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है, उसके लिए पट्टा समझौते, पंजीकृत बिक्री विलेख / हस्तांतरण विलेख / वाहन विलेख की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अन्य सभी अचल संपत्तियों के स्व–निर्मित भवनों और शीर्षक विलेखों के संबंध में शीर्षक (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), संपत्ति के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार संयंत्र और उपकरण कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

नीचे दिए गए मामलों के अतिरिक्त अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है:

क्षेत्र / कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	किसके नाम पर है	क्या प्रोमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी है	अवधि	टिप्पणियां
कारपोरेट कार्यालय	लीजहोल्ड भूमि (स्कोप) कार्यालय भवन(स्कोप)	1.04 करोड़ 5.74 करोड़	स्कोप कॉम्पलेक्स	नही	99 वर्ष	लीज डीड स्कोप के नाम पर है जिसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है ।

इसके अलावा एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पास 36 टाईटल डीड जमा किए गए हैं।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ई. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii.

ए. प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है और प्रत्येक वर्ग की सूची के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एमएमटीसी लिमिटेड के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है।

बी. कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है हम लेखा पुस्तकों के साथ तिमाही विवरण के मिलान पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने जानकारी प्रदान नहीं की है।

iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है ऋण या स्थायी गारंटी की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है या कंपनियों फर्मों सीमित देयता भागीदारी या पार्टियों को किसी भी अन्य ऋण के लिए सुरक्षा सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान किया है और इसलिए आदेश के खंड 3((iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा हमारी राय में कंपनी ने ऋण गारंटी और सुरक्षा के संबंध में धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए किसी भी लेनदेन में दखल नहीं किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) और नियम, 2014 (संशोधित के अर्थ में जमा माना गया है।)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(V) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती

vi हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, खंड 3(vi) या आदेश के प्रावधान ।लागू नहीं होते हैं।

vii

ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आयकर, भविष्य निधि बकाया, पेशेवर कर, मूल्य वर्धित कर और सेवा सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित नहीं रही है। आयकर, भविष्य निधि देय, पेशेवर कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर और सेवा कर और अन्य सांविधिक बकाया के संबंध में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक के लिए 31 मार्च, 2022 को कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

बी. आयकर या बिक्री कर या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर की बकाया राशि के मामले में जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, "अनुलग्नक 1" के रूप में संलग्न हैं।

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix.

ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने "अनुलग्नक 2" में संलग्न विवरण के अनुसार किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है।

बी. कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

डी. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शर्तों के आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया है। बकाया अल्पकालिक निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है।

इ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

एफ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

ग.

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या इसके बाद सार्वजनिक पेशकश (ऋण इंस्ट्रूमेंटस सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई आवंटन या निजी प्लेसमेंट या (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग)(इ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi.

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें कंपनी या उसके अधिकारियों द्वारा या उसके द्वारा धोखाधड़ी का कोई वर्ष के दौरान ऐसे मामले की सूचना दी गई है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा उदाहरण नहीं मिला है, जिस पर ध्यान दिया गया है या रिपोर्ट किया गया है।

बी. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। और इस रिपोर्ट की तारीख तक।

ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें किए गए प्रतिवेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और ऐसे लेनदेन के संबंध में प्रासंगिक विवरण का उचित रूप से खुलासा किया गया है प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस–24 के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण"।

xiv.

क. हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख. हमने लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान और अब तक जारी किए गए ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv हमारी राय में, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi.

ए. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

बी. हमारी राय में, कंपनी कोई प्रमुखनिवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मुख्य निवेश कंपनियों रिजर्व बैंक में परिभाषित है) निदेश, 2016) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 89.35 करोड़ रुपये का नकद घाटा हुआ है और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और स्टैंडअलोन वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और स्टैंडअलोन वित्तीय देनदारियों के भुगतान, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर निदेशक मंडल और प्रबंधन, हमारी राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई ठोस अनिश्चितता नहीं है कि कंपनी तुलन–पत्र की तारीख को मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे तुलन–पत्र की तारीख से एक साल के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा डिस्चार्ज कर दी जाएगीं, कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

xx. उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। . तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

xxi. खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2022
यूडीआईएन 22095584AMPTHP6700

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के खंड 7 (iii) का अनुलग्नक ''ए''

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	शामिल राशि	प्राधिकरण	क़ानून की प्रकृति
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989-90	14,96,06,778	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1990-91	23,30,46,478	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1991-92	28,98,738	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2001-02	45,03,961	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील v)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम अधिनियम एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956	बिक्री कर	2004-05	42,00,789	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर बीएसटी अपील)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम और सेंट्रल सेल्स टैक्स
महाराष्ट्र वैट– 2002	बिक्री कर	2008-09#	12,33,227	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल .	महाराष्ट्र वैट 2002
महाराष्ट्र वैट– 2002	बिक्री कर	2010-11#	42,23,071	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	महाराष्ट्र वैट 2002
महाराष्ट्र वैट– 2002	बिक्री कर	2009-10#	16,28,050	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	महाराष्ट्र वैट 2002
महाराष्ट्र वैट– 2002	बिक्री कर	2013-14	12,56,918	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)	महाराष्ट्र वैट 2002
केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर ग	2011-12	47,25,144*	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2008-09#	51,81,979	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2007-08#	71,97,308	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2014-15	3,58,112	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
कस्टम अधिनियम 1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2012-13	23,98,53,708	कस्टम आयुक्त	कस्टम अधिनियम 1962
कस्टम अधिनियम1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2012-13 & 2013-14	17,83,24,573	सीमा शुल्क आयुक्त आयुक्त(अहमदाबाद)	कस्टम अधिनियम 1962
नियम की प्रकृति	देय की प्रकृति	वर्ष	शामिल राशि	प्राधिकारी	नियम की प्रकृति

*दोनों अपील एक जैसे मामले के लिए कॉमन अपील अधिकारी के पास फाईल की गई है।
#संबंधित ट्रिब्यूनल से मई 2022 में आदेश प्राप्त हुआ है और संशोधित राशि अभी निर्धारित नहीं है।

चेन्नैई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर जुर्माना व ब्याज	2001-02	1,78,566 (स्पेंडक्स यार्न)	सहायक आयुक्त वाणिज्य कर
टीएनवेट अधिनियम	बिक्री कर प्रदर्शनी रिटर्न और जुर्माना और ब्याज	1999-20	78,25,755*	हाईकोर्ट
टीएनवेट अधिनियम	बिक्री कर प्रदर्शनी रिटर्न और जुर्माना और ब्याज	2009-10, 2010-11, 2011-12	70,29,982*	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्त आयुक्त
भविष्य निधि	भविष्य निधि के दावे	2016	2,23,57,432	केरल का उच्च न्यायालय

इसके खिलाफ, कंपनी ने विरोध के तहत 1,15,23,689/– रुपये की राशि का भुगतान किया था।

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1968-69	18,56,325	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1985-86	25,05,806	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1989-90	4,79,000	एसटीएटी,
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1991-92	19,34,139	एसी, एलटीयू
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1997-98	25,27,960	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी **	सीएसटी	1994-95	8,41,695	एसी, एलटीयू
सीएसटी **	सीएसटी	2007-08	1,04,614	एडीसी
वीएटी	एपीवीएटी	2013-14	22,63,563	एडीसी
सीएसटी	सीएसटी	2013-14	4,10,662	एडीसी
वीएटी	एपीवीएटी	2014-15	4,17,000	एडीसी
कस्टम ड़यूटी	कस्टम ड़यूटी	2009-10	92,92,463	एसटीएटी, हैदराबाद

*एपीजीएसटी/वैट से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 98,76,324/– की राशि संबंधित प्राधिकरण में जमा करा दी है।

**कस्टम ड़यूटी से संबंधित विवादित राशि में से क्षेत्रीय कार्यालय ने रुपए 76,07,136 की राशि से संबंधित प्राधिकारण में जमा करा दी है।

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2005-06	10,17,873	अपीलीय बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2013-14	46,07,728	कोलकाता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल, मूल्य संवर्धन कर अधिनियम	पश्चिम बंगाल वैट	2013-14	51,46,313	कोलकाता उच्च न्यायालय

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1989-90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1991-92	24,02,576	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1992-93	13,96,269	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993-94	17,62,687	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993-94	6,30,615	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1993-94	4,41,446	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1994-95	2,04,081	एसीएलटीयू विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1997-98	58,43,100	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1999-00	39,04,454	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2000-01	2,52,926	एसटीएटी – विजाग
वैट	वैट	2006-07	6,76,058	एसीएलटीयूए एसटीएटी
वैट	वैट	2007-08	71,000	एसी ऑडिट
वैट	वैट	2008-09	7,84,474	सीटीएटी
वैट	वैट	2012-13	99,49,808	एडीसी (सीटीओ)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2013-14	4,40,000	एसटीएटी
एपीवीएटी–जेसी	वैट	2013-14	22,00,000	एपीवीएटी–जेसी
कस्टम	सीमा शुल्क	2021-22	46,47,711	तेलांगाना उच्च न्यायालय
कस्टम	सीमा शुल्क	2021-22	25,000	सीमा शुल्क आयुक्त चैन्नई

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	संविधि का नाम	वर्ष (एवाई)	राशि(रूपये में)	फोरम
आयकर अधिनियम	आयकर	2018-19	2,09,96,930	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2017-18	1,59,36,207	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2016-17	3,24,12,680	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2015-16	1,17,51,934	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2014-15	1,55,24,136	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2013-14	3,11,55,608	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2012-13	4,15,58,636	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2009-10	2,10,12,618	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2008-09	52,75,829	सीआईटी(ए)/उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2005-06	4,51,65,330	उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2004-05	3,58,34,174	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2003-04	1,08,96,834	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2001-02	1,17,77,218	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	1999-00	2,85,69,897	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	1998-99	58,90,533	आईटीएटी
	कुल		33,37,58,537	

उपरोक्त मांग के अलावा, कंपनी के द्वारा 20,45,10,551/– रूपये की राशि जमा की गई ।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्श	राशि	अथॉरिटी
यूपी – वैट	एलएसटी/सीएसटी	1990-91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1991-92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1992-93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1993-94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1987-88	16,35,160	संयुक्त आयुक्त (अपील), कानपुर
यूपी – वैट	वैट	1996-97	6,11,808	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
यूपी – वैट	वैट् फार्म 3 बी(स्वर्ण) और फार्म 3सी 1(मेंथा आयल) नही जमा कराने पर ब्याज	2007-08	62,457	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	1992-93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
एमपी – वैट	एलएसटी	1999-00	1,50,004	बिक्री कर प्राधिकरण, इंदौर
एमपी – वैट	एलएसटी	1998-99	47,30,692	निर्धारण प्राधिकरण, इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा एसोसिएट द्वारा गोल्ड लोन के लिए स्वर्ण आभूषण निर्यात नही करने पर ब्याज	1999-00	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित

* उपरोक्त के विरोध में भुगतान की गई राशि 59,53,490 रुपये है।

जयपुर उप क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003-04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। (विरोध करते हुऐ 35.49 लाख रूपये जमा किया गया) कर बोर्ड में डीसी (अपील) के आदेश के खिलाफ बिक्री कर विभाग ने अपील किया।
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999-00	26,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर आरएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 4767 मीट्रीक टन डीएपी की मांग के कारण कर बोर्ड के पास लंबित।
आयकर	आयकर	2009-10 से 2017-18	23,030	टीडीएस मांग। 2009–10 से 2017–18
आयकर	आयकर	2018-19	1,330	टीडीएस की मांग
आयकर	आयकर	2020-21	590	टीडीएस की मांग

*अवरोध के अंतर्गत कुल रूपये 35,49,446 जमा किया गया ।

(राशि रूपये में)

मुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
ओएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1977-78	41,95,457	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1977-78	2,09,773	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1979-80	54,32,092	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1979-80	3,00,090	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1980-81	1,30,21,518	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1980-81	6,53,245	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1981-82	15,18,451	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1981-82	3,27,928	सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	26,50,388	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	34,00,919	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1978-79	1,70,046	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1979-80	6,53,452	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	1982-83	34,83,020	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	1978-79	3,57,42,030	सीसीटी और जीएसटी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई और एसएलपी के निपटारे तक निपटारा कर दिया गया।
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	2006-09	14,98,22,308	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	2010-12	5,08,43,080	उड़ीसा उच्च न्यायालय ए
उड़ीसा मूल्य वर्धित कर	मूल्य वर्धित कर	2013-14	14,28,18,841	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	2013-14	58,07,05,822	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
ईटी (ओडिशा)	प्रवेश कर	2013-14	52,63,10,091	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी (ओडिशा)	घोषणा प्रपत्र जारी	2011-14	75,79,583	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-05	48,785,949	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-07	234,462,451	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007-08	5,20,97,970	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2008-10	107,540,201	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010-11	61,867,556	08.10.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011-12	619,19,930	08.10.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-12	532,867,400	08.10.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-11	1,21,30,537	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	60,30,943	08.10.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	71780787	08.10.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2013-14	9,94,263	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	कस्टम	2012-13	1,49,02,87,737	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क अधिनियम	सेवा कर	2014-15	17,71,628	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क अधिनियम	सीमाशुल्क ब्याज एवं जुर्माना	2017-18	1,32,576	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के आयुक्त और सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2017-18	20,198	विभाग अपील के लिए दायर किया है।
ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	1977-78	41,95,457	सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी
ओएएसटी अधिनियम	ओएएसटी	1977-78	2,09,773	सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी

अहमदाबाद उप क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि	अवधि	अथॉरिटी
कस्टम अधिनियम, 1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2012-13	17,83,24,573	सीईएसटीएटी, चेन्नै

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के खंड 8 के अनुलग्नक– "II"

विवरण	बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार चूक की राशि		डिफॉल्ट की अधिकतम अवधि (दिनों में)	
ऋणदाता बैंकों के नाम	**मूल (रू0)**	**ब्याज (रू0)**	**मूल**	**ब्याज**
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,60,00,00,000	22,80,96,513	564	547
पंजाब एंड सिंध बैंक	3,00,00,00,000	41,91,04,508	561	547
पंजाब नैषनल बैंक	5,00,00,00,000	73,08,89,684	458	547
इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक)	2,00,00,00,000	28,54,95,445	455	547
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व कार्पोरेशन बैंक)	5,00,00,00,000	65,24,22,062	403	547
कुल योग	16,60,00,00,000	2,31,60,07,762		

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंडएएस वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2022 से संबंधित एमएमटीसी लि. (कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डो की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल हैं।

आडिटरों का दायित्व :

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है।

हमने लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ओर दोनों इंस्टभ्टशूट आफ चार्टर्ड एकांउटेंट आफ इंडिया दोनो द्वारा जारी दोनो पर लागू है, के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, ठोस कमी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(ए) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(बी) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार ईंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(सी) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका ईंडएएस वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके! भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में कमी आ सकती है।

राय :

हमारी राय में हमारी सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2022
यूडीआईएन 22095584AMPTHP6700

अनुलग्नक – सी : एमएमटीसी लिमिटैड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
I	क्यां कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को आईटी सिस्टम के द्वारा करने की प्रणाली है, यदि हां तो वित्तीय लागू के साथ अकाउंट की संपूर्णता आई टी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेने की प्रक्रिया लागू है, यदि कोई है, तो दर्ज किया जाए ।	हां, कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को एकल आईटी सिस्टम के द्वारा करने का सिस्टम है जिसमें आंकड़ा इसके ईआरपी सिस्टम को स्थानांतरण किया जाता है। यद्यपि आधुनिक पूर्ण आर पी सिस्टम की अनुपलब्धता में कुछ लेन देन आई टी सिस्टम में मैन्युली प्रविष्टी दर्ज किये जाते हैं। उन लेन.देन का न तो अकाउंट की पूर्णता पर न ही वित्तीय आशय पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लेन देन जो कि आई टी सिस्टम में मैन्यूली पारित हुए हैं नीचे दिये गये हैं : हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर) परीक्षण के आधार पर) जहां कहीं भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर कामकाज पर आधारित होते हैं) खातों की सत्यनिष्ठा में कमी और कोई वित्तीय प्रभाव नोट/रिपोर्ट नहीं किया गया है।
II	कंपनी की असमर्थता के कारण लोन अदायगी के लिए कंपनी के ऋणदाता के द्वारा मौजूदा ऋण के पुनगर्ठन अथवा छूट के मामले/उधार/ऋण/ब्याज आदि के राईट ऑफ है ? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है?	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ऋण पुनर्गठन के लिए सभी ऋणदाताओं से संपर्क किया था और अंतिम ऋण पुनर्गठन समझौते को 2021–22 के दौरान अंतिम रूप दिया / हस्ताक्षरित किया गया था और 10 जून, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे, कंपनी को पुनर्गठन के कारण 3. 94 करोड़ भारतीय रुपये का लाभ हुआ है। और किताबों में इसका ठीक से हिसाब लगाया गया है।
III	क्या केन्द्रीय राज्य एजेंसियों के द्वारा विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम एवं नियम एंव शर्तों के साथ इस्तेमाल होने के लिए उचित तरीके से हिसाब हुआ है । विचलन में मामलों की सूची बनायें ।	ऐसा कोई मामला नहीं है ।

ईआरपी प्रणाली में मैन्यूली पारित लेन–देन की सूची

क्रम सं.	लेखा क्षेत्र	लेखा गतिविधि	अखंडता एवं वित्तीय सभावनाओं पर प्रभाव
1	आईजीसी सहित खुदरा वस्तु की बिक्री	खुदरा व्यापार में माल की बिक्री एवं स्वतंत्र साफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है, जिसमें डेटा, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना, ईआरपी में स्वचालित रूप से एकीकृत नहीं होता है	कोई नहीं
2	समापन सूची	कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर समापन वस्तु सूची की कीमत मैन्यूली लगायी जाती है और जर्नल वाउचर के ईआरपी में प्रविष्ट की जाती है	कोई नहीं
3	मूल्यह्रास	कपंनी अधिनिय 2013 की अनुसूची iii में निर्दिश्ट के अनुसार मूल्यह्रास की गणना मैन्यूली की जाती है और सिस्टम में जर्नल वाउचर के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
4	हेजिंगं प्रविष्टयां	प्रतिरक्षा/बचाव के लिए लेखा प्रविश्टियां मैन्यूली पास की जाती है और प्रत्येक अवधि के समापन में ईआरपी प्रणाली में जर्नल वाउचर के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
5	महीने की समाप्ति में खर्च का प्रावधान	प्रक्रिया मैन्यूली की जाती है और जर्नल वाउचर से ईआरपी में प्रविष्टि की जाता है ।	कोई नहीं

कृते **एम एल पुरी एण्ड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2022
यूडीआईएन 22095584AMPTHP6700

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

2021–22 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	योग्य राय	
1.	हम संलग्न वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए अनंतिम मासिक सूचना विवरण के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या मौजूदा परिसंपत्तियों के विवरण दाखिल किए जाते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार, डिवीजन II की अनुसूची III में संशोधन के संबंध में कंपनी को पुस्तकों के साथ समझौते में बयानों के तिमाही मिलान का खुलासा करना आवश्यक है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कारोबार की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए इन बयानों का मिलान नहीं किया जा सका और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगति है तो उसे निर्धारित नहीं किया जा सका। इस प्रकार आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है	एमएमटीसी ने बैंकों के साथ एकमुश्त ऋण पुनर्गठन किया है। एनआईएनएल विनिवेश के बाद बैंक देनदारियों का निर्वहन किया गया है। तदनुसार भविष्य में स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि एमओसी के निर्देशों के अनुसार एमएमटीसी व्यवसाय को बिल्कुल कम/बंद कर दिया गया है और इस स्तर पर उन्हें बैंक ऋण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।
2.	हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 35 (डी) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 1.13 करोड़ रुपये की संदिग्ध वसूली योग्य राशि के लिए कई प्रावधान हैं, पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता के कारण इन शेष राशि का वसूली योग्यता मूल्यांकन नहीं किया जा सका। कंपनी ने इस तरह के शेष की वसूली क्षमता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक नोट शुरू किया है। प्रबंधन के अनुसार ये प्रावधान एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया शेष से संबंधित हैं और इन खातों की वसूली के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी आंतरिक दिशानिर्देश की अनुपलब्धता के कारण इन प्रावधानों को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। तदनुसार, प्रावधानों और संबंधित वसूली योग्य शेष राशि को 1.13 करोड़ कम कर दिया गया होता।	ये मामले दो दशक से अधिक पुराने हैं और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। मामले को चालू वित्तीय वर्ष में बीओडी में ले जाया जाएगा। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं
3.	हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 39 (एफ) (ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर–पूर्व लाभ का 1.5% ("पीबीटी") की देयता (बंद समूह) को शामिल नहीं किया गया है, भले ही कंपनी ने अफोडिबिलिटी के अनुसार 120.60 करोड़, रू. के कर–पूर्व लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से फॉर्म पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) उपलब्ध नहीं कराया है। वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपर्युक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नही करना अधिनियम की धारा 133 के तहत इसे निर्धारित लेखांकन मानकों से अलग करती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित 1.81 करोड़ रू. की राशि (पीबीटी का 1.5%) और 3.29 करोड़ रू. (बेसिक और डीए का 4.5%), का लेखा मानकों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबी के लिए 5.10 करोड रू. का प्रावधान बढ़ा दिया गया होता और शुद्ध आय और शेयरधारकों का फंड दी गई राशि से कम हो गई होता।	मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामर्थ्य और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डीपीई दिशानिर्देश लाभ के आधार पर योगदान (पीबीटी) प्रदान करता है। तदनुसार, कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से कम करने/बंद करने के मद्देनजर इस स्तर पर प्रावधान नहीं किया जायेगा। सीएजी ने इस मुद्दे पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है।

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	योग्य राय	
	प्रमुख आडिट मामले	
1.	उन दावों पर नोट संख्या 33 देखें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें लंबित कानूनी मामलों के कारण दावे शामिल हैं। विभिन्न अधिनिर्णय प्राधिकरणों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन शामिल है। उस विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को चलाने के लिए कंपनी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालांकि, कई मामलों में कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर कानूनी मामलों को निपटाया जाता है जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी/लेनदेन क्षे.का. स्तर पर निपटाए जाते हैं, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। **लेखापरीक्षकों का उत्तरः** हमने 31 मार्च 2022 को कॉरपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा देखे जा रहे सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची प्राप्त की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट मिला। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता के लिए एक ही स्थान पर कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व, यदि कोई हो, रखें।	सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (सीपीसी) के अनुसार कानूनी मामलों की संस्था अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से इस आधार पर निर्धारित किया जाता है: ए) आर्थिक मूल्य बी) न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सी) विषय वस्तु इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में वाद वहां स्थापित किया जाता है जहां अचल संपत्ति स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय जिसने एक विशेष समझौते को निष्पादित किया है और जो अभिलेखों का रक्षक है, अदालत के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त और उपयुक्त है। हालाँकि जब मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचते हैं, तो मामले को कॉर्पोरेट कार्यालय में निपटाया जाता है। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। आरओ/एसआरओ के बंद होने की स्थिति में चल रहे कानूनी मामलों की देखरेख के लिए न्यूनतम कर्मचारियों वाले कैंप कार्यालयों को बनाए रखा जाएगा
	मामलों पर जोर	
1.	**पुनर्गठन और ऋण पुनर्भुगतान में चूक** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने कोविड–19 से संबंधित परेशानियों के समाधान के लिए सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2020–21/16 डीओआर नं.बीपी/बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया था।, ऋण को 08.06.2021 को फिर से पुनर्गठित किया गया, जिसमें देय तिथि 30 दिनों की समीक्षा अवधि के साथ ऋण और ब्याज अदायगी 30.03.2022 थी। कुल बकाया बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान मुख्य रूप से एनआईएनएल विनिवेश से 29.04.2022 को या उससे पहले (30.03.2022 के बाद 30 दिनों की समीक्षा अवधि) एक बार में किया जाना था। चूंकि एनआईएनएल के विनिवेश आय की प्राप्ति न होने के कारण देय तिथि/समीक्षा अवधि पर ब्याज सहित बैंक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाते को ऋण पुनर्गठन की तारीख 08.06.2021 से सब–स्टेंडर्ड/एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया है। ऋण पुनर्गठन समझौतों और अन्य विधानों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू थे और डिफॉल्ट राशि पर दंडात्मक/कार्ड दर से ब्याज लगाया जाना था। 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रू. की राशि मूलधन और 31.3.2022 तक सामान्य सहमत ब्याज के लिए भुगतान किया गया है। इसके अलावा 6.7.2022 को विवरण प्राप्त किया गया है और ऋणदाताओं ने पूर्ण ऋण शेष राशि के भुगतान की तारीख तक 1.4.2022 से केवल दंडात्मक ब्याज के साथ विवरण प्रदान किया है। कंपनी ने 07.07.2022 को आयोजित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक "जेएलएम" के दौरान ऋणदाताओं के साथ 01.04.2022 से पहले के दंड/कार्ड दर शुल्क सहित सभी दंड और अन्य शुल्कों को माफ करने का मुद्दा उठाया है।	4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये की राशि मूलधन और 31.3.2022 तक सामान्य सहमत ब्याज के लिए भुगतान की गई है। कंपनी ने मूलधन और सामान्य ब्याज का भुगतान किया है और दंडात्मक ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, अन्य शुल्कों में छूट के लिए ऋणदाताओं के साथ सकारात्मक रूप से विचार किया है। ब्याज और आरटीआर से संबंधित 111.24 करोड़ रुपये की राशि 22 जून तिमाही में दर्ज की गई है, जिसमें से 50.30 करोड़ रुपये 1.4.2022 से 6.7.2022 तक सामान्य ब्याज से संबंधित है और शेष राशि 60.94 करोड़ रुपये ब्याज के प्रावधान से संबंधित है। और आरटीआर चालू है। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

पैरा सं.	मामलों पर जोर	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	योग्य राय	
2.	सेबी के विनियम 33 का अनुपालन नही होना हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 33 (vi) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा सेबी के विनियम 33 का अनुपालन नही होने पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू. की आकस्मिक देयता बनाई है। प्रबंधन इन मांगों को माफ कराने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।	कंपनी ने सेबी के विनियम 33 के अनुपालन नही होने पर मांग में छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ मामला उठाया है। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

Coal & Hydrocarbons Projects & Engineering Exports • PMD Retail
Minerals • Precious Metals • Metals & Industrial Raw Materials • Agro Products • Fertilizers

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(करोड़ रु)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को	31.03.2021 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	30.57	34.39
संपत्ति,उपयोग का अधिकार	3	2.97	3.35
कार्यशील पूंजीगत	3	-	-
निवेश संपत्ति	4	3.71	3.88
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0.24	0.39
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6A	31.62	22.83
व्यापार प्राप्य	7A	-	-
ऋण	8	2.28	3.50
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	45.36	47.47
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	214.41	555.44
चालू गैर–चालू परिसंपत्तियां	11A	24.04	24.59
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	29.79	45.64
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	-	-
व्यापार प्राप्य	7B	135.10	555.69
नगद तथा नगद समतुल्य	13	43.36	132.71
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	17.46	33.21
ऋण	8	1.00	1.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	8.82	26.62
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	3.61	2.64
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	3,709.51	3,546.10
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6C	459.11	466.95
कुल परिसंपत्तियां		4,762.96	5,506.76
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	150.00	150.00
अन्य इक्विटी	16B	43.40	272.46
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
लीज देयताएं	19A	3.46	3.61
प्रावधान	20A	37.40	44.03
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताए			
उधार	17B	2,551.44	2,364.01
व्यापार प्राप्य			
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय	18	0.18	0.03
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग बकाया देय देनदारी		269.71	764.98
लीज देयताएं	19B	0.13	0.35
अन्य वित्तीय देयताएं	19C	218.45	208.47
अन्य वर्तमान देयताएं	21	385.54	772.23
प्रावधान	20B	1,081.75	926.59
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	21.50	-
कुल इक्विटी और देयता		4,762.96	5,506.76

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणीयों को देखें 1 to 55

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 06961483

(विभू नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(करोड़ रु)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	8,393.29	26,381.61
अन्य आय	24	54.44	42.19
कुल आय (I)		8,447.73	26,423.80
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	107.40	75.51
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	7,284.64	24,948.63
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन में परिवर्तन	27	11.76	161.85
कर्मचारी लाभ व्यय	28	114.42	135.04
वित्तीय लागत	29	205.94	198.48
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	4.57	4.94
अन्य खर्च	31	443.20	1,116.39
कुल खर्च (II)		8,171.93	26,640.84
असाधारण मदों तथा टैक्स (I-II) से पूर्व लाभ /(हानि)		275.80	(217.04)
असाधारण मदें –व्यय/(आय)	32	155.20	877.17
कर पूर्व लाभ		120.60	(1,094.22)
कर व्यय	33		
वर्तमान कर		21.50	-
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		-	0.07
आस्थगित कर		341.03	(324.60)
कुल कर व्यय		362.53	(324.53)
वर्ष के लिए लाभ (ए)		(241.93)	(769.69)
अन्य व्यापक आय			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
.परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		11.90	6.93
.अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स		0.97	1.07
कुल अन्य व्यापक आय नेट आफ टेक्सर (बी)		12.87	8.00
कुल अन्य व्यापक आय (हानि)नेट आफ (बी)		(229.06)	(761.69)
प्रति इक्विटी भोयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड (में)	43	(1.61)	(5.13)

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
तथा उसकी ओर से
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर. सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 06961483

(विभू नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(करोड़ रु)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ/हानि		120.60		(1,094.22)
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	0.01		1.59	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	4.57		4.94	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	4.36		(11.95)	
पीपीई और संपत्ति के उपयोग के अधिकार की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(0.04)		(1.38)	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.01		-	
ब्याज आय	(4.30)		(4.68)	
लाभांश आय	(37.26)		(28.71)	
वित लागत	205.83		197.99	
लीज पर ब्याज खर्च	0.11		0.49	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/ दावे	0.02		5.80	
सीएसआर व्यय	0.05		0.89	
संदिग्ध ऋणों/ दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	1.05		1.06	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(23.22)		(0.30)	
रिटन बैक देयताएं	(9.15)		(4.38)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	-		0.08	
		142.04		161.46
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**262.64**		**(932.75)**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	15.84		170.51	
व्यापार प्राप्ति योग्य	438.48		1,367.33	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	21.50		5.05	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	(147.12)		(92.81)	
व्यापार प्राप्य	(486.06)		113.90	
अन्य वित्तीय देयताएं	9.61		7.26	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	(386.70)		73.70	
प्रावधान	160.39	(374.06)	879.34	2,524.28
		(111.42)		(1,591.52)
प्रदत्त कर		(0.97)		8.74
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		(112.39)		1,600.26
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(0.05)		(0.49)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.04		2.61	
निवेश की बिक्री/खरीद	0.00		0.02	
प्राप्त किया गया ब्याज	4.30		4.68	
प्राप्त किया गया लाभांश	37.26	41.55	28.71	35.53
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		41.55		35.53
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	187.43		(1,367.87)	
वित्त लागत	(205.83)		(197.99)	
लीज (ब्याज)	(0.11)		(0.49)	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर)	-	(18.51)	-	(1,566.36)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		(18.51)		(1,566.36)
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		(89.35)		69.44
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		132.71		63.27
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		43.36		132.71

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विशय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में एकूअल और डेफटल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है :–

(करोड़ रु)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
बैंकों में उपलब्ध शेश		
(ए) चालू खाते में	6.76	40.64
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	15.57	57.92
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेश	20.96	33.99
उपलब्ध चेक /ड्राफ्ट/स्टाम्प	0.00	0.00
उपलब्ध चेक /ड्राफ्ट/स्टाम्प	0.07	0.16
कुल	43.36	132.71

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
तथा उसकी ओर से
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 06961483

(विमू नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भोयरों की संख्या	राशि
01.04.2021 तक शेष	1,500,000,000	150.00
वर्श के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भोयरों की संख्या	राशि
01.04.2021 तक शेश	1,500,000,000	100.00
वर्श के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष	1,500,000,000	150.00

बी. 31 मार्च, 2022 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर भोयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2021 को शेष	-	-	596.97	(308.86)	(8.93)	-	-	(6.72)	272.46
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्श के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(241.93)	0.97	-	-	11.90	(229.06)
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2022 को शेष	-	-	596.97	(550.79)	(7.96)	-	-	5.18	43.40

31 मार्च, 2021 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर भोयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2020 को शेष	-	-	596.97	460.83	(10.00)	-	-	(13.65)	1,034.15
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्श के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(769.69)	1.07	-	-	6.93	(761.69)
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2021 को शेष	-	-	596.97	(308.86)	(8.93)	-	-	(6.72)	272.46

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश **(करोड़ रुपए में)**

	31 मार्च, 2022 को	**31 मार्च, 2021 को**
प्रस्तावित लाभांश	.	.

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ्आर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बीएन दास)**	**(कपिल कुमार गुप्ता)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 095584	एसीएस–13691		डीआईएन : 08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 06961483

(विभू नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूश्नल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृशि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदिका व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राश्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूप्ए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो

परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओ और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निषपादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इस पर अपना आधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी!

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता है: सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

i) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

ii) दावे

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्व संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iii) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निश्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

iv) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविश्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

v) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निषपादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तो:

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल है:

(I) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

(II) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(III) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेश अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है। जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो । प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को ''उपयोग के लिए उपलब्ध''है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट/वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
कारपेटिड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
इमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस/गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	5
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन(अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	**5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो**

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबंद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेश प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ

या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वपूर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गों के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाशित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

ii) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात :

I) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्शिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेश स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेश रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्श के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

I) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्श स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में <u>विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है।</u>

ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूशणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेश रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की

उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है।

ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निषपादन करती है, जो निम्नानुसार हैः–

i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

ii) जब कंपनी पटटाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पटटे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पटटे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जाता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पटटा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पटटा देयता का मूल्यांकन पटटा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए करेरिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पटटे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है ।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इंडस्ट्रीज़ ।–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

I) ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना पंरसिपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्श के राजस्व में लिया जाता है।

v) एक परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा !

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभाावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है!

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्श इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर आरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वगीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

ii *गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज*

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।
- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (डि– रिकाग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है:–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें

संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) *अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज*

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउंटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान त्तकाल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ़ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2021 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि हानि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2022 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2021 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	1.07	0.11	0.02	-	0.13	0.94	0.96
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.85	-	-	1.85	0.78	0.22	-	1.00	0.85	1.07
भवन										
– कार्यालय भवन	6.45	-	--	6.45	0.94	0.16	-	1.10	5.34	5.51
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.21	0.03	-	1.24	0.22	0.04	-	0.26	0.99	0.99
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.05	0.00	-	0.05	0.01	0.01
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.07	-	-	3.07	1.95	0.06	-	2.01	1.06	1.12
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	0.02	0.02	0.00	-	0.02	0.01	0.01
– ऑडियो/फायर/एयरकंडिशिनिंग	0.06	-	-	0.06	0.05	0.00	-	0.06	0.00	0.01
प्लांट एवं उपकरण	40.60	-	(0.01)	40.59	17.85	2.89	(0.01)	20.73	19.86	22.75
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स										
– पार्टिशंस	0.39	-	(0.00)	0.38	0.36	0.01	(0.00)	0.36	0.02	0.03
– अन्य	1.48	-	(0.02)	1.47	0.69	0.14	(0.01)	0.82	0.65	0.80
वाहन	0.48	-	-	0.48	0.28	0.06	0.00	0.34	0.14	0.20
कार्यालय उपकरण	1.81	0.02	(0.11)	1.71	1.58	0.13	(0.12)	1.59	0.12	0.23
अन्य :										
रेलवे वैगन रेक	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
बीएन7एचटी पर रेलवे लूप लाइन	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.29	0.00	(0.02)	2.28	2.07	0.14	(0.01)	2.20	0.08	0.23
कुल	61.34	0.05	(0.16)	61.23	26.95	3.87	(0.16)	30.66	30.57	34.39
गत वर्ष	62.23	0.21	(1.10)	61.34	23.58	4.07	(0.71)	26.95	34.39	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	5.06	0.01	-	5.07	1.71	0.39	-	2.10	2.97	3.35
गत वर्ष	6.07	0.14	(1.15)	5.06	1.60	0.42	(0.30)	1.71	3.35	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्श 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्श के दौरान हुई शून्य रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

(सी) एमएमटीसी की ₹1515. 96 करोड़ (मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 के अनुसार) की 36 संपत्तियों के मूल शीर्षक पत्र रजिस्ट्रार जनरल, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा किए गए निर्देशों के आधार पर दिनांक 22/04/2019 और 22/05/2019 के आदेश के आधार पर जमा किए गए हैं।

4. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	4.88	4.88
वृद्धि	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	4.88	4.88
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	1.00	0.84
वृद्धि	0.16	0.16
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	1.17	1.00
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	3.71	3.88

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में पहचान की गई राशियां हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
किराया आय	**1.50**	**1.50**
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**1.50**	**1.50**
मूल्यह्रास	**0.08**	**0.08**
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.42**	**1.42**

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :—

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
एक वर्ष के अंदर	1.81	-
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	2.50	-
पांच वर्ष के बाद	2.15	-
कुल	6.46	0.00

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 110.15 करोड़ (पिछले वर्ष 107.63 करोड़ रु) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2021 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान / समायोजन	01 अप्रैल 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2022 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2021 को नेट कैरिंग मूल्य
कंप्यूटर साफ्टवयर	4.23	-	-	4.23	3.85	0.15	-	4.00	0.24	0.39
पिछले वर्ष	4.11	0.13	-	4.23	3.55	0.29	-	3.84	0.39	

6. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए). अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश –				
(i)सहायक कंपनी				
अनकोटिड				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 1461502 (पिछले वर्ष 1461502) प्रत्येक 1 सिंगापुर डालर का पूर्णप्रदत्त इक्विटी शेयर		3.14		3.14
(ii) संयुक्त उपक्रम				
अनकोटिड				
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10/–रूपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष 2987400)	2.99		2.99	
जमा/(कमी) : निवेश मूल्य में कमी	(2.99)	0.00	(2.99)	0.00
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000) ।	0.01			0.01
जमा/(कमी) : निवेश मूल्य में कमी	(0.01)	0.00		
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17446000 **पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000) ।**		17.45		17.45
iii) अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 116883 (गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक ।	3.00		3.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	8.03	11.03	(0.77)	2.23
अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	4.75		4.75	
जमा/(घटाएं): निवेष के मूल्य में कमी	(4.75)	0.00	(4.75)	0.00
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कुल निवेश		31.62		22.83

* वर्ष के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने राशन 2:1 में बोनस शेयर जारी किया, तदनुसार शेयरों की संख्या बढ़कर 116883 (पी.वाई. 38961) हो गई।

(₹ करोड़ में)

कुल गैर चालू निवेश (सकल)		-		-
	सकल राशि	**बाजार मूल्य**	**सकल राशि**	**बाजार मूल्य**
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य	3.00	11.03	3.00	2.23
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	28.33	-	28.33	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	7.74	-	7.74	-

विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022	
बी) चालू निवेश	-	-	-	-

विवरण (सी) बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू निवेश	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश				
संयुक्त उपक्रम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य		459.11		459.11
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000)	33.80		33.80	-
जमा/(कमी):लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	(33.80)	-	(33.80)	
अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– **मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000)**	16.00		16.00	
जमा/(कमी):अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	(16.00)	-	(8.16)	7.84
बिक्री के लिए रखा गया कुल निवेश		459.11		466.95

I. अनुषंगियों और संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी लिखतों में सभी गैर–वर्तमान निवेश के मूल्य में कम हानि, यदि कोई हो, पर किए जाते हैं। दूसरों के इक्विटी लिखतों में निवेश उचित मूल्य पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार पोर्ट पर लौह अयस्क टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम,सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 26% इक्विटी के लिए ₹33.80 करोड़ (P.Y ₹ 33.80 करोड़) का निवेश किया था। टर्मिनल का निर्माण नवंबर 2010 तक पूरा हो गया था, इसे खनन, परिवहन और लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण चालू नहीं किया जा सका। नियत निविदा प्रक्रिया के बाद, कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) ने एसआईओटीएल को आवश्यक संशोधनों के लिए आम उपयोगकर्ता कोयले को संभालने की अनुमति दी है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने 14.09.16 को आयोजित अपनी 428वीं बैठक के दौरान जेवी से खुली निविदा तंत्र के माध्यम से एमएमटीसी के बाहर निकलने को मंजूरी दी। तदनुसार, एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गईं। निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, प्रमुख प्रमोटर (अर्थात मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड) ने एमएमटीसी की इक्विटी को ₹ 34.26 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और समझौते के अनुसार मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने समझौते के प्रदर्शन के लिए एमएमटीसी के पास ₹ 0.50 करोड़ जमा किए हैं। एसपीए की शर्तों के अनुसार, मेसर्स एसआईओटीएल ने एनओसी/एमएमटीसी के संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की अनुमति के लिए मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड को आवेदन किया। एनओसी अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई थी। हालांकि, अभी तक शेष भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर खरीद मूल्य की प्राप्ति में देरी और मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, एसआईओटीएल पर निवेश के मूल्य में हानि के लिए ₹ 33.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में दिखाया गया है।

केपीएल ने 21.12.2020 को एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। कंपनी ने 24.06.2021 को केपीएल द्वारा जारी टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा, इस याचिका को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिट अदालत के समक्ष चलने योग्य नहीं है। एमएमटीसी ने दिनांक 30.11.2021 के आक्षेपित निर्णय आदेश को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है। इस मामले को एएमआरसीडी तक ले जाने और निवेश राशि की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों की संभावना तलाशी जा रही है। इस बीच, एसआईओटीएल की मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। कंपनी (एमएमटीसी) ने सिकल लॉजिस्टिक्स के सीआईआरपी के पास ₹ 34.26 करोड़ का दावा दर्ज कराया। एसआईओटीएल में निवेश की सुरक्षा के लिए, मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स ने आईबीए/73/2020 की मुख्य सीआईआरपी कार्यवाही में आईए/574/सीई/2021 के समान एक समान आवेदन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यवाही में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, एमएमटीसी ने एक पक्ष के रूप में पक्षकार होने और किसी भी आदेश के पारित होने से पहले सुनवाई के लिए आईए/686/सीई/2021 के रूप में एक आवेदन दायर किया। आदेश दिनांक 11.03.2022 के द्वारा, एनसीएलटी चेन्नई ने क्षेत्राधिकार के अभाव में सिकाल के आईए/574/सीएचई/2021 को खारिज कर दिया। तदनुसार, आईए/574/पीएस/2021 में एमएमटीसी का आवेदन आईए/686/सीई/2021 बंद हो गया है। मेसर्स एसआईओटीएल के दो लेनदारों (1. मेसर्स पोर्टमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई 2. मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, मुंबई) ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत एनसीएलटी में एसआईओटीएल के खिलाफ

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। आदेश दिनांक 01.03.2022, एनसीएलटी चेन्नई ने उनके आवेदन स्वीकार कर लिए हैं और दोनों मामलों के लिए एक ही आईआरपी नियुक्त किया है।

iii. भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। दीपम के जरिए विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' निवेश के रूप में दिखाया गया है।

iv. एमएमटीसी ने 2009–10 के दौरान आईसीईएक्स में ₹ 26 करोड़ (5.20 करोड़ इक्विटी शेयर ₹ 5 अंकित मूल्य) का निवेश किया था। आईसीईएक्स की आरंभिक इक्विटी पूंजी ₹ 100 करोड़ थी जिसे बाद में बढ़ाकर ₹ 266.75 करोड़ कर दिया गया। हालांकि बाद में एमएमटीसी ने 2015–16 में ₹10 प्रति शेयर की दर से 2 करोड़ शेयर का विनिवेश किया। इस विनिवेश के बाद एमएमटीसी की शेयरधारिता घटकर ₹ 16 करोड़ (3.20 करोड़ शेयर / ₹ 5 अंकित मूल्य) हो गई जो कि ₹ 266.75 करोड़ की कुल शेयर पूंजी का 6 प्रतिशत है। बाद में आईसीईएक्स के निवल मूल्य के क्षरण के कारण एमएमटीसी ने 2019–20 और 2021–22 में क्रमशः ₹ 8.16 करोड़ और ₹ 7.84 करोड़ का उचित मूल्य समायोजन प्रदान किया। इस तरह के समायोजन के बाद खातों की किताबों में शेयर मूल्य 31.03.2022 (पी.वाई. ₹ 7.84 करोड़) को शून्य करोड़ रुपये है।

आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर 31.03.2022 को भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफ़पी) आमंत्रित किया है और तदनुसार 31.3.2022 को निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में दिखाया गया है।

सेबी ने एसईसीसी विनियम, 2018 के अनुसार शेयरधारिता की सीमा का अनुपालन करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक अतिरिक्त समय सीमा प्रदान की थी। एमएमटीसी ने सेबी से एसईसीसी विनियमों के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, हालांकि, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 10.05.2022 को आदेश पारित किया और 18.05.2022 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया। हालाँकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अपने आदेश दिनांक 13 जून 2022 द्वारा आईसीईएक्स की मान्यता रद्द करने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है।

7 . प्राप्य व्यापार (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(i) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	102.47	538.22
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	32.63	17.47
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	390.12	390.02
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	390.12	390.02
अनुयोग	135.10	555.69
कुल	135.10	555.69
गैर–चालू (ए)	-	-
चालू (बी)	135.10	555.69
कुल	135.10	555.69

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है से शून्य राशि देय है (पिछले वर्ष शून्य रू)।

संदर्भ नोट सं. 37.3 (बी) उम्र बढ़ने के लिए।

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	390.02	388.97
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.10	1.06
वर्ष के दौरान रिवर्सल	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	390.12	390.02

08. ऋण (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.51	1.90	0.62	2.57
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	0.51	1.90	0.62	2.57
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	0.00
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.49	0.38	0.74	0.92
अन्य	-	-	-	0.00
अनुयोग	0.49	0.38	0.74	0.93
क्रेडिट में क्षति				
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
अन्य	0.03	0.14	0.03	0.14
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	0.03	0.14	0.03	0.14
अनुयोग	-	-	-	-
योग	1.00	2.28	1.36	3.50

उपरोक्त में से, कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि ₹ शून्य करोड़ (पी.वाई. ₹ शून्य करोड़) जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है ।

**कर्मचारियों की संपत्ति और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक / उपक्रम द्वारा सुरक्षित।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	-	11.39	-	13.12
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	-	0.19	-	0.22
एनएसईएल से प्राप्य (i)	-	208.25	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	4.40	6.42	5.00	6.26
फारवार्ड संविदा प्राप्य	-	-	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	-	33.53	-	33.53
अन्य अग्रिम	1.85	8.98	(0.05)	8.79
सुरक्षा जमा	4.00	2.13	20.82	2.15
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज/अदेय ब्याज :				
– सावधिक जमा राशि	0.38	-	1.41	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	0.58	6.20	0.55	7.10
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	-	**2.25**	**0.02**	**2.25**
अन्य	-	9.90	-	9.90
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि/स्वीकार्यता	2.39	243.88	1.13	244.09
योग	8.82	45.36	26.62	47.47

(I) एनएसईएल के भुगतान दायित्व के चूक के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूली योग्य ₹ 208.25 करोड़ (पी.वाई. ₹ 208.25 करोड़) का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए पहले ही पूरा प्रावधान किया जा चुका है। कंपनी ने एनएसईएल और अन्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी मुकदमा दायर किया है और सुनवाई जारी है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल के एफटीआईएल के साथ समामेलन के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की संपत्तियों को संलग्न करने वाले एमपीआईडी अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचनाएं वैध हैं।

कंपनी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को एलजे तन्ना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज द्वारा दायर 2014 के सूट नंबर 121 के साथ टैग किया गया है, जो नियमित रूप से माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सीएमआईएस सिस्टम के अनुसार सुनवाई के लिए नहीं आया है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

(ii) वर्ष के दौरान एचएफटीडब्ल्यूपीएल और केएफटीडब्ल्यूपीएल को परियोजना विकास के लिए अग्रिम राशि के एवज में ₹ शून्य करोड़ (पी.वाई. ₹ शून्य करोड़) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2022 को कुल प्रावधान ₹16.30 करोड़ (पी.वाई. ₹ 16.30 करोड़) है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(6.99)	(7.83)
अनुयोग	(6.99)	(7.83)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.30	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम	-	0.02
वीआरएस व्यय	-	3.03
सीएसआर के लिए प्रावधान	-	-
कर हानियों आगे लाई गई*	-	330.69
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	(11.90)	(3.74)
अनुयोग	221.40	563.27
आस्थगित कर संपत्तिया (निवल)	214.41	555.44

आस्थगित कर आस्तियों को कंपनी की संभावित भावी कर योग्य आय के प्रति अपेक्षित उपयोग की सीमा तक मान्यता दी गई है।

*पिछले वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 330.69 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को वित्त वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक संभावित ब्याज आय तक सीमित नुकसान पर एनआईएनएल से विनिवेश आय के माध्यम से प्राप्त किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए एनआईएनएल से ब्याज आय की वसूली की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए ब्याज चालू वर्ष में जलप्रपात समझौते पर हस्ताक्षर और बाद के निर्देशों के आधार पर बुक किया गया है। इसलिए, पूर्व में सृजित ₹ 330.69 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को वापस कर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए चालू और साथ ही पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान आगे ले जाने वाली हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को रूढ़िवादी आधार पर मान्यता नहीं दी है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2022 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(7.83)	0.84	-	(6.99)
अनुयोग	(7.83)	0.84	-	(6.99)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	0.03	-	233.30
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.02	(0.02)	-	0.00
वीआरएस व्यय	3.03	(3.03)	-	0.00
कर हानियों आगे लाई गई	330.69	(330.69)	-	**0.00**
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	(3.74)	(8.16)	-	**(11.90)**
अनुयोग	563.27	(341.87)	-	221.40
कुल	555.44	(341.03)	-	214.41

पहचान की गई आस्थगित कर परिसंपतियां

निम्नलिखित के संबध में आस्थगित कर परिसंपतियां पहचान की गई

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अस्थाई कटौती योग्य अंतर राशि	214.41	555.44
कुल	214.41	555.44

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को आफसेट कर दिया है क्योंकि वे एक ही कानून के अंर्तगत आते हैं।

11. अन्य संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	4.79	4.67
–अन्य अग्रिम	17.03	17.12
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	(18.27)	(18.18)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर	20.45	20.94
–अन्य	0.04	0.04
कुल	24.04	24.59
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–संबंधित पार्टियों को अग्रिम	1,425.00	1,425.01
–संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	2,038.11	2,103.47
–अर्जित ब्याज की वसूली अनिश्चित	-	(547.87)
–अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	0.79	8.38
– अन्य प्राप्य दावे	167.03	165.44
–बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	24.96	294.50
–अन्य अग्रिम	15.30	15.41
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	(3.36)	(3.36)
अन्य		
–देय आयकर रिफंड	3.51	11.12
–देय बिक्री कर रिफंड	14.48	13.75
–देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	4.68	4.68
–देय सेवाकर रिफंड	0.53	0.40
–अन्य	18.48	55.17
कुल	3,709.51	3,546.10

*इसमें ₹ 14.68 करोड़ (पी.वाई. ₹ 20.45 करोड़) विवादाधीन है (नोट संख्या 34 (i) (बी) देखें)

''एनआईएनएल के विनिवेश पर मान्यता प्राप्त ब्याज से संबंधित₹ 547.87 करोड़ की राशि शामिल है (नोट 36 (सी) देखें)।

12. इन्वेंट्रीज (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
कच्चा माल	5.09	5.83
तैयार माल	20.66	22.25
स्टॉक इन ट्रेड	3.65	13.82
रू शून्य करोड. (पिछले वर्ष 2.68 करोड. रूपये)		
मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट		
अन्य – इंवेन्ट्री हेज समायोजन	0.39	3.74
योग	**29.79**	45.64

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) 31 मार्च, 2022 तक पारगमन में माल सहित माल का मूल्यांकन लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ (पी.वाई. ₹ 1.59 करोड़) का नुकसान हुआ है।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) 9036 यूनिट्स (पी.वाई. 9036 यूनिट्स) प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) का मूल्य 1 (पी.वाई.1)
इंड एएस–2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार, लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

(ii) शून्य इकाइयां (पी.वाई. शून्य इकाइयां) प्रमाणन के तहत सीईआर की संख्या।

(iii) उत्सर्जन न्यूनीकरण उपकरण के मूल्यह्रास, ओ एंड एम लागत के कारण ₹ 5.30 करोड़ (पी.वाई 4.91 करोड़ रूपये) की राशि खर्च की गई है।

(डी) व्यापार में स्टॉक में प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत आयातित प्याज से संबंधित मूल्य शून्य (विगत वर्ष शुन्य) पर मूल्य की एक सूची शामिल है। (नोट 36(ई) देखें।)

13. नकद तथा नकद समतुल्य (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	6.76	40.64
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**15.57**	57.92
सी) कैश क्रेडिट अकांउट में डेबिट शेष	20.96	33.99
चैक, ड्राफट ऑन हैंड	0.00	0.00
कैश ऑन हैंड	0.07	0.16
कुल	43.36	132.71

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**16.67**	**23.22**
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	0.79	9.99
कुल	17.46	33.21

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर/टीडीएस	3.61	
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर/टीडीएस	-	2.64
कुल	3.61	2.64

16. ए . इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
		संख्या	संख्या
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण			
	संख्या	2,000,000,000	2,000,000,000
	राशि	200.00	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	1,500,000,000	1,500,000,000
	राशि	150.00	150.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	1,500,000,000	1,500,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या		
घटाए : कटौती	-	-
अंतिम शेष	1,500,000,000	1,500,000,000

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	1,348,903,143	1,348,903,143

प्रोमोटर की शेयरधारिता

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों के द्वारा रखे गए शेयर			वर्ष के दौरान शेयर में परिवर्तन
	शेयर की कुल संख्या	कुल शेयर का प्रतिशत	
– भारत के राष्ट्रपति	1,348,903,143	89.93%	शुन्य

कंपनी के पास शेयर पूंजी का एक वर्ग है, जिसमें प्रत्येक के 1/– के साधारण शेयर शामिल हैं। कंपनी के एसोसिएशन के लेख और लागू कानून के अधीन, कंपनी के साधारण शेयर धारक को कंपनी की आम बैठकों में नोटिस प्राप्त करने और वोट देने का अधिकार प्रदान करते हैं, कंपनी के समापन पर किसी भी अधिशेष संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार, और साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार।

इक्विटी शेयर पूंजी में उतार–चढ़ावः वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति लेने के बाद पारित एक सामान्य प्रस्ताव के अनुसार, 2018–19 के दौरान, कंपनी ने 50 करोड़ इक्विटी शेयरों को 1:2 के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में ₹ 50 करोड़ की राशि के फ्री रिजर्व के पूंजीकरण के रूप में आवंटित किया है। तदनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 150/– करोड़ हो गई है, जिसे ₹ 1/– के 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	596.97	596.97
रिटेंड अर्जन	(550.79)	(308.86)
अन्य व्यापक आय रिजर्व	2.78	(15.65)
कुल अन्य इक्विटी	43.40	272.46

(I) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आरंभिक शेष	-	-
सरप्लस से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	-	-

(ii) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आरंभिक शेष	**596.97**	596.97
सरप्लस/अन्य रिजर्व से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
अंतिम शेष	596.97	596.97

(iii) रिटेंड अर्जन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आरंभिक शेष	**(308.86)**	**460.83**
वर्ष के लिए निवल लाभ	(241.93)	(769.69)
विनियोग :–		
सामान्य रिजर्व	-	-
अंतिम शेष	(550.79)	(308.86)

(iv) अन्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	पुनर्मूल्यांकन – पोस्ट कर्मचारी लाभ योजना	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2020 को	(10.00)	(13.65)	(23.65)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	6.93	6.93
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	1.07	-	1.07
31 मार्च 2021 को	(8.93)	(6.72)	(15.65)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	11.90	11.90
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूयूमेंट्स जमा / (घटा)	0.97	-	0.97
31 मार्च, 2022 को	(7.96)	5.18	(2.78)

17. उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
ए. गैर –चालू		
(I) टर्म लोन		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित	-	-
– असुरक्षित	-	-
कुल	-	-
बी.चालू		
(I) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	192.48	185.20
– असुरक्षित	**2,358.96**	2,178.81
योग	2,551.44	2,364.01

- किसी भी निदेशक या अन्य द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खातों/अन्य के तहत ऋण लिए गए हैं और एक वर्ष के भीतर चुकाने योग्य हैं। मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर प्लस बैंकों के प्रसार पर आधारित है।
- आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई अनंतिम मासिक सूचना प्रणाली के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों के साथ त्रैमासिक विवरणी या चालू परिसंपत्तियों का विवरण दाखिल किया जाता है।

ऋण पुनर्गठन समझौतों के अनुसार, 30 दिनों की समीक्षा अवधि के साथ ऋण और ब्याज चुकौती की देय तिथि 30.03.2022 थी। कुल बकाया बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान 29.04.2022 (30.03.2022 के बाद 30 दिनों की समीक्षा अवधि) पर या उससे पहले एक बार में किया जाना था, मुख्य रूप से एनआईएनएल विनिवेश से क्योंकि बैंक ऋण ब्याज सहित देय तिथि / समीक्षा पर चुकाया नहीं जा सका एनआईएनएल की विनिवेश राशि प्राप्त न होने के कारण सभी ऋणदाता बैंकों के एमएमटीसी खाते को दिनांक 01.04.2015 से अवमानक/एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया है ऋण पुनर्गठन की तिथि 08.06.2021 ऋण पुनर्गठन समझौतों और अन्य कानूनों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान अब लागू हैं। एसबीआई ने सभी खातों को होल्ड पर रख दिया है। एसबीआई ने अपने मेल दिनांक 27.04.2022 के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया था कि यदि भुगतान 29.04.2022 तक नहीं किया जाता है, तो एमएमटीसी खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। ऐसे परिदृश्य में, एनपीए खातों के लिए लागू बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

I. बकाया राशि की वसूली के लिए उपचारात्मक उपाय शुरू करें।
ii. बढ़ाई गई रियायत, यदि कोई हो, वापस ले ली जाएगी और कार्ड दर लागू की जाएगी।
iii. लागू ब्याज दर को कार्ड दर पर रीसेट करें।

इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना भेज दी गई है। 02.05.2022 को एक संयुक्त ऋणदाता की बैठक भी आयोजित की गई थी और एमएमटीसी को जीएमएस ई–नीलामी के संबंध में व्यापार लेनदेन की अनुमति दी गई थी। वैधानिक, उपयोगिता और अन्य आवश्यक भुगतानों को भी जीवित रहने और स्थिति को चालू रखने के लिए अनुमति दी गई थी। बैठक के कार्यवृत्त में यह भी उल्लेख किया गया था कि खाते का डाउनग्रेडिंग आरबीआई के नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार है और संबंधित बैंकों की दंडात्मक ब्याज/कार्ड दर लागू होगी। एनआईएनएल के विनिवेश से प्राप्त राशि की वसूली में उचित मात्रा में निश्चितता को ध्यान में रखते हुए, ऋणदाता बैंकों का अभी तक वसूली प्रक्रिया के लिए कोई कानूनी कार्रवाई/अन्य उपचारात्मक उपाय शुरू करने का इरादा नहीं था।

एमएमटीसी लंबे समय से नकदी संकट का सामना कर रही है। एमएमटीसी बैंक की सीमा मुख्य रूप से 2019–20 तक समाप्त हो गई थी, जिसमें एनआईएनएल आदि को कार्यशील पूंजी/ऋण प्रदान करने के लिए एमएमटीसी आंतरिक संसाधन शामिल थे। दीपम/आईएमजी के अनुसार वर्तमान में एमएमटीसी देनदारियां 31.03.2021 को रोकी गई हैं। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एमएमटीसी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया। कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए आरबीआई/2020–21/16 डीओआर सं. बीपी/बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020। ऋण समाधान योजना को सभी ऋणदाता बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 1.4.2015 से लागू किया गया था। 08.06.2021 समाधान योजना के क्रियान्वयन की तिथि को बकाया ऋण की मूल राशि रुपये 2272.25 करोड़ थी। आवश्यक जानकारी और / रिकॉर्ड बैंकों के साथ साझा किए गए थे और बाद में कंपनी और ऋणदाता बैंकों ने 08.06.2021 को मास्टर ऋण समाधान समझौते (एमडीआरए), ट्रस्ट और प्रतिधारण खाता समझौते (टीआरए) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। डीओसी को सभी घटनाओं के बारे में सूचित किया गया था। /मुद्दों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार। ऋण पुनर्गठन के कार्यान्वयन के बाद, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाता नियमित/मानक बना रहा। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके, ऋणदाताओं ने डिफ़ॉल्ट की मौजूदा घटना को माफ कर दिया और आईबीसी के तहत कोई

नागरिक कार्रवाई या कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस योजना के तहत, कंपनी को एसबीआई के लिए 08.12.2021 तक और अन्य बैंकों के लिए 31.03.2022 तक और सभी बैंकों के लिए 31.03.2022 तक मूलधन के लिए ब्याज की वसूली पर अधिस्थगन / मोहलत मिली है। एमएमटीसी ने कर्नाटक बैंक को भुगतान करना जारी रखा और 21 दिसंबर/22 जनवरी से एसबीआई के ब्याज का भुगतान करना शुरू कर दिया। एमएमटीसी देय तिथि यानी 30.03.2022 और समीक्षा अवधि के भीतर 29.04.2022 तक बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण एनआईएनएल की आय की प्राप्ति में देरी और व्यापार में भारी कमी के परिणामस्वरूप व्यापार आय नगण्य हो गई। परिणामस्वरूप, 08.06.2021 से सभी ऋणदाता बैंकों के एमएमटीसी खाते को घटिया/एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया। ऋण पुनर्गठन की तिथि। एमएमटीसी ने इस संबंध में बैंकों से कई अनुरोध किए थे और एसई/डीओसी/डीएफएस/दीपम को भी सूचित किया था। अनुरोध/बैंकों के साथ बैठक करके एनपीए के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के अस्तित्व के लिए वैधानिक, उपयोगिता और अन्य आवश्यक भुगतान और कुछ व्यावसायिक लेनदेन की अनुमति दी। अपेक्षित एनआईएनएल विनिवेश प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, ऋणदाता बैंकों का अभी तक वसूली प्रक्रिया के लिए कोई कानूनी कार्रवाई/अन्य उपचारात्मक उपाय शुरू करने का इरादा नहीं था।

4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश राशि प्राप्त होने के परिणामस्वरूप 31.3.2022 को 31.3.2022 को मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के रूप में 2551.44 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 6.7.2022 को विवरण प्राप्त किया गया है और उधारदाताओं ने केवल 1.4.2022 के बाद से दंडात्मक ब्याज के साथ विवरण प्रदान किया है, लेकिन कंपनी ने केवल सामान्य ब्याज का भुगतान किया है और दंडात्मक ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, अन्य अतिरिक्त शुल्कों को माफ करने के लिए उधारदाताओं के साथ लिया है। कंपनी को छूट की उम्मीद है और 6.7.2022 को 1.4.2022 से 6.7.2022 तक सामान्य दर पर ब्याज के रूप में 1 50.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

18. व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
बी. चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 45 का संदर्भ ले)	0.18	0.03
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**269.70**	**764.20**
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया (टिप्पणी 45 का संदर्भ ले)	-	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.02**	**0.78**
कुल	269.90	765.01

अवधि बढ़ने के लिए नोट 37.3 (सी) देखें।

19. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
ए. गैर चालू		
लीज	3.46	3.61
कुल	3.46	3.61
बी –वर्तमान		
लीज	0.13	0.35
कुल	0.13	0.35

19 सी. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वर्तमान		
देय – व्यापार के अलावा		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 45 का संदर्भ ले)	**0.10**	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	15.70	14.79
देय डिस्पेच/डेमरेज	**2.43**	3.95
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**11.79**	8.33
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**1.99**	2.02
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**12.83**	43.57
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.19**	0.22
देय दावे	**41.40**	47.20
अन्य	**132.02**	88.39
कुल	218.45	208.47

20. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**15.39**	13.12
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.07**	0.09
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	(1.02)	5.22
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	0.05	1.32
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**16.60**	16.29
ई) सेवा अवार्ड	**2.87**	3.41
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	2.37	3.11
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**1.07**	1.47
कुल	**37.40**	44.03
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	3.17	2.89
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	0.03	0.03
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	(1.18)	0.28
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	3.83	2.49
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	3.55	4.30
ई) ग्रेच्युटी	0.15	8.41
एफ) सेवानिवृत्ति लाभ	0.71	0.94
जी) सेवा अवॉर्ड	3.25	17.46
एच) बोनस/कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन	0.43	0.52
आई) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	0.42	0.38
अनुयोग	14.**36**	37.**70**
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	-	0.08
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	1,067.39	888.81
अनुयोग	1,067.39	888.89
कुल	1,081.75	926.59

* इसमें एंगलो कोल लिटिगेशन से संबंधित (नोट 32 का संदर्भ लें)(i) राशि विदेशी मद्रा विचलन के आधरपर 1054.87 करोड रू. (गत वर्ष 877.43करोड रू.)की राशि शामिल है

21. अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	352.14	418.68
सांविधिक भुगतान योग्य देय	6.24	57.92
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	24.96	294.50
अन्य	2.20	1.13
कुल	385.54	772.23

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए देय आयकर	21.50	-
कुल	21.50	-

23. प्रचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	7,836.28	26,361.59
सेवाओं की बिक्री	**4.50**	2.91
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**0.15**	25.90
–अर्जित डिस्पैच	**-**	-
–अन्य व्यापार आय	**552.36**	(8.79)
कुल	8,393.29	26,381.61

24. अन्य आय (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	2.93	4.02
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	0.00	0.15
– अन्य	1.37	1.05
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	37.18	28.64
– अन्य से	0.08	0.07
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	0.71	0.70
– रिटन बैक देयताएं	9.15	4.38
– विविध प्राप्तियॉं	3.02	3.18
कुल	54.44	42.19

25. प्रयुक्त माल की लागत (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	5.83	11.31
जोड़ें : क्रय से अंतरण	106.66	70.30
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	5.09	6.10
प्रयुक्त माल की लागत	107.40	75.51
उपभोग वस्तुएँ	-	-

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
क. **क्रय**				
बहुमूल्य धातुएं		5,480.78		12,803.89
धातुएं		27.45		93.41
उर्वरक		1,449.73		9,156.43
खनिज		24.66		1,748.75
कृषि उत्पाद		72.76		638.80
कोयला व हाईड्रोकार्बन		200.92		480.81
अन्य	28.38		26.63	
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया)				
बहुमूल्य धातुएं		(0.04)		(0.09)
कुल		7,284.64		24,948.63

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**22.25**	43.38
अंतिम शेष	**20.67**	22.58
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**1.58**	**20.80**
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**13.83**	155.86
अंतिम शेष	**3.65**	14.81
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**10.17**	**141.05**
निवल (वृद्धि)/कमी)	**11.76**	**161.85**

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**87.68**	101.22
छुट्टी नकदीकरण	**8.18**	7.81
बोनस	**0.04**	0.05
चिकित्सा व्यय	**3.09**	6.95
ग्रुप बीमा	**-**	0.00
वी आर खर्चे	**0.00**	0.00
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
भविष्य निधि	**8.13**	8.88
ग्रेच्युटी निधि	**2.01**	4.01
परिवार पेंशन योजना	**0.73**	0.84
अधिवर्षिता लाभ	**4.06**	4.56
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**0.50**	0.72
कुल	**114.42**	135.04

(I) पीआरपी उद्देश्य के लिए कंपनी के लाभ की गणना लेखा नीति संख्या 2.4 (ii) के अनुसार व्यापार से संबंधित अग्रिम (अतिदेय के अलावा) पर ब्याज आय को ध्यान में रखते हुए की गई है। डीपीई दिशानिर्देशों में अनिवार्य पारिश्रमिक समिति के अनुमोदन के लंबित होने के कारण, कर्मचारियों को पीआरपी अग्रिम दिया गया था। कर्मचारियों से उपरोक्त पीआरपी अग्रिम की वसूली का आदेश कर्मचारी एवं अधिकारी फोरम द्वारा विवादित है और संबंधित न्यायालयों में लंबित है।

कंपनी की खराब वित्तीय हालात के कारण दिनांक 20.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में एफ़एमसीओडी के निर्णय के अनुसार दिनांक 01.09.2020 से अतिरिक्त भत्तों को स्थगित कर दिया गया है।

(ii) कंपनी की खराब वित्तीय हालात के कारण दिनांक 20.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में एफ़एमसीओडी के निर्णय के अनुसार दिनांक 01.09.2020 से अतिरिक्त भत्तों को स्थगित कर दिया गया है।

(iii)यह आदेश संख्या एमएमटीसी/सीओ/आईआरपी/08/2018 दिनांक 02.05.2018 द्वारा अधिसूचित किया जाता है, कि एचआरए की दरों को 27%,18%,9% और 30%,20%, 10% तक संशोधित किया जाएगा। (कक्षा एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए) यदि आईडीए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रमशः 25% और 50% को पार करता है। चूंकि आईडीए को संशोधित कर 27.2% कर दिया गया था। 01.10.2021, अनिवार्य रूप से एचआरए के संशोधन की आवश्यकता है।

(iv) दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक सीपीएफ/पेंशन देय बकाया था और उसका भुगतान 5.7.2022 को किया गया हैं।

(v) एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट, अभी भी चालू नहीं है। एमएमटीसी को घाटा हो रहा है और घाटे के वर्षों यानी 2019–20 और 2020–21 के प्रावधानों को उलट दिया गया है। डीपीई आदेश में निर्धारित सामर्थ्य प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, पीआरएमबीएस ट्रस्ट को निधि देने का निर्णय विचाराधीन है।

29. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क्ण ब्याज व्यय	205.83	197.99
ख्ण लीज पर ब्याज व्यय	0.11	0.49
ग. फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट पर प्रीमियम	-	-
कुल	205.94	198.48

30. मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	3.94	4.49
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	**0.48**	0.16
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.15**	0.29
कुल	4.57	4.94

31. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	-	0.02
डेमरेज	(0.05)	0.85
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	5.63	12.53
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	0.87	0.59
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	0.10	(7.72)
सीमा शुल्क	388.11	1,072.70
पैकिंग सामग्री	0.23	0.17
बीमा	0.00	0.00
गोदाम बीमा	1.10	1.37
प्लॉट तथा गोदाम किराया	0.01	0.66
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	-	0.08
अनुयोग(ए)	396.00	1,081.25
बी. प्रशासनिक व्यय		
किराया	0.99	1.31
सुरक्षा खर्च	2.78	3.41
दरें एवं कर	1.89	1.46
बीमा	0.12	0.20
भवनों की मरम्मत	3.37	4.51
मशीनों की मरम्मत	0.03	0.02
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	1.50	1.89
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	0.34	0.35
बिजली एव जल प्रभार	2.49	2.33
विज्ञापन एवं प्रचार	0.05	0.10
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	0.20	0.19
पोस्टेज एवं कुरियर	0.08	0.04
टेलीफोन	0.79	0.82
टेलीकम्युनिकेशन	0.09	0.33
यात्रा	0.33	0.64
वाहन	0.55	0.90
मनोरंजन	0.13	0.11
विधिक	2.95	4.07
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	0.58	0.57
बैंक प्रभार	15.78	0.60
किताबें एवं पत्रिकाएं	0.00	0.01
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	0.15	0.28
सब्सक्रिपशन	0.11	0.20
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	0.00	0.01
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	1.35	1.36
सीएसआर व्यय (ii)	0.05	0.89
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	4.26	(4.22)
सेवा कर/जीएसटी	1.03	1.93
प्रदर्शनी एवं मेले	0.11	0.08
विविध व्यय	4.03	3.89
अनुयोग (बी)	46.14	28.28
सी. अन्य :		
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखित निकासी	0.02	5.80
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए भत्ते	1.05	1.06
अनुयोग(सी)	1.07	6.86
अनुयोग(ए+बी+सी)	443.20	1,116.39

I) लेखापरीक्षा को दी गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक के रूप में	0.31	0.29
कराधान मामले के लिए /कर लेखापरीक्षा	**0.13**	0.14
अन्य सेवाओं के लिए	**0.12**	0.13
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.02**	0.01
कुल	0.58	0.57

ii) सीएसआर के खर्चे के विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	
ए) कंपनी के द्वारा खर्च की आवश्यकता की कुल राशि (पूर्व तीन वर्षों के दौरान के औसत कुल लाभ के 2% के बराबर)	–	–	
बी) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यय की जाने वाली राशि	–	0.03	
सी) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	नगद	नगद भुगतान बाकी	कुल
i) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	–	–	–
ii)उपरोक्त (i) के उद्देश्य के अलावा	–	–	–.
डी) 31.03.2021 को समाप्त वर्श के दौरान खर्च की गई राशि	नगद	नगद भुगतान बाकी	कुल
i) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	–	–	–
ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य के अलावा	–	–	–
ई) खर्च किये गये/खर्च नही किये गये दायित्व से संबंधित विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	
(i) पब्लिक ट्रस्ट को अंशदान	–	0.56	
(ii) चेरिटेबिल ट्रस्ट को अंशदान	–	–	
(iii) से संबंधित खर्च नही की गई राशिः			
– चालू परियोजना	0.05	0.10	
– चालू परियोजना के अलावा	–	–	

चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा का विवरण

चालू परियोजना						
आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च के लिए आवश्यक राशि	वर्श के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
.	**0.10**	**0.10**	.	**0.05**	**0.05**	.

चालू परियोजना के अलावा				
आरंभिक शेष	6 माह के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में जमा राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष
–	–	–	–	–

खर्च की गई अधिक राशि			
आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष

32. अपवाद मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वैंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	0.01	1.59
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.04)**	(0.24)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान	**0.01**	-
पट्टा संपत्तियो मे अभ्यर्पण पर लाभ	**-**	(1.13)
मुकदमों का निपटान (ii)	**178.44**	877.25
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है (iii)	**(23.22)**	(0.30)
कुल	155.20	877.17

(i) फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एंग्लो कोल लायबिलिटी के लिए ₹ 877.43 करोड़ का प्रावधान किया गया था और आगे वर्ष 2021–22 के दौरान 1.10.2009 से 24.9.2012 की अवधि के लिए पूर्व मध्यस्थता ब्याज देयता के लिए ₹ 177.44 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और विनिमय अंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2021 के अनुसार किया गया है। कानूनी मामले के संबंध में आगे का घटनाक्रम इस प्रकार है:

इसके बाद एलडी की राय दिनांक 27.03.2021 के अनुरूप एजी, स्पष्टीकरण आवेदन दिनांक 19.04.2022 के निपटान पर, डीएमडी अधिवक्ताओं द्वारा तैयार की गई उपचारात्मक याचिका का मसौदा एलडी को भेजा गया। बोर्ड और डीओसी के निर्देश के अनुरूप पुनरीक्षण और प्रमाणन के लिए एएसजी एल.डी. एएसजी ने मसौदे की समीक्षा की और उसे एलडी को भेजा गया। दाखिल करने से पहले अंतिम निपटान के लिए एजी के माध्यम से एजी एल. डी. एजी ने पत्र दिनांक 29.05.2022 द्वारा अब कहा कि यह क्यूरेटिव पिटीशन के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। एजी के पत्र की प्रति डीओसी को पत्र दिनांक 08.06.2022 द्वारा अग्रेषित की गई थी। तत्पश्चात इस मुद्दे को औपचारिक रूप से एलडी एएसजी के साथ उठाया गया था कि क्या वह अभी भी आवश्यक प्रमाण पत्र देकर उपचारात्मक याचिका दायर करने के इच्छुक हैं, एलडी एएसडी ने भी फिलहाल एमएमटीसी की क्यूरेटिव पिटीशन को ठुकरा दिया ह।

(iii) बीओडी के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान निकाले गए 2017–18 और 2018–19 के ₹ 13.84 करोड़ पीआरपी प्रावधान शामिल हैं।

33. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	21.50	-
पूर्वाधियों से संबंधित समायोजन	**-**	0.07
अनुयोग (ए)	21.50	0.07
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**341.03**	(324.60)
अनुयोग (बी)	341.03	(324.60)
कुल (ए + बी)	362.53	(324.53)

अन्य व्यापक आय में माना गया कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि)	-	-
कुल	-	

प्रभावी करों का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	120.60	(1,094.22)
अधिनियमित कर दर	**34.94**	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	**-**	-
कटौती मुक्त खर्चे	**-**	-
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	**-**	-
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	**-**	-
आस्थगित कर	**-**	-
वर्ष के लिए कर व्यय	-	-
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	**-**	-
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	-	-

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i) (₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022 को	31.03.2021 को
(I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	287.17	175.57
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 14.68 करोड़ रू. (गत वर्ष 20.45 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	33.38	42.69
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	0.05
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके लिए 20.16 करोड़ रू. (गत वर्ष 12.36 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्श 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	217.30	202.73
ई)	विवादित सेवा कर मांग	119.23	113.76
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग जिसमे लिए 0.76 करोड रू.(गत वर्ष 0.76 करोड रू.)जमा कराये गये	20.29	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.66	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	317.98	254.80
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
जे)	कंपनी के विरूद्ध विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नही माना गया है।	-	128.89
	कुल (I)	999.60	942.62
(II)	अन्य बैक टु बैक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है		
a)	कस्टम्स डयूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	184.49	166.87
	कुल (II)	184.49	166.87

क्रम संख्या (I) में दी गई मदों का मूवमेंट ए) से जे) (₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2021–22 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2022 को शेष
a)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	175.57	5.68	111.28	287.17
b)	विवादित आयकर मांग	42.69	9.32	-	33.38
c)	विवादित टीडीएस मांग	0.05	0.05	-	-
d)	विवादित बिक्री कर मांग	202.73	3.80	18.38	217.30
e)	विवादित सेवाकर मांग	113.76	0.60	6.06	119.23
f)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	-	-	20.29
g)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	0.42	2.66
h)	कस्टम्स बांड्स	254.80	38.97	102.16	317.98
I)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
j)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	128.89	128.89	-	-
	कुल	942.62	187.31	244.29	999.60

क्रमांक II ए में उल्लिखित मदों के संबंध में संचलन

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष2021–22 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2022 को शेष
a)	कस्टम्स ड्यूटी/ब्याज/पेनल्टी आदि की अंतर राशि	166.87	-	17.62	184.49
	कुल	166.87	-	17.62	184.49

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.07 करोड़ रु. (गत वर्ष 3.66 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से शून्य करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल/सीज के तहत 9.33 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 8.50 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं। संदर्भ 36 सी (iv)

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के (खाते में कि, वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

vi) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसाइटी के लिए आरपीएफसी द्वारा 0.69 करोड़ रू. की मांग शामिल है।

vii) क) उपरोक्त में सेबी के विनियम 33 के गैर–अनुपालन के संबंध में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू. की राशि शामिल है।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निश्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्श 'शून्य' करोड रु.)।

36. सामान्य प्रकटन :

ए) (I) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31.3.2022		31.3.2021	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण (किलोग्राम)	53.00	24.96	733.96	291.11
स्वर्णाभूषण (ग्राम में)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा. में)	-	-	600.00	3.39
कुल	53.00	24.96	1,333.96	294.50

बी) श्री माता वैष्णो देवी सिरीन बोर्ड की ओर से शून्य किलोग्राम पिछले वर्ष 3956.494 किलोग्राम अशोधित चाँदी 31.3.2022 से डीआरओ में रखी है। चाँदी की शुद्धता मालूम न होने के कारण माल की कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)–संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश और अग्रिमः

(I) कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर ओडिशा में 1–1 मीट्रिक टन एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया है और एनआईएनएल में इक्विटी पूंजी में 49.78: की ओर 459.11 करोड़ (पी.वाई. 459.11 करोड+ रू–) (नोट 6) का निवेश किया है। भारत सरकार (सीसीईए) ने 8 जनवरी, 2020 को एमएमटीसी और अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा धारित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभागः दीपम के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। एनआईएनएल के विनिवेश के लिए अंतिम वित्तीय बोली के अनुसार, दीपम ने मेसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को 12,100/– करोड़ रू. के उद्यम मूल्य के लिए एच1 बोलीदाता घोषित किया था।

(ii) कंपनी समय–समय पर अपने दैनिक परिचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर एनआईएनएल को 1425.00 करोड रू. की सीमा तक अल्पावधि ऋण सुविधा (नकद ऋण) प्रदान करती रही है। इसके लिए अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पक्षों को अग्रिम) (टिप्पणी 11) के अंतर्गत बकाया 3463.11 करोड़ रू.(पी.वाई. 3528.47 करोड़ रू.) है। इसके अलावा, दीपम द्वारा शुरू की गई और प्रबंधित विनिवेश प्रक्रिया के अनुसार विनिवेश से प्राप्त राशि के वितरण के लिए हस्ताक्षरित वाटरफाल समझौते के प्रावधान के अनुसार, एनआईएनएल पर विक्रेता / प्रमोटर देनदारियों को 31.03.2021 तक रोक दिया गया है।

(iii) एमएमटीसी और एनआईएनएल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एनआईएनएल के साथ खातों का मिलान 31.03.2022 तक किया गया है, जिसमें बकाया

राशि 3463 करोड़ रू. है। 31.03.2021 को एनआईएनएल द्वारा 3528.47 करोड़ रू. की शेष राशि की पुष्टि एनआईएनएल के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के अधीन है, लेकिन इसे एनआईएनएल की पिछली बोर्ड बैठक में सूचित किया गया था।

(iv) कंपनी ने एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/अन्य के पक्ष में 1345.82 करोड़ रू. (पी.वाई. 1345. 82 करोड़ रू.) की कॉर्पोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (ii)। चूंकि एनआईएनएल उधारदाताओं के हितों की पूर्ति करने में असमर्थ है, इसलिए कुछ उधारदाताओं और बांड धारकों ने कॉरपोरेट गारंटियों को लागू किया है, जिन्हें एनआईएनएल/एमएमटीसी द्वारा अलग से संबोधित किया जा रहा है। एनआईएनएल एमएमटीसी द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटियों के प्रति अपनी बहियों में 1295.82 करोड़ रू.दिखा रहा है। एनआईएनएल ने 22 जुलाई को सभी बैंकरों/एफआईआई/बॉन्ड धारकों को भुगतान किया है और तदनुसार एमएमटीसी ने सभी बैंकरों/एफआईआई/बॉन्ड धारकों को एमएमटीसी कॉरपोरेट गारंटी (सीजी) को शून्य मानने और मूल गारंटी जल्द से जल्द वापस करने के लिए लिखा है।

(v) कंपनी पिछले वर्षों के दौरान एक्रुअल के आधार पर व्यापार से संबंधित ब्याज को शामिल करती रही है और बकाया अग्रिमों में शामिल है। तथापि, 2019–20 और 2020–21 के दौरान क्रमशः 252.18 करोड़ रू. और 295.69 करोड़ रू. के ब्याज को संबंधित वर्षों में शामिल नहीं किया गया था जिस वर्ष के दौरान शामिल किया जाना था। इसके अलावा, दीपम द्वारा शुरू की गई और प्रबंधित विनिवेश प्रक्रिया के अनुसरण में हस्ताक्षरित विनिवेश राशि के वितरण के लिए हस्ताक्षरित वाटरफाल समझौते के प्रावधान के अनुसार, एनआईएनएल पर विक्रेता/प्रवर्तकों की देनदारियों को 31. 03.2021 तक रोक दिया गया है। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए ब्याज को चालू वर्ष के दौरान अन्य व्यापार आय के रूप में शामिल किया गया है, हालांकि वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज को शामिल नही किया गया था। 2020–21 के दौरान सृजित आस्थगित कर परिसंपत्ति को चालू वर्ष में रिवर्स दिया गया है।

(vi) एनआईएनएल ने कंपनी को समय–समय पर दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कंपनी को 2800 करोड़ रू.(पि.वर्श. 2800 करोड रू.) की कॉर्पोरेट गारंटी दी है। एनआईएनएल के विनिवेश और एमएमटीसी द्वारा धन की प्राप्ति के बाद, एनआईएनएल कॉर्पोरेट गारंटी (सीजी) अब मान्य नहीं है।

(vii) एनआईएनएल पिछले 10 वर्षों से घाटे में चल रहा है और इसकी निवल संपत्ति 31.03.2021 को नकारात्मक (–) 3487.41 करोड रू.(पिछले वर्ष 31.3.2020 को (–) 2564.71 करोड़), हो गई है। 31.3.2022 को एनआईएनएल के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि एनआईएनएल को वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देना बाकी है।

(viii) एनआईएनएल विनिवेश के विरुद्ध टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट (टीएसएलपी) से प्राप्त ₹ 12,100 करोड़ की अंतिम बोली। एनआईएनएल का विनिवेश 04.07.2022 को पूरा हुआ और एमएमटीसी प्राप्तियां हैं: –

परिचालन और वित्तीय ऋण की राशि	–	3463.11 करोड़ रू.
बिक्री प्रतिफल की राशि	–	1872.34 करोड़ रू.
(459.10 करोड़ रू. के निवेश पर विदहोल्डिंग टैक्स का निवल)		
एमएमटीसी द्वारा कुल प्राप्ति	–	5335.45 करोड़ रू.

(ix) उपरोक्त से अधिक, सरकार के खाते में आकस्मिक देनदारियों के लिए 911.16 करोड़ रू.की राशि बकाया (36.77 करोड़ रू. – गैर–कर देनदारियां और 874.39 करोड़ रू. – कर देनदारियां) एक ब्याज वाले एस्क्रो खाते में प्रदान किए गए हैं जो विक्रेताओं को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में पारित किया जाएगा, यदि देनदारियों को क्रिस्टलीकृत नहीं किया जाता है रिटेंशन अवधि की समाप्ति (गैर–कर देनदारियों के लिए 2 वर्ष और कर देनदारियों के लिए 3 वर्ष)पर।

(x) 5335.45 करोड़ की वसूली में से, बैंक ऋण, एंग्लो कोल, वीआरएस/वीएसएस सहित कर्मचारियों को बकाया और अन्य देनदारियों की अनुमानित देनदारियां जुलाई 2022 में 5200.00 करोड़ रू.से 5300.00 करोड़ रू. के बीच हो सकती हैं। यह देनदारियों/लेखापरीक्षा/मिलान और मंत्रालय/सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के वास्तविक निपटान के अधीन होगा। इसमें आकस्मिक देनदारियां शामिल नहीं हैं।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरुद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2020 से दिनांक 31.3.2021 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन को सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

एफ) आयात्ति पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.13 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.98 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है । इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) एक विदेशी पार्टी द्वारा कोयला आपूर्तिकर्ता के खिलाफ दायर डिक्री के निष्पादन से संबंधित मामले में एमएमटीसी ने मूल राशि का निपटान कर दिया है। सुनवाई चल रही है और सुनवाई की अगली तारीख 22.07.2022 है।

जे) एफसीआई ने मार्च 2019 में एमएमटीसी के खिलाफ सीपीएसई विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र शुरू करने के लिए एमओसी एंड ए, एफ एंड पीडी से संपर्क किया, जिसमें ब्याज सहित 92.18 करोड़ रू. की राशि शामिल थी, क्योंकि एमएमटीसी ने एफसीआई के भुगतान से मई 2014 में 60.99 करोड़ रू. की राशि काट ली थी।एमएमटीसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि 1991 के बाद से कई लेन–देन से उत्पन्न एफसीआई से एमएमटीसी की देय राशि की वसूली के लिए 2014 में गेहूं के निर्यात से 60.99 करोड़ रू. की राशि काटी गई थी। मामले को

एएमआरसीडी के तहत समाधान के लिए स्वीकार किया गया था। एएमआरसीडी समिति ने 22 मई 2020 को हुई अपनी बैठक में एमएमटीसी और एफसीआई दोनों को खातों का मिलान करने का निर्देश दिया। एमएमटीसी और एफसीआई ने दावों और काउंटर दावों के समाधान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एमएमटीसी और एफसीआई के बीच कई दौर की चर्चाएं हुई हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच क्रमशः अपने दावों और काउंटर दावों को स्थापित करने के लिए सहायक दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया गया है। एक बार सहमति बनने के बाद, एएमआरसीडी को उसके अंतिम निर्णय और आदेश के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

के) 1.13 करोड़ रू. की संदिग्ध वसूली योग्य राशि के लिए कई प्रावधान हैं, पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता के कारण इन शेष राशि की वसूली का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। कंपनी ने इस तरह की शेष राशि की वसूली का आकलन करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक नोट **शुरू किया है।**

एल) मार्च, 2022 के महीने के लिए 2.36 करोड़ रू. की टीडीएस की बकाया देनदारी थी जो 30.04.2022 को या उससे पहले देय थी। एमएमटीसी की तरलता की स्थिति बहुत कमजोर है और धन की कमी के कारण वेतन/बकाया/खर्च बकाया है। टीडीएस जमा करने में विलम्ब हुआ और इसे 19.05.2022 को 0.097 करोड़ रू. के ब्याज सहित विभाग को प्रेषित कर दिया गया।

एम) निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और उप क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) को बंद करने के लिए मंजूरी दे दी है, तदनुसार दिनांक 22.06.2022 को उपयुक्त आदेश जारी किया गया है और आवश्यक अनुमोदन के अधीन अस्थायी वीआरएस सहमति खोली गई है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है ।

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)द्ध			11.03	11.03	11.03
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	43.36			43.36	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	135.10			135.10	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	3.28			3.28	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)द्ध	-			-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	54.18			54.18	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	269.90			269.90	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	2551.44			2551.44	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	222.04			222.04	

वर्गवार वित्तीय दस्तावेजों के कैरिंग मूल्य और उचित मूल्य मार्च, 31, 2021 के अनुसार हैः

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परि□ोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	ओ सी आई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)			10.07	10.07	10.07
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	132.71			132.71	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	555.69			555.69	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8	4.85			4.85	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00			0.00	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	51.13			51.13	
देयताएं :					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	765.01			765.01	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	2364.01			2364.01	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19	212.42			212.42	

37.2 उचित मूल्य वर्गीकरण

स्तर 1. वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।

स्तर 2. वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3. वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पश्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	11.03			11.03		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			-	-	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	11.03	-	-	11.03		

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)		2.23			2.23	उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग		2.23	-	7.84	10.07	

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिश्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है ।

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य	अन्य मुद्राएं (समतुल्य	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	4.50	-	4.50
ट्रेड प्राप्य	-	-	-
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.98	-	4.98
अन्य प्राप्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	9.48	-	9.48
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	7.43	-	7.43
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.19	-	1.19
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	-	-	-
अन्य	1,054.87	-	1,054.87
विदेशी मुद्रा में कुल देय	1,063. 50	-	1,063.50

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतूल्य	4.11	-	4.11
ट्रेड प्राप्य	280.86	-	280.86
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.61	1.65	6.26
अन्य प्राप्य	0.98	-	0.98
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	290.56	1.65	292.21
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	15.82	0.55	16.36
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.15	-	1.15
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	98.05	-	98.05
अन्य	904.19	-	904.19
विदेशी मुद्रा में कुल देय	1,019.21	055	1,019.76

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य करोड रूपये एवं शून्य करोड रूपये का प्रभाव डालेगी।

i) **मूल्य जोखिम**

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.11 करोड़ रुपये एवं 0.02 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है । रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है । संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निश्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेशण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2022 को करोड़ रूपये में)

	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
विवरण	**6 माह से कम**	**6 माह –1 वर्ष**	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	7.33	2.88	5.15	3.17	116.39	134.92
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट हानि	-	-	-	-	7.73	7.73
(iv))विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट हानि	-	-	-	-	382.38	382.38
उप योग	7.33	2.88	5.15	3.17	506.69	525.22
कमी : केडिट हानि के लिए अनुमत						390.12
कुल					135.10	

(31 मार्च 2021को करोड़ रूपये में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गय	146.27	2.21	0.02	3.11	403.90	555.51
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –ज जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –केडिट हानि	-	-	-	-	7.74	7.74
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – केडिट हानि	-	-	-	-	382.28	382.28
उप योग	146.27	2.21	0.02	3.11	794.11	945.71
कमी : केडिट हानि के लिए अनुमत						390.02
कुल					555.69	

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेशण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्शों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे । उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास साविध जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्शिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोशण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेश बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च, 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.18	-	-	-	-	0.18
(ii) अन्य	269.72	-	-	-	-	269.72
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय –अन्य	-	-	-	-	-	-

(31 मार्च, 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.03	-	-	-	-	0.03
(ii) अन्य	764.98	-	-	-	-	764.98
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय –अन्य	-	-	-	-	-	-

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2022 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		देयताएं (kgs)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	10.99			30	0.21
चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	12.81			240	018

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		देयताएं (kgs)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोना बेचने के लिए वायदा अनुबंध	12.91			33	3.74

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम भाामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री	-	-	-	इंवेंट्रीज	-	-

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम भाामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मुल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री	-	-	-	इंवेंट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 0. 'शून्य' करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 2.42 करोड़ है (गत वर्ष 3.68 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्श के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्शों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्श अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता **(₹ करोड़ में)**

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युट	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
	पी.वाई	90.95	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई	70.35	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	82.45	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति / अधिशेष/(घाटा)}	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई	1.09	(18.57)	(20.15)	(3.58)	(1.49)	(0.10)	(2.80)
	पी.वाई	(8.41)	(16.01)	(20.59)	(4.35)	(1.85)	(0.12)	(3.63)

परिभाषित लाभ देयता का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व	सी.वाई.	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
– वर्ष के शुरू में	पी.वाई.	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
चालू सेवा लागत	सी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
	पी.वाई.	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05	-	-
विगत सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	सी.वाई.	5.83	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
	पी.वाई.	6.53	0.95	1.44	0.32	0.14	-	-
प्रदत्त लाभ	सी.वाई.	(17.59)	(3.04)	(2.94)	(0.36)	(0.41)	-	-
	पी.वाई.	(11.29)	(4.57)	(2.54)	(0.79)	(0.41)	-	-
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल	सी.वाई.	(11.23)	3.74	0.40	(0.80)	(0.11)	(0.02)	(0.84)
हानि/(लाभ)	पी.वाई.	(6.56)	4.43	(1.02)	(0.18)	(0.09)	(0.04)	(0.39)
परिभाषित लाभ दायित्व	सी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
– वर्ष के अंत में	पी.वाई.	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63

योजना परिसंपत्ति का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोशित)	
	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	82.45	87.78
ब्याज आय	5.50	5.90
नियोक्ता अंशदान	0.00	0.06
प्रदत्त लाभ	(17.59)	(11.29)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि/(लाभ)	(0.00)	0.01
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	70.35	82.45

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
	पी.वाई	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05	-	-
पूर्व सेवा लागत–	सी.वाई	0.00	-	-	-	-	-	-
प्लान संशोधन	पी.वाई	-	-	-	-	-	-	-
सेवा लागत (ए)	सी.वाई	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
	पी.वाई	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05	-	-
नेट परिभाषित लाभ	सी.वाई	0.54	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
देयता/(परिसंपत्ति) (बी)	पी.वाई	0.73	0.95	1.44	0.32	0.14	-	-
अवधि में माने गए नेट	सी.वाई	-	3.74	0.40	-	-	(0.02)	(0.84)
एक्चुरियअल (लाभ)/हानि	पी.वाई	-	4.43	(1.02)	-	-	(0.04)	(0.39)
पी एण्ड एल में मानी	सी.वाई	1.94	5.60	2.50	0.40	0.16	(0.02)	(0.84)
गई लागत (ए+बी)	पी.वाई	4.01	6.15	1.25	0.47	0.19	(0.04)	(0.39)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में भाामिल की गई राशि (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण	सी.वाई	11.23			0.19	(0.07)		
एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	पी.वाई	6.56	-	-	0.21	0.11	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण	सी.वाई	-	-	-	0.17	0.18	- -	
एक्चुएरियल लाभ/(हानि)	पी.वाई	-	-	(0.03)	(0.02)	-	-	
अवधि के दौरान हुए	सी.वाई	11.23	-	-	3.36	0.11	-	-
एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	पी.वाई	6.56	-	-	0.18	0.09	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो	सी.वाई	0.20	-	-	-	-	-	-
डिस्काउंट रेट से (अधिक)/कम है (बी)	पी.वाई	0.10	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई	सी.वाई	11.44	-	-	0.36	0.11	-	-
एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए+बी)		6.66	-	-	0.18	0.09	-	-

संवेदनशील विश्लेशण (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(1.49)	(0.46)	(0.44)	(0.06)	(0.04)	-	-
	-0.50%	1.57	0.49	0.46	0.07	0.04	-	-
वेतनवृद्धि दर	0.50%	0.36	0.49	0.46	-	-	-	-
	-0.50%	(0.41)	(0.47)	(0.44)	-	-	-	-

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	लंबी सेवा पुरस्कार	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(2.05)	(0.42)	(0.46)	(0.08)	(0.04)	-	
	-0.50%	2.07	0.44	0.48	0.09	0.05	-	
वेतनवृद्धि दर	0.50%	2.07	0.44	0.48	-	-	-	
	-0.50%	(2.07)	(0.42)	0.46	-	-	-	

एक्चुएरियल अनुमान

अनुमान		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%
	पी.वाई	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%
वेतनवृद्धि दर	सी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
	पी.वाई	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)

संभावित लाभ भुगतान (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष		ग्रेच्युटी'	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल		11.80	3.17	3.55	0.71	0.42	-	-
2	1 से 2 साल		11.46	2.75	3.71	0.68	0.30	-	-
3	2 से 3 साल		8.44	2.25	2.11	0.47	0.26	-	-
4	3 से 4 साल		6.11	1.40	1.72	0.29	0.28	-	-
5	4 से 5 साल		7.06	2.02	2.14	0.35	0.13	-	-
6	5 से 6 साल		5.75	1.71	1.97	0.30	0.00	-	-
7	6 साल उपर		18.64	5.26	4.96	0.78	0.11	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100%

डी) भविष्य निधि : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविश्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविश्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ – कंपनी ने वर्श के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 4.06 करोड़ (गत वर्श रू 4.56 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. 1.1.2007 (बंद समूह) से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत देयता को सामर्थ्य के आधार पर मान्यता नहीं दी गई है, भले ही कंपनी ने वर्ष के दौरान 120.60 करोड़ रू. कर से पहले लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए खुले समूह / 4.50: बेसिक डीए के लिए पीआरएमबीएस प्रदान नहीं किया है। वर्ष के दौरान वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 1.1. 2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान उस वर्ष के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।

बी 2019–20 के दौरान, कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया है और योजना के प्रति कंपनी की देनदारी के खिलाफ ट्रस्ट को 150.00 करोड़ रू. का भुगतान किया है। 'परिभाषित योगदान योजना' के तहत 31.03.2022 को कंपनी के दायित्व के रूप में निवल देयता को दर्शाया गया है।

41. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : ''ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स''

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है ''मैनेजमेंट अप्रोच'' के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृशि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

प्रत्येक खंड के संबंध में राजस्व और व्यय के विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

सेग्मेंट राजस्व परिणाम **(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो–कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	6013.01	30.33	0.01	751.09	75.60	1459.83	28.53	8358.41
भारत से बाहर	-	-	25.98	-	-	-	8.89	34.88
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	6013.01	30.33	26.00	751.09	75.60	1459.83	37.42	8393.29
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	27.73	0.18	0.01	547.84	2.74	10.11	3.27	591.88
भारत से बाहर	-	-	1.26	-	-	-	0.37	1.63
कुल सेग्मेंटनल परिणाम								
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय	27.73	0.18	1.27	547.84	2.74	10.11	3.64	593.51
ब्याज व्यय (नेट)								201.65
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								271.26
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								120.60

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो–कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	14,029.93	74.03	1.32	586.14	671.45	9185.83	28.17	24576.86
भारत से बाहर	-	-	1796.78	-	-	-	7.96	1804.74
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	14029.93	74.03	1798.10	586.14	671.45	9185.83	36.14	26,381.61
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	53.13	0.80	1.32	(30.73)	7.02	29.40	2.97	63.91
भारत से बाहर	-	-	50.22	-	-	-	0.25	50.47
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	53.13	0.80	51.54	(30.73)	7.02	29.40	3.22	114.38
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								193.27
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								1015.33
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(1094.22)

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो–कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 **सेग्मेंट परिसंपत्तियां**								
परिसंपत्तियां	87.55	7.73	23.58	3695.73	200.32	18.26	416.46	4449.63
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								313.33
कुल परिसंपत्तियां								4762.96
ए.02 **सेग्मेंट देयताएं**								
देयताएं	109.54	24.20	26.66	1353.66	268.16	31.33	17.35	1830.90
अनअलोकेटिड देयताए								2738.66
कुल देयताएं								4569.56

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो–कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 **सेग्मेंट परिसंपत्तियां**								
परिसंपत्तियां	427.26	19.21	333.84	3509.61	392.70	19.81	39.99	4742.42
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								764.33
कुल परिसंपत्तियां								5506.76
ए.02 **सेग्मेंट देयताएं**								
देयताएं	442.64	38.67	343.55	1200.13	432.70	19.80	23.71	2501.20
अनअलोकेटिड देयताएं								2583.10
कुल देयताएं								5084.29

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	**2021-22**	**2020-21**
कुल राजस्व	1458.90	9177.84
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	17.38%	34.79%
उत्पाद सेग्मेंट	**उर्वरक**	**उर्वरक**

42. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

42.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
I. श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (14.05.2020 से 22.02.2022 तक)
ii. श्री विभु नायर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2022 से)
iii. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
iv. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
v. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक(कार्मिक)

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

i. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
ii. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
iii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
iv. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
v. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

i. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
ii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

I. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
ii. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
iii. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाशित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
iv. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**
अल्पावधि लाभ	1.08	1.35
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.28	0.32
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	1.36	1.66
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	-	0.00
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम		
31.03.2022 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	-	0.00

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	2.41	2.51	-	-	-	-	-	-	-	2.08	-	-	-	-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	78.54	107.12	-	-	-		0.91	1.74	232.36	25.38	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.05	77.82
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-		37.18	28.64	1.49	-	-	-	19.47	6.01

एच.वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
देय व्यापार	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-		0.76	-	1.46	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.09	-	-	-	

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/21	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त /समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज														
सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
दिए गए अग्रिम	.	.	.	.	.	.	.	.	3,463.11	3528.47		.	.	.	.	.

के. आईएण्डडी एस 27 के अनुसार, अलग वित्तीय विवरण का प्रक्ट्न

ए) सहायक कंपनी में निवेश

कंपनी का नाम	संयोजन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी व्याज का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	100%	100%

बी) संयुक्त उद्यम में निवेश

कंपनी का नाम	संयोजन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी व्याज का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
1. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	50	50
2. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	भारत	26	26
3. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26	26
4. एमएमटीसी गीताजंलि लि.	भारत	26	26
5. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78	49.78

एल. केएमपी को ऋण

विवरण	मार्च 2022	मार्च 2021
वर्श के प्रारंभ में ऋण	0.00	0.00
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अदायगी	0.00	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	-	0.00
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-

एम . संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एन. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन

क्र. सं.	सरकार / सरकारी	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य	बकाया शेष	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	1458.90	14.40	-
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	-	35.45
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद / बिक्री	153.80	94.06	5.82
4.	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद / बिक्री	42.57	13.63	0.34

42.2 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

42.3 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.43	0.42
2	पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	0.33	0.49
3	अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	-
4	कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	-
5	पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च		
6	संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	-
7	पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	0.72	0.84
8	संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	0.01	0.14
9	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	3.14	3.35

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.11	0.37
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.42	0.42
5 वर्षों के बाद	3.12	3.23

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) आईएण्डडी एएस – 116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000/– प्रति महीने और रूपये 12,00,000/– प्रति वर्ष तक के हैं मान्य नहीं किए जाते हैं।

42.4 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.73	1.50
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	2.16	3.89
5 वर्षों के बाद	-	-

43. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	(241.93)	(769.69)
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	(1.61)	(5.13)

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.21 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.22 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेशण जोखिम	0.08	0.08	-	-
बोनस/पीआरपी	17.46	14.25	0.04	3.25
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	888.81	(0.13)	178.44	1067.39

45. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के विवरण, जिनके बकाये के 31 मार्च 2021 के अनुसार कंपनी देनदार है, निम्न है (₹ करोड़ में)

		2021-22	2020-21
ए)	(I) लेखा–वर्ष की समाप्ति में किसी आपूर्तिकर्ता की शेष अदत्त मूलधन राशि	0.28	0.18
	(ii) उपरोक्त पर देय व्याज	-	-
	कुल (i) और (ii) (नोट 18 व 19 के अंतर्गत सम्मिलित)	0.28	0.18
बी)	अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई व्याज की राशि	-	-
सी)	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय व्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान अंतिम तिथि के बाद किया गया है) परंतु कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए व्याज को बिना जोड़े किया गया है	-	-
डी)	प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर प्रोद्भूत और शेष देय ब्याज की राशि	-	-
ई)	अनुवर्ती वर्षों में भी आगे का व्याज की राशि शेष और भुगतान करना है, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती की गई खर्च की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए जब तक लघु उद्यम को उक्त व्याज राशि वास्तविक में भुगतान किया गया है।	-	-

46. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

प्रकटन

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	7836.28	26,361.59
सेवाओं की बिक्री	4.50	2.89
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	0.15	25.90
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	-	-
–अन्य व्यापार आय	552.36	(8.77)
कुल	8393.29	26381.61

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
हानि	0.00	1.06

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुए	6013.01	71.64%	14029.93	53.18%
धातुएं	30.33	0.36%	74.03	0.28%
खनिज	26.00	0.31%	1798.10	6.82%
कोल व हाइड्रोकार्बन	751.09	8.95%	586.14	2.22%
कृषि उत्पाद	75.60	0.90%	671.45	2.55%
उर्वरक	1459.83	17.39%	9185.83	34.82%
अन्य	37.42	0.45%	36.14	0.14%
कुल	8393.29	100%	26381.61	100%

(ii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	945.71	2314.33
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	(420.49)	(1368.62)
अंतिम शेष	525.22	945.71

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम डयूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	462.26	212.24
जोड़ें :वर्ष के दौरान वृद्धि	26.41	329.36
घटाएं: कटौती (रिफंड/समायोजन)	108.40	24.25
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	15.28	55.09
अंतिम शेष	364.98	462.26

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यवहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेंस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

(बी) इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

47. कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के टाइटल डीड

तुलन पत्र में संबंधित लाईन मद	परिसंपति की मद का विवरण	स्कल कैरिंग मूल्य	नाम पर टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर के कर्मचारी, प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं	परिसंपति किस तिथि /आबंटन तिथि से स्वामित्व में है	कंपनी के नाम नही होने का कारण
पीपीई	भूमि	1.04	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप के एसएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाना बाकी है
पीपीई	भवन	5.74	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप के एसएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाना बाकी है

48. वित्तीय अनुपातः

विवरण	न्यूमरेटर	डीनोमिनेटर	31.03.22 को अनुपात	31.03.21 को अनुपात
चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.87	0.86
डेट ईक्विटी अनुपात (समय पर)[1]	कुल डेट	शेयरहोल्डर इक्विटी	13.19	5.60
डेट सर्विस कवरेज अनुपात (समय पर)[2]	डेट सर्विस के लिए उपलब्ध अर्जन	डेट सर्विस	(0.15)	(2.85)
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (% में)	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत शेयरहोल्डिंग ईक्विटी	(0.79)	(0.96)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय पर)[2]	नेट क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	14.31	35.27
शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	(0.03)	(0.03)
नियोजित पूंजी पर लाभ (% में)[2]	ब्याज व कर से पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	0.12	(0.32)
नेट पूंजी कारोबार अनुपात (समय पर)[4]	नेट बिक्री	कार्यशील पूंजी	(13.52)	(38.06)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनूपात (समय पर)	नेट क्रेडिट बिक्री	औसत लेख प्राप्य	22.70	21.25
निवेश पर रिटर्न (% में)	निवेश से आय	समय भारित औसत निवेश	1.53	1.52
इन्वैंट्री कारोबार अनुवात (समय पर)	बेचे गये माल या बिक्री की लागत	औसत इन्वैंट्री	207.88	200.20

1 उधार से संबंधित ब्याज के कारण प्रोद्भवन।

2 वर्ष के दौरान एनआईएनएल को व्यापार संबंधी अग्रिम राशि 547.87 करोड़ रू. पर ब्याज शामिल

3 वर्ष के दौरान खरीद में कमी के कारण।

4 वर्ष के दौरान बिक्री में कमी के कारण।

49. अन्य वैधानिक सूचना–

ए) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

बी) कंपनी का बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है

सी) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक आरओसी के साथ वैधानिक अवधि के बाद पंजीकृत नहीं है

डी) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है

ई) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें उधार दे या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

एफ) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनीः

– प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से पहचान में उधार या निवेश करें या

– अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें

जी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

एच) कंपनी अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या के उल्लंघन में नहीं है

आई) कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवस्था की योजना में शामिल नहीं हुई है

जे) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है

50. कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लघु और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य गैर–चालू और चालू संपत्ति के खाते पुष्टि / समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। प्रबंधन चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाले किसी भी भौतिक अंतर की अपेक्षा नहीं करता है।

    प्रबंधन की राय में, संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और गैर–चालू निवेश से उस राशि की वसूली की उम्मीद की जाती है जिस पर उन्हें बताया गया है, अगर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और सभी ज्ञात देनदारियों के प्रावधान के लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त रूप से किया गया है।

51. एमएमटीसी लिमिटेड कीमती धातु, धातु, खनिज, कोयला और हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक और सामान्य व्यापार / अन्य सात व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रहा है। प्रशासनिक मंत्रालय के डाउनसाइज़िंग/वीआरएस/कार्यालयों को बंद करने आदि के निर्देश के कारण व्यवसाय प्रभावित हुआ है। इससे कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ है।

52. सार्वजनिक उद्यम विभाग (जीओआई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पूरे समय के निदेशकों को प्रति माह 1,000 किमी तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

53. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

54. वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी राशियाँ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं हो सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

55. **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

    वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 08.07.2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बीएन दास)**	**(कपिल कुमार गुप्ता)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 095584	एसीएस–13691		डीआईएन : 08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे. रवि शंकर)
निदेशक
डीआईएन : 06961483

(विभू नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

Coal & Hydrocarbons Projects & Engineering Exports • PMD Retail
Minerals • Precious Metals • Metals & Industrial Raw Materials • Agro Products • Fertilizers

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि.

वित्तीय विवरण

(सिंगापुर में निगमित, पंजीकरण से 199405265M)

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

निदेशकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ सदस्यों को अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें एकमात्र कॉर्पोरेट शेयरधारक शामिल है ।

1. निदेशकों की राय

निदेशकों की राय में,

(i) कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं ताकि 31 मार्च 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह में समाप्त वर्ष के लिए एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य दिया जा सके; तथा

(ii) इस कथन की तिथि पर, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कंपनी जब भी वे देय होंगे, अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होगी।

2. निदेशकों

इस स्टेटमंट की तिथि पर कार्यालय में कंपनी के निदेशक हैं:

देवाशीष नायक

राजीव रंजन सिन्हा

रवि शंकर जनार्दन

थिम्मासारथी श्रीनिवास राव

3. निदेशकों को शेयर या डिबेंचर हासिल करने में सक्षम बनाने की व्यवस्था

न तो अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी किसी भी व्यवस्था के लिए एक पार्टी थी जिसका उद्देश्य है, या जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, या कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के डिबेंचर।

4. शेयरों या डिबेंचर में निदेशकों की रुचियां

सिंगापुर कंपनी अधिनियम 1967 ("अधिनियम") की धारा 164 के तहत कंपनी द्वारा रखे गए निदेशकों की शेयरधारिता के रजिस्टर के अनुसार, कंपनी के निदेशक, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यालय में थे, शेयरों में कोई रुचि नहीं थी या वित्तीय वर्ष की शुरुआत या अंत में कंपनी और उसके संबंधित निगमों के डिबेंचर।

5. शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के गैर–निर्गमित शेयरों की सदस्यता के लिए कोई शेयर विकल्प नहीं दिया गया था।

कंपनी के गैर–निर्गमित शेयरों को लेने के विकल्पों के प्रयोग के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर जारी नहीं किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में विकल्प के तहत कंपनी के कोई भी गैर–निर्गमित शेयर नहीं थे।

6. लेखा परीक्षक

ऑडिटर्स, टीकेएनपी इंटरनेशनल, पब्लिक अकाउंटेंट्स और सिंगापुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑडिटर के रूप में फिर से नियुक्ति को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है।

निदेशक मंडल की ओर से,

थिम्मासारथी श्रीनिवास राव
निदेशक

देवाशीष नायक
निदेशक

दिनांकः 17.06.2022

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों के लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। लिमिटेड (कंपनी), जिसमें 31 मार्च 2022 तक वित्तीय स्थिति का विवरण, और लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष समाप्त होने वाले नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स।

हमारी राय में, साथ में वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम 1967 ("अधिनियम") और सिंगापुर में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफ़आरएस) के प्रावधानों के अनुसार ठीक से तैयार किए गए हैं ताकि वित्तीय स्थिति का सही और दृष्टिकोण दिया जा सके। 31 मार्च 2022 को कंपनी की स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन को दर्शाता है।

राय के लिए आधार

हमने सिंगापुर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम लेखा और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण (एसीआरए) के व्यावसायिक आचरण और सार्वजनिक लेखाकारों और लेखा संस्थाओं (एसीआरए कोड) के लिए नैतिकता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। सिंगापुर, और हमने इन आवश्यकताओं और एसीआरए कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य सूचना

अन्य जानकारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में पृष्ठ 1 से 2 पर दिए गए निदेशकों का विवरण शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से प्रतीत होती है गलत बताया यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशकों की जिम्मेदारियां

प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम और एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार एक सही और निष्पक्ष दृश्य देता है, और एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक लेखा नियंत्रण की एक प्रणाली तैयार करने और बनाए रखने के लिए कि संपत्ति को नुकसान के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है। अनधिकृत उपयोग या स्वभाव से; और लेन–देन उचित रूप से अधिकृत हैं और उन्हें सही और निष्पक्ष वित्तीय विवरण तैयार करने और परिसंपत्तियों की जवाबदेही बनाए रखने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करना है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशकों की जिम्मेदारियों में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना शामिल है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भीः

ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एसएसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में निदेशकों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारी राय में, अधिनियम द्वारा कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन और अन्य अभिलेखों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से रखा गया है।

इस स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में संलग्न भागीदार ओंग लियन वान है।

टीकेएनपी इंटरनेशनल
सार्वजनिक लेखाकार और
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सिंगापुर

दिनांक 17.06.2022

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

	नोट	2022	2021
		यूएस$	यूएस$
परिसंपत्तियां			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	1,868	3,309
उपयोग का अधिकार संपत्ति	5	**87,821**	-
अन्य परिसंपत्तियां	6	**27,265**	**27,279**
		116,954	30,588
चालू संपत्ति			
नकद और नकदी के समतुल्य	7	**18,624,350**	**11,938,319**
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	8	**35,203,691**	**38,035,326**
		53,828,041	49,973,645
कुल संपत्ति		53,944,995	50,004,233
देयताएं और इक्विटी			
वर्तमान देनदारियां			
व्यापार और अन्य देनदारियां	9	**35,070,243**	**32,001,236**
अन्य देनदारियां	10	3,247,358	-
उधारी	11	9,269,000	7,326,484
लीज देनदारियां	12	90,629	-
आयकर खर्च		**102,513**	**201,745**
		47,779,743	39,529,465
ईक्विटी			
शेयर पूंजी	13	1,000,000	1,000,000
प्रतिधारित कमाई		5,165,252	9,474,768
		6,165,252	10,474,768
कुल देनदारियां और इक्विटी		**53,944,995**	**50,004,233**

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि और अन्य व्यापक आय का विवरण

	नोट	2022	2021
		यूएस$	यूएस$
राजस्व आय	14	456,575,465	486,198,121
अन्य आय	15	254,520	2,070,174
विदेशी मुद्रा अंतर		**(8,286)**	**(7,184)**
खर्च और लागत			
. वस्तुओं की खरीद		**446,209,592**	**473,423,224**
. माल ढुलाई लागत		**8,259,362**	**11,756,979**
. कर्मचारी मुआवजा	16	658,866	692,964
. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	2,782	3,896
. उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	5	87,821	87,859
. बैंक शुल्क		**316,954**	**429,388**
. वित्तीय खर्च	17	400,818	485,548
. अन्य खर्चे	18	70,300	66,491
		(456,006,495)	(486,946,349)
कर पूर्व लाभ		815,204	1,314,762
आयकर खर्च	19	(124,720)	(196,584)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		690,484	1,118,178

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	नोट	शेयर पूंजी	प्रतिधारित अर्जन	कुल
		यूएस$	यूएस$	यूएस$
1 अप्रैल 2020 को				
लाभांश प्रदत्त		1,000,000	12,256,590	13,256,590
	21	-	(3,900,000)	(3,900,000)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक				
कुल आय का प्रतिनिधित्व		-	1,118,178	1,118,178
31 मार्च 2021 को		1,000,000	9,474,768	10,474,768
1 अप्रैल 2020 को		1,000,000	9,474,768	10,474,768
प्रदत्त ब्याज	21	-	(5,000,000)	(5,000,000)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक				
कुल आय का प्रतिनिधित्व		-	690,484	690,484
31 मार्च 2022		1,000,000	5,165,252	6,165,252

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)

नकद प्रवाह विवरण
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2022 यूएस$	2021 यूएस$
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर देने से पूर्व लाभ		815,204	1,314,762
के लिए समायोजनः			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	2,782	3,896
उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	5	87,821	87,859
विदेशी मुद्रा		2,941	-
ब्याज व्यय	17	400,818	485,548
ब्याज आय	15	(53,308)	(488,713)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		1,256,258	1,403,352
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः			
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)		2,831,635	(19,504,744)
अन्य संपत्तियों में(वृद्धि)		-	(310)
व्यापार और अन्य देय प्राप्यों में वृद्धि		3,069,007	28,291,087
प्अन्य देयताओं में वृद्धि		3,247,358	-
उधारी से आय/(पुर्नभुगतान)	ए	1,942,516	(8,262,539)
परिचालन से उत्पन्न नकद		12,346,774	1,926,846
प्आयकर का भुगतान		(223,952)	(139,803)
ब्याज भुगतान		(396,958)	(484,148)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी		11,725,864	1,302,895
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण	4	(1,341)	(2,075)
प्राप्त ब्याज		53,308	488,713
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी		51,967	486,638
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
ब्याज का भुगतान	21	(5,000,000)	(3,900,000)
सावधि जमा गिरवी	ए	4,682,157	3,726,417
साख पत्र पर मार्जन		(12,189,475)	(2,000,000)
लीज देयताओं का पुर्नभुगतान	ए	(87,940)	(88,966)
ब्याज भुगतान		(3,860)	(1,400)
निवल नकद (में इस्तेमाल) वित्तीय गतिविधियां		(12,599,11)	(2,263,949)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध(कमी)		(821,287)	(474,416)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		1,033,389	1,507,805
साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष	7	212,102	1,033,389

नोट एः

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान इस प्रकार हैः

	1 अप्रैल 2021	नकदी प्रवाह	ब्याज खर्च	गैर–नकद परिवर्तन अधिग्रहण	हितों की वृद्धि	विदेशी मुद्रा	31 मार्च 2022
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
उधारी	7,326,484	1,942,516	(396,958)	-	396,958	-	9,269,000
लीज देनदारियां	-	(87,940)	(3,860)	175,642	3,860	2,927	90,629
गिरवी रखी गई सावधि जमा	(8,904,930)	4,682,157	-	-	-	-	(4,222,773)

	1 अप्रैल 2020 यूएस$	नकदी प्रवाह यूएस$	ब्याज ब्याज खर्च यूएस$	गैर–नकद परिवर्तन अधिग्रहण यूएस$	हितों की वृद्धि यूएस$	31 मार्च 2021
उधारी	15,589,023	(8,262,539)	(484,148)	-	484,148	7,326,484
लीज देनदारियां	88,966	(88,966)	(1,400)	-	1,400	-
गिरवी रखी गई सावधि जमा	(12,631,347)	3,726,417	-	-	-	(8,904,930)

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए संलग्न नोट देखें

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों पर नोट

ये नोट एक अभिन्न हिस्सा है और इन्हें वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. कॉरर्पोरेट जानकारी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") एक निजी कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है जो सिंगापुर में निगमित और अधिवासित है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का प्रमुख स्थान 3 रैफल्स प्लेस, 08–01, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर 048617 पर स्थित है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियाँ खनिज, धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोयला, सोना और हाइड्रोकार्बन उत्पाद, आभूषण और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना है। वित्तीय वर्ष के दौरान इन गतिविधियों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

तत्काल और अंतिम होल्डिंग कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड है, जिसे भारत गणराज्य में स्थापित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2.1) तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण सिंगापुर में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताए गए के अनुसार।

वित्तीय विवरण यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ("यूएस डालर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपने निर्णय का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की भी आवश्यकता होती है। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, वास्तविक परिणाम अंततः उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अनुमान और अनुमान वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण हैं, उन्हें वित्तीय विवरणों के नोट 3 में प्रकट किया गया है।

2.2) नए और संशोधित मानकों और व्याख्याओं को अपनाना

अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वित्तीय वर्ष के अनुरूप हैं, सिवाय इसके कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने सभी नए और संशोधित एफआरएस को अपनाया है जो प्रासंगिक एफआरएस में बताई गई प्रभावी तिथि से अनिवार्य हैं।

2.3) मानक जारी किया गया लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

कंपनी ने निम्नलिखित मानकों को नहीं अपनाया है जो जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

	पर या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी
• एफआरएस 37 प्रावधानों में संशोधन , आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति : भारी अनुबंध – एक अनुबंध को पूरा करने की लागत	1 जनवरी 2022
• एफआरएस में वार्षिक सुधार 2018–2020	1 जनवरी 2022
• एफआरएस 1 में संशोधन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति : देनदारियों का वर्गीकरण वर्तमान या गैर–चालू के रूप मे	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 1 में संशोधन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति : और एफआरएस प्रेक्टिस विवरण 2: लेखा नीतियों का प्रकटन	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 8: लेखा नीतियां, नीतियों में परिवर्तन अनुमान और गलतियांः लेखा अनुमानों की परिभाषा	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 12 आयकर में संशोधन : सिंगल लेनदेन से निकले देयताएं और परिसंपत्तियों से संबंधित आस्थगित कर	1 जनवरी 2023

निदेशकगण आशा करते हैं कि उपरोक्त मानक अपनाने से आरंभिक अनुप्रयोग के वर्ष में वित्तीय विवरणों पर कोई ठोस फर्क नही पड़ेगा।

निदेशकों को उम्मीद है कि उपरोक्त मानकों को अपनाने से प्रारंभिक आवेदन के वर्ष में वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.4) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है। मान्यता के बाद, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत कम संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर मापा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में इसकी खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल होती है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक होती है। यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त करने या उपयोग करने के परिणामस्वरूप विघटन, हटाने या बहाली की बाध्यता होती है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के हिस्से के रूप में विघटन, हटाने या बहाली की लागत शामिल होती है।

मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास राशि आवंटित करने के लिए सीधी–रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार हैं :

	उपयोगी जीवन
पट्टाधृत सुधार	3 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	3 वर्ष
कंप्यूटर उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। आस्ति की मान्यता समाप्त करने पर किसी लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिस वर्ष आस्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.5) गैर–वित्तीय आस्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत कम होती है और इसका उपयोग में मूल्य होता है और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य से उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। संपत्ति या संपत्ति का समूह। जहां किसी परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाई की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है ।

नुकसान हानि को लाभ या हानि में दिखाया जाता है।

पहले से मान्यता प्राप्त हानि हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो। यदि ऐसा है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है। वह वृद्धि वहन राशि से अधिक नहीं हो सकती है जो निर्धारित की गई होगी, मूल्यह्रास का शुद्ध, पहले से कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई थी। इस तरह के उलटफेर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.6) वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय संपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य प्लस पर मापती है, वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में लाभ या हानि (एफवीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं, लेनदेन लागत जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। एफवीपीएल में की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि में खर्च किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियों को उस प्रतिफल की राशि पर मापा जाता है, जिस पर कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, यदि व्यापार प्राप्तियों में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है प्रारम्भिक पहचान।

बाद की माप

ऋण विलेख में निवेश

ऋण विलेखों का परवर्ती माप परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। ऋण लिखतों के वर्गीकरण के लिए तीन माप श्रेणियां परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) और एफवीपीएल के माध्यम से उचित मूल्य हैं। कंपनी के पास केवल परिशोधन लागत पर ऋण लिखत हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्याज को परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब संपत्ति की पहचान या हानि होती है, और परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

डिरिक्गानेषन

एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है जहां परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गया है। किसी वित्तीय आस्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त होने पर, अग्रणीत राशि और प्राप्त प्रतिफल के योग और किसी भी संचयी लाभ या हानि के बीच का अंतर जिसे ऋण लिखतों के लिए अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को मान्यता दी जाती है, जब और केवल जब, कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर अपनी वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और वित्तीय देनदारियों के मामले में एफवीपीएल पर नहीं, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के मामले में मान्यता दी जाती है।

बाद की माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां जिन्हें एफवीपीएल में नहीं किया जाता है, बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है, और परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

डिरिक्गानेशन

एक वित्तीय दायित्व को अमान्य कर दिया जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। मान्यता समाप्त होने पर, अग्रणीत राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.7) वित्तीय आस्तियों की हानि

कंपनी एफवीपीएल में नहीं रखे गए सभी ऋण उपकरणों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए एक भत्ता को मान्यता देती है। ईसीएल अनुबंध के अनुसार देय संविदात्मक नकदी प्रवाह और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी नकदी प्रवाह के बीच अंतर पर आधारित हैं, जो मूल प्रभावी ब्याज दर के अनुमान पर छूट दी गई है। अपेक्षित नकदी प्रवाह में धारित संपार्श्विक की बिक्री से नकदी प्रवाह या अन्य ऋण संवर्द्धन शामिल होंगे जो संविदात्मक शर्तों के अभिन्न अंग हैं।

ईसीएल को दो चरणों में पहचाना जाता है। क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, ईसीएल को क्रेडिट हानियों के लिए प्रदान किया जाता है जो कि डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो अगले 12 महीनों (एक 12–महीने की ईसीएल) के भीतर संभव है। उन क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए, जिनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, डिफ़ॉल्ट के समय (एक आजीवन ईसीएल) के बावजूद, एक्सपोज़र के शेष जीवन में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए एक हानि भत्ता को मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी ईसीएल की गणना में एक सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है। इसलिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक नहीं करती है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को पहचानती है। कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स की स्थापना की है जो अपने ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव पर आधारित है, जो देनदारों के लिए विशिष्ट दूरंदेशी कारकों और आर्थिक वातावरण के लिए समायोजित है जो देनदारों की भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफ़ॉल्ट मानती है जब संविदात्मक भुगतान 180 दिन पहले देय होता है। हालांकि, कुछ मामलों में, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफ़ॉल्ट रूप से मान सकती है जब आंतरिक या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि कंपनी द्वारा धारित किसी भी क्रेडिट वृद्धि को ध्यान में रखने से पहले कंपनी को बकाया संविदात्मक राशियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की संभावना नहीं है। एक वित्तीय परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब संविदात्मक नकदी प्रवाह की वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है।

2.8) अनुबंध संतुलन

अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

अनुबंध देनदारियां

एक अनुबंध दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को वस्तु या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.9) नकद और नकदी के समतुल्य

नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकदी शामिल है और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.10) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा।

जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, खर्च की जाती है। जब अनुदान एक परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो उचित मूल्य को वित्तीय स्थिति के विवरण पर आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समान मात्रा में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.11) शेयर पूंजी

साधारण शेयर जारी करने से प्राप्त आय को इक्विटी में शेयर पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है। साधारण शेयरों को जारी करने के कारण सीधे तौर पर होने वाली वृद्धिशील लागतों को शेयर पूंजी के खिलाफ काट दिया जाता है।

2.12) पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात्, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी कम मूल्य की संपत्ति के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली लीज देनदारियों को पहचानती है और उपयोग की जाने वाली संपत्तियां अंतर्निहित पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अस्ति उपयोग का अधिकार

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को पहचानती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज़ देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज़ भुगतान में से कोई भी लीज़ प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यह्रास एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से कम और संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

यदि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं। हानि के लिए लेखांकन नीति का खुलासा नोट 2.5 में किया गया है ।

वित्तीय विवरणों में कंपनी के उपयोग के अधिकार का खुलासा नोट 5 में किया गया है ।

लीज देनदारियां

लीज की शुरुआत की तारीख में, कंपनी लीज अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज देनदारियों को पहचानती है। लीज भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सबस्टेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) किसी भी लीज इंसेंटिव को घटाकर, वैरिएबल लीज पेमेंट्स जो एक इंडेक्स या रेट पर निर्भर करता है, और रकम अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान किए जाने की उम्मीद है। लीज भुगतान में कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प के व्यायाम मूल्य और पट्टे को समाप्त करने के लिए दंड के भुगतान भी शामिल हैं, यदि लीज अवधि कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाती है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं (जब तक कि वे इन्वेंट्री का उत्पादन करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) जिस अवधि में भुगतान को ट्रिगर करने वाली घटना या स्थिति होती है।

लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ तिथि के बाद, लीज देनदारियों की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और लीज भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। इसके अलावा, पट्टे की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, पट्टे की अवधि में बदलाव, पट्टे के भुगतान में बदलाव (उदाहरण के लिए भविष्य के भुगतान में परिवर्तन एक सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है जो इस तरह के पट्टे को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है) भुगतान) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन।

कंपनी की लीज देनदारियों का खुलासा नोट 12 में वित्तीय विवरणों में किया गया है।

2.13) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व तब पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को एक वादा किए गए अच्छे या सेवा को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, जो तब होता है जब ग्राहक अच्छी या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है। एक प्रदर्शन दायित्व एक समय में या समय के साथ संतुष्ट हो सकता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि है।

वस्तुओं की बिक्री

बिक्री को मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं का नियंत्रण अपने ग्राहकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है (अर्थात समय पर)। अप्रचलन और हानि का जोखिम ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहकों ने बिक्री अनुबंध के अनुसार माल स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति प्रावधान समाप्त हो गए हैं, या कंपनी के पास वस्तुनिष्ठ प्रमाण हैं कि स्वीकृति के सभी मानदंड संतुष्ट हैं। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री 30 से 180 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार अभ्यास के अनुरूप है।

ब्याज आय

आय ब्याज आय एक समय के आधार पर अर्जित की जाती है। बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में

डैमरेज और प्रेषण आय

विलंब शुल्क और प्रेषण आय को मान्यता दी जाती है यदि इसका अनुमान मज़बूती से लगाया जाता है, और यह संभव है कि इसे प्राप्त किया जाएगा।

2.14) सम्बंधित पार्टी

एक संबंधित पार्टी एक व्यक्ति या संस्था है जो कंपनी से संबंधित है और इसमें शामिल हैं:

(ए) एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित है यदि वह व्यक्ति:

(i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;

(ii) रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; या

(iii) रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई की मूल कम्पनी के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का सदस्य है।

(बी) यदि निम्न में से कोई भी शर्त लागू होती है तो एक इकाई एक रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होती है:

(i) इकाई और रिपोर्टिंग इकाई एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि मूल कम्पनी सहायक और साथी सहायक अन्य से संबंधित हैं)।

(ii) एक इकाई दूसरी इकाई का सहयोगी या संयुक्त उद्यम है (या किसी समूह के सदस्य का सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिसका अन्य इकाई सदस्य है)।

(iii) दोनों संस्थाएं एक ही तीसरे पक्ष के संयुक्त उद्यम हैं।

(iv) एक इकाई तीसरी इकाई का संयुक्त उद्यम है और दूसरी इकाई तीसरी इकाई का सहयोगी है।

(v) इकाई या तो रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित इकाई के कर्मचारियों के लाभ के लिए रोजगार के बाद लाभ योजना है। यदि रिपोर्टिंग इकाई स्वयं ऐसी योजना है, तो प्रायोजक नियोक्ता भी रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होते हैं।

(vi) इकाई (ए) में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है।

(vii) (ए) (प) में पहचाने गए व्यक्ति का इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है या वह इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (या इकाई के माता–पिता) का सदस्य है।

(viii) इकाई, या समूह का कोई भी सदस्य जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई के माता–पिता को प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की सेवाएं प्रदान करता है।

निम्नलिखित आवश्यक रूप से संबंधित पक्ष नहीं हैं:

(ए) दो संस्थाएं केवल इसलिए कि उनके पास एक निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अन्य सदस्य समान हैं;

(बी) दो उद्यमकर्ता केवल इसलिए कि वे एक संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण साझा करते हैं।

प्रमुख प्रबंधन कर्मी वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कंपनी की गतिविधियों की योजना बनाने, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार और जिम्मेदारी होती है।

2.15) आयकर

वर्तमान आयकर

चालू वर्ष और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर आस्तियों और देनदारियों को उस राशि पर मापा जाता है, जिसकी वसूली या कर प्राधिकरण को भुगतान किए जाने की उम्मीद है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

वर्तमान आय करों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि कर लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग तिथि पर अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटारा होता है, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक

रूप से अधिनियमित होते हैं अवधि।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां ऑफसेट हैं, यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और समान कर क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी)

राजस्व, व्यय और संपत्ति को जीएसटी की राशि के अलावा मान्यता प्राप्त है:

- जहां संपत्ति या सेवाओं की खरीद पर किया गया जीएसटी कराधान प्राधिकरण से वसूली योग्य नहीं है, उस स्थिति में जीएसटी को संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के हिस्से के रूप में या लागू व्यय मद के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है; तथा
- प्राप्य और देय राशि जो जीएसटी की राशि के साथ बताई गई है, शामिल हैं।

कर प्राधिकरण से वसूली योग्य या देय जीएसटी की शुद्ध राशि को वित्तीय स्थिति के विवरण में प्राप्य या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2.16) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ या हानि में पहचाना जाता है जिसमें वे प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके खर्च किए जाते हैं।

2.17 विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मापा जाता है और लेनदेन की तारीखों पर निर्णय लेने वालों की विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग की मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय निर्णय की दर से अनुवादित किया जाता है। गैर–मौद्रिक आइटम जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, का अनुवाद प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों के अनुसार विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक मदों के निपटान या मौद्रिक मदों के अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.18) कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी सिंगापुर में केंद्रीय भविष्य निधि योजना, एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में योगदान करती है। परिभाषित योगदान पेंशन योजनाओं में योगदान को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा की जाती है। एक बार योगदान का भुगतान करने के बाद कंपनी की कोई और बाध्यता नहीं है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर इसका विस्तार किया जाता है। भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व की पहचान की जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, और दायित्व का अनुमान मज़बूती से लगाया जा सकता है ।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन अनुमानों और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है।

3.1) लेखांकन नीतियों को लागू करने में लिए गए निर्णय

प्रबंधन की राय है कि लेखांकन अनुमानों और नीतियों को लागू करने में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है ।

3.2) अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख मान्यताओं पर नीचे चर्चा की गई है। वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधारित किया। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

व्यापार प्राप्तियों की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए ईसीएल की गणना के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान दरें विभिन्न ग्राहक खंडों के समूहों के कारण पिछले दिनों पर आधारित होती हैं जिनमें समान हानि पैटर्न होते हैं।

प्रावधान मैट्रिक्स शुरू में कंपनी की ऐतिहासिक अवलोकित डिफ़ॉल्ट दरों पर आधारित है। कंपनी भविष्योन्मुखी जानकारी के साथ ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को समायोजित करने के लिए मैट्रिक्स को कैलिब्रेट करेगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

ऐतिहासिक अवलोकित डिफॉल्ट दरों, पूर्वानुमानित आर्थिक स्थितियों और ईसीएल के बीच सहसंबंध का आकलन एक महत्वपूर्ण अनुमान है। ईसीएल की राशि परिस्थितियों में बदलाव और आर्थिक स्थितियों के पूर्वानुमान के प्रति संवेदनशील है। कंपनी का ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और आर्थिक स्थितियों का पूर्वानुमान भी भविष्य में ग्राहक के वास्तविक डिफ़ॉल्ट का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। कंपनी के व्यापार प्राप्तियों पर ईसीएल के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों के नोट 22 में प्रकट की गई है।

31 मार्च 2022 तक कंपनी के व्यापार प्राप्तियों की अग्रणीत राशि वित्तीय विवरणों के नोट 8 में प्रकट की गई है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के उपयोगी जीवन का अनुमान उस समय लगाया जाता है जब संपत्ति अर्जित की जाती है और समान संपत्ति के साथ ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होती है और प्रत्याशित तकनीकी या अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखती है। यदि परिवर्तन प्रत्याशित से अधिक तेजी से होते हैं या परिसंपत्ति में अप्रत्याशित स्तर पर टूट–फूट का अनुभव होता है, तो उपयोगी जीवन को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

31 मार्च 2022 तक कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि वित्तीय विवरणों के नोट 4 में प्रकट की गई है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि

कंपनी सालाना आकलन करती है कि क्या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हानि का कोई संकेत प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मामलों में जहां हानि के संकेत हैं, संयंत्र और उपकरणों की वसूली योग्य मात्रा का निर्धारण मूल्य–में–उपयोग गणना के आधार पर किया जाएगा। इन गणनाओं के लिए निर्णय और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

31 मार्च 2022 तक कंपनी की संपत्ति संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि वित्तीय विवरणों के नोट 4 में प्रकट की गई है।

कोविड–19

वैश्विक स्तर पर और सिंगापुर में कोविड –19 महामारी का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक अपने वित्तीय विवरण के संबंध में परिसंपत्तियों, देनदारियों या प्रावधानविभिन्न अनुमानों को अंतिम रूप देते समय आंतरिक और बाहरी सूचनाओं पर विचार किया है।

हालाँकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड –19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार	फर्नीचर और फिटिंग	कम्प्यूटर उपकरण	कार्यालय उपकरण	कुल
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
लागत					
1 अप्रैल 2020	121.394	41,200	49,490	26,239	238,323
वृद्धि	-	-	2075	-	2,075
31 मार्च 2021	121,394	41,200	51,565	26,239	240,398
वृद्धि	-	-	1,341	-	1,341
31 मार्च 2022	121,394	41,200	52,906	26,239	241,739
संचित मूल्यह्रास					
1 अप्रैल 2020	121,394	40,887	45,790	25,122	233,193
मूल्यह्रास शुल्क	-	221	2,837	838	3,896
31 मार्च 2021	121,394	41,108	48,627	25,960	237,089
मूल्यह्रास शुल्क	-	92	2,411	279	2,782
31 मार्च 2022	121,394	41,200	51,038	26,239	239,871
अग्रणीत राशि					
31 मार्च 2022	-	-	1,868	-	1,868
31 मार्च 2021	-	92	2,938	279	3,309

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

5. उपयोग का अधिकार संपत्ति

कंपनी के पास कार्यालय परिसर के लिए पट्टे के अनुबंध हैं। कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्तियों को सौंपने और उपठेका देने से प्रतिबंधित किया गया है।

नीचे के रूप में वर्गीकृत उपयोग के अधिकार की संपत्ति की अग्रणीत राशिः –

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
कार्यालय परिसर		
1 अप्रैल का	-	87,859
वृद्धि	175,642	-
वर्श के लिए मूल्यह्रास	(87,821)	(87,859)
31 मार्च को	87,821	

6. अन्य परिसंपत्तियां

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
गैर वर्तमान		
वापसी योग्य जमा	27,265	27,279

अन्य संपत्तियां सिंगापुर डॉलर में मूल्यवर्गित हैं।

7. नकद और नकद समकक्ष

	2022 **यूएस$**	**2021** **यूएस$**
बैंकों में नकद	14,401,073	3,033,330
नगद	504	59
सावधि जमा	4,222,773	8,904,930
	18,624,350	11,938,319

नकद और नकद समकक्ष निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	18,605,420	11,916,383
सिंगापुर का डॉलर	18,930	21,936
	18,624,350	11,938,319

रिपोर्टिंग तिथि को सावधि जमा 12 महीने (2021:12 महीने) की परिपक्वता अवधि के साथ प्रति वर्ष 0–40% से 0–55% (2021 : 0–50% से 1–10%) तक की ब्याज दरों को वहन करती है। भारित औसत प्रभावी ब्याज दर 0–46% (2021 : 0–80%) प्रति वर्ष है।

रिपोर्टिंग तिथि को यूएस+ 222,773 (2021: यूएस+ 8904930) की सावधि जमा को उधार के लिए दी गई सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है (नोट 11)

नकदी प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्ष में निम्नलिखित शामिल हैं:

	2022 यूएस$	**2021** यूएस$
नकद और नकद समकक्ष (यथोक्त)	18,624,350	11,938,319
सावधि जमा	(4,222,773)	(8,904,930)
साख पत्र पर मार्जिन	(14,189,475)	(2,000,000)
	212,102	1,033,389

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

8. व्यापार और अन्य प्राप्तियां

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
व्यापार प्राप्तियां		
अन्य पार्टियां	35,190,427	37,886,988
होल्डिंग कंपनी	-	91,830
	35,190,427	37,978,818
अन्य प्राप्तिया		
सावधि जमा से प्राप्य ब्याज	10,672	53,688
जीएसटी प्राप्य	2,592	2,820
	13,264	56,508
कुल व्यापार और अन्य प्राप्तियां	35,203,691	38,035,326

व्यापार प्राप्य 30 से 180 दिनों (2021: 30 से 180 दिन) तक के ग्राहकों को दी गई सामान्य व्यापार ऋण शर्तों के भीतर गैर–ब्याज वाले और चुकाने योग्य हैं।

व्यापार और अन्य प्राप्तियां निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	35,201,099	38,032,506
सिंगापुर डॉलर	2,592	2,820
	35,203,691	38,035,326

9. व्यापार और अन्य देनदारियां

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
व्यापार देनदारियां		
अन्य पार्टियां	34,954,502	31,876,249
अन्य देनदारियां		
एकुअल्स	115,741	124,987
कुल व्यापार और अन्य देय राशि	35,070,243	32,001,236

व्यापार देय 30 दिनों (2021: 30 दिनों) के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई व्यापार ऋण शर्तों के भीतर गैर–ब्याज वाले और चुकाने योग्य हैं।

व्यापार और अन्य भुगतान निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	34,954,502	31,876,249
सिंगापुर डॉलर	115,741	124,987
	35,070,243	32,001,236

10. अन्य दायित्व

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
अनुबंध देनदारियां	3,247,358	-

देनदारियों को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के लिए शामिल किया जाता है और और जब निश्पादन दायित्व पूरा हो जाता है तो इसे निकाल दिया जाता है।

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

11 उधारी

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
ट्रस्ट रसीदें	6,270,000	6,726,484
अल्पकालिक ऋण	2,999,000	600,000
	9,269,000	7,326,484

रिपोर्टिंग तिथि पर शून्य (2021: यूएस डालर 215,834) की राशि की ट्रस्ट प्राप्तियां रिपोर्टिंग तिथि से शून्य (2021: 57 दिन) की परिपक्वता के साथ शून्य (2021: 2.38%) प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ब्याज दर वहन करती हैं; रिपोर्टिंग तिथि पर यूएस डालर 1,300,000 (2021: यूएस+ 3,510,650) रिपोर्टिंग तिथि से 70 दिनों (2021: 14 से 30 दिन) की परिपक्वता के साथ प्रति वर्ष 2.77% (2021: 2.61%) पर ब्याज दर वहन करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर शेष ट्रस्ट प्राप्तियों की राशि यूएस डालर 4,970,000 (2021: शून्य) है जिसमें रिपोर्टिंग तिथि से 64 दिनों (2021: शून्य) की परिपक्वता के साथ प्रति वर्ष 3.06% (2021: शून्य) की ब्याज दर पर ब्याज दर है।

रिपोर्टिंग तिथि पर अल्पकालिक ऋण प्रति वर्ष 3.06% से 3.33% (2021: 2.70%) की प्रभावी ब्याज दर वहन करता है। अल्पकालिक ऋण की परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से 90 दिनों (2021: 90 दिन) की होती है।

यूएस डालर 9296000 (2021: यूएस डालर 7326484 की उधारी बैंक द्वारा वित्तपोषित वस्तुओं और प्राप्तियों पर सुरक्षित है और कंपनी की यूएस+ 4222773 (2021: अमेरिकी डॉलर 8904930) की सावधि जमा (नोट 7)पर शुल्क का विलेख।

उधारियां अमरीकी डॉलर के मूल्यवर्ग में हैं।

12 लीज देयताएं

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
वर्तमान		
लीज देनदारिया	90,629	-

ए) लाभ या हानि में शामिल राशि

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	87,821	87,859
लीज देयता पर ब्याज व्यय	3,860	1,400
लाभ या हानि में शामिल की गई कुल राशि	91,681	89,259

बी) कुल नकद बर्हिगमन
कंपनी के पास कुल यूएस डालर 91800 (2021: यूएस डालर 90366 की लीज देनदारियों के लिए कुल नकद बहिर्वाह था।
लीज देयता सिंगापुर डॉलर में मूल्यवर्गित है।

13. शेयर पूंजी

	2022	2021	2022	2021
	साधारण शेयर की संख्या		यूएस$	यूएस$
जारी किए गए और पूरी तरह से भुगतान किए गए साधारण शेयर				
1 अप्रैल और 31 मार्च	1,461,502	1,461,502	1,000,000	1,000,000

साधारण शेयरों के धारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार होते हैं। सभी साधारण शेयरों में बिना किसी प्रतिबंध के प्रति शेयर एक वोट होता है। साधारण शेयरों का कोई सममूल्य मूल्य नहीं होता है ।

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

14. राजस्व आय

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
वस्तुओं की बिक्री		
– अन्य पार्टियां	456,453,965	485,964,133
– होल्डिंग कंपनी	121,500	233,988
	456,575,465	486,198,121

सभी बिक्री एक समय में पहचानी जाती हैं।

15. अन्य आय

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
डेमरेज और प्रेषण	191,655	1,515,137
बैंक जमा पर ब्याज आय	34,651	183,035
अन्य पार्टियों से ब्याज आय	18,657	305,678
	53,308	488,713
विविध आय	9,557	66,324
	254,520	2,070,174

16. कर्मचारी मुआवजा

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
निदेशकों का पारिश्रमिक (नोट 20 बी)	241,049	259,430
निदेशकों के लाभ (नोट 20 बी)	120,075	145,019
परिभाषित योगदान योजना में निदेशकों का योगदान केंद्रीय भविष्य निधि और एसडीएल सहित (नोट 19 बी)	18,364	17,614
कर्मचारियों का वेतन और तनखाह	223,975	211,146
स्टाफ बोनस	16,401	24,465
कर्मचारी कल्याण	7,401	6,374
परिभाषित योगदान योजना में नियोक्ता का योगदान केंद्रीय भविष्य निधि और एसडीएल सहित	31,601	28,916
	658,866	692,964

17. वित्त लागत

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
इस पर ब्याज खर्चः		
. लीज़ देयताएं	3,860	1,400
. बिल छूट	17,893	23,412
. अल्पकालिक ऋण	84,918	116,487
. ट्रस्ट प्राप्त ब्याज	294,147	344,249
	400,818	485,548

18. अन्य खर्चे

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
स्थानीय वाहन – अन्य	7,973	7,848
कार्यालय का व्यय	15,153	17,138
व्यावसायिक फीस	12,463	12,579
अन्य खर्चे	34,711	28,926
	70,300	66,491

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

19. आयकर खर्च

31 मार्च 2022 और 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक इस प्रकार थेः

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
वर्तमान आयकर		
– वर्तमान साल	124,720	201,745
– पूर्व वर्षों के संबंध में(अधिक) प्रावधान	-	(5,161)
	124,720	196,584

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच संबंध

31मार्च 2022 और 2021 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए लागू कॉर्पोरेट कर की दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ के उत्पाद के बीच मिलान इस प्रकार था :

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
कर पूर्व लाभ	815,204	1,314,762
17% (2021: 17%) की वैधानिक दर का उपयोग कर आयकर समायोजनः	138,585	223,510
– कोई कटौती योग्य खर्च नहीं	453	474
– आय कर के अधीन नहीं है	(1,398)	(8,869)
– आयकर छूट	(12,920)	(12,789)
– उपयोग न की गई गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति	-	(581)
– पूर्व वर्षों के संबंध में(अधिक प्रावधान)	-	(5,161)
	124,720	196,584

20. महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

(ए) वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रकट की गई संबंधित पार्टी की जानकारी के अलावा, कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच निम्नलिखित महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टियों के बीच सहमत शर्तों पर हुएः

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
होल्डिंग कंपनी को बिक्री	121,500	233,988

(बी) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दिया गया मुआवजा

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
वेतन, तनखाह और बोनस	241,049	259,430
रोजगार के बाद के लाभ – योगदान परिभाषित योगदान योजनाएं	18,364	17,614
कृपा के रूप में लाभ	120,075	145,019
	379,488	422,063

21. लाभांश

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
प्रदत्त लाभांश		
वित्तीय वर्ष के संबंध में भुगतान किया गया पहला अंतरिम लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में किया गया भुगतान	2,000,000	2,500,000
दूसरा अंतरिम लाभांश 200 सेंट (2021 रूपये 50 सेंट)		
प्रति शेयर चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में किया गया भुगतान	2,000,000	500,000
तीसरा अंतरिम लाभांश 100 सेंट (2021 रूपये 50 सेंट) प्रति शेयर	1,000,000	900,000
	5,000,000	3,900,000

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

22 . वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियां इसके संचालन से विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है। प्रमुख वित्तीय जोखिमों में क्रेडिट जोखिम, बाजार जेखिम (ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित) और तरलता जोखिम शामिल है।

निदेशक इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं और सहमत होते हैं, जिन्हें प्रबंधन टीम द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह कंपनी की नीति है, और पूरे चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में रही है कि सट्टा उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव में कोई व्यापार नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित अनुभाग उपर्युक्त वित्तीय जोखिमों के लिए कंपनी के जोखिम और इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विवरण प्रदान करते हैं।

इन वित्तीय जोखिमों के प्रति कंपनी के जोखिम में या जिस तरीके से वह जोखिमों का प्रबंधन और माप करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जो प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान होगा। क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से व्यापार और अन्य प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नकद और नकद समकक्षों सहित) के लिए, कंपनी विशेष रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग समकक्षों के साथ व्यवहार करके क्रेडिट जोखिम को कम करती है।

कंपनी ने केवल साख योग्य प्रतिपक्षकारों के साथ व्यवहार करने की नीति अपनाई है। कंपनी अपने प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति का निरंतर क्रेडिट मूल्यांकन करती है और आम तौर पर संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है।

कंपनी परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफ़ॉल्ट घटना का निर्धारण किया है जब आंतरिक और/या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है, जिसमें 180 दिनों से अधिक के लिए संविदात्मक भुगतान की चूक शामिल हो सकती है या इसमें महत्वपूर्ण कठिनाई हो सकती है प्रतिपक्ष।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट के जोखिम की डिग्री के अनुसार एक्सपोजर को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी के क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग को विकसित और बनाए रखा है। क्रेडिट रेटिंग जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और कंपनी के अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड द्वारा अपने प्रमुख ग्राहकों और अन्य देनदारों को रेट करने के लिए प्रदान की जाती है। कंपनी उपलब्ध उचित और सहायक भविष्योन्मुखी जानकारी पर विचार करती है जिसमें निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

- आंतरिक क्रेडिट रेटिंग
- बाहरी क्रेडिट रेटिंग
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जिनसे देनदार की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की उम्मीद है
- देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन
- एक ही देनदार के अन्य वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि
- देनदार के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समूह में देनदारों की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और देनदार के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित।

उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद, ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि को माना जाता है यदि कोई देनदार संविदात्मक भुगतान करने के कारण 90 दिनों से अधिक समय से पहले है।

कंपनी ने निर्धारित किया कि उसकी वित्तीय संपत्ति क्रेडिट–बिगड़ा है जबः

- कर्जदार की है खासी परेशानी
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि डिफ़ॉल्ट या पिछले देय घटना
- यह संभव हो रहा है कि देनदार दिवालिएपन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा
- वित्तीय कठिनाई के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार गायब हो गया

कंपनी संभावित राइट–ऑफ के लिए प्राप्य को वर्गीकृत करती है जब कोई देनदार देय 360 दिनों से अधिक समय से संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और देनदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

कंपनी के वर्तमान क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग ढांचे में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

श्रेणी	श्रेणी की परिभाषा	अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को पहचानने का आधार(ईसीएल)
I	प्रतिपक्ष के पास डिफ़ॉल्ट का कम जोखिम होता है और उसके पास कोई पिछली देय राशि नहीं होती है।	12 महीने का ईसीएल
II	पिछली राशि झ 90 दिन पहले देय है या प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट की हानि नही
III	पिछली राशि झ 180 दिन पहले देय है या इस बात का सबूत है कि परिसंपत्ति क्रेडिट हानि (डिफाल्ट में) की है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट की हानि
IV	इस बात के प्रमाण हैं कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और देनदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है	राशि बट्टे खाते में डाली जाती है

	नोट	श्रेणी	12–महीने या आजीवन ईसीएल	सकल वहन राशि यूएस$	हानि भत्ता यूएस$	शुद्ध वहन राशि यूएस$
31 मार्च 2022						
व्यापार प्राप्तियां	8	नोट 1	लाइफटाइम ईसीएल सरलीकृत	35,190,427	-	35,190,427
अन्य प्राप्तिया **(i)**	8	I	12 महीने का ईसीएल	10,672	-	10,672
						-
31 मार्च 2022						
व्यापार प्राप्तियां **(I)**	8	नोट 1	लाइफटाइम ईसीएल सरलीकृत	37,978,818	-	37,978,818
अन्य प्राप्तिया	8	I	12 महीने का ईसीएल	53,688	-	53,688
					-	

(i)इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

व्यापार प्राप्य (नोट 1)

व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी ने आजीवन ईसीएल पर हानि भत्ते को मापने के लिए एफआरएस 109 में सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया है। कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके ईसीएल का निर्धारण करती है, जो कि देनदारों की पिछली देय स्थिति के आधार पर ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर अनुमानित है, जिसे वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया गया है। तदनुसार, व्यापार प्राप्तियों का क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल प्रावधान मैट्रिक्स के संदर्भ में उनकी पिछली देय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि सभी प्राप्य ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहकों की साख के आधार पर संग्रहणीय हैं।

अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

एकाग्रता तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या ऐसी आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। कंसंट्रेशन किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर

कंपनी के पास तीसरे पक्ष के ग्राहकों के साथ शेष राशि के अलावा अन्य कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है। कंपनी के पास अपने क्रेडिट जोखिम जोखिम को कम करने और कम करने के लिए क्रेडिट नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।

अन्य प्राप्तियां

कंपनी ने प्रतिपक्षकारों के नवीनतम प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का आकलन किया, उद्योग के भविष्य के दृष्टिकोण के लिए समायोजित किया जिसमें प्रतिपक्षी काम करते हैं और निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तदनुसार, कंपनी ने 12–महीने के ईसीएल का उपयोग करके हानि हानि को मापा और निर्धारित किया कि ईसीएल महत्वहीन हैं।

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

बाजार ज़ोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि इस तरह के ब्याज दर और विदेशी विनिमय दरों के रूप में बाजार की कीमतों, में आने वाले बदलाव कंपनी की आय को प्रभावित करेगा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रबंधन करने के लिए और स्वीकार्य मापदंडों के भीतर नियंत्रण बाजार जोखिम जोखिम है, जबकि जोखिम पर वापसी के अनुकूलन है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण कंपनी के वित्तीय साधनों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से सावधि जमा और उधार से उत्पन्न होता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के ब्याज–असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल इस प्रकार थीः

	2022 यूएस$	2021 यूएस$
परिवर्तनीय दर इंट्रूमेंटस्		
वित्तीय संपत्ति	4,222,773	8,904,930
वित्तीय देनदारियों	(9,296,000)	(7,326,484)
	(5,073,227)	1,578,446

कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज वाले वित्तीय साधनों पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तनों के प्रभावों से उत्पन्न होने वाले कंपनी के लाभ या हानि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं करती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, यदि ब्याज दरें 0.5% (2021: 0.5%) अधिक या कम होतीं और अन्य सभी चर स्थिर होते, तो कंपनी का कर पूर्व लाभ या हानि(यूएस डालर 7,892 अधिक) होती (2021 यूएस डालर 25,366 निम्नतर), मुख्य रूप से उच्च या निम्न ब्याज आय या बैंक में फ्लोटिंग रेट कैश और फ्लोटिंग रेट बैंक उधार पर खर्च के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आधार बिंदुओं में अनुमानित गति वर्तमान में देखे जा सकने वाले बाजार के माहौल पर आधारित है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम मुख्य रूप से परिणाम नकद विदेशी मुद्राओं में नक्दी प्रवाह लेनदेन से बहती है। वर्तमान में, कंपनी मुद्रा जोखिम के खिलाफ हेजिंग के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं है। कंपनी यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जोखिम खरीद या स्थान दरों, जहां आवश्यक हो, अल्पावधि असंतुलन को संबोधित करने पर विदेशी मुद्राओं की बिक्री के द्वारा एक स्वीकार्य स्तर तक रखा जाता है।

कंपनी के पास बिक्री या खरीद से उत्पन्न होने वाले लेन–देन मुद्रा जोखिम हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा, मुख्य रूप से सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर एसजीडी के प्रति कंपनी का मुद्रा एक्सपोजर इस प्रकार थाः

	सिंगापुर यूएस$
2022	
वित्तीय संपत्ति	
नकद और नकदी के समतुल्य	18,930
अन्य परिसंपत्तियां	27,265
	46,195
वित्तीय देनदारियां	
व्यापार और अन्य देनदारियां	115,741
लीज देनदारियां	90,629
	(206,370)
शुद्ध वित्तीय देयताएं मुद्रा एक्सपोजर	(160,175)
2021	
वित्तीय संपत्ति	
नकद और नकदी के समतुल्य	21,936
अन्य परिसंपत्तियां	27,279
	49,215
वित्तीय देनदारियां	
व्यापार और अन्य देनदारियां	(124,987)
शुद्ध वित्तीय देयताएं मुद्रा एक्सपोजर	(75,772)

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों के नोट

विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेशण

निम्नलिखित तालिका 5 प्रतिशत (2021 : 5 प्रतिशत) के मुकाबले एसजीडीमें एक उचित संभावित बदलाव के लिए कर के बाद कंपनी के लाभ की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है जिसमें कर की दर सहित अन्य सभी स्थिर रहते हैं और शुद्ध वित्तीय देयता स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रभाव होंगे इस प्रकार हो:

यूएस डॉलर की तुलना में एसजीडी	लाभ या हानि (कर के बाद)	
	2022	2021
	यूएस$	यूएस$
– मजबूत	(6,647)	(3,145)
– कमजोर	6,647	3,145

तरलता जोखिम

लिक्विडीटी जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जो कंपनी को धन की कमी के कारण अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लिक्विडीटी जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता के बेमेल होने से उत्पन्न होता है। इसका प्रबंधन भुगतान और प्राप्ति चक्रों का मिलान करके किया जाता है। कंपनी का उद्देश्य फंडिंग की निरंतरता बनाए रखना है। कंपनी संचालन से उत्पन्न धन के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करती है। निदेशक संतुष्ट हैं कि कंपनी के संचालन के वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध है।

शेष संविदात्मक परिपक्वताओं द्वारा वित्तीय साधनों का विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक बिना छूट वाली चुकौती दायित्वों के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है।

	केरिंग राशि	संविदात्मक नकदी प्रवाह	एक साल या कम	एक से पांच साल
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
2022				
वित्तीय संपत्ति				
अन्य परिसंपत्तियां	27,265	27,265	-	27,265
नकद और नकदी के समतुल्य	18,624,350	18,624,350	18,624,350	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (प)	35,201,099	35,201,099	35,201,099	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय	53,852,714	53,852,714	53,825,449	27,265
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	35,070,243	35,070,243	35,070,243	-
उधारी	9,269,000	9,286,996	9,286,996	-
लीज देयताएं	90,629	91,879	91,879	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय देनदारियों	(44,429,872)	(44,449,118)	(44,449,118)	
कुल शुद्ध बिना छूट वित्तीय संपत्ति	9,422,842	9,403,596	9,376,331	27,265
(I) इन राशियों में जीएसटी प्राप्य शमिल नहीं है।				
2021				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
अन्य परिसंपत्तियां	27,279	27,279	-	27,279
नकद और नकदी के समतुल्य	11,938,319	11,938,319	11,938,319	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (प)	38,032,506	38,032,506	38,032,506	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय संपत्तियां	49,998,104	49,998,104	49,970,825	27,279

एमएमटीसी अंतरराष्ट्रीय पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्याः 199407265एम)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

शेष सविदात्मक परिवक्ताओं द्वारा साधनों का विश्लेषण (जारी)

वित्तीय देनदारियां

व्यापार और अन्य देनदारियां **(ii)**	32,001,236	32,001,236	32,001,236	-
उधारी	7,326,484	7,329,110	7,329,110	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय देनदारियों	(39,327,720)	(39,330,346)	(39,330,346)	-
कुल शुद्ध बिना छूट वित्तीय परिसंपत्तिं	10,670,384	10,667,758	10,640,479	27,279

(I) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं

23. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियां और देनदारियां

एक वित्तीय साधन का उचित मूल्य वह राशि है जिस पर साधन का आदान–प्रदान किया जा सकता है या जानकार और इच्छुक पार्टियों के बीच एक हाथ की लंबाई के लेन–देन में, एक मजबूर या परिसमापन बिक्री के अलावा।

वित्तीय साधनों के प्रत्येक वर्ग के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उस मूल्य का अनुमान लगाना व्यावहारिक है।

नकद और नकद समकक्ष, अन्य प्राप्य, अन्य देय राशि

इन शेष राशियों की वहन राशि इन शेष राशियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है।

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि

इन प्राप्य और देय राशियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है क्योंकि वे सामान्य व्यापार ऋण शर्तों के अधीन हैं।

उधार

उधार की वहन राशि उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों के साथ समान व्यवस्था के लिए ब्याज की बाजार दर के करीब ब्याज दरों के अधीन हैं।

24. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग और शुद्ध वर्तमान संपत्ति की स्थिति बनाए रखे। कंपनी की पूंजी संरचना में जारी शेयर पूंजी और प्रतिधारित आय शामिल है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव के आलोक में उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी किसी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

25. श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधनः

	2022 US$	2021 US$
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां		
अन्य परिसंपत्तियां	27,265	27,279
नकद और नकदी के समतुल्य	18,624,350	11,938,319
व्यापार और अन्य प्राप्य **(i)**	35,201,099	38,032,506
	53,852,714	49,998,104
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियां	35,070,243	32,001,236
व्यापार और अन्य देनदारियां	9,269,000	7,326,484
उधारी	44,339,243	39,327,720

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं

26. अंक के लिए वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल के एक संकल्प के अनुसार निदेशकों के वक्तव्य की तारीख के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत थे।

एमएमटीसी लिमिटिड समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी
लि मि टे क
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/8(9)/ एमएमटीसी (सीएफएस)/
वार्षिक लेखा/ (2021-22)/2022-23/358 -59
दिनांक: 14 SEP 2022

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम् एम् टी सी लिमिटेड,
कोर – 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एम् एम् टी सी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लिए एम् एम् टी सी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया ,

एस. आ. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357 फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaicac@cag.gov.in

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का दायित्व है।यह उनके द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत एक पूरक लेखा–परीक्षा की है। हमने एमएमटीसी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा–परीक्षा की, लेकिन नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के वित्तीय विवरणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) पांच संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों (अनुबंध) पर लागू नहीं हैं, जो कि संबंधित कानूनों के तहत विदेशों में निगमित निजी संस्थाएं/इकाई हैं, लेखा परीक्षक और पूरक लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूछताछ लेखापरीक्षक और कंपनी कर्मियों और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक का कारण बने।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(एस.एहलादीनी पांडा)
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 14 सितंबर 2022

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

अनुलग्नक

एमएमटीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम/एसोशिएट का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जेवी/सहायक	स्थिति
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
3	सिकाल आयरन और टर्मिनल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
5	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि.	सहायक कंपनी	विदेश में निगमित

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपॉर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित), और इसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को "ग्रुप" के रूप में संदर्भित किया गया है), और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 को समेकित बैलेंस शीट, और लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), और कैश फ्लो का समेकित विवरण और उस वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और नोट्स महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरण (बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) का लेखा–जोखा किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और इसके अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च, 2022 तक समूह और उसके संयुक्त उद्यम संस्थाओं के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित हानि और इसकी कुल व्यापक आय (शुद्ध हानि और कुल व्यापक हानि सहित) के मामलों में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी और उसके समेकित नकदी प्रवाह।

योग्य राय के लिए आधार

1.हम संलग्न समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए अनंतिम मासिक सूचना विवरण के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों का विवरण दाखिल किया जाता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") की 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार, डिवीजन II की अनुसूची III में संशोधन के संबंध में कंपनी को पुस्तकों के साथ समझौते में बयानों के त्रैमासिक समाधान का खुलासा करना आवश्यक है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि व्यवसाय की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए इन बयानों का समाधान नहीं किया जा सकता है और भौतिक विसंगति यदि कोई निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, वित्तीय विवरण में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 36 (के) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि 1.13 करोड़ रुपये की संदिग्ध वसूली योग्य राशि के लिए कई प्रावधान हैं इन शेष राशियों की वसूली योग्यता मूल्यांकन की पर्याप्त जानकारी अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। कंपनी ने इस तरह की शेष राशि की वसूली का आकलन करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक नोट शुरू किया है। प्रबंधन के अनुसार किए गए ये प्रावधान एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया राशि से संबंधित हैं और इन खातों की वसूली के लिए कोई पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी भी आंतरिक दिशा–निर्देशों की अनुपलब्धता के कारण इन प्रावधानों को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। तदनुसार प्रावधान और संबंधित वसूली योग्य शेष राशि को 1.13 करोड़ से कम कर दिया गया होता।

3.हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40(एफ)(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ("पीबीटी") का 1.5% की देयता 01.01.2007 (क्लोज्ड ग्रुप) को मान्यता नहीं मिली है, भले ही कंपनी ने सामर्थ्य के आधार पर 120.60 करोड़ रू. के कर–पूर्व लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया है। वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान को पिछले वर्षों के दौरान हानि के कारण वापस ले लिया गया है। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपरोक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नही करने अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों से विचलन इंगित करती है। की 1.81 करोड़ रूप्ये (पीबीटी का 1.5%) और प्रबंधन द्वारा अनुमानित 3.29 करोड़ (बेसिक और डीए का 4.5%) लेखांकन मानकों के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबीएस के प्रावधान में द्वारा 5.10 करोड रूपये वृद्धि की गई होगी और शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दी गई राशि से कम हो गई होगी।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी दायित्व को आगे के समेकित वित्तीय विवरण खंड के ऑडिट के लिए ऑडिटर के दायित्वों को हमारी रिपोर्ट में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं से स्वतंत्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	हम मौजूदा पुराने ईआरपी को एकीकृत और नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। एक की अनुपस्थिति में, कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास अनुसूची, जीएसटी की शुरूआत आदि जैसे कानूनों में हालिया बदलाव, सिस्टम में मूल रूप से कब्जा नहीं किया जाता है।	हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से निम्नलिखित परीक्षण किए कि विभिन्न लेखा पैकेजों/सॉफ्टवेयर में उत्तीर्ण सभी प्रविष्टियों को बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी में विधिवत रूप से मैप किया गया है: – कट ऑफ प्रक्रिया पूरी कर ली है – विभिन्न प्लेटफार्मों में पारित किए गए संपूर्णों का मेल–मिलाप।
2.	संदर्भ नोट नं 34 दावों पर ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें लंबित कानूनी मामलों के दावों को शामिल किया गया है। विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को संभालने के लिए कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय 1 उप क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालाँकि, बहुत से मामलों में कानूनी मामलों को कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर निपटाया जाता है, जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी / लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	हमने 31 मार्च 2022 को कॉरपोरेट ऑफिस विधि प्रभाग में निपटाए गए सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची पिछले साल की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट के साथ प्राप्त की। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता रखने के लिए प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व एक ही स्थान पर हों।
3.	संदर्भ नोट संख्या 11बी में संबंधित पक्षों को अग्रिम शामिल है जिसमें नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को दिए गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय को वर्ष के दौरान आय में शामिल नही किया गया है।	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया। ब्याज की वसूली की संभावना को समझने के लिए हमने प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा की कंपनी की राजस्व पहचान नीति की उपयुक्तता और इंड एएस 115 राजस्व पहचान के संदर्भ में इसके अनुपालन पर विचार किया गया। वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित डिस्क्लोजर का आकलन किया।
4.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का आकलन (नोट संख्या 6 देखें) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास गैर–चालू और चालू निवेश	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन हम निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं प्रबंधन प्रक्रिया को प्राप्त करना और समझना। हानि संकेतकों के संबंध में प्रबंधन के साथ व्यापक रूप से चर्चा की और नियंत्रणों के डिजाइन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। निवेश की वसूली का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का आकलन किया और यह सुनिश्चित किया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।
5.	एंग्लो कोल पर प्रावधान पर टिप्पणी संख्या 32 (**ii**) देखें	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया: एंग्लो कोल के मामलों के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करना और समझना। संभावित प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की और वित्तीय विवरण में दिखाया गया।

मामलों पर जोर

पुनर्रचना और ऋण चुकौती में चूक

हम संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या RBI/2020–21/16 डीओआर सं..BP/BC/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसारे कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए, ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया था, ऋण को 08.06.2021 को पुनर्गठित किया गया था, कुल बकाया बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान 29.04.2022 जिसमें देय तिथि 30 दिनों की समीक्षा अवधि के साथ ऋण और ब्याज चुकौती 30.03.2022 थी। (30.03.2022 के बाद 30 दिनों की समीक्षा अवधि) को या उससे पहले एक बार में किया जाना था, मुख्य रूप से एनआईएनएल विनिवेश से। चूंकि एनआईएनएल की विनिवेश राशि प्राप्त न होने के कारण देय तिथि/समीक्षा अवधि में ब्याज सहित बैंक ऋण का भुगतान नहीं किया जा सका, इसलिए सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाते को ऋण पुनर्गठन की तिथि 8.6.2021 से अवमानक/एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया ऋण पुनर्गठन समझौतों और अन्य कानूनों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू थे और डिफॉल्ट राशि पर दंड/कार्ड ब्याज दर वसूल की जानी थी। एनआईएनएल से 4.7.2022 को आईएनआर की राशि के विनिवेश की प्राप्ति के परिणामस्वरूप, 31.3.2022 को 31.3.2022 तक मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के रूप में 2551.44 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा 6.7.2022 को विवरण प्राप्त कर लिया गया है और ऋणदाताओं ने पूर्ण ऋण शेष के भुगतान की तिथि तक 1.4.2022 से केवल दंडात्मक ब्याज के साथ विवरण प्रदान किया है। कंपनी ने ऋणदाताओं के साथ 07.07.2022 को आयोजित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक "जेएलएम" के दौरान 01.04.2022 से पहले दंड / कार्ड दर शुल्क सहित सभी दंड और अन्य शुल्क माफ करने के लिए उठाया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सेबी के विनियम 33 का गैर–अनुपालन

हम साथ में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा गैर– सेबी के नियम 33 का अनुपालन नही करने पर 0.07 करोड़ रु. की आकस्मिक देयता के रुप में मांग की है। प्रबंधन इन मांगों को माफ करने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की आवश्यकता के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण देता है। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त उद्यम संस्थाओं सहित समूह का प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह। समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य अनियमितताएं; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और डिजाइन; पर्याप्त वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे देय हो धोखाधड़ी या त्रुटि के लिए, जिसका उपयोग पूर्वोक्त रूप में होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं जो समूह और उसके संयुक्त उद्यम संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जैसा कि खुलासा करते हैं जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक लागू होने वाले मामलों से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना।

समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यम संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं । हम यह भी करते हैं :

- समेकित वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इसके लिए भी जिम्मेदार हैं इस पर अपनी राय व्यक्त करना कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन ।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता है जो समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाएं एक चालू चिंता के रूप में जारी रह सकती हैं।
- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा समेकित वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या समेकित वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त उद्यम संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के संचालन के प्रभारी लोगों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य इकाई के साथ संवाद करते हैं, जिनके बारे में हम अन्य मामलों के साथ, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षक नहीं हैं। आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियां जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

शासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उम्मीद की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य मामले

1. हमने सिंगापुर में निगमित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसका वित्तीय विवरण जिसका वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2022 को 408.70 करोड़ रु. की कुल संपत्ति, 46.50 करोड़ रु. की शुद्ध संपत्ति को दर्शाता है और समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 3404.33 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और शुद्ध नकदी बहिर्वाह 6.12 करोड़ रुपये और 6.86 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध लाभ।
2. समेकित वित्तीय विवरणों में भारतीय रुपये के शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा भी शामिल है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 11.55 करोड़, जैसा कि संयुक्त उद्यम मेसर्स एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा नहीं की गई है।
3. समेकित वित्तीय विवरणों में पांच संयुक्त उद्यम कंपनी, मेसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड और सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ने अपने संचित घाटे के समूह के हिस्से के रूप में होल्डिंग कंपनी के संबंधित पूर्वोक्त संयुक्त उद्यमों में निवेश के वहन मूल्य को से आधारित हो गया। इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की न तो हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है और न ही होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा हमें कोई वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित) प्रस्तुत किया गया है, जहां तक यह राशियों से संबंधित है और सहायक और छह संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक और संयुक्त उद्यम से संबंधित है, आधारित है केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर। सिंगापुर में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा समायोजित किया गया है।
4. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी) योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि प्रतीत होता है उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जांच,

सी) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप है।

डी) योग्य राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) 2014, नियमों के तहत जारी प्रासंगिक नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का अनुपालन करते हैं।

ई) ऊपर 'योग्य राय के आधार' और 'मामले पर जोर' पैराग्राफ में वर्णित मामले, हमारी राय में कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

एफ) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान हैं, होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं;

जी) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक 1" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमे हैं जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है – समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 34 देखें, इसका प्रभाव अनिश्चित है क्योंकि मामले विचाराधीन हैं।

ii. व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, लागू होने वाले कानून या लेखा मानकों के तहत, समेकित वित्तीय विवरण में प्रावधान किया गया है।

iii. कंपनी ने भारतीय रुपये 127 को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित नहीं किया है।

iv. क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से या कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या किसी भी गारंटी, सुरक्षा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह से पहचान की जाती है (नोट 51 देखें)।

बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां" सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है।), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी, चाहे वह फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") की ओर से हो या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें (नोट 514(एफ) देखें)।

ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रतिवेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी विवरण गलत है।

अ. कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2022
यूडीआईएन 22095584AMPTHP8636

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(3)(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने ("कंपनी") 31 मार्च, 2022 तक, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

होल्डिंग कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनी, इसकी सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, "वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए "भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट" में कहा गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और त्रुटियां, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी है।

आडिटरों का दायित्व हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने वाले आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऑडिटिंग पर मानकों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपना ऑडिट किया है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। वे मानक और मार्गदर्शन नोट कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित हैं, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रणाली।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विहित सीमाएंः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके। भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

अन्य मामले

1. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट जहां तक यह चार संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर हैं।
2. हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं, जहां तक यह दो संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और इसमें शामिल ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टें हैं। नहीं मिला है।

उपरोक्त मामलों पर हमारी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रायः

हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी प्रत्यक्ष मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।, "भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2022
यूडीआईएन 22095584AMPTHP8636

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

2021–22 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	योग्य राय	
1.	हम संलग्न वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए अनंतिम मासिक सूचना विवरण के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या मौजूदा परिसंपत्तियों के विवरण दाखिल किए जाते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के अनुसार, डिवीजन II की अनुसूची III में संशोधन के संबंध में कंपनी को पुस्तकों के साथ समझौते में बयानों के तिमाही मिलान का खुलासा करना आवश्यक है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कारोबार की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए इन बयानों का मिलान नहीं किया जा सका और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगति है तो उसे निर्धारित नहीं किया जा सका। इस प्रकार आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है	एमएमटीसी ने बैंकों के साथ एकमुश्त ऋण पुनर्गठन किया है। एनआईएनएल विनिवेश के बाद बैंक देनदारियों का निर्वहन किया गया है। तदनुसार भविष्य में स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि एमओसी के निर्देशों के अनुसार एमएमटीसी व्यवसाय को डाउनसाईज कर दिया गया है और इस स्तर पर उन्हें बैंक ऋण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।
2.	हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 35 (डी) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 1.13 करोड़ रुपये की संदिग्ध वसूली योग्य राशि के लिए कई प्रावधान हैं, पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता के कारण इन शेष राशि का वसूली योग्यता मूल्यांकन नहीं किया जा सका। . कंपनी ने इस तरह के शेष की वसूली क्षमता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक नोट शुरू किया है। प्रबंधन के अनुसार ये प्रावधान एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया शेष से संबंधित हैं और इन खातों की वसूली के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी आंतरिक दिशानिर्देश की अनुपलब्धता के कारण इन प्रावधानों को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। तदनुसार, प्रावधानों और संबंधित वसूली योग्य शेष राशि को 1.13 करोड़ कम कर दिया गया होता।	ये मामले दो दशक से अधिक पुराने हैं और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। मामले को चालू वित्तीय वर्ष में बीओडी में ले जाया जाएगा। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं
3.	हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 39 (एफ) (ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर–पूर्व लाभ का 1.5% ("पीबीटी") की देयता (बंद समूह) को शामिल नहीं किया गया है, भले ही कंपनी ने अफोडिबिलिटी के अनुसार 120.60 करोड़, रू. के कर–पूर्व लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से फॉर्म पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) उपलब्ध नहीं कराया है। वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपर्युक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नही करना अधिनियम की धारा 133 के तहत इसे निर्धारित लेखांकन मानकों से अलग करती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित 1.81 करोड़ रू. की राशि (पीबीटी का 1.5%) और 3.29 करोड़ रू. (बेसिक और डीए का 4.5%), का लेखा मानकों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबी के लिए 5.10 करोड रू. का प्रावधान बढ़ा दिया गया होता और शुद्ध आय और शेयरधारकों का फंड दी गई राशि से कम हो गई होता।	मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामर्थ्य और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डीपीई दिशानिर्देश लाभ के आधार पर योगदान (पीबीटी) प्रदान करता है। तदनुसार, कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से कम करने/बंद करने के मद्देनजर इस स्तर पर प्रावधान नहीं किया जायेगा। सीएजी ने इस मुद्दे पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है।

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	प्रमुख आडिट मामले	
1.	उन दावों पर नोट संख्या 33 देखें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें लंबित कानूनी मामलों के कारण दावे शामिल हैं। विभिन्न अधिनिर्णय प्राधिकरणों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन शामिल है। उस विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को चलाने के लिए कंपनी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालांकि, कई मामलों में कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर कानूनी मामलों को निपटाया जाता है जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी/लेनदेन क्षे.का. स्तर पर निपटाए जाते हैं, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखापरीक्षकों का उत्तरः हमने 31 मार्च 2022 को कॉरपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा देखे जा रहे सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची प्राप्त की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट मिला। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता के लिए एक ही स्थान पर कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व, यदि कोई हो, रखें।	सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (सीपीसी) के अनुसार कानूनी मामलों की संस्था अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से इस आधार पर निर्धारित किया जाता हैः ए) आर्थिक मूल्य बी) न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सी) विषय वस्तु इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में वाद वहां स्थापित किया जाता है जहां अचल संपत्ति स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय जिसने एक विशेष समझौते को निष्पादित किया है और जो अभिलेखों का रक्षक है, अदालत के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त और उपयुक्त है। हालाँकि जब मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचते हैं, तो मामले को कॉर्पोरेट कार्यालय में निपटाया जाता है। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। आरओ/एसआरओ के बंद होने की स्थिति में चल रहे कानूनी मामलों की देखरेख के लिए न्यूनतम कर्मचारियों वाले कैंप कार्यालयों को बनाए रखा जाएगा।
	मामलों पर जोर	
	पुनर्गठन और ऋण पुनर्भुगतान में चूक हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने कोविड–19 से संबंधित परेशानियों के समाधान के लिए सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2020–21/16 डीओआर नं.बीपी/बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया था।, ऋण को 08.06.2021 को फिर से पुनर्गठित किया गया, जिसमें देय तिथि 30 दिनों की समीक्षा अवधि के साथ ऋण और ब्याज अदायगी 30.03.2022 थी। कुल बकाया बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान मुख्य रूप से एनआईएनएल विनिवेश से 29.04.2022 को या उससे पहले (30.03.2022 के बाद 30 दिनों की समीक्षा अवधि) एक बार में किया जाना था। चूंकि एनआईएनएल के विनिवेश आय की प्राप्ति न होने के कारण देय तिथि/समीक्षा अवधि पर ब्याज सहित बैंक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाते को ऋण पुनर्गठन की तारीख 08.06.2021 से सब–स्टेंडर्ड/एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया है। ऋण पुनर्गठन समझौतों और अन्य विधानों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान लागू थे और डिफ़ॉल्ट राशि पर दंडात्मक/कार्ड दर से ब्याज लगाया जाना था। 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रू. की राशि मूलधन और 31.3.2022 तक सामान्य सहमत ब्याज के लिए भुगतान किया गया है। इसके अलावा 6.7.2022 को विवरण प्राप्त किया गया है और ऋणदाताओं ने पूर्ण ऋण शेष राशि के भुगतान की तारीख तक 1.4.2022 से केवल दंडात्मक ब्याज के साथ विवरण प्रदान किया है। कंपनी ने 07.07.2022 को आयोजित संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक "जेएलएम" के दौरान ऋणदाताओं के साथ 01.04.2022 से पहले के दंड/कार्ड दर शुल्क सहित सभी दंड और अन्य शुल्कों को माफ करने का मुद्दा उठाया है।	4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये की राशि मूलधन और 31.3.2022 तक सामान्य सहमत ब्याज के लिए भुगतान की गई है। कंपनी ने मूलधन और सामान्य ब्याज का भुगतान किया है और दंडात्मक ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, अन्य शुल्कों में छूट के लिए ऋणदाताओं के साथ सकारात्मक रूप से विचार किया है। ब्याज और आरटीआर से संबंधित 111.24 करोड़ रुपये की राशि 22 जून तिमाही में दर्ज की गई है, जिसमें से 50.30 करोड़ रुपये 1.4.2022 से 6.7.2022 तक सामान्य ब्याज से संबंधित है और शेष राशि 60.94 करोड़ रुपये ब्याज के प्रावधान से संबंधित है। और आरटीआर चालू है। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	प्रमुख आडिट मामले	
2.	**सेबी के विनियम 33 का अनुपालन नही होना** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 33 (अप) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा सेबी के विनियम 33 का अनुपालन नही होने पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू. की आकस्मिक देयता बनाई है। प्रबंधन इन मांगों को माफ कराने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।	कंपनी ने सेबी के विनियम 33 के अनुपालन नही होने पर मांग में छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ मामला उठाया है। एमएमटीसी को 2021–22 के लिए सीएजी से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को	31.03.2021 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	30.69	34.57
संपत्ति,उपयोग का अधिकार	3	3.65	3.36
कार्यशील पूंजीगत	3	.	.
निवेश संपत्ति	4	3,70	3,87
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0,23	0,39
इक्विटी पद्वति में शमिल निवेश	6ए	91.42	79,87
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6बी	11,03	2,23
व्यापार प्राप्य	7ए	.	.
ऋण	8	2,27	3,49
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	45,58	47,50
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	214,41	555,44
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11ए	24,04	24,75
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	29,80	45,65
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6सी	.	.
व्यापार प्राप्य	7बी	401,65	834,11
नगद तथा नगद समतुल्य	13	152,44	155,00
उपरोक्त के अलावा बैंक शेश	14	49,45	98,65
ऋण	8	0,99	1,36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	8,90	27,02
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	3,61	2,64
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11बी	3,709,53	3,546,12
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6डी	–	7,8
कुल परिसंपत्तियां		4,783.39	5,473,86
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16ए	150.00	150.00
अन्य इक्विटी	16बी	(298.09)	(50.26)
अनियंत्रित ब्याज		.	.
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17ए	.	.
अन्य वित्तीय देनदारी	19ए	4.14	3.61
प्रावधान	20ए	37.40	44.03
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17बी	2,621.65	2,417.85
व्यापार प्राप्य			
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय	16	0.18	0.03
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग बकाया देय देनदारी		534.20	998.28
लीज देयताएं	19बी	0.13	0.35
अन्य वित्तीय देयताएं	19सी	219.37	209.30
अन्य वर्तमान देयताएं	21	410.13	772.22
प्रावधान	20बी	1,082.00	926.97
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	22.28	1.48
कुल इक्विटी और देयता		**4,783.39**	**5,473.86**

वित्तीय विवरणों 1 – 57 के साथ संलग्न नोट देखें।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमएनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(बीएन दास
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 08751137

(जे.रविशंकर)
निदेशक
डीआईएनः 06961483

(विमु नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	11,796.24	30,001.47
अन्य आय	24	17.73	17.67
कुल आय (I)		11,813.97	30,019.14
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	107.40	75.51
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	10,544.17	28,348.17
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्कइन प्रोग्रेस में परिवर्तन	27	11.75	161.82
कर्मचारी लाभ व्यय	28	119.32	140.21
वित्तीय लागत	29	208.93	202.09
मूल्यह्रास, हानि तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	5.31	5.69
अन्य खर्च	31	572.46	1,321.61
कुल खर्च (II)		11,569.34	30,255.10
असाधारण मदों तथा टैक्स (I–II) से पूर्व लाभ		244.63	(235.96)
असाधारण मदें –व्यय/(आय)	32	155.20	877.18
कर पूर्व लाभ और इक्विटी एकाउंटिड निवेशी		89.43	(1,113.14)
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए खाते में संयुक्त उपकमो लाभ का भाग (आयकर निकालकर)		11.65	0.79
करपूर्व लाभ		101.08	(1,112.35)
कर व्यय	33		
I) वर्तमान कर		22.43	1.46
ii) अवधि से संबंधित समायोजन		.	0.07
iii) आस्थगित कर		341.03	(324.60)
कुल कर व्यय		363.46	(323.07)
वर्ष के लिए लाम(हानि) (ए)		(262.38)	(789.28)
वर्ष के लिए उपारोप्य लाभ(हानि):			
पैरेंट के मालिक		(262.38)	(789.28)
अनियंत्रित ब्याज		.	.
वर्ष के लिये लाभ (हानि)		(262.38)	(789.28)
अन्य व्यापक आय			
ऐसी मदें जिनको लाम अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
. परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		11.90	6.93
. अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स		0.97	1.07
. आयकर का प्रभाव		.	.
. संयुक्त उपकमों मे अन्य व्यापक आय का शेयर (कर रहित) लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत मदें:		(0.10)	0.34
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर .विनिमय अंतर		.	
विदेशी परिचालन का विवरण		1.78	(2.79)
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि) कर रहित (बी)		14.55	5.55
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		(247.83)	(783.73)
कुल व्यापक आय/(हानि) के कारणः			
पैरेंट के मालिक		(247.83)	(783.73)
अनियंत्रित ब्याज		.	.
वर्ष के कुल व्यापक आय/(हानि)		(247.83)	(783.73)
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड	46	(1.75)	(5.26)

1 — 57

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमएनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन रू 08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे.रविशंकर)
निदेशक
डीआईएनरू 08961483

(विभु नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		101.08		(1,112.35)
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	0.01		1.59	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	5.31		5.69	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	4.42		(11.89)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(0.04)		(1.37)	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.01		.	
ब्याज आय	(4.16)		(8.31)	
लाभांश आय	(0.08)		(0.07)	
वित लागत	208.82		201.60	
लीज पर ब्याज खर्च	0.11		0.49	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	0.02		5.80	
सीएसआर व्यय	0.05		0.89	
संदिग्ध ऋणों/ दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	1.05		1.06	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(23.22)		(0.29)	
रिटन बैक देयताए	(9.15)		(4.38)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	.		0.08	
संयुक्त उपक्रमों के (लाभ)/हानि के शेयर में प्रयुक्त				
लेखों के लिए इक्विटी पद्यति (शुद्ध निवल आयकर)	(11.65)		(0.79)	
		171.50		190.10
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		272.58		(922.25)
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	15.84		170.47	
व्यापार प्राप्ति योग्य	450.29		1,210.48	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	21.62		10.50	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	(111.72)		(70.01)	
व्यापार प्राप्य	(454.88)		344.81	
अन्य वित्तीय देयताएं	10.60		6.58	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	(362.31)		65.96	
प्रावधान	160.25	(270.31)	879.34	2,618.13
		2.27		1,695.88
प्रदत्त कर		(2.60)		7.66
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		(0.33)		1,703.54
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(1.39)		(0.42)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.04		2.61	
निवेश की बिक्री/खरीद	0.01		0.02	
प्राप्त किया गया ब्याज	4.16		8.31	
प्राप्त किया गया लाभांश	0.08	2.90	0.07	10.59
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		2.90		10.59
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	203.80		(1,431.69)	
वित्त लागत	(208.82)		(201.60)	
लीज (ब्याज)	(0.11)		(0.49)	
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर शामिल)	.	(5.13)	.	(1,633.78)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		(5.13)		(1,633.78)
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		(2.56)		80.35
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य (नोट संख्या 13)		155.00		74.65
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य (नोट संख्या 13)		152.44		155.00

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

टिप्पणी:

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विशय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में निश्चित एक्रूअल / डेफरल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में शामिल है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	**115.84**	**62.93**
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**15.57**	**57.92**
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेश	**20.96**	**33.99**
उपलब्ध चेक / ड्राफ्ट / स्टाम्प	-	-
उपलब्ध रोकड़	0.07	0.16
	152.44	155.00

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं.00002312एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमएनं. 095584

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे.रविशंकर)
निदेशक
डीआईएनरू 06961483

(विभु नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

1. इक्विटी शेयर पूंजी **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2021 तक शेष	1,500,000,000	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को शेष	1,500,000,000	150.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2020 तक शेष	1,500,000,000	100.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष	1,500,000,000	150.00

(बी) 31 मार्च 2021 को को अन्य इक्विटी **(₹ करोड़ में)**

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस				व्यापक आय की अन्य मदें				कुल
		बांड रिडिंपशन रिर्जव	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूयूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	मूल कंपनी के के मालिकों को रोप्य	
1.4.2021 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	(657.20)	(8.93)	14.14	(6.59)	(50.26)	(50.26)
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	(262.38)	0.97	1.78	11.80	(247.83)	(247.83)
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-		-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-		-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-		-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-		-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-		-
31.3.2022 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	(919.58)	(7.96)	15.92	5.21	(298.09)	(298.09)

31 मार्च 2021 को को अन्य इक्विटी **(₹ करोड़ में)**

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस				व्यापक आय की अन्य मदें				कुल
		बांड रिडिंपशन रिर्जव	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूयूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	मूल कंपनी के के मालिकों को रोप्य	
1.4.2020 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	132.08	(10.00)	16.93	(13.86)	733.47	733.47
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	(789.28)	1.07	(2.79)	7.27	(783.73)	(783.73)
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-		-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-		-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-		-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-		-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-		-
31.3.2021 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	(657.20)	(8.93)	14.14	(6.59)	(50.26)	(50.26)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को
प्रस्तावित लाभांश	–	–
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	–	–

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर सं.00002312एन

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमएनं. 095584

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जी आनंदनारायणन)
कंपनी सचिव
एसीएस–13691

(बीएन दास
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(विभु नायर)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03590141

(जे.रविशंकर)
निदेशक
डीआईएनः 06961483

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूश्नल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृशि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदिका व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 ए) अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

बी) समेकन का आधार

एमएमटीसी लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के साथ मिलकर इसे 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित करता है। कंपनी उन संस्थाओं को समेकित करती है जिनका स्वामित्व या नियंत्रण इंड एएस–110 के प्रावधानों के अनुसार होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन–बाय–लाइन आधार पर समेकित किया जाता है और इंट्रा–ग्रुप बैलेंस और लेनदेन, ऐसे लेनदेन से अप्राप्त लाभ / हानि सहित, समेकन पर समाप्त हो जाते हैं। ये वित्तीय विवरण समूह में उपयोग में आने वाली समान लेखा नीतियों को लागू करके तैयार किए जाते हैं। गैर–नियंत्रित ब्याज जो शुद्ध लाभ या हानि के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और सहायक कंपनियों की शुद्ध संपत्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व या समूह द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, को बाहर रखा गया है।

सहयोगी वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन नियंत्रण नहीं है। संयुक्त उद्यम वे संस्थाएं हैं जिनमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और इकाई की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार होता है। एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा–जोखा भारतीय लेखा मानक–28 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है। निवेश को शुरू में लागत पर दिखाई जाती है और अधिग्रहण की तारीख के बाद निवेशक के लाभ या हानि के निवेशक के हिस्से को शामिल करने के लिए कैरिंग राशि को बढ़ाया या घटाया जाता है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूप्ए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

I) ट्रेडिंग आय

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना रिटर्न व भत्तों, व्यापार डिस्काउंट वाल्यूम छूट को घटाकर प्राप्त प्रतिफल अथवा प्राप्त होने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा की गई सेवाओ और सामान को ग्राहक को ट्रांसफर करके निष्पादन दायित्व पर सहमत होता है और ग्राहक इसका इसपर अपना अधिकार ले लेता है और ऐसी संभावना है कंपनी ग्राहक को ट्रांसफर किए गए सामान और सेवाओं के बदले लाभ, जिसके हकदार है, कंपनी प्राप्त करेगी!

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता हैः सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) *अन्य ऑपरेटिंग राजस्व*

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की शर्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) दावे

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्ध संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iv) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तो:

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल है:

(i) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

(II) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(III) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेश अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविश्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है । जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो । प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्श के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेश भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को "उपयोग के लिए उपलब्ध"है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिशोधन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिंटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट/वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
ईमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस/गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	5
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबंद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्शों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं

निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निकाल कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः निकलने होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेन–देन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।
प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।
विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।
स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

I) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी शामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात :

I) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्शिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेश स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

I) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्श स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में <u>विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है</u>।

ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

<u>आकस्मिक देयताएं</u>

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।
आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।
जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय

अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार हैः–

i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

ii) जब कंपनी पटटाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पटटे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पटटे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पटटा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पटटा देयता का मूल्यांकन पटटा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए कैरिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पटटे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है ।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इंडस्ट्रीज़ ै–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

i) ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेश लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना पंरसिपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाशित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v) एक परिभाशित अंशदान योजना, अधिवर्शिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिश्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है।

आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविश्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविश्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा !

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

1. लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभाावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है!

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्वत में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वगीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

i) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।
- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

  गैर मौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों की पहचान आरंभ में सीधे तौर पर आरोप्य ट्रांजेक्शन लागत के साथ–साथ उचित मूल्य पर की जाती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्डस को अंतरित किया गया हो तब वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं (डि– रिकाग्नाईज) की जाती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बहुत अधिक जोखिमों एवं रिवार्ड को न ही ट्रांसफर अथवा न ही रिटेन किया गया है अथवा रोक कर नहीं रखा गया तथा कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का नियंत्रण बना कर नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित हैः–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ–साथ आरोप्य किए जाने योग्य लेन देन लागत सहित पहचाना जाता है तथा बाद में किसी प्रकार की क्षति होने को कम करके प्रभावी ब्याज प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर आंका जाता है। ऋणों एवं प्राप्यों में ट्रेड प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की शक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

li) अमौलिक (डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान त्तकाल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 ' 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ़ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं कम हुए (डाईल्यूटिड) प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का प्रकटन नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2022 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2021 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	1.07	0.11	0.02	-	0.13	0.94	0.96
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.85	-	-	1.85	0.78	0.22	-	1.00	0.85	1.07
भवन	-	-	-		-	-	-			
– कार्यालय भवन	6.45	-	-	6.45	0.95	0.16	-	1.11	5.34	5.50
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.21	0.03	-	1.24	0.22	0.04	-	0.26	0.98	0.99
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.05	-	-	0.05	0.01	0.01
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.07	-	-	3.07	1.96	0.06	-	2.02	1.05	1.11
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-
– ऑडियो/फायर/एयरकंडिशिनिंग	0.06	-	-	0.06	0.05	-	-	0.05	0.01	0.01
प्लांट एवं उपकरण	40.60	-	(0.01)	40.59	17.85	2.89	(0.01)	20.73	19.86	22.75
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स	-	-	-		-	-	-			
– पार्टिशंस	1.24	-	0.03	1.27	1.07	0.05	0.02	1.14	0.13	0.17
– अन्य	1.57	-	(0.01)	1.56	0.77	0.14	(0.01)	0.90	0.66	0.80
वाहन	0.48	-	-	0.48	0.28	0.06	-	0.34	0.14	0.20
कार्यालय उपकरण	1.88	0.02	(0.11)	1.79	1.63	0.14	(0.12)	1.65	0.14	0.25
अन्य :	-	-	-		-	-	-			
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.39	-	(0.01)	2.38	2.14	0.16	-	2.30	0.08	0.25
अन्य (प्रकृति बतायें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	62.45	0.05	(0.11)	62.39	27.88	3.94	(0.12)	31.70	30.69	34.57
गत वर्ष	63.36	0.24	(1.15)	62.45	24.41	4.20	(0.73)	27.88	34.57	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	6.36	1.34	-	7.70	3.00	1.05	-	4.05	3.65	3.36
गत वर्ष	7.4	0.14	(1.18)	6.36	2.26	1.04	-0.3	3.00	3.36	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट संख्या 49 देखें

(ए) दिल्ली में स्टाफ क्वार्टर के लिए लीजहोल्ड भूमि, सड़क और पुलिया, सीवरेज, जल निकासी और पानी की आपूर्ति में संयुक्त रूप से एसटीसी लिमिटेड पहले 50:50 के आधार पर शामिल हैं तथापि, वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने अपने हिस्से के लिए डीडीए से 16.16 एकड़ भूमि के लिए अलग से लीज डीड का निष्पादन प्राप्त किया है।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया और तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में रु0 शून्य (पी.वाई. शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

(सी) एमएमटीसी की रु0 1515.96 करोड़ मूल्य की 36 संपत्तियों (मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 के अनुसार) के मूल शीर्षक पत्र उसके द्वारा दिनांक 22.04.2019 और 22.05.2019 के आदेश द्वारा पारित निर्देशों के आधार पर रजिस्ट्रार जनरल, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा किए जाते हैं।

4. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	**4.88**
वृद्धि	.	-
निपटान/समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	4.88	4.88
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	1.01	0.84
वृद्धि	0.16	0.16
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	1.18	1.01
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	3.70	3.87

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
किराया आय	1.91	1.50
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	-	-
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित नहीं हुई।	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	1.91	1.50
मूल्यह्रास	0.08	0.08
निवेश संपत्तियों से लाभ	1.83	1.42

पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियां किरायेदारों को लंबी अवधि के परिचालन पट्टों के तहत मासिक देय किराए के साथ पट्टे पर दी जाती हैं। निवेश संपत्तियों के गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष के भीतर	**1.81**	**-**
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष तक	**2.50**	**-**
पांच वर्ष के बाद	**2.15**	**-**
कुल	**6.46**	**-**

उचित मूल्य का अनुमान

लागत मॉडल के बाद निवेश संपत्तियों को मापा गया है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 110.15 करोड़ (वि. व. ₹ 107.63 करोड़) है।

5.अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2021 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2021 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	01 अप्रैल 2022 को सचित मूल्यह्रास	31 मार्च 2022 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2021 को नेट कैरिंग मूल्य
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	4.23	-	-	4.23	3.84	0.16	-	4.00	0.23	0.39
पिछल वर्ष	4.11	0.13	-	4.24	3.55	0.30	-	3.85	0.39	

6. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
गैर चालू निवेश				
(ए). इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश – (इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश किया जाता है संयुक्त उपक्रम) अनकोटिड				
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के				
5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000) ।	**0.00**		0.01	
जमा/(कमी): अब तक संयुक्त उपकमो से आय/(हानि)	**0.00**	-	- 0.01	-
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य				
के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्श 17446000) ।	**17.45**		17.45	
जमाः अब तक संयुक्त उपक्रमो से आय	**73.97**	**91.42**	62.42	79.87
कुल (ए)		91.42		79.87
(बी). इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अन्य)				
ए) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 116883(गत वर्ष 38961) पूर्ण	**3.00**		3.00	
प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक				
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन				
अनकोटिड	8.03	11.03	(0.77)	2.23
बी) अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	**4.75**		4.75	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी	**(4.75)**	**0.00**	(4.75)	0.00
कुल (बी)		11.03		2.23

*वर्ष के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया, तदनुसार शेयरों की संख्या बढ़कर 116883 (पी.वाई. 38961) हो गई।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
कुल गैर चालू निवेश (सकल)		25.20		25.21
	सकल राशि	**बाजार मूल्य**	**सकल राशि**	**बाजार मूल्य**
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य का सकल मूल्य	3.00	11.03	3.00	2.23
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	22.20	-	22.21	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	4.75	-	4.75	-

विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
सी) चालू निवेश	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
6. डी. बिक्री के लिए गैर चालू निवश				
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश				
संयुक्त उपकम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्श 368762744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य	459.11	-	459.11	-
जमा/(कमी):अब तक सयुंक्त उपकम से आय/(हानि)	(459.11)	-	(459.11)	-
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (33800000 31 मार्च 2020 को)	-		-	
जमा/(कमी):अब तक सयुंक्त उपकम से आय/(हानि)	-	-	-	-
अन्य				
अन्य व्यापाक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 3200000031 मार्च 2020 को)	16.00		16.00	
जमा/(कमी):अन्य आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	(16.00)	-	(8.16)	7.84
बिक्री के लिए रखा गया कुल निवेश		0.00		7.84
(बी) बिक्री के लिए रखा पीपीई		-		-
कुल (क) +(ख)		0.00		7.84

I. अनुशंगियों और संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी लिखतों में सभी गैर–वर्तमान निवेशों को निवेश के मूल्य, यदि कोई हो, में हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है। दूसरों के इक्विटी लिखतों में निवेश उचित मूल्य पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने कामराजार बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम, आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 26% इक्विटी के लिए ₹ 33.80 करोड़ (₹ 33.80 करोड़) का निवेश किया था। टर्मिनल का निर्माण नवंबर 2010 तक पूरा कर लिया गया था, इसे खनन, परिवहन और लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण चालू नहीं किया जा सका। नियत निविदा प्रक्रिया के बाद, कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) ने एसआईओटीएल को आवश्यक संशोधनों के लिए आम उपयोगकर्ता कोयले को संभालने की अनुमति दी है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने 14.09.16 को आयोजित अपनी 428वीं बैठक के दौरान जेवी से खुली निविदा तंत्र के माध्यम से एमएमटीसी के बाहर निकलने को मंजूरी दी। तदनुसार, एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गईं। निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, प्रमुख प्रमोटर (अर्थात मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड) ने एमएमटीसी की इक्विटी को ₹ 34.26 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और समझौते के अनुसार मेसर्स सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने समझौते के प्रदर्शन के लिए एमएमटीसी के पास ₹ 0.50 करोड़ जमा किए हैं। एसपीए की शर्तों के अनुसार, मेसर्स एसआईओटीएल ने एनओसी/एमएमटीसी के संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की अनुमति के लिए मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड को आवेदन किया। एनओसी अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई थी। हालांकि, अभी तक शेष भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर खरीद मूल्य की प्राप्ति में देरी और मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, एसआईओटीएल पर निवेश के मूल्य में हानि के लिए ₹33.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में दिखाया गया है।

केपीएल ने 21.12.2020 को एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। कंपनी ने केपीएल द्वारा जारी समाप्ति नोटिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में 24.06.2021 को एक रिट याचिका दायर की। दिनांक 30.11.2021 के आदेश के तहत, इस याचिका को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिट अदालत के समक्ष चलने योग्य नहीं है। एमएमटीसी ने दिनांक 30.11.2021 के आक्षेपित निर्णय आदेश को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। इस मामले को एएमआरसीडी तक ले जाने की संभावना और निवेश राशि की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है। इस बीच, एसआईओटीएल की होल्डिंग कंपनी मैसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। कंपनी (एमएमटीसी) ने सिकल लॉजिस्टिक्स के सीआईआरपी के साथ रु. 34.26 करोड़ का अपना दावा दर्ज कराया। एसआईआटीएल में निवेश की सुरक्षा के लिए, मैं एसआईओटीएल लॉजिस्टिक्स ने आईबीए/73/2020 की मुख्य सीआईआरपी कार्यवाही में आईए/574/सीएचई /2021 के समान आवेदन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यवाहियों में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, एमएमटीसी ने आईए/686/सीएचई/ 2021 के रूप में एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनने और किसी भी आदेश के पारित होने से पहले सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया। दिनांक 11.03.2022 के आदेश के तहत, एनसीएलटी चेन्नई ने क्षेत्राधिकार के अभाव मैं. सिकाल के आईए /574/सीएचई/2021 को खारिज कर दिया। तदनुसार, आईए /574/सीएचई/2021 में एमएमटीसी का आवेदन आईए/686/सीएचई /2021 होने के कारण बंद कर दिया गया है। मैसर्स एसआईओटीएल के दो लेनदारों (1. मैसर्स पोर्टमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई 2. मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, मुंबई) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत एनसीएलटी में एसआईओटीएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। आदेश दिनांक 01.03.2022 के द्वारा एनसीएलटी चेन्नई ने उनके आवेदनों को स्वीकार कर लिया है और दोनों मामलों के लिए एक ही आईआरपी नियुक्त किया है।

iii. भारत सरकार ने एनआईएनएल में एमएमटीसी की 100% इक्विटी के विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। दीपम के जरिए विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' निवेश के रूप में दिखाया गया है।

iv. एमएमटीसी ने 2009–10 के दौरान आईसीईएक्स में ₹ 26 करोड़ (5.20 करोड़ इक्विटी शेयर ₹ 5 अंकित मूल्य) का निवेश किया था। आईसीईएक्स की प्रारंभिक इक्विटी पूंजी ₹ 100 करोड़ थी जिसे बाद में बढ़ाकर ₹ 266.7537 करोड़ कर दिया गया। हालांकि बाद में एमएमटीसी ने 2015–16 में ₹10 प्रति शेयर की दर से 2 करोड़ शेयर का विनिवेश किया। इस विनिवेश के बाद एमएमटीसी की शेयरधारिता घटकर ₹ 16 करोड़ (3.20 करोड़ शेयर/₹ 5 अंकित मूल्य) हो गई जो कि ₹ 266.7537 करोड़ की कुल शेयर पूंजी का 6% है। बाद में आईसीईएक्स के निवल मूल्य के क्षरण के कारण एमएमटीसी ने 2019–20 और 2021–22 में क्रमशः ₹ 8.16 करोड़ और ₹ 7.84 करोड़ का उचित मूल्य समायोजन प्रदान किया। इस तरह के समायोजन के बाद खातों की किताबों में शेयर मूल्य 31.03.2022 (पी.वाई.₹ 7.84 करोड़) को शून्य है।

आईसीईएक्स के इक्विटी शेयर 31.03.2022 को भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। एमएमटीसी ने आईसीईएक्स में 6% इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफ़पी) आमंत्रित किया है और तदनुसार 31.3.2022 को निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में दिखाया गया है।

सेबी ने एसईसीसी विनियम, 2018 के अनुसार शेयरधारिता की सीमा का अनुपालन करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक की अतिरिक्त समय–सीमा प्रदान की थी। एमएमटीसी ने सेबी से एसईसीसी विनियमों के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, हालांकि, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 10.05.2022 को आदेश पारित किया और 18.05.2022 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया। हालाँकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अपने आदेश दिनांक 13 जून 2022 द्वारा आईसीईएक्स की मान्यता रद्द करने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है।

v. कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम – मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड में रु. 2.99 करोड़ के अपने इक्विटी निवेश को वर्ष 2017–18 के दौरान पूरी तरह से प्रभावित किया है, मुख्य प्रमोटर द्वारा हाल ही में की गई चूक के मद्देनजर, जांच एजेंसियों द्वारा शुरू की गई जांच उनके खिलाफ और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जेवी कंपनी ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने जेवी कंपनी से बाहर निकलने का नोटिस भी दिया है। 2020–21 के लिए जेवी कंपनी से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए समेकन के उद्देश्य से उस पर भी विचार नहीं किया गया है।

7. प्राप्य व्यापार **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(i) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	-	-
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	-	0.01
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	-	-
डी) क्रेडिट हानि	-	-
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	-	-
अनुयोग	-	**0.01**
(ii) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**102.47**	538.22
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**299.17**	295.88
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है -	-	
डी) क्रेडिट हानि	**390.12**	390.02
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**390.12**	390.02
अनुयोग	**401.64**	**834.10**
कुल	**401.64**	**834.11**
गैर–चालू (ए)	-	-
चालू (बी)	**401.65**	**834.11**
कुल	**401.65**	**834.11**

उपरोक्त में से कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है शून्य (पी.वाई. ₹ शून्य)।

संदर्भ नोट नं। 37.3 (बी) उम्र बढ़ने के लिए।

संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता में चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	390.02	388.97
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.10	1.05
वर्ष के दौरान बटटे खाते में/रिवर्सल	-	--
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	390.12	390.02

8. ऋण (₹ in crores)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.51**	**1.90**	0.62	2.57
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	0.51	1.90	0.62	2.57
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
कर्मचारियों को दिए गए ऋण*	**0.48**	**0.37**	0.74	0.92
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	0.48	0.37	0.74	0.92
जिनमें क्रेडिट जोखिम अधिक है				
अन्य	**0.03**	**0.14**	0.03	0.14
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**0.03**	**0.14**	0.03	0.14
अनुयोग	-	-	-	-
कुल	0.99	2.27	1.36	3.49

उपरोक्त में से, कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है ₹ शून्य (पी.वाई. ₹ 0.01 करोड़)।

*कर्मचारियों की संपत्ति और अन्य संपत्तियों के बंधक/उपक्रम द्वारा सुरक्षित।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	-	11.39	-	13.12
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	-	**0.19**	-	0.22
एनएसईएल से प्राप्य (i)	-	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**4.40**	**6.42**	5.00	6.26
फारवार्ड संविदा प्राप्य	-	-	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	-	**33.53**	-	33.53
अन्य अग्रिम	**1.85**	**8.97**	(0.05)	8.78
सिक्योरिटी जमा	**4.00**	**2.34**	20.82	2.36
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज/अदेय ब्याज :	-	-		
– सावधिक जमा राशि	**0.46**	-	1.81	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.58**	**6.20**	0.55	7.10
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	-	-	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	-	2.25	0.02	2.25
अन्य	-	**9.92**	-	9.90
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि/स्वीकार्यता	**2.39**	**243.88**	1.13	244.27
योग	8.90	45.58	27.02	47.50

(I) एनएसईएल के भुगतान दायित्व के चूक के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूली योग्य ₹ 208.25 करोड़ (पी.वाई. ₹ 208.25 करोड़) का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए पहले ही पूरा प्रावधान किया जा चुका है। कंपनी ने एनएसईएल और अन्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी मुकदमा दायर किया है और सुनवाई जारी है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल के एफटीआईएल के साथ समामेलन के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति दी है और कहा है कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की संपत्तियों को संलग्न करने वाले एमपीआईडी अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचनाएं वैध हैं।

कंपनी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को एलजे तन्ना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज द्वारा दायर 2014 के सूट नंबर 121 के साथ टैग किया गया है, जो नियमित रूप से माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के सीएमआईएस सिस्टम के अनुसार सुनवाई के लिए नहीं आया है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

(ii) वर्ष के दौरान एचएफटीडब्ल्यूपीएल और केएफटीडब्ल्यूपीएल को परियोजना विकास के लिए अग्रिम के बदले में शून्य (पी.वाई. शून्य) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2022 को कुल प्रावधान ₹ 16.30 करोड़ (पी.वाई. ₹ 16.30 करोड़) है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(6.99)**	**(7.83)**
अनुयोग	(6.99)	(7.83)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**233.30**	233.27
डीडब्ल्यूए जोखिम	**-**	**0.02**
वीआरएस व्यय	**-**	**3.03**
आगे लाई गई कर हानियां*	-	330.69
कर्मचारी लाभ व्ययों के लिए प्रावधान	(11.90)	(3.74)
अनुयोग	221.40	563.27
आस्थगित कर संपत्तिया(निवल)	214.41	555.44

आस्थगित कर आस्तियों को कंपनी की संभावित भावी कर योग्य आय के प्रति अपेक्षित उपयोग की सीमा तक मान्यता दी गई है।

* पिछले वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 330.69 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक संभावित ब्याज आय तक सीमित हानियों पर बनाई गई थीं, जिन्हें एनआईएनएल से विनिवेश आय के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए एनआईएनएल से ब्याज आय की वसूली की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए ब्याज चालू वर्ष में वाटरफाल समझौते पर हस्ताक्षर और बाद के निर्देशों के आधार पर बुक किया गया है। इसलिए, पहले सृजित ₹ 330.69 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को उलट दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए चालू और साथ ही पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान होने वाली आगे की हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को रूढ़िवादी आधार पर मान्यता नहीं दी है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में गतिशीलता (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2021 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(7.83)	0.84	-	(6.99)
अनुयोग	(7.83)	0.84	-	(6.99)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.27	0.03	-	233.30
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.02	(0.02)	-	-
वीआरएस व्यय	3.03	(3.03)	-	-
अग्रेषित कर हानियां	330.69	(330.69)	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	(3.74)	(8.16)	-	(11.90)
अनुयोग	563.27	(341.87)	-	221.40
कुल	555.44	(341.03)	-	214.41

शामिल की गई आस्थगित कर संपत्ति (₹ in crores)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
अस्थाई कटौती योग्य अंतर राशि	**214.41**	**555.44**
कुल	214.41	555.44

और आस्थगित कर देनदारियों को ऑफसेट कर दिया गया है क्योंकि वे एक ही शासी कानूनों से संबंधित हैं।

11. अन्य संपत्तियां (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.79**	4.67
–अन्य अग्रिम	**17.03**	17.12
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता*	**(18.27)**	(18.02)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर*	**20.45**	20.94
–अन्य	**0.04**	0.04
कुल	24.04	24.75
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
– संबंधित पार्टियों को अग्रिम**	**1,425.00**	1,425.00
–संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**2,038.11**	2,103.47
–अर्जित ब्याज की वसूली अनिश्चित	**-**	(547.87)
–अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**0.79**	8.38
– अन्य प्राप्य दावे	**167.03**	165.44
–बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	**24.96**	294.50
–अन्य अग्रिम	**15.30**	15.41
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.36)**	(3.36)
अन्य		
–आयकर रिफंड देय	**3.51**	11.12
–देय बिक्री कर रिफंड	**14.50**	13.77
–देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.68**	4.68
–देय सेवाकर रिफंड	**0.53**	0.40
– अन्य	**18.48**	55.18
कुल	3,709.53	3,546.12

*इसमें ₹ 14.68 करोड़ (पी.वाई. ₹ 20.45 करोड़) विवादाधीन है (नोट संख्या 34 (i) (बी) देखें)

** एनआईएनएल के विनिवेश पर मान्यता प्राप्त ब्याज से संबंधित ₹ 547.87 करोड़ की राशि शामिल है (नोट संख्या 36 (सी) देखें)।

12. इन्वेंटरी (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कच्चा माल	**5.09**	**5.83**
तैयार माल	**20.66**	**22.25**
स्टॉक इन ट्रेड	3.65	13.83
रू 2.68 करोड. रूपये (पिछले वर्ष 7.69 करोड. रूपये)		
मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट		
अन्य	0.40	3.74
कुल	29.80	45.65

क) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसे ही अपनाया गया।

ख) 31 मार्च, 2022 तक पारगमन में माल सहित माल का मूल्यांकन लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ (पी.वाई. ₹ 1.59 करोड़) का नुकसान हुआ है।.

ग) स्टॉक–इन–ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 9036 इकाइयां (पी.वाई. 9036 इकाइयां) प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) का मूल्य ₹ 1 (पी.वाई. ₹ 1) इंड एएस–2 'इन्वेंटरी' के अनुसार, लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

(ii) शून्य इकाइयां (पी.वाई. शून्य इकाइयां) प्रमाणन के तहत सीईआर की संख्या।

(iii) उत्सर्जन न्यूनीकरण उपकरण के मूल्यह्रास, ओ एंड एम लागत के कारण ₹ 5.30 करोड़ (पी.वाई. ₹ 4.91 करोड़) की राशि खर्च की गई है।

घ) व्यापार में स्टॉक में प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत आयातित प्याज से संबंधित मूल्य पर मूल्य की एक सूची शामिल है। (नोट संख्या 36(ई) देखें)।

13. नकद और नकद समतुल्य (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंक के पास शेष		
(ए) चालू खाते में	115.84	62.93
(बी) 3 माह तक मूल परिपक्वता सावधि जमा	15.57	57.92
(सी)नगद क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	20.96	33.99
चैक/ड्राफट/स्टेम्प आन हैंड	-	-
नगद रोकड़	0.07	0.16
कुल	152.44	155.00

14. उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक बैलेंस (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	48.66	88.66
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	0.79	9.99
कुल	49.45	98.65

15. वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	3.61	-
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	-	2.64
कुल	3.61	2.64

16. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	2,00,00,00,000	2,00,00,00,000
	राशि	200.00	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर			
	संख्या	1,50,00,00,000	1,50,00,00,000
	राशि	50.00	150.00

शेयरों की संख्या का समाधानः

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	1,500,000,000	1,500,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या	-	-
घटाए : कटौती	-	-
अंतिम शेष	1,500,000,000	1,500,000,000

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयरधारिता का नाम	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
भारत के राष्ट्रपति	1,34,89,03,143	1,34,89,03,143

प्रोमोटर्स का शेयरहोल्डिंग

वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स की शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान :अंतर
प्रोमोटर का नाम	शेयरों की सं.	शेयरों का कुल %	
भारत के राष्ट्रपति	1,34,89,03,143	89.93%	शून्य

कंपनी के पास शेयर पूंजी का एक वर्ग है, जिसमें प्रत्येक के 1/– के साधारण शेयर शामिल हैं। कंपनी के एसोसिएशन के लेख और लागू कानून के अधीन, कंपनी के साधारण शेयर धारक को कंपनी की आम बैठकों में नोटिस प्राप्त करने और वोट देने का अधिकार प्रदान करते हैं, कंपनी के समापन पर किसी भी अधिशेष संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार, और साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार।

इक्विटी शेयर पूंजी में उतार–चढ़ावः वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति लेने के बाद पारित एक सामान्य प्रस्ताव के अनुसार, 2018–19 के दौरान, कंपनी ने 50 करोड़ इक्विटी शेयरों को 1:2 के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में आवंटित किया है। तदनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 150/– करोड़ हो गई है, जिसे 150 करोड़ इक्विटी शेयर ₹ 1/– के पूर्ण भुगतान में विभाजित किया गया है।

ब. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 के अनुसार**	**31 मार्च 2021 के अनुसार**
सामान्य रिजर्व	598.89	598.89
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	-
रिटेंड अर्जन	(919.58)	(657.20)
बांड रिडंपशन रिजर्व	8.30	8.30
अन्य रिजर्व	14.30	(0.25)
कुल	(298.09)	(50.26)

(I) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 के अनुसार**	**31 मार्च 2021 के अनुसार**
आरंभिक शेश	598.89	598.89
सरप्लस से अंतरण/ अन्य रिजर्व	-	-
बोनस शेयर जारी	-	-
अंतिम शेष	598.89	598.89

II) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(₹ in crores)

विवरण	**31 मार्च 2022 के अनुसार**	**31 मार्च 2021 के अनुसार**
आरंभिक शेष	-	-
सरप्लस से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	-	-

(iii) बांड रिडंपशन रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 के अनुसार**	**31 मार्च 2021 के अनुसार**
आरंभिक शेष	8.30	8.30
सरप्लस से अंतरण	-	-
कटौती	-	-
अंतिम शेष	8.30	8.30

(iv) रिटेंड रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 के अनुसार**	**31 मार्च 2021 के अनुसार**
आरंभिक शेष	(657.20)	132.08
वर्ष के लिए निवल लाभ	(262.38)	(789.28)
लाभांश और लाभांश वितरण कर	-	-
अन्य समायोजन	-	-
विनियोजनः–		
सामान्य रिजर्व	-	-
अंतिम शेष	(919.58)	(657.20)

अ) अन्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के इक्विटी घटक	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	नगद प्रवाह के प्रभावी भाग	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर विनिमय अंतर	पुनर्मल्यांकन – पोस्ट कर्मचारी लाभ योजनाएं	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2020 को	1.13	(10.00)	-	16.93	(13.86)	(5.80)
परिभाशित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-	7.27	7.27
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	-	1.07	-	-	-	1.07
जमा / (कटौती)	-	-	-	(2.79)	-	(2.79)
01 अप्रैल 2021 को	1.13	(8.93)	-	14.14	(6.59)	(0.25)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	-	-	-	11.80	11.80
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	-	0.97	-	-	-	0.97
जमा / (कटौती)	-	-	-	1.78	-	1.78
31 मार्च, 2022 को	1.13	(7.96)	-	15.92	5.21	14.30

17. उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
(क) गैर –चालू		
(I) मियादी ऋण		
(क) बैंकों से		
– सुरक्षित	-	-
– असुरक्षित	-	-
योग	-	-
बी.चालू		
(I) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**262.69**	**239.04**
– असुरक्षित	**2,358.96**	**2,178.81**
योग	**2,621.65**	**2,417.85**

- किसी भी निदेशक या अन्य द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।
- बैंकों से कैश क्रेडिट / पैकिंग क्रेडिट खातों / अन्य के तहत ऋण लिए गए हैं और एक वर्ष के भीतर चुकाने योग्य हैं। मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण पर देय ब्याज एमसीएलआर प्लस बैंकों के प्रसार पर आधारित है।
- आंतरिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई अनंतिम मासिक सूचना प्रणाली के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों के साथ त्रैमासिक विवरणी या चालू परिसंपत्तियों का विवरण दाखिल किया जाता है।

ऋण पुनर्गठन समझौतों के अनुसार, 30 दिनों की समीक्षा अवधि के साथ ऋण और ब्याज चुकौती की देय तिथि 30.03.2022 थी। कुल बकाया बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान 29.04.2022 (30.03.2022 के बाद 30 दिनों की समीक्षा अवधि) पर या उससे पहले एक बार में किया जाना था, मुख्य रूप से एनआईएनएल विनिवेश से क्योंकि बैंक ऋण ब्याज सहित देय तिथि / समीक्षा पर चुकाया नहीं जा सका एनआईएनएल की विनिवेश राशि प्राप्त न होने के कारण सभी ऋणदाता बैंकों के एमएमटीसी खाते को दिनांक 01.04.2015 से अवमानक / एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया है ऋण पुनर्गठन की तिथि 08.06.2021 ऋण पुनर्गठन समझौतों और अन्य कानूनों के अनुसार दंडात्मक प्रावधान अब लागू हैं। एसबीआई ने सभी खातों को होल्ड पर रख दिया है। एसबीआई ने अपने मेल दिनांक 27.04.2022 के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया था कि यदि भुगतान 29.04.2022 तक नहीं किया जाता है, तो एमएमटीसी खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। ऐसे परिदृश्य में, एनपीए खातों के लिए लागू बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

i. बकाया राशि की वसूली के लिए उपचारात्मक उपाय शुरू करें।
ii. बढ़ाई गई रियायत, यदि कोई हो, वापस ले ली जाएगी और कार्ड दर लागू की जाएगी।
iii. लागू ब्याज दर को कार्ड दर पर रीसेट करें।

इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना भेज दी गई है। 02.05.2022 को एक संयुक्त ऋणदाता की बैठक भी आयोजित की गई थी और एमएमटीसी को जीएमएस ई–नीलामी के संबंध में व्यापार लेनदेन की अनुमति दी गई थी। वैधानिक, उपयोगिता और अन्य आवश्यक भुगतानों को भी जीवित रहने और स्थिति को चालू रखने के लिए अनुमति दी गई थी। बैठक के कार्यवृत्त में यह भी उल्लेख किया गया था कि खाते का डाउनग्रेडिंग आरबीआई के नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार है और संबंधित बैंकों की दंडात्मक ब्याज / कार्ड दर लागू होगी। एनआईएनएल के विनिवेश से प्राप्त राशि की वसूली में उचित मात्रा में निश्चितता को ध्यान में रखते हुए, ऋणदाता बैंकों का अभी तक वसूली प्रक्रिया के लिए कोई कानूनी कार्रवाई / अन्य उपचारात्मक उपाय शुरू करने का इरादा नहीं था। एमएमटीसी लंबे समय से नकदी संकट का सामना कर रही है। एमएमटीसी बैंक की सीमा मुख्य रूप से 2019–20 तक समाप्त हो गई थी, जिसमें एनआईएनएल आदि को कार्यशील पूंजी / ऋण प्रदान करने के लिए एमएमटीसी आंतरिक संसाधन शामिल थे। दीपम / आईएमजी के अनुसार वर्तमान में एमएमटीसी देनदारियां 31.03.2021 को रोकी गई हैं। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एमएमटीसी ने सभी ऋणदाता बैंकों से आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया। कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए आरबीआई / 2020–21 / 16 डीओआर सं.बीपी / बीसी / 3 / 21.04.048 / 2020–21 दिनांक 06.08.2020। ऋण

समाधान योजना को सभी ऋणदाता बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 1.4.2015 से लागू किया गया था। 08.06.2021। समाधान योजना के क्रियान्वयन की तिथि को बकाया ऋण की मूल राशि रु0 2272.25 करोड़ थी। आवश्यक जानकारी और / रिकॉर्ड बैंकों के साथ साझा किए गए थे और बाद में कंपनी और ऋणदाता बैंकों ने 08.06.2021 को मास्टर ऋण समाधान समझौते (एमडीआरए), ट्रस्ट और प्रतिधारण खाता समझौते (टीआरए) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। डीओसी को सभी घटनाओं के बारे में सूचित किया गया था। /मुद्दों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार। ऋण पुनर्गठन के कार्यान्वयन के बाद, सभी ऋणदाता बैंकों के साथ एमएमटीसी खाता नियमित/मानक बना रहा। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके, ऋणदाताओं ने डिफॉल्ट की मौजूदा घटना को माफ कर दिया और आईबीसी के तहत कोई नागरिक कार्रवाई या कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस योजना के तहत, कंपनी को एसबीआई के लिए 08.12.2021 तक और अन्य बैंकों के लिए 31.03.2022 तक और सभी बैंकों के लिए 31.03.2022 तक मूलधन के लिए ब्याज की वसूली पर अधिस्थगन / मोहलत मिली है। एमएमटीसी ने कर्नाटक बैंक को भुगतान करना जारी रखा और 21 दिसंबर/22 जनवरी से एसबीआई के ब्याज का भुगतान करना शुरू कर दिया। एमएमटीसी देय तिथि यानी 30.03.2022 और समीक्षा अवधि के भीतर 29.04.2022 तक बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण एनआईएनएल की आय की प्राप्ति में देरी और व्यापार में भारी कमी के परिणामस्वरूप व्यापार आय नगण्य हो गई। परिणामस्वरूप, 08.06.2021 से सभी ऋणदाता बैंकों के एमएमटीसी खाते को घटिया/एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया गया। ऋण पुनर्गठन की तिथि। एमएमटीसी ने इस संबंध में बैंकों से कई अनुरोध किए थे और एसई/डीओसी/डीएफएस/दीपम को भी सूचित किया था। अनुरोध/बैंकों के साथ बैठक करके एनपीए के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के अस्तित्व के लिए वैधानिक, उपयोगिता और अन्य आवश्यक भुगतान और कुछ व्यावसायिक लेनदेन की अनुमति दी। अपेक्षित एनआईएनएल विनिवेश प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, ऋणदाता बैंकों का अभी तक वसूली प्रक्रिया के लिए कोई कानूनी कार्रवाई/अन्य उपचारात्मक उपाय शुरू करने का इरादा नहीं था।

4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश राशि प्राप्त होने के परिणामस्वरूप 31.3.2022 को मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के रूप में 2551.44 करोड़ रु0 की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 6.7.2022 को विवरण प्राप्त किया गया है और उधारदाताओं ने केवल 1.4.2022 के बाद से दंडात्मक ब्याज के साथ विवरण प्रदान किया है, लेकिन कंपनी ने केवल सामान्य ब्याज का भुगतान किया है और दंडात्मक ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, अन्य अतिरिक्त शुल्कों को माफ करने के लिए उधारदाताओं के साथ लिया है। कंपनी को छूट की उम्मीद है और 6.7.2022 को 1.4.2022 से 6.7.2022 तक सामान्य दर पर ब्याज के रूप में 50.30 करोड़ रु0 की राशि का भुगतान किया गया।

18. व्यापार प्राप्य **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
चालू		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों का कुल देय बकाया	**0.18**	**0.03**
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**534.18**	**998.17**
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया	**-**	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिश्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.02**	0.11
कुल	**534.38**	998.31

अवधि बढ़ने के लिए नोट 37.3 (सी) देखें।

19. लीज देयताएं **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
ए. गैर चालू		
लीज	**4.14**	**3.61**
अन्य	**-**	**-**
कुल	**4.14**	**3.61**
बी –चालू		
लीज	**0.13**	**0.35**
कुल	**0.13**	**0.35**

19. सी. अन्य वित्तीय देयताएं **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
चालू		
प्राव्य		
सुक्ष्म और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	**0.10**	
सुक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा कुल बकाया देय	**15.79**	14.88
देय डिस्पेच/डेमरेज	**2.71**	4.23
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**12.12**	8.72
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**2.16**	2.08
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**12.83**	43.57
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.19**	0.22
देय दावे	**41.40**	47.20
अन्य	**132.07**	88.40
कुल	**219.37**	**209.30**

20. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	**15.39**	13.12
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.07**	0.09
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	**-**	
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**(1.02)**	5.22
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**0.05**	1.32
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**16.60**	16.29
ई) सेवा अवार्ड	**2.87**	3.41
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**2.37**	3.11
जी) माईका कर्मचारियों को विशेश लाभ	**1.07**	1.47
कुल	37.40	44.03
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ		
ए) अर्जित अवकाश	**3.17**	2.89
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.03**	0.03
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	**-**	
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**(1.18)**	0.28
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**3.83**	2.49
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**3.55**	4.30
ई) ग्रेच्युटी	**0.15**	8.41
एफ) सेवा अवॉर्ड	**0.71**	0.94
जी) बोनस/कार्यनिश्पादन से जुड़ा वेतन	**3.50**	17.84
एच) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.43**	0.52
आई) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.42**	0.38
अनुयोग	14.61	38.08
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेशण जोखिम	-	0.08
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	**1,067.39**	888.81
अनुयोग	1,067.39	888.89
कुल	1,082.00	926.97

''एंग्लो कोल मुकदमेबाजी से संबंधित ₹1054.87 करोड़ (पी.वाई. ₹ 877.43 करोड़) की राशि भी शामिल है (नोट 32 (ii) देखें) यह राशि विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के अधीन है।

21. अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	376.74	418.68
सांविधिक भुगतान योग्य देय	6.24	57.93
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	24.96	294.50
अन्य	2.19	1.11
कुल	410.13	772.22

22. वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 के अनुसार	31 मार्च 2021 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए देय आयकर	22.28	-
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देय आयकर	**-**	1.48
कुल	22.28	1.48

23. संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्श	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्श
उत्पादों की बिक्री	11,237.80	29,970.20
सेवाओं की बिक्री	**4.50**	2.91
अन्य प्रचालन राजस्व		
– दावे	**0.15**	25.90
– सब्सिडी	**-**	-
– अर्जित डिस्पैच	**1.43**	11.25
– अन्य व्यापार आय	**552.36**	(8.79)
कुल	11,796.24	30,001.47

24. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**3.19**	5.38
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**-**	0.15
– अन्य	1.51	3.32
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	**-**	-
– अन्य से	**0.08**	0.07
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.71**	0.70
– रिटन बैक देयताएं	**9.15**	4.38
–विदेशी मुद्रा गेन	**-**	-
– विविध प्राप्तियॉं	**3.09**	3.67
कुल	17.73	17.67

25. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	5.83	11.31
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**106.66**	70.30
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**5.09**	6.10
प्रयुक्त माल की लागत	107.40	75.51
उपभोग वस्तुएँ	-	-

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**5,480.78**	12,803.89
धातुएं	**105.25**	323.25
उर्वरक	**1,449.64**	9,162.36
खनिज	115.39	1,766.86
कृषि उत्पाद	**3,156.95**	3,555.34
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**207.81**	709.93
सामान्य व्यापार	**28.38**	26.63
अन्य	-	-
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया) बहुमूल्य धातुए	(0.03)	(0.09)
कुल	10,544.17	28,348.17

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**22.25**	43.38
अंतिम शेष	**20.67**	22.58
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**1.58**	**20.80**
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**13.83**	155.83
अंतिम शेष	**3.66**	14.81
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**10.17**	**141.02**
निवल (वृद्धि)/कमी	11.75	161.82

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**91.88**	**105.55**
छुट्टी नकदीकरण	**8.22**	**7.86**
बोनस	**0.29**	**0.41**
परफॉरमेंस से जुडा वेतन	**-**	**-**
चिकित्सा व्यय	**3.09**	**6.97**
ग्रुप बीमा	**0.07**	**0.08**
वी आर खर्चे	**-**	**-**
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
भविष्य निधि	**8.41**	**9.14**
ग्रेच्युटी निधि	**2.03**	**4.03**
परिवार पेंशन योजना	**0.73**	**0.84**
अधिवर्षिता लाभ	**4.08**	**4.59**
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**0.52**	**0.74**
कुल	**119.32**	**140.21**

(I) पीआरपी उद्देश्य के लिए कंपनी के लाभ की गणना लेखा नीति संख्या 2.4 (ii) के अनुसार व्यापार से संबंधित अग्रिम (अतिदेय के अलावा) पर ब्याज आय को ध्यान में रखते हुए की गई है। डीपीई दिशानिर्देशों में अनिवार्य पारिश्रमिक समिति का अनुमोदन लंबित होने के कारण, कर्मचारियों को पीआरपी अग्रिम दिया गया था। कर्मचारियों से उपरोक्त पीआरपी अग्रिम की वसूली का आदेश कर्मचारी एवं अधिकारी फोरम द्वारा विवादित है और संबंधित न्यायालयों में लंबित है।

(ii) कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर 20.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में एफ़एमसीओडी के निर्णय के अनुसार भत्तों और भत्तों का भुगतान दिनांक 01.09.2015 से स्थगित कर दिया गया है।

(iii) यह आदेश संख्या एमएमटीसी/सीओ/आईआरपी/08/2018 दिनांक 02.05.2018 द्वारा अधिसूचित किया जाता है, कि एचआरए की दरों को 27%,18%, 9% और 30%, 20%, 10% तक संशोधित किया जाएगा। (श्रेणी एक्स, वाई और ज़ेड शहरों के लिए) यदि आईडीए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रमशः 25% और 50% को पार करता है। चूंकि आईडीए को संशोधित कर 27.2% कर दिया गया था। 01.10.2021, अनिवार्य रूप से एचआरए के संशोधन की आवश्यकता हैं।

(iv) दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक सीपीएफ/पेंशन देय बकाया था और उसका भुगतान 5.7.2022 को किया गया है।

(v) एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट, अभी भी चालू नहीं है। एमएमटीसी को घाटा हो रहा है और घाटे के वर्षों यानी 2019–20 और 2020–21 के प्रावधानों को उलट दिया गया है। डीपीई आदेश में निर्धारित सामर्थ्य प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, पीआरएमबीएस ट्रस्ट को निधि देने का निर्णय विचाराधीन है।

29. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय	208.82	201.60
लीज पर ब्याज व्यय	0.11	0.49
फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट पर प्रीमियम	-	-
कुल	208.93	202.09

30. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	4.68	5.24
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	0.48	0.16
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	0.15	0.29
कुल	5.31	5.69

31. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	61.55	87.32
डेमरेज	(0.05)	0.85
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	70.35	126.71
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	3.23	3.77
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	0.10	(7.72)
सीमा शुल्क	388.11	1,072.70
पैकिंग सामग्री	0.23	0.17
बीमा	-	-
गोदाम बीमा	1.10	1.37
प्लॉट तथा गोदाम किराया	0.01	0.66
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	-	0.08
अनुयोग(ए)	524.63	1,285.91
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	0.99	1.31
सुरक्षा खर्च	2.78	3.41
दरें एवं कर	1.90	1.46
बीमा	0.13	0.20
भवनों की मरम्मत	3.37	4.51
मशीनों की मरम्मत	0.03	0.02
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	1.50	1.89
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	0.34	0.36
बिजली एव जल प्रभार	2.50	2.34
विज्ञापन एवं प्रचार	0.05	0.10
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	0.22	0.22
पोस्टेज एवं कुरियर	0.09	0.04
टेलीफोन	0.79	0.82
टेलीकम्युनिकेशन	0.14	0.37
यात्रा	0.39	0.70
वाहन	0.56	0.90
मनोरंजन	0.13	0.12
विधिक	2.95	4.07
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	0.68	0.65
बैंक प्रभार	15.79	0.60
किताबें एवं पत्रिकाएं	-	0.01
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	0.15	0.28
सब्सक्रिपशन	0.12	0.21
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	-	0.01
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	1.48	1.47
सीएसआर व्यय	0.05	0.89
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	4.32	(4.17)
सेवा कर/जीएसटी	1.03	1.93
प्रदर्शनी एवं मेले	0.11	0.08
विविध व्यय	4.17	4.04
अनुयोग (बी)	46.76	28.84
सी. अन्य :		
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए भत्ते	1.05	1.06
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखित/निकासी	0.02	5.80
अनुयोग(सी)	**1.07**	**6.86**
कुल (ए + बी + सी)	572.46	1,321.61

32. अपवाद मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वेंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	0.01	1.59
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.04)**	(0.24)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान (i)	**0.01**	-
सरेंडर लीज परिसंपत्तियों पर लाभ	**-**	(1.13)
मुकदमों का निपटान (ii)	**178.44**	877.25
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है (iii)	**(23.22)**	(0.29)
कुल	155.20	877.18

(i) फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एंग्लो कोल लायबिलिटी के लिए रु. 877.43 करोड़ का प्रावधान किया गया था और आगे वर्ष 2021–22 के दौरान 1.10.2009 से 24.9.2012 की अवधि के लिए पूर्व मध्यस्थता ब्याज देयता के लिए रु. 177.44 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और विनिमय अंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2021 के अनुसार किया गया है। कानूनी मामले के संबंध में आगे का घटनाक्रम इस प्रकार है:

इसके बाद एलडी एजी, की राय दिनांक 27.03.2021 के अनुरूप। स्पष्टीकरण आवेदन दिनांक 19.04.2022 के निपटान पर, डीएमडी अधिवक्ताओं द्वारा तैयार की गई उपचारात्मक याचिका का मसौदा बोर्ड और डीओसी के निर्देश के अनुरूप पुनरीक्षण और प्रमाणन के लिए एएसजी एलडी को भेजा गया। एल.डी. एएसजी ने मसौदे की समीक्षा की और उसे एलडी को भेजा गया। दाखिल करने से पहले अंतिम निपटान के लिए एजी के माध्यम से एजी.एल.डी. एजी ने पत्र दिनांक 29.05.2022 द्वारा कहा कि यह उपचारात्मक याचिका के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। एजी के पत्र की प्रति डीओसी को पत्र दिनांक 08.06.2022 द्वारा अग्रेषित की गई थी। तत्पश्चात इस मुद्दे को औपचारिक रूप से एलडी एएसजी के साथ उठाया गया था कि क्या वह अभी भी आवश्यक प्रमाण पत्र देकर उपचारात्मक याचिका दायर करने के इच्छुक हैं। एलडी एएसजी ने भी फिलहाल एमएमटीसी की उपचारात्मक याचिका को ठुकरा दिया हैं।

(iii) बीओडी के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान वापस लिए गए 2017–18 और 2018–19 के 13.84 करोड़ रु. के पीआरपी प्रावधान शामिल हैं।

33. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**
वर्तमान वर्ष	22.43	1.46
पूर्वाधियों से संबंधित समायोजन	-	0.07
अनुयोग (ए)	22.43	1.53
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**341.03**	(324.60)
अनुयोग (बी)	341.03	(324.60)
कुल (ए+बी)	363.46	(323.07)
अन्य व्यापक आय में माना गया कर		
विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि) -		-
कुल	-	-

प्रभावी करों का मिलान

विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**
कर पूर्व लाभ	101.08	(1,112.34)
अधिनियमित कर दर (होल्डिंग कंपनी पर लागू)	**34.94**	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	-	-
होल्डिंग कंपनी से संबंधित समायोजन:		
कटौती मुक्त खर्चे	-	-
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	-	-
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	-	-
आस्थगित कर		
सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित समायोजन	-	-
वर्ष के लिए कर व्यय	-	-
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	-	.
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	-	-

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	287.17	175.57
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 20.45 करोड़ रू. (गत वर्ष 19.64 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	33.38	42.69
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	0.05
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके लिए 20.16 करोड़ रू. (गत वर्ष 12.36 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.07 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	217.30	202.73
ई)	विवादित सेवा कर मांग	119.23	113.76
एफ)	विवादित केंद्रिय उत्पाद शुल्क मांग जिसके लिए 0.76 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.76 करोड़ रू.) जमा किये गये।	20.29	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.66	2.24
एच)	कस्टम्स बांड्स	317.98	254.80
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
जे)	कंपनी के लिए विदेशी सप्लायर की ओर से किए गए दावे को ऋण नही माना गया है।	-	128.89
	कुल (I)	999.60	942.61
II)	अन्य बैक टु बैक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है		
ए)	कस्टम्स डयूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	184.49	166.87
	कुल (II)	184.49	166.87

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2021–22 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2022 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	175.57	5.68	117.28	287.17
बी)	विवादित आयकर मांग	42.69	9.32	-	33.38
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.05	0.05	-	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	202.73	3.80	18.38	217.30
ई)	विवादित सेवाकर मांग	113.76	0.60	6.06	119.23
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	-	-	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.24	-	0.42	2.66
एच)	कस्टम्स बांड्स	254.80	38.97	102.16	317.98
आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	128.89	128.89	-	-
	कुल	942.61	187.31	244.29	999.60

संयुक्त उपक्रमों में आकस्मिक देयताओ में शेयर (₹करोड़ में)

क्रम संख्या	संयुक्त उपकम का नाम	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	7.71	7.70
2	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	NA	NA
3	नीलाचल इस्पात निगम लि.	NA	610.58
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	NA	NA

एनए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 3.07 करोड़ रु. (गत वर्ष 3.66 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से शून्य करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल/सी के तहत 183.24 करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्श 138.38 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋण तथा ब्याज को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में 1345.82 करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं। (संदर्भ 36 सी (iv))

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

vi) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसाइटी के लिए आरपीएफसी द्वारा 0.69 करोड़ रू. की मांग शामिल है।

vii) क) उपरोक्त में सेबी के विनियम 33 के गैर–अनुपालन के संबंध में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू. की राशि शामिल है।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड रु.)।

संयुक्त उद्यम में निवेश के संबंध में पूंजी प्रतिबद्धता शून्य करोड़ रू. (पी.वाई. शून्य करोड़ रू.)।

संयुक्त उद्यम में पूंजी प्रतिबद्धता में शेयरः–

क्रम संख्या	संयुक्त उपकम का नाम	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	1.36	7.37
2	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	NA	NA
3	नीलाचल इस्पात निगम लि.	NA	59.13
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	NA	NA

एनए – लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए

36. सामान्य प्रकटन :

ए) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31.03.2022		31.03.2021	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोना (कि.ग्रा.)	53.00	24.96	733.96	291.11
स्वर्ण आभूषण(ग्राम)	-	-	-	-
चांदी(कि.ग्रा.)	-	-	600.00	3.39
कुल	53.00	24.96	1,333.96	294.50

(बी) श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड की ओर से शून्य किलोग्राम (पिछले वर्ष 3956.494 किलोग्राम)– अशोधित चाँदी 31.3.2022 को डीआरओ में रखी है। चाँदी की शुद्धता मालूम न होने के कारण माल की कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(सी) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)–संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश और अग्रिमः

(i) कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर ओडिशा में 1.1 मीट्रिक टन एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया है और एनआईएनएल में इक्विटी पूंजी में 49.78% की ओर 459.11 करोड़ रू. (पी.वाई. 459.11 करोड़ रू.) (नोट 6) का निवेश किया है। भारत सरकार (सीसीईए) ने 8 जनवरी) 2020 को एमएमटीसी और अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा धारित इक्विटी निवेश के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। एनआईएनएल के विनिवेश के लिए अंतिम वित्तीय बोली के अनुसार, दीपम ने मेसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को 12,100/– करोड़ रू. के उद्यम मूल्य के लिए एच1 बोलीदाता घोषित किया था।

(ii) कंपनी समय–समय पर अपने दैनिक परिचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर एनआईएनएल को 1425.00 करोड रू. की सीमा तक अल्पावधि ऋण सुविधा (नकद ऋण) प्रदान करती रही है। इसके अतिरिक्त, 2038.10 करोड़ रू. की सीमा तक व्यापार संबंधी वित्तीय सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके लिए अन्य परिसंपत्तियों (संबंधित पक्षों को अग्रिम) (टिप्पणी 11) के अंतर्गत बकाया 3463.11 करोड़ रू.(पि.वर्ष 3528. 47 करोड रू.) है। इसके अलावा, दीपम द्वारा शुरू की गई और प्रबंधित विनिवेश प्रक्रिया के अनुसार विनिवेश से प्राप्त राशि के वितरण के लिए हस्ताक्षरित वाटरफॉल समझौते के प्रावधान के अनुसार, एनआईएनएल पर विक्रेता / प्रमोटर देनदारियों को 31.03.2021 तक रोक दिया गया है।

(iii) एमएमटीसी और एनआईएनएल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एनआईएनएल के साथ खातों का मिलान 31.03.2022 तक किया गया है, जिसमें बकाया राशि 3463 करोड़ रू. है। 31.03.2021 को एनआईएनएल द्वारा 3528.47 करोड़ रू. की शेष राशि की पुष्टि एनआईएनएल से मिल गई है। इसमें वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज शामिल नही है।

(iv) कंपनी ने एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/अन्य के पक्ष में 1345.82 करोड़ रू. (पी.वाई. 1345.82 करोड़ रू.) की कॉर्पोरेट गारंटी भी दी है (नोट 34 (iii)। चूंकि एनआईएनएल उधारदाताओं के हितों की पूर्ति करने में असमर्थ है, इसलिए कुछ उधारदाताओं और बांड धारकों ने कॉरपोरेट गारंटियों को लागू किया है, जिन्हें एनआईएनएल/एमएमटीसी द्वारा अलग से संबोधित किया जा रहा है। एनआईएनएल एमएमटीसी द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटियों के प्रति अपनी बहियों में 1295.82 करोड़ रू.दिखा रहा है। एनआईएनएल ने 22 जुलाई को सभी बैंकरों/एफआईआई/बॉन्ड धारकों को भुगतान किया है और तदनुसार एमएमटीसी ने सभी बैंकरों/एफआईआई/बॉन्ड धारकों को एमएमटीसी कॉरपोरेट गारंटी (सीजी) को शून्य मानने और मूल गारंटी जल्द से जल्द वापस करने के लिए लिखा है।

(v) कंपनी पिछले वर्षों के दौरान एकुअल के आधार पर व्यापार से संबंधित ब्याज को शामिल करती रही है और बकाया अग्रिमों में शामिल है। तथापि, 2019–20 और 2020–21 के दौरान क्रमशः 252.18 करोड़ रू. और 295.69 करोड़ रू. के ब्याज को संबंधित वर्षों में शामिल नहीं किया गया था जिस वर्ष के दौरान शामिल किया जाना था। इसके अलावा, दीपम द्वारा शुरू की गई और विनिवेश प्रक्रिया के अनुसरण में हस्ताक्षरित विनिवेश राशि के वितरण के लिए हस्ताक्षरित वाटरफाल समझौते के प्रावधान के अनुसार, एनआईएनएल पर विक्रेता/प्रवर्तकों की देनदारियों को 31.03.2021 तक रोक दिया गया है। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए ब्याज को चालू वर्ष के दौरान अन्य व्यापार आय के रूप में शामिल किया गया है, हालांकि वर्ष 2021–22 के लिए ब्याज को शामिल नही किया गया था। 2020–21 के दौरान सृजित आस्थगित कर परिसंपत्ति को चालू वर्ष में रिवर्स दिया गया है।

(vi) एनआईएनएल ने कंपनी को समय–समय पर दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कंपनी को 2800 करोड़ रू.(पि.वर्ष. 2800 करोड रू.) की कॉरपोरेट गारंटी दी है। एनआईएनएल के विनिवेश और एमएमटीसी द्वारा धन की प्राप्ति के बाद, एनआईएनएल कॉर्पोरेट गारंटी (सीजी) अब मान्य नहीं है।

(vii) एनआईएनएल पिछले 10 वर्षों से घाटे में चल रहा है और इसकी निवल संपत्ति 31.03.2021 को नकारात्मक (–) 3487.41 करोड रू.(पिछले वर्ष 31.3.2020 को (–) 2564.71 करोड़). हो गई है। 31.3.2022 को एनआईएनएल के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि एनआईएनएल को वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देना बाकी है।

(viii) एनआईएनएल विनिवेश के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट (टीएसएलपी) से प्राप्त रु. 12,100 करोड़ की अंतिम बोली थी। एनआईएनएल का विनिवेश 04.07.2022 को पूरा हुआ और एमएमटीसी प्राप्तियां हैं: –

परिचालन और वित्तीय ऋण की राशि	–	3463.11 करोड़ रू.
बिक्री प्रतिफल की राशि	–	1872.34 करोड़ रू.
(459.10 करोड़ रू. के निवेश पर विदहोल्डिंग टैक्स का निवल)		
एमएमटीसी द्वारा कुल प्राप्ति	–	5335.45 करोड़ रू.

(ix) उपरोक्त के अलावा, सरकार के खाते में आकस्मिक देनदारियों के लिए 911.16 करोड़ रू.की राशि बकाया (36.77 करोड़ रू. – गैर–कर देनदारियां और 874.39 करोड़ रू. – कर देनदारियां) एक ब्याज वाले एस्क्रो खाते में प्रदान किए गए हैं जो विक्रेताओं को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में पारित किया जाएगा, रिटेंशन अवधि की समाप्ति (गैर–कर देनदारियों के लिए 2 वर्ष और कर देनदारियों के लिए 3 वर्ष)पर यदि देनदारियों को क्रिस्टलीकृत नहीं किया जाता है।

(x) 5335.45 करोड़ की वसूली में से, बैंक ऋण, एंग्लो कोल, वीआरएस/वीएसएस सहित कर्मचारियों को बकाया और अन्य देनदारियों की अनुमानित देनदारियां जुलाई 2022 में 5200.00 करोड़ रू.से 5300.00 करोड़ रू. के बीच हो सकती हैं। यह देनदारियों/लेखापरीक्षा/मिलान और मंत्रालय/सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के वास्तविक निपटान के अधीन होगा। इसमें आकस्मिक देनदारियां शामिल नहीं हैं।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2020 से दिनांक 31.3.2021 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन को सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

एफ) आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.13 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.98 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है । इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि

का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य नॉन करंट देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

आई) एक विदेशी पार्टी द्वारा कोयला आपूर्तिकर्ता के खिलाफ दायर डिक्री के निष्पादन से संबंधित मामले में एमएमटीसी ने मूल राशि का निपटान कर दिया है। सुनवाई चल रही है और सुनवाई की अगली तारीख 22.07.2022 है।

जे) एफसीआई ने मार्च 2019 में एमएमटीसी के खिलाफ सीपीएसई विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र शुरू करने के लिए एमओसी एंड ए, एफएंडपीडी से संपर्क किया, जिसमें ब्याज सहित 92.18 करोड़ रू. की राशि शामिल थी, क्योंकि एमएमटीसी ने एफसीआई के भुगतान से मई 2014 में 60.99 करोड़ रू. की राशि काट ली थी।एमएमटीसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि 1991 के बाद से कई लेन–देन से उत्पन्न एफसीआई से एमएमटीसी की देय राशि की वसूली के लिए 2014 में गेहूं के निर्यात से 60.99 करोड़ रू. की राशि काटी गई थी। मामले को एएमआरसीडी के तहत समाधान के लिए स्वीकार किया गया था। एएमआरसीडी समिति ने 22 मई 2020 को हुई अपनी बैठक में एमएमटीसी और एफसीआई दोनों को खातों का मिलान करने का निर्देश दिया। एमएमटीसी और एफसीआई ने दावों और काउंटर दावों के समाधान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एमएमटीसी और एफसीआई के बीच कई दौर की चर्चाएं हुई हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच क्रमशः अपने दावों और काउंटर दावों को स्थापित करने के लिए सहायक दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया गया है। एक बार सहमति बनने के बाद, एएमआरसीडी को उसके अंतिम निर्णय और आदेश के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

के) 1.13 करोड़ रू. की संदिग्ध वसूली योग्य राशि के लिए कई प्रावधान हैं, पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता के कारण इन शेष राशि की वसूली का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। कंपनी ने इस तरह की शेष राशि की वसूली का आकलन करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक आंतरिक नोट शुरू किया है।

एल) मार्च, 2022 के महीने के लिए 2.36 करोड़ रू. की टीडीएस की बकाया देनदारी थी जो 30.04.2022 को या उससे पहले देय थी। एमएमटीसी की तरलता की स्थिति बहुत कमजोर है और धन की कमी के कारण वेतन/बकाया/खर्च बकाया है। टीडीएस जमा करने में विलम्ब हुआ और इसे 19.05.2022 को 0.097 करोड़ रू. के ब्याज सहित विभाग को प्रेषित कर दिया गया।

एम) निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और उप क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) को बंद करने के लिए मंजूरी दे दी है, तदनुसार दिनांक 22.06.2022 को उपयुक्त आदेश जारी किया गया है और आवश्यक अनुमोदन के अधीन अस्थायी वीआरएस सहमति खोली गई है।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 कैटगरीज के वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है ।

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमोर्टाईजड लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	ओसीआई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6	-	11.03	-	11.03	11.03
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	152.44	-	-	152.44	-
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	401.65	-	-	401.65	-
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	3.26	-	-	3.26	-
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा और अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा (संदर्भ नोट संख्याः 11)	0.00	-	-	0.00	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	8.90	-	-	8.90	-
देयताएं	-	-	-	-	-
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	534.38	-	-	534.38	-
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	2621.65	-	-	2621.65	-
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	0.13	-	-	0.13	-

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमोर्टाईजड लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताए	ओसीआई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)	-	-	2.23	2.23	2.23
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	155.00	-	-	155.00	-
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	834.11	-	-	834.11	-
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	4.85	-	-	4.85	-
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा और अन्य ऋण(संदर्भ नोट संख्याः 9)	1.95	-	-	1.95	-
सिक्योरिटी जमा (संदर्भ नोट संख्याः 11)	21.06	-	-	21.06	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	6.20	-	-	6.20	-
देयताएं	-	-	-	-	-
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	998.31	-	-	998.31	-
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	2417.85	-	-	417.85	-
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19	209.65	-	-	209.65	-

37.2 उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1. वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।

स्तर 2. वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3. वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पश्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के अनुक्रम को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश	-	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	11.03	-	-	11.03	-	उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)	-	-	-	-	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	-
कुल योग	11.03	-	0.00	11.03	-	-

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश	-	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	2.23	-	-	2.23	-	उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स	-	-	7.84	7.84	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल योग	2.23	-	7.84	10.07	-	-

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैं:–

–बाजार जोखिम
–क्रेडिट जोखिम तथा
–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(I) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है ।

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	145.18	-	145.18
ट्रेड प्राप्य	547.41	-	547.41
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.61	1.65	6.26
अन्य प्राप्य	1.06	-	1.06
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**698.26**	**1.65**	**699.91**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	70.21	-	70.21
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	280.30	0.55	280.85
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.15	-	1.15
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	98.05	-	98.05
अन्य	904.19	-	904.19
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,353.90**	**0.55**	**1,354.45**

प्राप्य/देय विदेशी मुद्रा के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है क्योंकि हानि/लाभ सहयोगी आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में जाती है, मुकदमेबाजी निपटान के प्रावधान को छोड़कर जहां मामला अभी भी विवाद में है। साथ ही कंपनी ने सहयोगी के जोखिम और लागत पर देय राशियों के संबंध में विनिमय अनुबंधों को आगे बढ़ाया है।

(31 मार्च 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (समतुल्य आईएनआर में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य आईएनआर में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	91.84	-	91.84
ट्रेड प्राप्य	559.28	-	559.28
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.61	1.65	6.26
अन्य प्राप्य	1.37	-	1.37
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**657.10**	**1.65**	**658.75**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	53.84	-	53.84
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	249.79	0.55	250.34
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.42	-	1.42
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	98.05	-	98.05
अन्य	904.66	-	904.66
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,307.77**	**0.55**	**1,308.31**

प्राप्य/देय विदेशी मुद्रा के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है क्योंकि हानि/लाभ सहयोगी आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में जाती है, मुकदमेबाजी निपटान के प्रावधान को छोड़कर जहां मामला अभी भी विवाद में है। साथ ही कंपनी ने सहयोगी के जोखिम और लागत पर देय राशियों के संबंध में विनिमय अनुबंधों को आगे बढ़ाया है।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य करोड रूपये एवं शून्य करोड रूपये का प्रभाव डालेगी।

i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है।

31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.11 करोड़ रुपये एवं 0.02 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी)द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है। रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है। संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2022 को करोड़ रूपये में)

	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
विवरण	**6 माह से कम**	**6 माह – 1 वर्ष**	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	273.88	2.88	5.15	3.17	116.39	401.47
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट हानि	-	-	-	0.00	7.73	7.73
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट हानि	-	-	-	-	382.38	382.38
उपयोग	**273.88**	**2.88**	**5.15**	**3.17**	**506.69**	**791.77**
कमी : क्रेडिट हानि के लिए अनुमत					-	390.12
कुल						401.65

(31 मार्च 2021को करोड़ रूपये में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गय	424.69	2.21	0.02	3.11	403.90	833.93
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –केडिट हानि	-	-	0.00	-	7.74	7.74
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – केडिट हानि	0	0	-	-	382.28	382.28
उप योग	**412.82**	**2.21**	**0.02**	**3.11**	**794.11**	**1224.13**
कमी : केडिट हानि के लिए अनुमत					0	390.02
कुल					**834.11**	

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्शों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे। उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास सावाधी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च, 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.18	-	-	-	-	0.18
(ii) अन्य	534.20	-	-	-	-	534.20
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	0.00
(iv) विवादित देय –अन्य	-	-	-	-	-	0.00

(31 मार्च, 2021 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.03					0.03
(ii) अन्य	998.28					998.28
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	0.00					
(iv) विवादित देय –अन्य		-	-			0.00

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2022 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	10.99	-	-	30	0.21
चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	12.81	-	-	240	0.18

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	12.91	-	-	33	3.74

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इन्वेट्रीज	-	-

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शोश बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मुल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इंवेट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण इंश्योरर को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 2.42 करोड़ है (गत वर्श 3.68 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के

प्रत्येक वर्श के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कर	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युट	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
	पी.वाई.	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई	70.35	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई	82.45	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति / {अधिशेष / (घाटा)}	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति / (देयताएं)	सी.वाई	1.09	(18.57)	(20.15)	(3.58)	(1.49)	(0.10)	(2.80)
	पी.वाई.	(8.41)	(16.01)	(20.59)	(4.35)	(1.85)	(0.12)	(3.63)

परिभाषित लाभ देयता का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कर	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युट	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – **वर्ष के शुरू में**	सी.वाई	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
	पी.वाई.	98.90	14.44	21.89	4.85	2.15	0.16	4.02
चालू सेवा लागत	सी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
	पी.वाई.	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05	-	-
विगत सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	सी.वाई	5.83	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
	पी.वाई	6.53	0.95	1.44	0.32	0.14	-	-
प्रदत्त लाभ	सी.वाई	(17.59)	(3.04)	(2.94)	(0.36)	(0.41)	-	-
	पी.वाई.	(11.29)	(4.57)	(2.54)	(0.79)	(0.41)	-	-
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि / (लाभ)	सी.वाई	(11.23)	3.74	0.40	(0.80)	(0.11)	(0.02)	(0.84)
	पी.वाई	(6.56)	4.43	(1.02)	(0.18)	(0.09)	(0.04)	(0.39)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
	पी.वाई.	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63

योजना परिसंपत्ति का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	82.45	87.78
ब्याज आय	5.50	5.90
नियोक्ता अंशदान	0.00	0.06
प्रदत्त लाभ	(17.59)	(11.29)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि / (लाभ)	(0.00)	(0.01)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	70.35	82.45

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि (₹ करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04		
	पी.वाई	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	सी.वाई	0.00	-	-	-	-		
	पी.वाई		-	-	-	-		
सेवा लागत (ए)	सी.वाई	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04		
	पी.वाई	3.28	0.76	0.82	0.15	0.05		
नेट परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) (बी)	सी.वाई	0.54	1.03	1.32	0.28	0.12		
	पी.वाई	0.73	0.95	1.44	0.32	0.14		
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ) / हानि	सी.वाई	-	3.74	0.40	-	-	(0.02)	(0.84)
	पी.वाई	-	4.43	(1.02)	-	-	(0.04)	(0.39)
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए + बी)	सी.वाई	1.94	5.60	2.50	0.40	0.16	(0.02)	(0.84)
	पी.वाई	4.01	6.15	1.25	0.47	0.19	(0.04)	(0.39)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल की गई राशि **(₹ करोड़ में)**

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण	सी.वाई	11.23	-	-	(0.19)	0.07		
एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	पी.वाई	6.56	-	-	0.21	0.11	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के	सी.वाई	-	-	-	(0.17)	(0.18)	-	-
कारण एक्चुएरियल लाभ/(हानि)	पी.वाई	-	-	-	(0.03)	(0.02)	-	-
अवधि के दौरान हुए	सी.वाई	**11.23**	.	.	**(0.36)**	**(0.11)**	.	.
एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	पी.वाई	**6.56**	.	.	**0.18**	**0.09**	.	.
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो	सी.वाई	0.20	-	-	-	-	-	-
डिस्काउंट रेट से (अधिक) /कम है (बी)	पी.वाई	0.10	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई	सी.वाई	11.44	-	-	(0.36)	(0.11)	-	-
एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए+बी)	पी.वाई	6.66	-	-	0.18	0.09	-	-

संवेदनशील विश्लेशण **(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)**

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(1.49)	(0.46)	(0.44)	(0.06)	(0.04)	-	-
	-0.50%	1.57	0.49	0.46	0.07	0.04	-	-
वेतनवृद्धि	0.50%	0.36	0.49	0.46	-	-	-	-
दर	-0.50%	(0.41)	(0.47)	(0.44)	-	-	-	-

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	ग्रेच्युटी		अनुमान में परिवर्तन	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
	अनुमान में परिवर्तन	(वित्त पोषित)		(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(2.05)	(0.42)	(0.46)	(0.08)	(0.04)	-	-	
	-0.50%	2.07	0.44	0.48	0.09	0.05	-	-	
वेतनवृद्धि	0.50%	2.07	0.44	0.48	-	-	-	-	

एक्चुएरियल अनुमान

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई.	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई.	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई.	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%
	पी.वाई.	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%	6.42%
वेतनवृद्धि	सी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
दर	पी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई.	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पी.वाई.	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)

संभावित लाभ भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष	ग्रेच्युटी'	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल	11.80	3.17	3.55	0.71	0.42	-	-
2	1 से 2 साल	11.46	2.75	3.71	0.68	0.30	-	-
3	2 से 3 साल	8.44	2.25	2.11	0.47	0.26	-	-
4	3 से 4 साल	6.11	1.40	1.72	0.29	0.28	-	-
5	4 से 5 साल	7.06	2.02	2.14	0.35	0.13	-	-
6	5 से 6 साल	5.75	1.71	1.97	0.30	0.00	-	-
7	6 साल से उपर	18.64	5.26	4.96	0.78	0.11	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100%

डी) भविष्य निधि : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविश्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोशित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाशित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 4.08 करोड़ (गत वर्ष रू 4.59 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. 1.1.2007 (बंद समूह) से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत देयता को सामर्थ्य के आधार पर मान्यता नहीं दी गई है, भले ही कंपनी ने वर्ष के दौरान 101.08 करोड़ रू. कर से पहले लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए खुले समूह/4.50% बेसिक डीए के लिए पीआरएमबीएस प्रदान नहीं किया है। वर्ष के दौरान वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 1.1.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान उस वर्ष के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।

बी 2019–20 के दौरान, कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया है और योजना के प्रति कंपनी की देनदारी के खिलाफ ट्रस्ट को 150.00 करोड़ रू. का भुगतान किया है। 'परिभाषित योगदान योजना' के तहत 31.03.2022 को कंपनी के दायित्व के रूप में निवल देयता को दर्शाया गया है।

41. समूह सूचना

1. सहायक कंपनी

समूह की सहायक कंपनियां नीचे दी गई हैं। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें पूरी तरह से इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह के पास होते हैं और स्वामित्व के हितों का अनुपात समूह द्वारा रखे गए वोटिंग अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	निगमन स्थान	समूह का स्वामित्व हित	
				31.3.2022	31.3.2022
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि.	खनिज, धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोयला और हाइड्रोकार्बन, बुलियन, आभूषण, अन्य वस्तुओं में व्यापार	सिंगापुर	100% नान–कंट्रोलिंग इंर्टेस्ट शून्य	100% नान–कंट्रोलिंग इंर्टेस्ट शून्य

1. **संयुक्त उपकम**

जिन संयुक्त उपक्रमों में समूह एक संयुक्त उद्यम है उनका विवरण नीचे दिया गया है। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह द्वारा रखे जाते हैं और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह द्वारा आयोजित मतदान अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

क.सं.	संयुक्त उपकम का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	निगमन स्थान	समूह का स्वामित्व हित		लेखा पद्धति
				31.03.2022	31.03.2021	
1	एमएमटीसी गीतांजली.लि.(i)	सोने व चांदी के सिक्के, स्वर्ण आभूषण, हीरे जड़ित आभूशण, लाईफस्टाईल ज्वैलरी का व्यापार	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	सोने व चांदी की बार, सिक्के और इससे संबंधित मदें और सोने व चांदी डोर की रिफाईनिंग	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (iii)	कंपनी ने आयरन ओर टर्मिनल सुविधा की स्थापना की है	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
4	नीलाचल इस्पात निगम लि.	केप्टिव पावर प्लांट के साथ आयरन एंड स्टील प्लांट	भारत	49.78%	49.78%	इक्विटी पद्धति
5	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	भारत में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन	भारत	50%	50%	इक्विटी पद्धति

(i) मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य प्रमोटर द्वारा की गई चूक की रिपोर्ट के मद्देनजर कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम– मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड में 2.99 करोड़ रू. के अपने इक्विटी निवेश को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जांच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जेवी कंपनी ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने जेवी कंपनी से बाहर निकलने का नोटिस भी दिया है। जेवी कंपनी से 2021–22 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसे भी समेकन के उद्देश्य से नहीं माना जाता है।

(ii) कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 33.80 करोड़ रू. के इक्विटी निवेश में हानि के लिए 100: प्रावधान किया।

(iii) उद्धृत उचित मूल्यः उपरोक्त सभी संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध संस्थाएं हैं और इसलिए कोई उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है। वहन राशि का विवरण नोट संख्या 6 में दिया गया है।

3. संस्था समेकित

निम्नलिखित संस्थाओं को समेकन उद्देश्य के लिए माना जाता हैः –

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्थिति	अपनाये गये वित्तीय विवरण
1.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	लेखा परिक्षित
2.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	संयुक्त उपकम	लेखा परिक्षित
3.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	संयुक्त उपकम	*
4.	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	संयुक्त उपकम	*

* 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए।

निम्नलिखित संस्थाओं को समेकन उद्देश्य के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि निवेश पूरी तरह से हानि है।

क.सं.	संस्था का नाम	स्थिति	समेकन नही करने का कारण
1.	एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड	संयुक्त उपकम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(i)
2.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	संयुक्त उपकम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(ii)

4. संयुक्त उद्यमों शामिल नही की गई हानियां

संयुक्त उद्यम के नुकसान मे शामिल नही किये गये, जैसा कि समूह ने संयुक्त उद्यम के नुकसान के अपने हिस्से को शामिल करना बंद कर दिया है, निवेश के वहन मूल्य से अधिक होने के कारण, इक्विटी पद्धति को लागू करते हुए, नीचे दिया गया है: –

क.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	31.3.22 को संचित शेष	31.3.2022 को समाप्त वर्ष	31.3.2021 को समाप्त वर्ष	31.3.2020 को समाप्त वर्ष	31.3.2019 को समाप्त वर्ष	31.3.2018 को समाप्त वर्ष
1	नीलाचल इस्पात निगम लि.	1,734.22	Not Recd	459.32	799.88	200.90	186.89
2	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	19.68	Not Recd	6.79	9.06	1.45	1.38

2021–22 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नही हुए।

42. संयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी (करोड़ रू. में)

	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
संक्षेपित तुलन पत्र	**31 मार्च 22**	**31 मार्च 21**	**31 मार्च 22'**	**31 मार्च 21**	**31 मार्च 22'**	**31 मार्च 21**
चालू परिसंपत्तियां						
नकद और नकद समकक्ष	32.95	70.01		28.19		0.09
अन्य परिसंपत्तियां	2,979.19	1,671.38		336.72	-	-
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	3,012.14	1,741.39		364.91	-	0.09
कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ	327.78	330.85		2,561.35		33.60
चालू देनदारियाँ						
वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	1,398.85	1,339.60		2,550.61		0.01
अन्य देनदारिया	1,528.98	332.76		2,624.01		7.66
कुल चालू देनदारियाँ	2,927.83	1,732.36		5,174.62	-	7.67
गैर चालू देनदारियाँ						
वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	40.92	3.91		996.55	-	-
अन्य देनदारियाँ	32.55	28.80		242.50		65.38
कुल गैर चालू देनदारियाँ	73.47	32.71		1,239.05	-	65.38
निवल परिसंपत्तियाँ	338.62	307.17		(3,487.41)	-	(39.36)

	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
विवरण	2021-22	2020-21	2021-22*	2020-21	2021-22*	2020-21
राजस्व	29,269.77	20,372.37	-	24.16	-	0.46
ब्याज आय	2.45	16.33		2.35		-
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति	24.60	25.02		146.34		0.82
ब्याज व्यय	46.05	61.59		203.23		0.17
आयकर व्यय	15.36	2.16	-	-		-
निरंतर प्रचालन से लाभ	44.79	3.06		(921.30)		(13.60)
अनिरंतर प्रचालन से लाभ (कर के बाद)	-	-		-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	44.79	3.06	-	(921.30)	-	(13.60)
अन्य व्यापक आय	(0.37)	1.30		(1.40)	-	-
कुल व्यापक आय	44.42	4.36	-	(922.70)	-	(13.60)

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एफटीडब्ल्यूपीएल)	
	31 मार्च 22	31 मार्च 21	31 मार्च 22'	31 मार्च 21	31 मार्च 22'	31 मार्च 21
आरंभिक निवल परिसंपत्ति	307.17	302.81	(3,487.41)	(2,564.71)	(39.36)	(25.76)
वर्ष के लिए लाभ	44.79	3.06	-	(921.30)	-	(13.60)
अन्य व्यापक आय	(0.37)	1.30	-	(1.40)	-	-
अन्य समायोजन	-				-	-
ईक्विटी के समानक अग्रिम	-	-	-	-	-	
अंतिम निवल परिसंपत्ति	351.59	307.17	(3,487.41)	(3,487.41)	(39.36)	(39.36)
प्रतिशत में समूह के शेयर	26%	26%	49.78%	49.78%	50%	50%
आईएनआर में ग्रुप के शेयर	91.41	79.87	(1,736.03)	(1,736.03)	(19.68)	(19.68)
गुडविल / (आरक्षित पूंजी)	-	-	-	-	-	-
कैरिंग राशि''	91.41	79.87	-	-	-	-

* 31.03.2022 को वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ

संयुक्त उद्यम कंपनी, एनआईएनएल और एफटीडब्ल्यूपीएल के मामले में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है क्योंकि संयुक्त उद्यम कंपनी के नुकसान में समूह का हिस्सा संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश की कैरिंग राशि से अधिक है। जेवी कंपनी एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड और सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड के संबंध में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है क्योंकि संयुक्त उद्यम में समूह का इक्विटी निवेश पूरी तरह से नुकसान भरा रहा है।

43. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : ''ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स''

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाशित किया गया है ''मैनेजमेंट अप्रोच'' के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेशण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृशि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थायी परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

Segment revenues and results (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो–कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	6013.01	30.33	0.01	751.09	75.60	1459.83	28.53	8.358.41
भारत से बाहर	0.00	78.46	125.14	7.90	3217.59	(0.00)	8.89	3,437.98
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	**6013.01**	**108.79**	**125.15**	**758.99**	**3293.19**	**1459.83**	**37.42**	**11796.39**
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	27.73	0.18	0.01	547.84	2.74	10.11	3.27	591.88
भारत से बाहर	-	0.38	2.13	0.08	10.58	0.04	0.37	13.58
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	**27.73**	**0.56**	**2.14**	**547.92**	**13.32**	**10.15**	**3.64**	**605.45**
अन्य अनआबंटित कारपोरेट व्यय								
ब्याज व्यय (नेट)								204.23
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								311.79
सामान्य कार्य कलापों से कर पूर्व लाभ								89.43

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	14029.93	74.03	1.32	586.14	671.45	9185.83	28.17	24576.86
भारत से बाहर	0.00	231.40	1817.87	233.80	3127.46	6.11	7.96	5424.61
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	14029.93	305.43	1819.20	819.94	3798.90	9191.54	36.14	30001.47
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	53.13	0.80	1.32	(30.73)	7.02	29.40	2.97	63.91
भारत से बाहर	-	0.93	50.39	1.34	11.77	0.07	0.25	64.75
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	53.13	1.72	51.72	(29.39)	18.78	29.47	3.22	128.66
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय								
ब्याज व्यय (नेट)								193.24
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								1048.56
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								(1113.14

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट **(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	87.55	7.73	23.58	3695.73	462.56	17.42	416.46	4711.03
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								72.36
कुल परिसंपत्तियां								4783.39
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	109.54	27.34	28.41	1353.66	616.68	31.41	17.35	2184.38
अनअलोकेटिड देयताए								2747.10
कुल देयताएं								4931.48

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रोकार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	427.26	19.21	333.84	3514.83	666.84	19.74	39.99	5023.69
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								450.15
कुल परिसंपत्तियां								5473.86
ए.02 सेग्मेंट देयताएं :								
देयताएं	442.64	38.67	344.50	1200.13	722.51	19.88	23.71	2792.02
अनअलोकेटिड देयताए								2582.12
कुल देयताएं								5374.12

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

(₹ करोड़ में)

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है	2021-22	2020-21
कुल राजस्व	1458.90	9177.84
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	12.37%	30.59%
उत्पाद सेग्मेंट	उर्वरक	उर्वरक

44. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

44.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पद
I. श्री संजय चड्ढा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (14.05.2020 से 28.02.2022 तक)
ii. श्री विभु नायर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2022 से)
iii. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
iv. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
v. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)
vi श्री टी.एस.राव	प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल
vii. श्री देबाशिश नायक	निदेशक(वित्त) एमटीपीएल

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
2. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
3. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
4. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
5. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

1. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

1. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
2. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाशित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
4. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	3.77	4.35
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स	0.42	0.48
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	**4.19**	**4.81**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	-	
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेश	-	0

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	2.41	2.51	-	-	-	-	-	-	-	2.08	-	-	-	-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	78.94	107.12	-	-	-	-	0.91	1.74	232.36	25.38	-	-		
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.05	77.82
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	37.18	28.64	1.49	-	-	-	19.47	6.01

एच.वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
देय व्यापार	**0.02**	**0.02**	-	-	-	-	-	-	-	**0.76**	-	**1.46**	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	**0.03**	-	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.06**	**0.09**	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
वर्श के प्रारंभ में ऋण		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम में दिया गया ऋण		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त /समायोजित अदायगी		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीताजंलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.		हाल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहासिंग प्रा.लि.		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहासिंग प्रा.लि.	
	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21	मार्च/22	मार्च/21
दिया गया अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,463.11	3528.47	-	-	-	-	-	-

के. केएमपी को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2022	मार्च 2021
वर्श के प्रारंभ में ऋण	0.00	0.00
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त पुनर्भुगतान	0.00	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	-	0.00
वर्श के अंत में ब्याज सहित शेश	-	-

एल . संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एम. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सरकार/सरकारी	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य	बकाया भोश	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	1458.90	14.40	-
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग,	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	-	35.45
3	भारत सरकार भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	153.80	94.06	5.82
4.	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	42.57	13.63	0.34

45. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

45.1 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्श के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्श के लिए
1	संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	1.08	1.07
2	पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	0.36	0.150
3	अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	-
4	कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	-
5	पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च	-	-
6	संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	-
7	पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	1.41	1.51
8	संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	0.01	0.14
9	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	3.14	3.35

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्श के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्श के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.11	0.37
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.42	0.42
5 वर्षों के बाद	3.12	3.23

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) इंड एएस – 116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000/– प्रति माह और 12,00,000/– रूपये प्रति वर्ष तक के हैं, शामिल नहीं किए जाते हैं।

45.2 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	1.73	1.50
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	2.16	3.89
5 वर्षों के बाद	-	-

46. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (करोड़ रू.)	(262.38)	(789.28
प्रतिशेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस(इन)	(1.75)	(5.26)

47. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.21 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2022 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेशण जोखिम	0.08	0.08	-	0.00
बोनस/पीआरपी	17.84	14.63	0.29	3.50
मुकदमेबाजी निपटान के लिए	888.81	(0.14)	178.44	1067.39

48. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन

प्रकटन

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदा

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुए संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है: –

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	11237.80	29970.20
सेवाओं की बिक्री	4.50	2.91
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	0.15	25.90
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	1.43	11.25
–अन्य व्यापार आय	552.36	(8.79)
कुल	11796.24	30001.47

ए. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
हानि का नुकसान	.	1.06

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में	31 मार्च 2021को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में
बहुमूल्य धातुए	6,013.01	50.97	14,029.93	46.76
धातुएं	108.79	0.92	305.43	1.02
खनिज	125.15	1.06	1,819.20	6.06
कोल व हाइड्रोकार्बन	758.99	6.43	819.94	2.73
कृषि उत्पाद	3,293.19	27.92	3,798.90	12.66
उर्वरक	1,459.83	12.38	9,191.94	30.64
अन्य	37.42	0.32	36.14	0.12
कुल	11,796.39	100.00	30,001.47	100.00

(iii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	1224.13	2435.96
वर्ष के दौरान वृद्धि / कमी	(432.36)	(1211.83)
अंतिम शेष	791.77	1224.13

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम ड्यूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक शेष	462.26	212.24
जोड़ें :वर्ष के दौरान वृद्धि	26.41	329.36
घटाएं: कटौती (रिफंड / समायोजन)	108.40	24.25
घटाएं: राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	15.28	55.09
अंतिम शेष	364.98	462.26

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट / क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य'' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य'' करोड़' रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यावहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

बी. इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति / माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति / माल / सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट / क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील

प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है, इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

49. कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के टाईटल डीडः (₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में संबद्ध लाईन आईटम	परिसंपति मद का विवरण	सकल कैरिंग मूल्य	के नाम पर टाईटल डीड	क्या टाईटल डीड होल्डर प्रोमोटर, डायरेक्टर या प्रोमोटर के रिश्तेदार/ कर्मचारी या प्रोमोटर, डायरेक्टर के कर्मचारी हैं	परसिंपति कब से हैं इसकी तिथि/ आबंटन तिथि	कंपनी के नाम पर नही होने के कारण
पीपीइ	भूमि	1.04	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप का एलएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट होगा
पीपीइ	भवन	5.74	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप का एलएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट होगा

50. वित्तीय अनुपातः (₹ करोड़ में)

विवरण	न्यूमरेटर	डीनोमिनेटर	31.03.22 को अनुपात	31.03.21 को अनुपात
चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसंपति	चालू देयताएं	0.88	0.88
डेट ईक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल डेट	शेयरहोल्डर इक्विटी	(17.70)	24.24
डेट सर्विस कवरेज अनुपात (समय पर)	डेट सर्विस के लिए उपलब्ध अर्जन	डेट सर्विस	(0.23)	(2.88)
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (% में)	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत शेयरहोल्डिंग ईक्विटी	10.85	(1.61)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय पर)	नेट क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	13.91	28.63
शुद्ध लाभ अनुपात(% में)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	(0.02)	(0.03)
नियोजित पूंजी पर लाभ (% में)	ब्याज व कर से पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	0.13	(0.36)
नेट पूंजी कारोबार अनुपात (समय पर)	नेट बिक्री	कार्यशील पूंजी	(19.96)	(45.31)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय पर)	नेट क्रेडिट बिक्री	औसत लेख प्राप्य	18.19	20.81
निवेश पर रिटर्न (% में)	निवेश से आय	समय भारित औसत निवेश	0.72	5.26
इन्वैंट्री कारोबार अनुवात (समय पर)	बेचे गये माल या बिक्री की लागत	औसत इन्वैंट्री	298.01	227.62

1 उधार से संबंधित ब्याज के कारण प्रोद्भवन।
2 वर्ष के दौरान एनआईएनएल को व्यापार संबंधी अग्रिम राशि 547.87 करोड़ रू. पर ब्याज शामिल
3 वर्ष के दौरान खरीद में कमी के कारण।
4 वर्ष के दौरान बिक्री में कमी के कारण।

51. अन्य वैधानिक सूचना–

ए) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

बी) कंपनी का बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है

सी) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक आरओसी के साथ वैधानिक अवधि के बाद पंजीकृत नहीं है

डी) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है

ई) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें उधार दे या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

एफ) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनीः

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से पहचान में उधार या निवेश करें या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें

जी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

एच) कंपनी अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या के उल्लंघन में नहीं है

आई) कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवस्था की योजना में शामिल नहीं हुई है

जे) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है

52. कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लघु और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य गैर–चालू और चालू संपत्ति के खाते पुष्टि / समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। प्रबंधन चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाले किसी भी भौतिक अंतर की अपेक्षा नहीं करता है।

    प्रबंधन की राय में, संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और गैर–चालू निवेश से उस राशि की वसूली की उम्मीद की जाती है जिस पर उन्हें बताया गया है, अगर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और सभी ज्ञात देनदारियों के प्रावधान के लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त रूप से किया गया है।

53. सार्वजनिक उद्यम विभाग (जीओआई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पूरे समय के निदेशकों को 2000 प्रति माह के भुगतान पर प्रति माह 1,000 किमी तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

54. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

55. वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी राशियाँ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं हो सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

56. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार अनुषंगियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण, निर्धारित प्रपत्र एओसी–I में अनुलग्नक–ए में संलग्न है।

57. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

    वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 08.07.2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृते एम. एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर. सी. गुप्ता)	**(जी आनंदनारायणन)**	**(बी.एन. दाश)**	**(कपिल कुमार गुप्ता)**
पार्टनर	कंपनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
एमनं. 095584	एसीएस–13691		डीआईएन :08751137

दिनांक : 08.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

(जे रवि शंकर)	**(विभु नायर)**
निदेशक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन :06961483	डीआईएन : 03590141

एओसी – I		
सहायक / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं का विवरण		
(अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 (3) के अनुसरण में)		
भाग "ए" : सहायक कंपनी		
		(₹ करोड़ में)
1	क्र. सं	1
2	सहायक के नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
3	संबंधित सहायक की रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अंतर हो	लागू नहीं
4	विदेश सहायकों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को विनिमय दर और रिपोर्टिंग मुद्रा	यूएस डालर विनिमय दर रू. 74.5208 (औसत दर)
5	शेयर पूंजी	3.14
6	रिजर्व और अधिशेष	43.66
7	कुल परिसंपत्ति	408.71
8	कुल देयता	361.91
9	निवेश	-
10	कारोबार	3,403.87
11	कर पूर्व लाभ	6.02
12	कर के लिए प्रावधान	0.93
13	कर के बाद लाभ	5.09
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
15	शेयरधारिता का %	100
a)	सहायकों के नाम जिसका परिचालन होना शेष है	शून्य
b)	सहायकों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।	शून्य

एओसी – I भाग "बी" : एसोसिएटस् और संयुक्त उद्यम					
					(₹ करोड़ में)
सहायक और संयुक्त उद्यमों के नाम	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिकल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
1. अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	31.03.2021*	31.03.2021	31.3.2022	31.03.2021	31.03.2017**
2. वर्ष के अंत में कंपनी के पास सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों के शेयर					
संख्या	368762744	5000	17446000	33800000	2987400
सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	459.11	0.01	17.45	33.80	2.99
होल्डिंग % को बढ़ाना	49.78%	50%	26%	26%	26%
3. विवरण दें, इसका कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी
4. कारण बताएं, क्यों सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	Note (1)
5. अद्यतित परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारक के नेटवर्थ एट्रीट्युबेल	(1,736.04)	(19.68)	91.41	33.78	1.82
6 वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)					
I समेकित पर विचार	-	-	11.55	-	-
ii समेकित पर विचार नहीं करना	-	-	-	-	-
ए) सहायकों के नाम जिसका परिचालन होना शेष है				NIL	
बी) सहायक कंपनियों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।				NIL	

*31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।

**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।

PURITY 92.5 GUARANTEED
Purity that glows
with the sparkle of artistry...
SANCHI
SILVER IN STYLE
Take home a piece of exclusive Sanchi silverware
• Decorative Items • Utility Items • Table Accessories • Religious Items •
For all your silverware purchases, visit MMTC's showrooms in Delhi at:
MMTC Limited, Core 1, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003, Ph.: 011-24365805 | MMTC Limited, F-8-11, Jhandewalan Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, New Delhi - 110055, Ph.: 011-23513793/23542293 | MMTC Showroom, Cross River Mall, G-41, Ground Floor, CBD Ground, Shahdara, Delhi - 110032 Ph.: 011-42111877
Items may differ, subject to availability of stock.
एमएमटीसी
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
SHARAD
For enquiries, call our All-India Toll Free No. 1800 1800 000 (9 am to 9 pm) or visit www.mmtclimited.com
MMTC LTD
mmtc_ltd
mmtc_ltd

भाग– III के अनुसार अतिरिक्त सूचना – समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सामान्य सूचना

क्र. सं	कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियों में से देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
		समेकित निवल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	अन्य समेकित व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)
मूल कंपनी									
एमएमटीसी लिमिटेड		(130.60)	193.40	106.38	(279.11)	88.45	12.87	107.43	(266.25)
सहायक विदेश कंपनी									
1	एमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	(29.47)	43.65	(1.94)	5.09	12.20	1.78	(2.77)	6.86
2	अनियंत्रित हित	-	-						
संयुक्त उद्यम–भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	(49.95)	73.97	(4.44)	11.65	(0.66)	(0.10)	(4.66)	11.55
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	310.02	(459.11)	-	-	-	-	-	-
5	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	100.00	(148.09)	100.00	(262.38)	100.00	14.55	100.00	(247.83)

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र संख्याः सीए.वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (10)/934 दिनांक 25 अगस्त, 2021 ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

सांविधिक लेखा परीक्षक	क्षेत्र
एमएल पुरी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय

शाखा लेखा परीक्षक

एनआरएसएम एंड एसोसिएंट कटक	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
बथिया एंड एसोसिएंटड एलएलपी मुम्बई	मुबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
शरद एंड एसोसिएटस् हैदराबाद	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
बी थ्यागराजन एंड कं. चेन्नै	चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद गुडुर में माइका प्रभाग
सर्मा एंड राव एसोसिएट्स विशाखापटनम	विशाखापटनम तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र

एमएमटीसी कार्यालय

एममएटीसी लिमिटेड, कोर 1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली–110003
टेलीफोन : 91–11–24362200, ईमेल mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimted.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर क्षेत्र	**दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय** एफ – 8–11, झंडेवालान, फलेटिड फैक्टरी कम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011–23623950, 23623952, 23670408 फैक्स : 011–23633175 ईमेल – headjjc@mmtclimited.com उप क्षे.का./फी.आ..: एफओएस:जयपुर
दक्षिण क्षेत्र	**चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय** एस्सार हाउस, 6 एस्प्लेनेड, चेन्नई – 600108, तमिलनाडु फोन: 044–25341942 25341938 फैक्स : 044–25340544, 25340317 ईमेल – headchennai@mmtclimited.com उप क्षे.का./फी.आ :बेंगलुरू, बन्नीहटटी
	विजाग क्षेत्रीय कार्यालय एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पी.बी. नं. 132, विशाखापट्टनम, 530035 (आंध्र प्रदेश) फोन : 0891–256358, 2562771 फैक्स : 0891–2562611 ईमेल – mmtcvizag@mmtclimited.com
	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय 9–1–76 से 77/1बी, तीसरी मंजिल, एसडी रोड, सिकंदराबाद– 500003, फोन: 040–27804033 फैक्स : 040–27804038,27725401 ईमेल – mmtchyd@mmtclimited.com
पूर्वी क्षेत्र	**भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय** आलोक भारती काम्प्लेक्स, 7वीं मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर – 751007, ओडिशा फोन : 0674–2546848,2518517,2503336,2544783 , फैक्स : 0674–2546847, 2512832 ईमेल headbhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com उप क्षे.का./फी.आ :पारादीप डुबरी
पश्चिमी क्षेत्र	**मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय** एमएमटीसी हाउस, प्लाट नंबर.सी–22, ब्लाक–ई, बांद्रा–कुर्ला कम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051, फोन: 022–26572, 437, 26594100, 26573193, 61214500 फैक्स : 022–26572541 ,26572807 ईमेल head_mumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimited.com उप क्षे.का./फी.आ :अहमदाबाद
प्रोन्नत	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनेक्सी प्रथम तल, इपीकोल हाउस प्रोजेक्ट जनपथ, भुवनेश्वर –751022 टेलीफोन 0674–2543231, फैक्स –0674–2541763
विदेश	**सिंगापुर** कार्यालय एमएमटीसी ट्रोसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 3 रैफल्स प्लेस रु08–01, भरत बिल्डिंग सिंगापुर –048617 टेलीफोन: (65)65385313, फैक्स : (65) 65385316, ईमेल : Info@mtpl.com.sg

एमएमटीसी
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड की ओर से
कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

CORPORATE OFFICE
New Delhi
Published by
Kapil Kumar Gupta, (Finance)
on behalf of MMTC Limited
Produced & Printed by
Corporate Communications Division

Concept designed & printed by Dot Communications